Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम सत्र का नवमां दिवस संख्या ६

मंगलवार, दिनांक १७ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-२ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, वित्त, अकाल सहायता, सिंचाई, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायत, चिकित्सा, वन एवं आबकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

बसों के परमिट

१३८. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के निवासी श्री गनपतलाल वर्मा बस के ऑपरेटर हैं ?

(२) यदि हां, तो आजादी के प्रारम्भ से ही आज तक श्री गनपतलाल वर्मा के नाम पर कहां कहां के बस रूट कब कब दिये गये हैं ?

(३) अब तक कहां कहां के बस रूट श्री वर्मा दूसरों के नाम पर ट्रान्सफर कर चुके हैं।

(४) क्या अब भी इनके नाम पर कोई बस रूट है ? यदि हां तो, कहां कहां के ?

(५) क्या अब भी इन्होंने कहीं का बस रूट प्राप्त करने की अर्जी दे रखी है ? यदि हां, तो किस किस रूट की ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) :

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(३) श्री गनपतलाल वर्मा ने निम्नलिखित परमिट ट्रान्सफर किये हैं:—

१. भीलवाड़ा—बिजोलिया
२. भीलवाड़ा—बदनोर
३. भीलवाड़ा—मांडलगढ़
४. भीलवाड़ा—अजमेर

(४) अब इनके पास निम्नलिखित परमिट हैं :

१. भीलवाड़ा—बेगू—भैंसरोड़गढ़ मार्ग
२. भीलवाड़ा—बिजोलियां मार्ग

(श्री समर्थलाल)

(५) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप कृपा करके यह बतायें कि जब सन् ५२ में इनके पास बिजोलिया का परमिट था और उसको बेच दिया तो इसके बाद फिर दुबारा बिजोलिया का परमिट इनको क्यों दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि भीलवाड़ा से अजमेर का परमिट कितने रुपयों में बिका ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (यातायात-मंत्री) : परमिट ट्रान्सफर हो सकता है इजाजत से ऐसा तो मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा ५७ में प्रावधान है और परमिट ट्रान्सफर करने के बाद फिर क्यों दिया इसके लिए भी कानून में कोई रोक नहीं है और कितने रुपयों में उन्होंने ट्रान्सफर किया इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन कोई भी परमिट होल्डर बारबार परमिट ले और बेचे उसको आप बारबार परमिट क्यों दे रहे हैं जब कि वह मोटर भी नहीं लगाता और केवल परमिट ही बेचता है ? २०–२० हजार में परमिट बेचा है तो क्या कारण है कि आप उनकी परवरिश करना चाहते हैं आखिर क्या बात है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून में तो इसकी रोक नहीं है लेकिन यह नीति हम जरूर अपनाना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में परमिट न दिये जावें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो क्या ऐसे आदमियों को ब्लेक लिस्ट करेंगे कि जिन्होंने पांच-पांच परमिट लेकर बेचे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो डिस्क्रिशन है अथॉरिटी का कि जो परमिट्स ग्रान्ट करती है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि हम यह नीति अपनाना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जहां परमिट लेकर ट्रान्सफर करें तो उनको परमिट आइन्दा नहीं दिये जायें। इस नीति को हम अपनाना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है लेकिन एक परमिट मिले और बेचे, दो परमिट मिले और बेचे पांच-पांच और चार-चार परमिट अगर मिलकर के इस तरह से बेचे जाते हैं तो एक तरफ तो आप रोड ट्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण करना चाहते और दूसरी तरफ परमिट्स को बेचकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं क्या आप यह उचित नहीं समझते कि कोई भी व्यक्ति जो परमिट होल्डर है अगर वह परमिट को बेचता है तो उसको एक, दो और चार-चार परमिट्स दिये जायें यह उचित है सरकार के लिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है और सन् ५२ से लेकर ७० तक की ये घटनायें है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) क्या सरकार यह फील करती है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और आपके शासन की यह नीति चल रही है कि अपने नजदीक आदमियों को परमिट्स देकर पेट उनका पाला जाये ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि परमिट लेने के बाद उनमें गाड़ी लगाना जरूरी है ?

श्री रामप्रसाद लड़्ढा : हां; जरूरी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो क्या इन्होंने अजमेर में गाड़ी लगाई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गाड़ी लगाई या नहीं इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। परमिट ट्रान्सफर जिस व्यक्ति को किया उसकी सूचना दी जा चुकी है और उसकी तारीख दी जा चुकी है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूचना नहीं है कि उन्होंने गाड़ी लगाई या नहीं तो मामला गम्भीर है। २०–२० हजार में परमिट्स सिर्फ बेचे जाते हैं यह कांग्रेस पार्टी को डुबो रहा है

श्री विजयसिंह : यह कोटा परमिट की सरकार है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल जैलिया।

चैकपोस्ट सवाई माधोपुर के गार्ड के विरुद्ध शिकायतें

१३९. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार-सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चैकपोस्ट सवाई माधोपुर के गार्ड छुट्टनसिंह के खिलाफ नागरिक सेवा क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एवं अपील नियम, १९५८ की धारा (१६) के अन्तर्गत जांच चली थी ?

(२) क्या उक्त गार्ड के बारे में राज्य सरकार की ओर कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो शिकायतों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) राज्य सरकार द्वारा उक्त जांच एवं शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल) :

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जांच पर श्री छुट्टनसिंह गार्ड की दो वेतन वृद्धियां रोकी गयी।

श्री चुन्नीलाल जेलिया व अन्य सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़ दें।

श्री बृजप्रकाश गोयल : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जांच पर श्री छुट्टनसिंह गार्ड की दो वेतन वृद्धियां रोकी गयी।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : अध्यक्ष महोदय, चैक पोस्ट के गार्ड छुट्टनसिंह थे और उनको जो आमदनी होती थी उससे ज्यादा आमदनी रिश्वत की लेकर अलग से रखते थे क्या यह सही है ? और कई लोगों ने इसकी शिकायत की।

श्री बृजप्रकाश गोयल : शिकायत आई उस पर जांच हुई है और उसको सजा मिल चुकी है और वह उस जगह पर भी नहीं है अब।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : क्या जांच परिणाम निकला ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : उसके अभद्र व्यवहार के लिए उसको पनिशमेन्ट मिला है।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : शिकायत करने पर उसको सस्पेण्ड किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : प्रश्न संख्या १४०.

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

१४०. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् १९६८-६९ एवं सन् १९६९-७० में सड़कों के निर्माण एवं मेटल क्वेरीज की खुदाई के लिये कितने मस्टर-रोल कब, कब जारी किये गये ? सूची क्रम संख्या बताते हुये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कितने मस्टर रोल कार्य में लिये गये और कितने स्टोक में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) इन मस्टर रोल की छपाई का कार्य किस किस प्रेस में करवाया गया ?

(४) क्या मस्टर रोल पर क्रम संख्या छपवाने का कार्य गवर्नमेन्ट प्रेस में किया गया है या सरकारी अधिकारियों द्वारा ? यदि सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया तो किन किन अधिकारियों द्वारा ?

(५) मस्टर रोल में फर्जी कार्यवाही करने के आरोप में कितने कर्मचारी एवं अधिकारी पकड़े गये, सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

श्री गंगाराम चौधरी (उपमंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे पोस्टपोन किये जाने हेतु प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका जवाब कब तक आ जायेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

जिला टौंक में जागीरदारों के तालाब

१४१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा, करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि जिला टौंक में ऐसे तालाब हैं जिनसे सिंचाई विभाग द्वारा वसूली की जाती है पर वह तालाब मय पाल जागीरदार की खातेदारी व निजी सम्पत्ति घोषित है ? यदि हां, तो तहसीलवार मय नाम तालाब व जागीरदार के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सिंचाई विभाग द्वारा कई बार यह असुविधा सामने आती है कि वह उस तालाब की पाल पर कोई पेड़ इत्यादि के ठेके जागीरदार द्वारा नहीं देने दिया जाता

Page No 5

(श्री दिग्विजयसिंह)

है? यदि विभाग देता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है जब कि पाल जागीरदार की सम्पत्ति है?

(३) क्या इस विषय में सिचाई विभाग द्वारा राज्य सरकार को लिखा गया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

(४) क्या सिचाई विभाग द्वारा किसी के खातेदारी वाले तालाब पर पाल को ऊंचा या अन्य खर्च करने का अधिकार है? यदि हां, तो कैसे?

उप-मंत्री, सिचाई (श्री जसराज) :

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने ३ के उत्तर में कहा है "जी नहीं"। मैंने पूछा है क्या यह सही है कि जिला टोंक में ऐसे तालाब हैं जिनसे सिचाई विभाग द्वारा वसूली की जाती है पर वह तालाब मय पाल जागीरदार की खातेदारी व निजी सम्पत्ति घोषित है। इसके लिए आपने कहा है "जी नहीं" मैं कह रहा हूं कि ऐसे कई तालाब हैं जो कि जागीरदार की सम्पत्ति में घोषित हैं और पाल भी एन्टर्ड है और आप कह रहे हैं कि जी नहीं।

श्री जसराज : प्रश्न में आपने पूछा है कि जिला टोंक में ऐसे तालाब हैं जिनसे सिचाई विभाग द्वारा वसूली की जाती है। सिचाई विभाग द्वारा किसी तालाब पर वसूली नहीं होती है। मैं आपको बताऊं नीति यह है कि ५० एकड़ से जो छोटे तालाब हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं स्वयं जानता हूं पर इनकी जो खतौनी बनती है वह तो आपका विभाग ही बनाकर देता है।

श्री जसराज : आप सुनिये। आप सुनने को तैयार नहीं। इसमें यह है कि २,५०० एकड़ से नीचे की सिचाई जो तालाब हैं उनकी वसूली रेवेन्यू विभाग के द्वारा होती है और उनके सारे कागजात रेवेन्यू विभाग द्वारा तैयार किये जाते है और २,५०० एकड़ से ऊपर की सिचाई के जो तालाब हैं, उनके कागज वह सारे सिचाई विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं। जहां पर २,५०० एकड़ से ऊपर की सिचाई वाले तालाब हैं उनका रेकार्ड सिचाई विभाग के पास उपलब्ध है तो वहां पर कोई ऐसे तालाब नहीं हैं, जिनमें सिचाई विभाग कोई वसूली करता हो।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि बनेठा का तालाब की सिचाई विभाग द्वारा वसूली की जाती है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय यह इससे सम्बन्धित है। ग्राम बनेठा का जो तालाब है वह सिचाई विभाग से सम्बन्धित है, डाबार का है, तालावास का है, लाम्बा का है इनके लिए यह जो कहते हैं कि नहीं हैं तो सिचाई विभाग वसूली करता है जबकि ये जागीरदारों की पाल की खातेदारी में एन्टर्ड हैं।

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय अध्यक्ष, एक गलतफहमी माननीय

Page No 6

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
सदस्य को हो रही है कि जो तालाब किसी जागीरदार को व्यक्तिगत सम्पत्ति कानून के अनुसार जिस आथोरिटी को उसको घोषणा करना चाहिए उसने घोषणा कर दी जागीर रिजम्पशन एक्ट तहत और उसकी कोई अपील नहीं चल रही है या स्टे ऑर्डर नहीं है वैसे तालाबों को तो हम जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति मानकर उसमें इन्टरफियर नहीं करते हैं, और बाकी के तालाब जो इस तरह से घोषित नहीं हुए हैं चाहे रैकार्ड्स् में जागीरदार के नाम कोई भी इन्द्राज हो कम्पीटेन्ट आथोरिटी ने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया हो तो उनका इन्तजाम सिंचाई की वसूली, या रेकार्ड रखना, यह सब राज्य सरकार का सिंचाई विभाग करता है।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरा प्रश्न इसमें यह है कि सिंचाई विभाग तो उन पर कन्ट्रोल अपना मानकर चलता है और जागीर कमिश्नर ने उनको घोषित कर दिया है और रेवेन्यू रेकार्ड्स के अन्दर वे जागीरदार के नाम एन्टर्ड हैं तो पाल के ऊपर जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके लिए इधर तो सिंचाई विभाग कहता है कि वे हमारी सम्पत्ति हैं और उधर जागीरदार कहता है कि मेरी सम्पत्ति है तो इस तरह के कई मामले चल रहे हैं और पुलिस तक में रिपोर्ट दर्ज होती है चोरी की, इस तरह के कम्प्लीकेटेड इश्यूज हो जाते हैं तो सिंचाई विभाग क्या अधिकार रखता है उन तालाबों पर ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरल क्वेश्चन आपने पूछा है। यदि किसी तालाब विशेष की इस तरह की समस्या कोई हो कि व्यक्तिगत सम्पत्ति घोषित हो जाने के बाद भी कानूनी अधिकार सरकार को नहीं होने के बावजूद भी उस पर कोई पेड़-पत्ते नीलाम करते हों तो ऐसे इन्डिविजुअल केसेज हमें बताये जायें ताकि उनकी हम छानबीन करके इसमें क्या कार्यवाही कानूनन की जा सकती है हमारे द्वारा उसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गोरधन सोनी।

साईनाथ विद्या मंदिर, ग्राम बड़ायली

१४२. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बड़ायली जिला नागौर में साईनाथ विद्या मंदिर नामक संस्था है ?

(२) यह संस्था कब स्थापित हुई ? इसके संस्थापक व संचालक कौन हैं व कहां तक पढ़ लिखकर उन्होंने क्या डिग्री हासिल कर रखी है ? सारा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इस संस्था को राजकीय सहायता मिल रही है ? यदि हां तो कब से व प्रति वर्ष कितनी मिली ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस संस्था के प्रति वर्ष के आय-व्ययक का ब्यौरा प्रायः किस तरह का होता है ? व्यय किस तरह का होता है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) जी हां।

(राव श्री धीरसिंह)

(२) १ जुलाई, सन् १९६३ से। श्री नाथूराम मिर्धा इसके अध्यक्ष हैं तथा श्री गणेशचन्द्र सक्सेना व्यवस्थापक। संचालक और व्यवस्थापक की योग्यता का विवरण विभाग द्वारा मांगे नहीं जाते हैं। उनके वेतन पर अनुदान देय नहीं है।

(३) संस्था को सत्र १९५-६६ से अनुदान मिलता है जो मान्य व्यय पर ६० प्रतिशत है। प्रतिवर्ष के राजकीय अनुदान के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) संस्था का खर्चा आवर्तक होता है और उसका ब्यौरा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की लेखा पद्धति पर आधारित होता है। आय व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, उनकी योग्यता का विवरण उत्तर में नहीं बताया गया है। वे जब वहां पर अध्यापक भी रहे हैं तो उन्होंने कई तरह के सर्टिफिकेट इश्यू किये हैं तो वहां के लोगों ने एतराज किया है कि गलत सर्टिफिकेट इश्यू किये हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी क्वालिफिकेशन बताई जाय। क्या यह सही है कि श्री गणेशचन्द्र वहां पर अध्यापक भी रहे हैं।

श्री शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है वे संचालक व व्यवस्थापक हैं और संचालक और व्यवस्थापक हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन का सवाल सामने नहीं आता है। वे अगर चाहें कि व्यवस्थापक की क्वालिफिकेशन बताई जाय तो अलग से सूचना दी जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार (हवामहल, जयपुर) : प्रश्न में पूछा गया है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-कर्ता !

श्री गोरधन सोनी : उनकी योग्यता के बारे में नहीं है, लेकिन वहां के लोगों की शिकायतों का जहां तक सवाल है वह यह है कि वे अपने आगे छाप लगाकर सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। वहां के आम लोगों को यह शिकायत है। मैने प्रश्न में जो पूछा है उसका....

श्री अध्यक्ष : क्या योग्यता की जानकारी है ?

श्री शिवचरण माथुर : वे एम० ए० सोशियोलाजी में हैं। ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री गोरधन सोनी : यह सही है या केवल आपका खयाल ही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : आपका खयाल किस आधार पर है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : इस खयाल का क्या आधार है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरे खयाल से तो आप सैकण्ड क्लास फेल हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : यह खयाल ही खयाल है आपका।

श्री गोरधन सोनी : १९६५–६६ में इस संस्था को राजकीय सहायता मिलना शुरू हुई तो १९६५–६६ में इसको ४,२१४ रु०, १९६६-६७ में ८,२८७ रु० और १९६८-६९ में १५३६५ रु० मिले हैं तो यह रकम इतनी कैसे बढ़ी है ? क्या आधार है ? क्या आमदनी ज्यादा बताई गई है ? इतना भारी

(श्री गोरधन सोनी)
हेरफेर कैसे हो गया जिसकी वजह से खर्चा १०,२३२ रु० हो गया १९६९–७० में। खर्चा उसका ६५–६६ में ८,९७४ रु० था, तो क्या वहां की संस्था ने इतनी प्रगति की है या क्लॉसेज आगे बढ़ाई हैं या मास्टर बढ़े हैं? इतना खर्चा कैसे बढ़ा है?

श्री शिवचरण माथुर : उनको ६० पर्सेन्ट ग्रॉन्ट दी जाती है और जैसे जैसे लड़के बढ़ते हैं उस हिसाब से मास्टर भी बढ़ते हैं तो आम तौर पर अनुदान में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली राजस्थान में, यह तो मैं कह सकता हूं, बहुत अच्छी संस्था है।

श्री गोरधन सोनी : वह ठीक है, लेकिन इस संस्था ने ६५–६६ में तो अपना खर्चा बताया है ८ हजार रुपया और ६९–७० में ३०,२३२ रु० तो क्या यह सही खर्चा है या सही नहीं और गलत है?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने आपको उत्तर में निवेदन किया है कि खर्चे का रेग्यूलर ऑडिट होता है और उसके बाद में अनुदान की रकम मन्जूर की जाती है इसलिए अगर यह मानलें कि लड़कों की संख्या बढ़ी है तो अध्यापकों की संख्या बढ़ी है और साधारणतौर पर संस्था को अनुदान बढ़ा कर देते हैं।

श्री प्रेमसिंह (छबड़ा) : पहले कितने अध्यापक थे और अब कितने हो गये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री सूरजमल!

श्री गोरधन सोनी : इसके पहले कितने अध्यापक थे और अब कितने हो गये?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न हैं।

हरिजनों को कानूनी सहायता

१४३. **श्री सूरजमल : (सूरजगढ़) :** क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि विभाग की ओर से हरिजनों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता अब तक जिला झुन्झुनूं में कितने हरिजनों को दिलाई गई? यदि नहीं तो क्यों नहीं।

(१) क्या यह भी सही है कि समाज कल्याण अधिकारी, झुन्झुनूं के पास हरिजनों ने अपने प्रार्थना-पत्र पेश किये थे? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) जी हां, जिला झुन्झुनूं में अब तक इस प्रकार की सहायता किसी हरिजन को नहीं दी गई। इसका कारण यह था कि पुराने नियमों में आवेदन पत्र तहसीलदार अथवा एस० डी० ओ० को देने का प्रावधान था जिसको धनराशि जिलाधीश द्वारा मांग करने पर विभाग द्वारा आवंटित कर दी जाती थी। अब इन नियमों में आमूलचूल परिवर्तन कर नये नियम २१-१-७० को प्रसारित कर दिये गये हैं जिनमें स्वीकृति देने के लिए समाज-कल्याण अधिकारी को सक्षम रखा है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इनसे कहें कि जरा धीरे बोलें फन्टियर मेल चला रखी है।

श्री अध्यक्ष : बैल गाड़ी की तरह से चलें फ्रन्टियर मेल की तरह से नहीं। आप लोग शान्त हो जाइये। फिर से पढ़ दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : भाग (१) जी हां। जिला झुन्झुनू में अब तक इस प्रकार की सहायता किसी हरिजन को नहीं दी गई। इसका कारण यह था कि पुराने नियमों में आवेदन-पत्र तहसीलदार अथवा एस० डी० ओ० को देने का प्रावधान था जिसको धनराशि जिलाधीश द्वारा मांग करने पर विभाग द्वारा आवंटित कर दी जाती थी। अब इन नियमों में आमूल चूल परिवर्तन कर नये नियम २२-१-७० को प्रसारित कर दिये गये हैं जिनमें स्वीकृति देने के लिए जिला समाज-कल्याण अधिकारी को सक्षम रखा गया है।

(२) पुराने नियमों के अनुसार समाज-कल्याण विभाग को ऐसे प्रार्थना-पत्र पेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी व प्राप्त जानकारी के आधार पर जिला समाज-कल्याण अधिकारी, झुन्झुनू के पास हरिजनों के कानूनी सहायता हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त भी नहीं हुए।

श्री सूरजमल : यह कानून आपके विभाग द्वारा कब बनाये गये थे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : नये नियम २२-१-७० को प्रसारित हुए हैं।

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि १९५९ से लेकर आज तक कोई कानूनी सहायता नहीं दी गई, क्या यह सच है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने बताया था कि कलेक्टर से मांग करते थे और एस० डी० ओ० और तहसीलदार की मार्फत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते थे तो दे देते थे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि झुन्झुनू के जिलाधीश को ३०० रु० एडवान्स के तौर पर इस काम के लिए उनके डिसपोजल पर रखे थे लेकिन कोई दरख्वास्त नहीं आई इसलिए वह रुपया लैप्स हुआ।

श्री सूरजमल : कानून में जो प्रावधान रखा है उसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर कोई मांगने वाला नहीं हो तो पैसा यों ही फेंका नहीं जा सकता।

श्री सूरजमल : काफी केसेज चल रहे हैं और काफी प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं लेकिन उन प्रार्थना-पत्रों का पता नहीं चला कि कहां गये हैं और उन्होंने कोई अभी तक कानूनी सहायता नहीं दी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : प्रार्थना-पत्र किन को दिये गये।

श्री सूरजमल : जिला समाज कल्याण अधिकारी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : समाज-कल्याण अधिकारी को देने की आवश्यकता नहीं थी। वे तहसीलदार को दिये जाते थे पुराने नियमों के अनुसार २२-१-७० से जो नये नियम लागू हुए हैं उनमें जिला समाज-कल्याण अधिकारी को अधिकार मिला है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या आप बतायेंगे कि जिला समाज-कल्याण अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं था कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनसे वह सम्पर्क

(श्री रामनारायण चौधरी)
स्थापित करता है और उनको कानूनी मदद दिलवाता ? जिला समाज-कल्याण अधिकारी अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका क्या उपयोग है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : उसको एप्रोच किया जाता है तो वह ऐसा कर सकता है।

श्री सूरजमल : क्या विभाग के अन्दर ऐसा प्रावधान है जो इस प्रकार के विभाग के द्वारा कानून बनाये जाते है उनका प्रचार एवं प्रसार हो ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिए कहना चाहता हूं हमको ऐसा अनुभव हुआ कि तहसीलदार और एस० डी० ओ० इस मामले में सक्रिय रूप से दिलचस्पी नहीं लेते है, इसलिए ही नियमों में परिवर्तन किया गया। जहां तक लोगों को जानकारी देने का प्रश्न है, उसका माध्यम राजस्थान राज-पत्र है, उसमें प्रकाशित होने के लिए यह भेज दिये गये हैं। अब बाकी रह जाता है कि पर्चे छपवा कर बांटें। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य भी अपनी-अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर इसका प्रचार करने की कृपा करें।

श्री सूरजमल : प्रचार करने का माध्यम केवल राजस्थान राज-पत्र है, और कोई नहीं है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मेरे ख्याल में जिला समाज-कल्याण अधिकारी को हिदायत देदी गई है। मैंने यह भी हिदायत दे दी है कि जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं जो पिछड़ी जाति के क्षेत्र में काम करती हैं उनको भी इसकी सूचना दे दी जाय। इसके अलावा माननीय सदस्यों और पार्लियामेन्ट् के मेम्बर्स के पास भी रूल्स की एक-एक कापी भेज रहे हैं। बाकी जानकारी के लिए, मैं समझता हूं, यही माध्यम है।

श्री सूरजमल : १९५६ से आज तक किसी को कानूनी सहायता एक पैसे की भी प्राप्त नहीं हुई है। दस वर्ष में भी नहीं हुई है तो यह कब तक की जायगी ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : विदिन ए फोर्टनाइट, पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर नियमों की प्रति सबके पास पहुंच जायगी।

श्री सूरजमल : विभाग के द्वारा जो प्रचारक रखे जाते हैं प्रचार के लिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री ओमदत्त भाटी !

श्री सूरजमल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। दस साल में एक पैसे का भी उपयोग नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री ओमदत्त भाटी !

जिला राहत एडवाइजरी समिति, जोधपुर की मीटिंग

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला राहत एडवाइजरी समिति, जोधपुर की मीटिंग २१-११-६८ को ४ बजे जिलाधीश के दफ्तर में रखी गई ?

Page No 11

(श्री ओमदत्त भाटी)

(२) क्या यह सत्य है कि मिटिंग ४.०० बजे की जगह उसी दिन सुबह रख दी गई ? यदि हां, तो समय बदलने के क्या कारण थे ?

(३) इसमें कुल मेम्बर कितने हैं और कितने हाजिर थे ?

(४) क्या समय बदलने की सूचना सब को दी गई थी ? यदि हां, तो वह कैसे दी गई ? क्या तार भेजे गये थे ? क्या विधायक सरदारपुरा को भी इत्तला दी गई थी ?

(५) कुल प्रधान कितने हैं और उसमें से कितने हाजिर न हो सके ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी हां, यह सही है कि जिला राहत एडवाइजरी समिति, जोधपुर की बैठक २१-११-६८ को ४ बजे जिलाधीश कार्यालय में रखी गई थी।

(२) जी हां यह सत्य है कि बैठक ४ बजे की जगह उसी दिन सुबह रखी गई थी। सदस्यों द्वारा सायंकाल सहायता-कार्यों के निरीक्षण हेतु चले जाने की सूचना पर बैठक का समय बदला गया था।

(३) इस बैठक में कुल २३ सदस्य हैं जिनमें से १७ सदस्य उपस्थित थे।

(४) जी हां, समय बदलने की सूचना सबको दी गई थी। यह पत्र के जरिये दी थी और विधायक सरदारपुरा को भी पत्र द्वारा सूचना दी गई थी।

(५) इस जिले में कुल ६ प्रधान हैं, जो जिला राहत सलाहकार समिति के सदस्य नहीं हैं, किन्तु विशेष निमंत्रण पर आमंत्रित किये गये थे। उनमें ५ प्रधान उपस्थित नहीं हुए थे।

श्री रामनारायण चौधरी : जिला राहत कमेटी जोधपुर की है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री ओमदत्त भाटी : जैसा आपने उत्तर में कहा कि सरदारपुरा के विधायक को इत्तला दी है–यह गलत बात है। दूसरे शाम को रखने के बदले सुबह मिटिंग रखी है, जब कि शाम को अकाल राहत मंत्री वहीं थे, फिर क्या कारण था कि उसको पोस्टपोन कर दिया ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : सही नहीं है।

मंत्री, अकाल सहायता (श्री परसराम मदेरणा) : अकाल मंत्री वहां थे इसलिए पोस्टपोन नहीं की गई कुछ माननीय सदस्य अकाल राहत कार्यों को देखना चाहते थे और सभी को सुविधाजनक हो इसलिए समय बदला गया। जो उसमें उपस्थिति थी, उससे भी स्पष्ट होता है, २३ सदस्यों में से १६-१७ सदस्य उपस्थित थे, जैसा कि उप-मंत्री जी ने बताया — इसको जानकारी पत्र के जरिये माननीय सदस्यों को दी थी, उनको सूचित किया था, यह बात अलग है कि पत्र मिला या नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह सही है कि जोधपुर जिला एडवाइजरी कमेटी के अन्दर दो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं ? और जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, क्या यह भी कमेटी के मेम्बर हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री रामनारायण चौधरी : जो इस कमेटी की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या यह उचित है कि जब अकाल सहायता मंत्री उस कमेटी में बैठें तो उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करे ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं वहां अकाल सहायता मंत्री की हैसियत से नहीं बैठता, बल्कि विधान सभा के मेम्बर के नाते बैठता हूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक आदमी की क्या दो हैसियत होती हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। नियमों में ऐसा प्रावधान है कि यदि संसद सदस्य वहां हैं तो उनकी अध्यक्षता संसद सदस्य करेंगे न कि कलेक्टर ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य पीपुल रिप्रेजेंटटिव की हैसियत से अध्यक्षता करता है। लेकिन अकाल सहायता मंत्री, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं और विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी मे जिलाधीश अध्यक्षता करे-क्या यह उचित है ?

श्री परसराम मदेरणा : पार्लियामेन्ट के सदस्य और मंत्री के बीचमें ऑर्डर ऑफ प्रिसिडेंस में किस का क्या स्थान है—इसका पता नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि जोधपुर जिला अकाल सहायता कमेटी में प्रधान को बुलाने में भेदभाव बरता जाता है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान को कहीं नहीं बुलाया जाता क्योंकि वह सदस्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जेसलमेर का मेरा अनुभव है, वहां पर प्रधान इस कमेटी के सदस्य हैं। जोधपुर में इस जिला अकाल सलाहकार समिति में प्रधान को सदस्य नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान में कहीं जिला राहत एडवाइजरी कमेटी में प्रधान सदस्य नहीं हैं। तहसील एडवाइजरी कमेटी में सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १४५

श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम।

कस्बा राजलदेसर के हरिजनों द्वारा ऋण के लिये आवेदनपत्र

१४६. **श्री रावतराम** (छापर) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा राजलदेसर (जिला चूरू) के हरिजन ने मकान बनाने की सहायता हेतु धनराशि के लिए समाज कल्याण विभाग को आवेदन-पत्र भेजे

(श्री रावतराम)

हैं ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्र विभाग को कब प्राप्त हुये ?

(२) उक्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? उक्त हरिजनों को भवन निर्माण सहायता कब तक प्राप्त हो जायगी।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) : (१) जी नहीं। आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रावतराम : अर्जी हुआ है, राजलदेसर का आपको ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐसा है कि १९५९-६० में जरूर कुछ प्राप्त हुए और उस समय के स्केल के मुताबिक सात सौ पचास रुपये फी व्यक्ति के हिसाब से सहायता दे दी गई। उसके बाद इन दिनों, पिछले दो-तीन साल में प्राप्त नहीं हुए।

श्री रावतराम : आप दुबारा डाईरेक्टर महोदय से पता लगायें। यह १९५९-६० की तो पुरानी बात है, उसके बाद लोगों ने बाकायदा दिये हैं और आपके पास रिकमन्ड हो कर आये हैं और कलेक्टर ने रिकमन्ड किये हैं। वह फार्म पेंडिंग पड़े हैं। उनकी आप जानकारी कर लें और उन पर जल्दी से जल्दी फैसला करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, यदि आये हैं तो उनकी और तलाश करवा लो जायगी। लेकिन अभी तक उपलब्ध हो नहीं पा रहे हैं। आपने फरमाया है तो मैं दुबारा तलाश करा लूंगा।

श्री सूरजमल (सूरजगढ़ सु.) जो प्रार्थना पत्र मंजूर नहीं किये जाते हैं और खारिज कर दिये जाते हैं क्या उनकी सूचना प्रार्थियों को दी जाती है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इस प्रकार सब की जानकारी नहीं देते हैं।

श्री सूरजमल : क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : ऐसा होता है कि उनको अगले साल के लिए रख लिया जाता है। अगले साल में ज्यादा बजट हो तो उन्हें अगले साल विचार करने के लिए रख लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

ठेकेदारों के बकाया बिल

१४७. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जो ठेकों के एग्रीमेंट्स विभाग ठेकेदारों से करता है उन सब में आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है और उसके अनुसार मुख्य अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होता है ?

(२) क्या यह सच है कि राज्य के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता जहां आर्बिट्रेशन की क्लॉज है वहां भी अपने अधिकार को काम में नहीं लेते हैं ? यदि हां, तो कितने केसेज में उन्होंने अपना निर्णय दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 14

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(३) सिंचाई विभाग में कितने ठेकेदारों के फाइनल बिल गत ५ वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं और इनमें निर्णय नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : (१) ठेकों के एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं होता है। उसके क्लॉज २५ में ऐसा प्रावधान अवश्य है कि इस सम्बन्ध में जो भी विवाद उत्पन्न होंगे उनमें मुख्य अभियन्ता का निर्णय अन्तिम होगा।

(२) प्रथम प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इनका प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां चीफ इंजिनियर को यह अधिकार देते हैं कि उसका निर्णय अन्तिम होगा और इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या फर्क माना है कानून में आपने ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : आर्बिट्रेशन का क्लॉज-आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत क्लॉज होता है उसमें सारी कार्यवाही आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत करनी होती है और उसका प्रासीजर आर्बिट्रेशन एक्ट में बतलाया गया है लेकिन जो चीफ इन्जिनियर को डिसीजन देने का फाइनल आथोरिटी माना है वह आर्बिट्रेशन एक्ट के किसी क्लॉज के तहत नहीं है, लेकिन एक क्लॉज २५ है एग्रीमेंट में उसमें यह लफ्ज बढ़ा दिये है :

"Except wherein otherwise specified in the contract, the decision of the Chief Engineer for the time being shall be final, conclusive and binding on all parties to the contract upon all questions relating to the meaning and specifications of designs, drawings, instructions herein before mentioned and as to the question of workmanship......"

जो सेक्शन में दिया हुआ है, इस सिलसिले में जो उनके पास कागजात आते हैं, उनके अन्दर वह जो फैसला दें वह फाइनल माना गया है। इस रेस्पेक्ट में जो इस सेक्शन में बताया गया है लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत आर्बिट्रेशन, सोल आर्बिट्रेशन मुकर्रर करें—यह कानून का हवाला देते हुए कहें तो उसका प्रोसीजर सारा आर्बिट्रेशन एक्ट का लागू होता है, इसमें वह प्रोसीजर लागू नहीं होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई क्लॉज नहीं है, तो पार्टी मिल कर कर सकती है। प्रोविजन यह है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इतना स्पष्टीकरण कर दिया जाय, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का या किसी और का नहीं होकर मैं आपके विभाग के लाभ के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जो सूची दी गई है इसमें पांच बिल्स पेंडिंग हैं, बहुत से बिल्स पेंडिंग हैं और इसमें बताया है कि बहुत से केसेज कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस विभाग के चीफ इंजिनियर को पावर दी गई है कि वह स्वयं डिस्पोजल कर दें बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी और के तो न कोई कोर्ट ऑफ

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार) लॉ में केस जाने का सवाल है, न वकील को महनताना देने का सवाल है। और न कोर्ट फीस देने का सवाल है ठेकेदार, जिनके बिल पांच-पांच साल से पेंडिंग हैं उनके विषय में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे यह इरिगेशन का काम चलेगा....

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव क्या है ? आप सुझाव दे दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा विनम्र निवेदन है कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के लिए आप आर्बिट्रेशन एक्ट को पढ़ लें और नहीं है प्रावजन कि आर्बिट्रेशन कर सकते हैं तो इसमें जो पच्चीस क्लॉज है, जिसको स्वयं मंत्री महोदय मानते हैं कि चीफ इंजिनीयर सारे मेटर को लेकर उसको स्क्रूटिनाइज करके डिसीजन ले तो कोर्ट ऑफ लॉ में कोई नहीं जा सकता। कोई रिट करेगा तो वह करता रहे और उसमें न कुर्की होगी और न कुछ और होगा। क्या कारण है पांच साल से जो बिल्स पेंडिंग हैं उनका डिस्पोजल करने के लिए कुछ नहीं किया जाता है ?

पांच साल से ऊपर चढ़ जाने के क्या कारण हैं, क्यों नहीं निर्णय किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच साल में जिन मामलों के निर्णय नहीं हो सके हैं, उसकी सूची मैंने दी है और कारण भी बता दिये हैं। कोर्ट से ऑर्डर हो जाय, कम्पीटेन्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर का तो पालन करना ही पड़ता है। इसलिये देरी हुई है। जब तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। एक-दो केसेज में ठेकेदारों ने काम पूरा नहीं किया है, किसी तरह की कमी है तो उसका वेरिफिकेशन करना आवश्यक हो जाता है। सौ-दो सौ केसेज में इस तरह के केसेज की साधारण नम्बर है। चीफ इन्जीनियर के डिसिजन से जो लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, वे लोग कोर्ट में जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूराम !

अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं विमुक्त जाति के उत्थान के लिये कार्य करने वाली संस्थाएं

१४८. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में अनुसूचित जाति, जन-जाति, विमुक्त जाति के उत्थान आदि के निमित्त कौन-कौन से संघ संस्थायें आदि कार्य कर रहे हैं तथा उनके संचालक मंडल के सदस्य और पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य नहीं कि समाज कल्याण विभाग से इन्हें अर्थ सहायता तो दी जाती है किन्तु इनके दैनिक कार्य की निगरानी तथा आन्तरिक निरीक्षण की नियमित व्यवस्था नहीं है ? यदि नहीं, तो विगत ३ वर्षों में किस-किस संघ संस्था का आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा कब-कब किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे संघों, संस्थाओं के पदाधिकारी ऑफिस बीयरर्स,

(श्री नाथूराम):

कर्मर्स, आदि में अधिकांश सवर्ण हैं ? यदि नहीं तो पदवार तालिका जिसमें सवर्ण व अन्त्यज का विश्लेषण हो प्रत्येक, संघ संस्था की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यदि हां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति आदि के नियोजन, कार्यक्षेत्र, सेवा आदि के बारे में सरकार के सामने क्या कार्य क्रम है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (१) राज्य में अनुसूचित जाति, जन-जाति, विमुक्त जाति के उत्थान आदि के निमित्त जो जो मुख्य संस्थाएं, संघ आदि कार्य कर रहे हैं उनकी सूची तथा उनके संचालन मण्डल तथा पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के कार्यों की निगरानी विभागीय निरीक्षक एवं चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड स्टेटमेन्ट्स के माध्यम से की जाती है। गत ३ वर्षों में विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं के किये गये निरीक्षण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। राजकीय सेवाओं में इन जातियों के व्यक्तियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के आदेश हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र भी चलाये जाते हैं। कार्यक्षेत्र सेवा के बारे में संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि वे अपनी सेवाओं में अधिक से अधिक इन जातियों के व्यक्तियों को ही स्थान दें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय आपने सूची दी है, मेरे क्षेत्र का ही मामला है, वैसे तो सूची लम्बी-चौड़ी है, उसमें आप यह बता दें कि मेरे क्षेत्र बांसवाड़ा के परतापुर संचालक मण्डल में एक भी आदमी आदिवासी नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : पवन कुमार राखड़िया, यह भी नहीं हैं ?

श्री नाथूराम : एक भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, कोई राखड़िया है, कोई लाकड़िया हैं पर कोई आदिवासी नहीं है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : संस्थाएं अपना-अपना विधान बनाने में स्वतन्त्र हैं। पर इनको जो पैसा देते हैं उसका उपयोग सही ढंग से हो इसके लिये समय-समय पर ऑडिट कराया जाता है, अधिकारी भी समय पर जा कर जांच करते हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अकाउन्ट्स की जांच करवाई जाती है।

श्री नाथूराम : जब इनको लाखों रुपया देते हैं तो यह बता दीजिये कि परतापुर संचालक मण्डल के चुनाव कब हुए ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह प्रश्न अलग से है, किस संस्था के चुनाव कब हुये यह ऑफ हैंड नहीं बताया जा सकता।

श्री नाथूराम : ७ वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं। आपने बताया कि एक भी आदिवासी को नहीं लिया है। आपने इन्टरनल ऑडिट का बताया उसका एक नमूना मैं आपको बताऊँ....

Page No 17

श्री अध्यक्ष : क्या मन्त्री महोदय, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि संस्थाओं के चुनाव कब-कब हुए हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : वर्षों तक न चुनाव होते हैं, न ऑडिट होता है, न हिसाब का ब्यौरा ही तैयार किया जाता है। बिल्कुल अन्धेरखाता है। क्या यह सही नहीं है ?

श्री नाथूराम : सन् ६८ का इन्टरनल ऑडिट नहीं हुआ। जब आन्तरिक ऑडिट नहीं होता है तो गबन और घोटालों का किस तरह से पता चल सकता है ? आप यह बतायें कि ६८ का इन्टरनल ऑडिट क्यों नहीं हुआ ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ६८ के इन्टरनल ऑडिट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इसके ऑडिट के लिये जल्दी ही ऑडिट पार्टी भेजी जायेगी।

श्री नाथूराम : अभी यहां से एक ऑडिट पार्टी गई, बांसवाड़ा छात्रावास में वे लोग ठहरे। कन्या छात्रावास में उनको पार्टियां दी गई। ऑडिट पार्टी को इस तरह से पार्टियां दी गई कि वहां उनको शराब पिलाया गया। हमारी लड़कियों को वहां उनके सामने नचाया गया। जो ऑडिट करने के लिये पार्टी गई उनके सामने आदिवासियों और हरिजनों की लड़कियों को नचाओ....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य इसके बारे में लिख कर प्रश्न देंगे तो अभी ही मैं जांच के आदेश दे दूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार): लिख कर देने का क्या मतलब होता है....

(विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, (शोर-गुल। अव्यवस्था।)

श्री नाथूराम : यह प्रश्न सदन में पहले भी आया था। इस पर काफी वाद-विवाद हुआ और हमारे एक माननीय सदस्य को बाहर निकाला था। गबन और करप्शन होते हैं। गरीब आदिवासी इसीलिये अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं कि वहां पर शराब उड़ाई जाती है, आदिवासियों की लड़कियों को ऑडिट पार्टी के लोगों के सामने नचाया जाता है। पिछले समय में भी हाउस में यह प्रश्न आया था। इन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय खुद वहां जाकर जांच करें। आदिवासियों के साथ बुरी तरह से शोषण किया जाता है। आदिवासी लड़कियों को नचाया जाता है, क्यों नहीं जो लोग ऑडिट करने जाते हैं उनकी ही लड़कियों को नचाया जाता ? समय पर ऑडिट नहीं होता है....

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह बात आज ही मेरे ध्यान में लाई गई है, आज ही मैं इसकी एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करवा देता हूं। एक महीने में एन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जायगी, उस पर जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह आदेश क्यों नहीं देते कि उनको किसी तरह का एड नहीं मिलेगी जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती ?

श्री अध्यक्ष : वह तो माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे।

Page No 18

श्री नाथूराम : एड देना चाहिये पर गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे कहने का का मतलब यह है कि ऐसी संस्थाओं को जो एड दी जाती है, उसका इतना दुरुपयोग होता है तो क्यों नहीं सरकार अपने होस्टल खोलती ? ऐसी संस्थाओं को क्यों एड देती है ?

विश्वम्भरनाथ जोशी : सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है यह तो जांच से पता चलेगा। यदि पार्टी ने ऐसी हरकत की है तो मैं इसकी एन्क्वायरी का आज ही आॅर्डर दे देता हूं। मुझे तो इसका आज ही अभी पता चला, पिछले समय में माननीय सदस्य ने पूछा या नहीं मुझे पता नहीं हो सकता है। पूछा हो और माननीय सदस्य उस दिन उपस्थित नहीं हों। बात आज से पहले मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है। आज ही मुझे इसका पता चला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न के भाग तीन में आपने उल्लेख किया है कि ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी, कर्मचारी वगैरह सवर्ण रखे गये हैं और उसके लिये आपने ऐसे आदेश दिये हैं कि इन पदों पर आदिवासियों को रखा जाय। तो क्या सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि आदिवासी और हरिजनों से सम्बन्ध रखने वाले इस महकमे का मंत्री भी इसी जाति का रखा जायगा ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह प्रश्न....

(कुछ क्षण का विराम)

एक माननीय सदस्य : पहले सोच लो।

(शोरगुल, अभव्य)

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : इसका जवाब मुख्य मंत्री ही दे सकते हैं।

श्री नाथूराम : आप जो एन्क्वायरी करवायेंगे, उसमें क्या जन प्रतिनिधि को भी एन्क्वायरी करने में शामिल रखेंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जरूर, आप रहना चाहेंगे तो आपकी मौजूदगी में सारी जांच करवाई जायगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय, अपनी जाति बदल रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, नाना प्रकार के चार होते हैं आप इन सभी संस्थाओं की, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में हैं सबकी जांच करायें, देखिए कि आॅडिट उनका कब हुआ है, चुनाव कब हुआ है ? आप जनतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन इन भ्रष्टाचारी संस्थाओं के अन्दर बिलकुल एकाधिपत्य है, वहां कोई जनतंत्र का नामोनिशान नहीं है और भ्रष्टाचार की नहीं है, पराकाष्ठा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जैसा मैंने पहले कहा है, इसकी जांच की जायगी, माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार किया जायगा, सभी संस्थाओं की व्यवस्था खराब कुछ अच्छी भी है....

(शोरगुल)

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-पु.) : यह नेता महोदय ने गलत बात कही है। सभी छात्रावासों के लिए ऐसा नहीं कह सकते।

Page No 19

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा–सु.) : मंत्री महोदय ने.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! पंचायत मंत्री !

श्री डूंगाराम राजोरिया : संस्थायें खोलते हो...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री डूंगाराम राजोरिया : ये जो छात्रावास खोलते हैं, सरकार के ग्र.....

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाय ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा–सु.) पिछले सवाल का जवाब संतोषजनक नहीं है । समाज कल्याण मंत्री से संतोषजनक उत्तर दिलायें । जहां हरिजनों की लड़कियों को नचाया जाता है ऑडिट पार्टी के सामने, यह शर्मनाक घटना है; इसका दुबारा जवाब दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण ।

हाई कोर्ट का निर्णय

१४९. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट, राजस्थान के ७-७-६७ के निर्णय के द्वारा:—

(अ) श्री देवीचरण, श्री रामस्वरूप एवं रामकिशोर को राजस्थान पंचायत सर्विस ग्रेड II में सम्मुन्नत मान लिया गया और;

(ब) इन्हें पंचायत सर्विस नियम ३२ के तहत ग्रेड बना कर देने का आदेश दिया गया और;

(स) इन्हें उक्त ग्रेड के फलस्वरूप ऐरियर देने का आदेश था ?

(२) क्या यह सही है कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार उपरोक्त सभी को अभी तक लाभ नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि श्री देवीचरण सन् १९६७ में सेवा निवृत (रिटायर) हो गए हैं और उनको II ग्रेड और ऐरियर नहीं दिया गया है और इसी कारण अभी तक पेंशन तय नहीं की जा सकी है ?

(४) क्या यह सही है कि दिसम्बर १९६० एवं जनवरी १९६१ में १६ सीनियर व्यक्ति पंचायत विभाग के इंस्ट्रक्टर पंचायत समिति अध्ययन केन्द्र के पद के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस कमीशन ने इन्टरव्यू लिया जिसमें केवल उपरोक्त ३ व्यक्ति ही चुने गए थे ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों के अतिरिक्त जो चुने नहीं जा सके थे प्रमोशन देकर उच्च ग्रेड दे दिया गया परंतु इन सफल होने वालों को प्रमोशन नहीं दिया गया ?

(६) क्या यह सत्य है कि इन्हें जो ग्रेड मिला हुआ था उससे भी नीचे ग्रेड में लगा दिया गया तब वे हाई कोर्ट गये थे ? यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

(७) क्या यह सही है कि श्री देवीचरण मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री एवं विभागा-

(श्री दौलतराम सारण)

ध्यक्ष आदि को दिनांक ३०-७-६७ से २३-१२-६७ तक पत्र अपने निवेदन के रूप में दिए हैं ?

पंचायत उप-मंत्री (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) (अ) जी हां।

(ब) जी हां।

(स) निर्णय में यह उल्लेख है कि पिटीशनर का वेतन के अनुसार बकाया का भुगतान किया जावे।

(२) हाई कोर्ट के निर्णय की अनुपालना में वेतन निश्चित कर दिया गया है।

(३) यह सही है कि श्री देवीचरण सेवा निवृत्त हो गए हैं। उनको ग्रेड (२) दिया जा चुका है। पेंशन का मामला इसलिए पेंडिंग है कि उनसे वेतन निर्धारण के कारण वसूली बनती है। वैसे इन्हें एन्टीसिपेटरी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

(४) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं किया गया। चयन राजस्थान पंचायत सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार कमेटी द्वारा किया गया था।

(५) यह सही नहीं है। राजस्थान पंचायत सेवा में ऐसे किसी व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी गई है।

(६) जी हां। प्रशिक्षक श्रेणी (३) का वेतन हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार फिक्स कर दिया गया है।

(७) रेकॉर्ड के अनुसार तो एक ही प्रतिवेदन प्राप्त होना पाया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना के अनुसार इस व्यक्ति ने जिन-जिन को प्रतिवेदन दिए हैं, उनकी सूची है, उसके अनुसार मैंने इसके अंतिम अंश में कहा है कि ५७ पत्र और प्रतिवेदन इन्होंने दिए हैं जिनमें मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, पंचायत सचिव, जिला परिषद्, विकास विभाग और पंचायत आयुक्त सबको इन्होंने दिए हैं। उनकी सूची मेरे पास है। इन्होंने मुख्यमंत्री को ७, पंचायत मंत्री को ८, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को ७, विकास आयुक्त राजस्थान सरकार ११ और अतिरिक्त विकास आयुक्त, राजस्थान सरकार ८, संचालक प्रशिक्षण, पंचायत और विकास ८, इस प्रकार ५८ पत्र एवं प्रतिवेदन दिए हैं. आप कहते हैं कि एक प्रतिवेदन दिया। खैर मैंने इसको सीरियसनेस बताने के लिये प्रश्न में अंकित किया है। जब आपने द्वितीय ग्रेड दे दिया है, एरियर से पहले उन्नत ग्रेड दे दिया तो एरियर कैसे निकाल रहे हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जिस वेतन श्रृंखला में वह काम कर रहे थे वह थी ११०-२२५ तथा विशेष वेतन २०)। हाईकोर्ट के अनुसार उसमें १५० से ३५० की ग्रेड हैं और उसमें उनको २२०) मिल रहे थे, विशेष वेतन नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उनको १७५ से ४०० की ग्रेड में विभाग ने दिनांक ६-७-६२ से फिक्स कर दिया था ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : आदेश गलती से निकल चुके थे, उनको ठीक किया गया।

श्री दौलतराम सारण : आदेश गलती से निकाले और एक कर्मचारी के लिये वह

Page No 21

(श्री दौलतराम सारण)
आदेश उसके विरुद्ध पड़ते थे, जब वह हाईकोर्ट में रिट में गया तो कोर्ट ने उनके हक में फैसला किया। उसके बाद बचे ग्रेड में नियमों के विरुद्ध उसको फिक्स करने का क्या अधिकार है?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने आदेश जिसको विथड्रा किया, उसकी प्रोप्राइटी के बारे में नहीं कहा है लेकिन यह कहा है कि ग्रेड II इन्सपेक्टर्स का फिक्स किया गया, ग्रेड २ १७०-३८५ है, उसमें उसको फिक्स किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पंचायत समिति सर्विस रूल ३२ के तेहत यह ग्रेड दी गई है?

श्री परसराम मदेरणा : आप रूल ३२ की बात कर रहे हैं, उसकी मैं नहीं कह सकता लेकिन जो पे-स्केल्स हैं, अलग अलग पोस्ट्स के लिये है और ग्रेड II पे-स्केल में जहां उनका फिक्सेशन होता है, वहां पर कर दिया गया है लेकिन एरियर्स का प्रश्न इसलिये खड़ा हुआ है कि पुरानी पे-स्केल में विशेष वेतन मिलता था। उसके बाद में नई रेशनेलाइज्ड और संशोधित पे-स्केल दोनों को एमलगमेटेड कर दिया गया, उसके फलस्वरूप कुछ एरियर्स निकल रहे हैं और यह मामला स्पेशल तौर से वित्त विभाग को प्रशासनिक विभाग ने रेफर किया है कि स्पेशल-पे का मामला विशेष कन्सीडरेशन में लिया जाय नहीं तो टोटल मिलाकर इमोल्यूमेंट्स कम हो जाते हैं और एनोमली दिखती है तो उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से ठीक करना चाहिए और विभाग की भी ऐसी मान्यता है....

श्री दौलतराम सारण : आपने रूल ३२ के तहत ग्रेड देने सम्बन्धी प्रश्न में जो हां कहा है और रूल ३२ के तहत इसको ग्रेड २००-४०० की थी।

श्री परसराम मदेरणा : रूल ३२ में उनके प्रमोशन का प्रश्न था और प्रमोशन इसलिये उनका हुआ है कि तीन आदमियों का प्रमोशन हुआ है, उसके अनुसार उनका प्रमोशन होने के बाद में उन्होंने कहा, जिन लोगों का रूल ३२ में प्रमोशन हुआ है, उनको ग्रेड II में रखा जाय और सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उनको ग्रेड II में रख दिया।

श्री दौलतराम सारण : एक कर्मचारी ढाई वर्ष से पेंशन के लिये तड़फ रहा है, हाईकोर्ट तक सरकार से लड़ा है। हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला किया। उसके बाद भी उस गरीब व्यक्ति का केस डिसाइड नहीं कर रही है, इसलिये इतने गम्भीर मसले पर राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए लेकिन राज्य सरकार नहीं कर रही है। वह ५८ पत्र दे चुके हैं हाइएस्ट लेविल पर मुख्यमंत्रीजी से लेकर नीचे तक सबसे अर्ज कर चुके हैं अनेक बार आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार उसकी प्रार्थना को नहीं सुनती और वह कष्टग्रस्त है इसलिये मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय है, उसके अनुसार आपको जो ग्रेड हैं, उनको देनी चाहिये और उनको जो अब मिल रहा है, उससे कम देने का प्रश्न पैदा नहीं होता, नियमानुसार आप उसका वेतन कम नहीं कर सकते।

श्री परसराम मदेरणा : श्री देवीचरण को एन्टीसिपेटरी पेन्शन इसलिये दी गई है ताकि परेशानी व दुविधा में नहीं रहें।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वह भी बन्द करदी गई बीच में ?

श्री परसराम मदेरणा : एरियर का जो मामला है वह विशेष वेतन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक विशेष वेतन का मामला नहीं तय करें तब तक पेन्शन में नुक्सान होता है इसलिये ह्यूमनोटेरियन ग्राऊंड्स पर स्पेशल केस करके वित्त विभाग को रेफर किया है ताकि इनको नुकसान न हो।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वित्त विभाग ने यह नोट दिया है कि यह ग्रेड १५०-३५० नियमानुकूल नहीं है। पर यदि विभाग यही ग्रेड देना चाहे तो वह अपनी जिम्मेदारी पर दे सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : कोरेस्पोडेन्स की मुझे सूचना नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : कोरेस्पोंडेन्स नहीं है, यह आपकी फाइल पर नोट हैं, वित्त विभाग का।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : वित्त विभाग आपकी ग्रेड १५०-३५० को नियमानुकूल नहीं मानती है। दुबारा एग्जामिन करा लें।

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा मंत्री।

मेडिकल ज्यूरिस्ट और केमिकल एग्जामिनर के पद

१५०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में मेडिकल ज्यूरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर के पद पर कौन कौन डॉक्टर कार्य कर रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ज्यूरिस्ट द्वारा किये गये किसी भी केस के डाइग्नोसिस (निदान) को केमिकल एग्जॉमिनर की रिपोर्ट के आधार पर ही अन्तिम मान्यता दी जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि रोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में अन्तिम निदान का भी सही निर्णय ज्युरिस्ट द्वारा पोस्ट-मॉर्टम करने पर किया जाता है ?

(४) क्या ऐसा सम्भव है कि यदि केमिकल एग्जॉमिनर और ज्युरिस्ट किसी बात पर समझौता कर लें तो बड़े से बड़े मेडीको-लीगल केस के सही तथ्यों पर भी पर्दा पड़ सकता है ?

(५) क्या इन पदों पर एक ही व्यक्ति के काम करने से उक्त सम्भावना और भी अधिक बढ़ जाती है ?

(६) क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर के ज्युरिस्ट एवं केमिकल एग्जॉमिनर इस ही तरह के अरेन्जमेंट के कारण कई एक गम्भीर मामलों में घोटाला कर चुके हैं ?

(७) पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने केस ज्यूरिस्ट द्वारा प्रमाणित किये गये जिनके निदान की पुष्टि केमिकल एग्जॉमिनर को रिपोर्ट एवं पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट पर आधारित है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 23

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(८) क्या सरकार इस दोषपूर्ण प्रणाली के विषय में कुछ निर्णय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (१) जयपुर में, ज्यूरिस्ट और रासायनिक परीक्षक दोनों पदों पर एक ही चिकित्सक, डॉक्टर एस० एस० दुग्गड़, कार्य कर रहे हैं।

(२) ज्युरिस्ट रोगी की परीक्षा करने के पश्चात् इसके विषय में अपना मत प्रकट करता है। और यदि विशेष जांच की आवश्यकता होती है तो विशेषज्ञ का मत प्राप्त करने हेतु सामग्री (मेटीरियल) रासायनिक केमीकल परीक्षण अथवा पैथालाजी विभाग अथवा अन्य स्थान पर जहां पर भी आवश्यकता होती है, भेजा जाता है। विशेषज्ञ की मन्त्रणा आवश्यकता होने पर ही ली जाती है तथा इसका मत जो होता है, उसको मान्यता दी जाती है।

(३) प्रायः शव परीक्षा केवल लीगल केसेज की ही उनकी मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने हेतु जाती है।

(४) यह सम्भव है किन्तु ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जाती है।

(५) यह सम्भव है।

(६) इस विभाग में डॉक्टर दुग्गड़ के विरुद्ध इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

(७) गत दो वर्षों में अर्थात् १९६७ व १९६८ में कुल २१८ व २७५ शव परीक्षाएं की हैं तथा ६७ और १६८ प्रकरण रासायनिक परीक्षण को दिये गये। इस विभाग में इस अवधि में डाक्टर दुग्गड़ के अतिरिक्त अन्य कई चिकित्सकों ने समय समय पर कार्य किया है। उनके द्वारा किये गये प्रकरण भी उपरोक्त संख्या में सम्मिलित हैं। शव परीक्षा भेषज्य वैधिक प्रकरणों आर्थी विभाग द्वारा भेजे जाने पर आकस्मिक मृत्यु का सही कारण जानने हेतु की गई थी, जिसकी सूची संलग्न है।

(८) सरकार द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर के पदों पर अलग अलग अधिकारी लगाने का निर्णय लिया जा चुका है एवं शीघ्र ही केमिकल एग्जॉमिनर के पद पर दूसरा व्यक्ति लगा दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने मेडीकल ज्युरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर आरम्भ में दोनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति रखे यह किस आधार पर निर्णय लिया था जब सरकार यह महसूस करती है कि मेडीकल ज्युरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर का काम अलग अलग है तो इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति आरम्भ में किस आधार पर की गयी और यह कब से चल रही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सन् १९६६ के आस पास से चल रही है। डाक्टर आर० के० शर्मा मेडीकल ज्युरिस्ट थे उनके खिलाफ मुकदमा चला और उनको सस्पेन्ड किया गया। उस समय कोई दूसरा आदमी अवेलेबल नहीं था इसलिये एडहॉक बेसिस पर मेडिकल ज्युरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर एक ही व्यक्ति को बना दिया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस पोस्ट की योग्यता वाले व्यक्ति को बुलाया जाय इसके लिये पोस्ट को एडवरटाइज किया गया है कभी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एडवरटाइज नहीं इसको सेन्ट्रल कमेटी के पास भेजा गया था इस कारण एडहाक अरेन्जमेन्ट किया गया था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहूंगा कि निर्णय कब लिया गया और अब कब तक यह पोस्ट भरने वाली है ? मि० दुग्गड़ को किस जगह पर रखा जावेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो लेटेस्ट स्थिति है उसके लिये बता दूं । मैंने यह आदेश दिये हैं कि डा० दुग्गड़ से पूछ लिया जाय कि वे दोनों पदों में से किस पद पर रहना चाहते हैं और उनका जवाब आने पर जिस जगह पर भी वह रहना चाहेंगे उस पर उनकी नियुक्ति रख कर रिक्त स्थान पर दूसरे की नियुक्ति की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय यह गम्भीरतम प्रश्न है । खण्ड ६ के उत्तर में यह कहा गया कि ऐसे केसेज नहीं आये । मंत्री महोदय की जानकारी में है डा० शीला भार्गव और डॉ० सविता दवे के दोनों केसेज । ये दोनों केसेज ऐसे हैं कि दोनों स्थानों पर एक व्यक्ति होने के कारण, मेडीकल ज्युरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर दोनों ही स्थानों पर एक व्यक्ति के होने के कारण इन केसेज को उन व्यक्ति ने दबाया । डा० जगमोहन उस स्थान पर थे उन्होंने बताया कि डा० सविता दवे जिन्दा थी । उस मेडीकल रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया । यह कह दिया कि इट इज अनबिलिवेबल । डॉ० शीला भार्गव ३०–१–६८ को सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती हुई । उसको युनिट में भेज दिया गया । डाक्टर ने अटेन्ड किया और यह अनुभव किया कि यह पोइजनिंग केस है । मेडीको लगल केस बना कर इसको मेडीकल ज्युरिस्ट के पास रेफर किया गया । मि० दुग्गड़ आये और उसको देखा और पुलिस को इन्फोर्म नहीं किया । उनके स्टोमक से कुछ लिया और एग्जॉमिन किया । मेडीकल ज्युरिस्ट खुद और केमिकल एग्जॉमिनर भी खुद । एग्जामिन करने के बाद उन्होंने लिखा "No fenobarbitone detected." और यह लिख देने के बाद उन चीजों को फेंक दिया गया । ट्रीटमेंट चलता रहा और पोइजनिंग का ट्रीटमेन्ट चलता रहा । डॉ० भार्गव की मृत्यु हो गयी और फिर उसके शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिये भेज गया । जब पोइजनिंग नहीं था····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! संक्षेप में ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस केस की गम्भीरता के नाते ही मैं निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : गम्भीरता भी संक्षेप में ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो पोस्ट-मॉर्टम के लिये क्यों भेजा गया ? लावारिस लाश तो थी नहीं । पोस्ट-मार्टम भी करना था तो पैथोलोजिस्ट को करना चाहिये था यह ज्युरिस्ट महोदय क्यों आये ? शीला भार्गव का केस केमिकल एग्जॉमिनेशन के लिये आया था न कि मेडीकल ज्युरिस्ट के पास पोस्ट-मार्टम के लिये····

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा ।

Page No 25

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो ट्रीटमेन्ट दिया उसके अनुसार यह सारा केस पोइजनिंग का था। इसलिये इस केस की गम्भीरता, को देखते हुए भविष्य में कौन मेडीकल ज्युरिस्ट बने और कौन केमिकल एग्जॉमिनर बने, यह सरकार को निर्णय करना चाहिये। जो टिकिट है जिसके अनुसार इलाज किया गया उससे मालूम पड़ जावेगा कि यह पोइजनिंग का केस है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं वास्तव में यह मानता हूं कि मेडीकल ज्युरिस्ट और केमिकल एग्जॉमिनर का एक ही पद नहीं होना चाहिये। यह एडहॉक अरेन्जमेंट इसलिये करना पड़ा क्यों कि पहले वाला व्यक्ति सस्पेन्ड हो गया था। अब मैंने निर्णय ले लिया है कि अलग अलग व्यक्ति होने चाहियें और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र ही नियुक्तियां करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने स्पेसिफिक केस दिया है डॉ० शीला भार्गव का।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके लिये देख लेंगे डिटेल्स लेकर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ३१-१-६८ का डॉ० शीला भार्गव के ट्रीटमेन्ट का टिकिट है। उसको अभी जब्त करवा लें। आपको मालूम पड़ जावेगा कि पोइजनिंग का केस है और उसको जानबूझकर दबाया गया है। सविता दवे का भी यही केस है। डा० जगमोहन ने उसको एग्जॉमिन किया है। उसकी भी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरा एक प्रश्न है १५१। आपने नाम से कहा था कि बाद में समय दूंगा।

श्री अध्यक्ष : उस समय समय था। अब नहीं रहा।

खैर चलिये।

पत्ता तेदूं और गोंद के ठेकों से होने वाली आय में कमी

१५१. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १६६६ से १६७० तक राजस्थान के वन विभाग को पत्ता तेंदू और गोंद के ठेकों से होने वाली आमदनी में पहले से भारी कमी हो गई है? यदि हां, तो क्यों?

(२) उक्त वर्षों में, प्रति वर्ष कितनी कितनी आय क्षेत्र वार वन विभाग को हुई है?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह, मसूदा) :

(१) जी नहीं।

(२) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री प्रेमसिंह : क्या यह सही है कि पत्ते व गोंद के ठेकों की आमदनी में कमी हुई है उसका कारण सरकार की दोहरी नीति है। ग्राम पंचायतें, पी० डब्ल्यू० डी० और भूतपूर्व जागीरदार नीलाम करते हैं और राज्य सरकार नीलाम करती है। पत्तों की पहिचान न होने के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और ठेकेदार भी परेशान होते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : तेंदू पत्तों का ठेका हुआ उसकी वजह से आमदनी हुई, कभी ज्यादा और कभी कम । फ्लक्चुएशन में आमदनी हुई । पांच लाख से १२ लाख । विभिन्न मार्केट्स पर यह निर्भर है । १२ लाख की आमदनी सन १९६७–६८ में हुई और उसके बाद ५ लाख की आमदनी दूसरे साल में हुई । उसका कारण यह था कि मध्य प्रदेश में नेशनेलाइजेशन हो गया है तेंदू पत्तों का ।

श्री अध्यक्ष : पत्तों का ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी हां । उस वक्त पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट अलाऊ था कम्पीटीशन हुआ ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उसी पर आ रहे हैं ।

(१२ मध्याह्न)

श्री नारायणसिंह : ठेकेदार आये वहां यह सब हुआ आमदनी कुछ ज्यादा हुई । दूसरी साल आमदनी कम होने का कारण प्रतिस्पर्धा का न होना है खरीददारों की कमी थी और अकाल की स्थितियां थीं । इसके साथ साथ मध्यप्रदेश का जो ट्रेड था उसमें भी घाटा पड़ा । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा पंचायतों का ठेका अलग होने की वजह से यह आमदनी में कमी आती है । मेरी दृष्टि से यह जो फलक्चुएशन होता है वह साधारण तौर पर व्यापारिक दृष्टि से होता है । पंचायत के अलग ठेके के कारण नहीं हो सकता ।

पंचायतों को जो ठेके देने के अधिकार हैं वह पंचायत समिति कानून के अन्तर्गत हैं । उनका ठेका होते हुए भी हमारे ठेके अलग होते हैं । उसके अलावा इन्टेन्सिटी ऑफ फण्ड्स जंगल में ज्यादा हैं । दोनों प्रकार से ठेके होने से किसी प्रकार का इन्फ्लेशन हो नहीं सकता । इस लिये पंचायतो के ठेके अलग होने से सरकार को कोई हानि नहीं है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं मंत्री जी की सूचना के लिये बताऊं । जंगल चरनोट और एक्स जागीरदार के बीड़ ये सब अलग अलग चीजें हैं । सब के जंगलों में एक ही तरह की चीजें होती हैं । उसके ठेका बाद सब अलग अलग देते हैं इससे राज्य सरकार को नुकसान होता है । एक तरफ पंचायत अपना ठेका नीलाम करती है । एक तरफ जागीरदार करता है और एक तरफ फोरेस्ट वाले करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं ६७–६८ में सरकारी ठेकों से ग्राम पंचायत के ठेकों से ज्यादा आय हुई है । जंगल का एक ठेकेदार होता है जब कि पंचायत के बीस ठेके होते हैं इसलिये उनके पीछे ठेकेदार पड़ जाते हैं । पिछले तीन सालों में फोरेस्ट के जो ठेके हुए हैं उसमें नुकसान उठाना पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जहां जंगल का ठेका १०० रुपये में होता है जागीरदार अपने ठेके को और ज्यादा बढ़ा देता है ?

श्री नारायणसिंह : मैं इसका विशद् विवेचन करके निवेदन कर चुका हूं । पंचायत से संबन्धित ठेके पंचायत करती है जंगलों के ठेके विभाग करता है एक दूसरे के ठेके से किसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो यह स्थिति बनती नहीं है ।

(श्री नारायणसिंह)

सभी का ठेका एक जगह हो उसमें वैधानिक आपत्ति भी आजाती है ऐसी हालत में आपके कहने में तथ्य प्रतीत नहीं होता, है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक ही तरह की प्रोडयूस है वहां आप अलग अलग ठेका क्यों देते है आप सभी का ठेका एक साथ रख दें तो आपस में जो लड़ाई झगड़े आजकल होते हैं वे रुक जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका अधिक अध्ययन कर लीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह सरकार की दोहरी नीति है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रेन्जरों की वेतन श्रृंखला

श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग में रेंजरों के पदों की वेतन श्रृंखलायें हैं ?

(२) यदि हां तो एक ही कार्य करने वालों की दो वेतन श्रृंखलाए रखने का कारण व आधार क्या है ?

(३) क्या ऐसे रेंजर भी हैं जिनको इसी पद पर कार्य करते हुए १८–२० वर्ष हो चुके हैं और उनको कोई पदोन्नति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे रेंजरों की संख्या कितनी है तथा पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) रेंजर ग्रेड I की वेतन श्रृंखला देहरादून वन महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्षेत्रीय तथा II ग्रेड से सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति होने पर दी जाती है। दो वेतन श्रृंखला का आधार यह है कि ग्रेड I के रेन्जरों का शैक्षणिक एवं तकनीकी ज्ञान का स्तर उनके शिक्षा एवं प्रशिक्षण व अनुभव के कारण अधिक वेतन मिलता है जब कि ग्रेड II में उन क्षेत्रियों को वेतन मिलता है जो किसी वन विद्यालय में वनपाल का प्रशिक्षण प्राप्त कर पदोन्नति प्राप्त कर लेते हैं। उनका शैक्षणिक एवं तकनीकी ज्ञान रेंजर ग्रेड I की वेतन श्रृंखला में वेतन पाने वालों के स्तर का नहीं होता।

(३) जी हां ग्रेड II के २० ऐसे स्थायी रेन्जर्स हैं जिन्हें अभी तक पदोन्नति नहीं दी जा सकी। जुलाई, १९६८ में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति ने इनके सेवा अभिलेख पदोन्नति योग्य नहीं पाये। अतः इन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यात्री कर से आय

१८५. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बस यात्री कर से राजस्थान सरकार की प्रत्येक जिले से कितनी कितनी आय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व इस वित्तीय वर्ष में अब तक प्राप्त हुई है ?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(२) प्रत्येक जिले में इस प्रकार बस यात्री कर से प्राप्त होने वाली ऐसी आय किस किस रूट में कितनी कितनी प्रत्येक मास की १-४-१९६५ से ३०-९-१९६७ तक प्राप्त हुई है ? इसके साथ साथ यह भी बताने की कृपा करें कि वह प्रत्येक रूट कितना मील लम्बा है तथा प्रतिदिन कितनी बसें उस रूट पर जाती हैं ? तथा इन बसों में प्रत्येक में कितने कितने यात्रियों के बैठने की क्षमता है ?

(३) प्रत्येक जिले में कितने बस रूट हैं ? एवं उन पर कर से प्रति रोज कितनी बसें चल रही हैं ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह सूचना तारीख १-४-१९६५ से तारीख ३०-९-१९६७ तक के समय तक की दिलवाने का कष्ट करावें।

(४) किन किन परमिट होल्डरों में वर्ष ३१-३-१९६८ तक का यात्री कर अब तक बकाया पड़ा है ?

(स्थगित किया गया)

एकीकरण के समय विभिन्न रियासतों से प्राप्तियां एवं देनदारियां

१८६. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) विभिन्न रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप किस किस राज्य से कितनी नकद धनराशि खजाने से प्राप्त हुई और देनदारी किस किस रियासत से कितनी कितनी प्राप्त हुई थी ?

(२) समस्त रियासतों की प्राप्तियां और देनदारियां किस किस रूप में प्राप्त हुई थीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि जो प्राप्तियां एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान सरकार को मिलीं वे प्रायः समाप्त हो चुकी हैं।

(४) क्या देनदारियों में किस किस को सरकार कब कब दे चुकी है और अब किस किस को कितना देना बाकी है ?

उत्तर

महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार—

(१) विभिन्न रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्यों से प्राप्त नकद धनराशि तथा देनदारी की तालिका संलग्न है।

(२) समस्त रियासतों की प्राप्तियां विनियोजन, अग्रिम तथा ऋण के रूप में तथा देनदारियां ऋण तथा जमा के रूप में प्राप्त हुई थी।

(३ व ४) विभिन्न रियासतों के एकीकरण के पश्चात् सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों में एकीकरण से पूर्व तथा तत्पश्चात् की लेनदारियां व देनदारियां पृथक से प्रदर्शित नहीं की जाती। अतः वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

कैशियर, स्टोरकीपर आदि को विशेष वेतन

१८७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कैशियर, स्टोरकीपर आदि जिनको केश, स्टोर अन्य तथा मूल्यवान

Page No 29

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

वस्तुओं को हैंडिल करने का कार्य सौंपा जाता है उन्हें इस कार्य के लिये क्या विशेष वेतन दिया जाता है ?

(२) विशेष वेतन की ये दरें किस सन् में निर्धारित की गई थीं ?

(३) क्या सरकार आज की परिस्थितियों को देखते हुए इन दरों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(१) रोकड़ एवं सामान संभालने वाले कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को विशेष वेतन निम्न दरों पर दिया जाता है:—

जमानत की राशि	विशेष वेतन
रु० ५००.००	३/-
रु० १,०००.००	५/-
रु० १,५००.००	७/-
रु० २,०००.००	१०/-

(२) यह दरें हाल ही में नवीन वेतन मान की दरों के साथ १-९-६८ से प्रभाव में आई हैं। पूर्व में ये दरें १ मार्च, १९५४ से आज्ञा संख्या एफ० १६ (१२) एफ० ११/५३, दिनांक १-३-१९५४ द्वारा निर्धारित की गई थी।

(३) इनमें वृद्धि करने का सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है।

लेखा लिपिकों का केडर

१८८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या लेखा लिपिकों का अलग केडर बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है ? यदि नहीं तो यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

(२) क्या अलग केडर में लेखा लिपिकों को लेने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो नियमों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(१) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ समय लगेगा।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

अनाज विक्रेताओं को बिना तौले अनाज

१८९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तहसील कार्यालय, चोहटन में से गत दो वर्षों में जो अनाज विक्रेताओं को दिया गया था बहुत लम्बे समय तक बिना तोले ही दिया गया और तोलने के उपकरण भी उक्त कार्यालय में नहीं थे ? यदि हां, तो क्यों और अनाज देते समय वजन का इन्द-

(हरजीराम बुरड़क)
राज किस आधार पर किया जाता रहा ? यह कार्य कब से कब तक चलता रहा ?

(२) सरकार के ध्यान में यह बात कब आई और बाद में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) विक्रेताओं को अनाज तौल कर ही दिया गया है।

(२) विक्रेताओं को अनाज तौल कर दिया गया है अतः इस प्रकार की बात ध्यान में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मोटे अनाज का स्टॉक

१९०. श्रीमती मदनकौर (पत्रपदरा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार के पास मोटे अनाज का कितना स्टॉक है ?

(२) मोटे अनाज की अभावग्रस्त क्षेत्र में प्रति माह कितनी मांग है ?

(३) राज्य सरकार इस मांग को पूरा कराने की ओर क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार के पास (दिनांक १-३-७० को) मोटा अनाज का निम्नांकित स्टॉक है:—

ज्वार	९४४ क्विन्टल
मक्का	३,६१५ क्विन्टल
माईलो	१,२९,११५ क्विन्टल
बाजरा	१८२ क्विन्टल

(२) अभावग्रस्त क्षेत्र में मोटे अनाज की प्रतिमाह मांग करीब १५,००० टन है।

(३) इस मांग को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है फलस्वरूप निम्नांकित मात्रा में मक्का व माईलो का आवंटन राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है:—

(१) मक्का	४०,००० टन
(२) माईलो	६,५०० टन

प्राथमिक पाठशाला का भवन

१९१. श्री पृथ्वीसिंह (बालो) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम नाणा, तहसील बाली की प्राथमिक पाठशाला में अभी छात्र संख्या क्या है ?

(२) उक्त पाठशाला भवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था ? क्या यह सत्य है कि भवन की स्थिति जीर्णावस्था प्राप्त कर चुकी हैं और उनमें विद्यार्थियों का अध्ययन करना खतरे से खाली नहीं है ?

(३) क्या इस भवन का जीर्णोद्धार करना या नवीन भवन बनाना आवश्यक नहीं है ? यदि आवश्यक है, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(१) छात्र छात्राओं की संख्या ३७८ है।

(२) प्राथमिक पाठशाला सत्र ६६-६७ से गांव द्वारा दिये गये भवन, ब्राह्मणों की धर्मशाला में चल रही है। कोई सरकारी भवन नहीं है। वर्तमान भवन जीर्णावस्था में है, लेकिन खतरनाक नहीं है।

(पंचायत मंत्री)

(३) नया भवन बनाने के लिए ग्राम वासियों व स्थानीय सरपंच द्वारा आश्वासन दिया गया है व उम्मीद है कि ग्रामवासियों द्वारा भवन शीघ्र बना दिया जायगा।

पंचायत समिति, बीकानेर के सदस्य

१९२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति, बीकानेर में उसके गठन होने से आज तक कुल कितने सदस्य रहे हैं और उनमें से कितने सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने काफी मीटिंगों में भाग नहीं लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

कुल सदस्यों की तथा उनके बैठकों में उपस्थिति के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

सरपंच के खिलाफ शिकायतें

१९३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सरपंच ग्राम पंचायत, ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर के खिलाफ कोई शिकायत विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें कब कब से कहां कहां पर विचाराधीन हैं ?

(२) क्या उक्त शिकायतों की जांच भी करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(३) उक्त शिकायतों का अन्तिम रूप से निर्णय कब तक हो जायेगा ?

(४) क्या किसी शिकायत पर कोई मामला पुलिस को भी सौंपा गया था ? यदि हां, तो कब कौन सा मामला ?

उत्तर

(१) जी, हां। शिकायतें मुख्यतः गौचर भूमि की कुदरती पैदावार लूंग को नीलाम नहीं कर सरपंच का काट कर ले जाना, राशन की चीनी अधिक दामों पर बेचना, सुरक्षा कोष की राशि पूरी जमा नहीं कराना एवं पंचायत समिति से प्राप्त अनुदान की राशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर दुरुपयोग करने से सम्बन्धित है। शिकायतें दिनांक १-४-६८ को प्राप्त हुई। अभी उप-जिलाधीश, डीडवाना के यहां विचाराधीन हैं।

(२) जांच की कार्यवाही चल रही है।

(३) प्रारंभिक जांच इस माह में पूर्ण हो जाने की आशा है।

(४) जी, नहीं।

पंचायत समिति की ऑडिट रिपोर्ट

१९४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के वर्ष ६६-६७ से लेकर अब तक हुये ऑडिटों की ऑडिट रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त ऑडिट रिपोर्टों की अनुपालना में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाहियां की

Page No 32

(हरजीराम बुरड़क)
गईं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(३) उक्त ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार किस किस से कितनी कितनी रकम वसूल करनी थी और उसमें से कितनी कितनी रकम किन किन से वसूल की गई तथा शेष वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी जा रही है।

(२) गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

पंचायत रानोली में धन का दुरुपयोग

१९५. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रानोली के सरपंच श्री हीरालाल ने १८-५-१९६२ को पंचायत, रानोली के कोष में से १,०००/- रुपये फर्नीचर हेतु ५००/- कृषि यन्त्र हेतु व ५००/- लालटेनों हेतु अपने नाम लिखकर उठा लिये ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त तीनों ही कार्य सरपंच ने नहीं कराये तथा पंचायत की रकम का दुरुपयोग किया ?

उत्तर

(१) जी हां,

(२) जी हां सरपंच ने कार्य नहीं कराये और फर्नीचर की राशि १,०००) रु० एवं कृषि यन्त्रों के लिये प्राप्त राशि ५००) रु० दिनांक २८-१२-६४ को वापस जमा करवा दी है। लालटेनों के निमित्त प्राप्त राशि ५००) रु० मय दण्डनीय ब्याज वसूल करने के लिये तहसीलदार, दांतारामगढ़ को जिलाधीश, सीकर द्वारा निर्देश दे दिया गया है।

खेड़ा रसूलपुर में कुआ खुदाने के लिये धनराशि

१९६. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दिगोद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० में पंचायत समिति, द्वारा खेड़ा रसूलपुर में कुआ खुदाने के लिए श्री जगन्नाथ, सरपंच को धनराशि दी गई थी ?

(२) क्या यह सही है श्री जगन्नाथ, सरपंच द्वारा हिसाब अब तक पेश नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) वास्तव में वर्ष १९६०-६१ में श्री घासीलाल भूतपूर्व सरपंच को खेड़ा रसूलपुर में कुआ खुदाने के लिए १,०००)रु० की धनराशि दी गई थी।

(२) दी गई धनराशि का हिसाब प्रस्तुत कर दिया गया है।

Page No 33

नागौर जिले में अकाल राहत कार्य

१९७. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकाल राहत कार्य जो सरकार ने तारीख १-४-१६६८ से तारीख २८-२-१६६६ तक नागौर जिले में मंजूर किये उन कार्यों में कितना-कितना रुपया कितने-कितने मजदूरों को किस-किस तारीख को किस-किस समय की मजदूरी के लिये कैम्प वाइज चुकाया गया ? यदि चुकारा नहीं किया तो कितने-कितने मजदूरों का किस-किस कैम्प-का कितना-कितना रुपया चुकारा करना बकाया है ? जिले की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में किस-किस कैम्प के कितने-कितने मजदूरों की कितनी-कितनी मजदूरी किस-किस समय की कम काम करने के कारण काट ली गई एवं इस प्रकार से इस जिले में कितनी-कितनी राशियां किस-किस माह में किस-किस अधिकारी ने पुन: जमा कराई या बचत की ? पूरे विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर बांटा गया गुड़

१९८. श्री चुन्नीलाल इन्वलिया (नोखा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले में किस-किस फैमिन कैम्प पर अकाल सहायता विभाग द्वारा मजदूरों को कितना-कितना गुड़ किस अधिकारी द्वारा बांटा गया ? इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

१९९. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में किस-किस तहसील में कितने-कितने राहत कार्य कब-कब खोले गये और उनमें से प्रत्येक राहत कार्य पर कितने-कितने मजदूर कब-कब लगे और प्रत्येक तहसील में कितने-कितने रुपये अकाल राहत कार्य शुरू होने से ३१ जुलाई, ६९ तक मन्जूर व खर्च हुए। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में कहां-कहां पर कब-कब व कितने अकाल राहत कार्य खोले गये हैं ? उक्त राहत कार्यों पर कितने-कितने आदमी कब-कब लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि राजगढ़ क्षेत्र के कुछ नेताओं के यहां फर्जी मस्टर रोल पकड़े गये जो कि रुपये लेकर बेचे जाते हैं ?

(४) तहसील राजगढ़ में इन राहत कार्यों पर जिस तारीख से खुले उससे लेकर ३१ जुलाई, ६९ तक कितने रुपये खर्च हुये ?

(५) क्या यह सही है कि तहसील तारानगर के राहत कार्यों की बाबत यह

Page No 34

(श्री रूपसिंह व विजयसिंह)
अ म शिकायत थी कि वहां के नेता लोग, विधायक व सरकारी मुलाजमान जो अकाल राहत कार्य पर मुकर्रर थे हजारों मजदूरों के नाम से फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों रुपये उठा रहे थे और यह शिकायत जिलाधीश व बड़े आला अफसरान, मंत्रियों व चीफ इंजीनियर पी. डब्लू. डी. तक की गई थी ?

(६) क्या यह सही है कि इस शिकायत के आधार पर चीफ इन्जीनियर व अन्य पी. डब्लू. डी. अफसरों ने वहां के राहत कार्यों की अचानक जांच की और जांच के वक्त यह पाया कि मस्टर रोल पर ४० हजार आदमी दिखलाये गये हैं लेकिन मौके पर वास्तव में १० हजार आदमी मिले और ३० हजार मजदूर फर्जी दिखलाये गये थे, उन १० हजार में बहुत से १० वर्ष के बच्चे भी थे जिनको पूरा आदमी दिखलाया गया था ?

(७) क्या यह सही है कि उन आला अफसरों ने इस फर्जी कार्यवाही को देख कर इस अकाल राहत कार्य को तुरन्त बन्द करने का हुक्म दिया ?

(८) क्या यह सही है कि ऐसा हुक्म देने पर वहां के विधायक व नेता लोग इन आला अफसरों से मिले और कहा कि यह तो हमारी रोजी और रोटी का सवाल है और यह काम तो हम ऊपर वालों के इल्म में लाकर कर रहे हैं। जिस पर अफसरों ने राहत कार्य बन्द करने के हुक्म को वापस लिया। लेकिन बीच के रोज जितने फर्जी मस्टर रोल बने हुए थे उनको रद्द कर दिया और आइन्दा ऐसी फर्जी कार्यवाही न करने की हिदायत कर दी गई ?

(९) जिन सरकारी मुलाजमान, विधायक व नेता लोगों ने अकाल के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर लाखों रुपयों की रकम उठाई है, उनको सजा देने के लिए क्या सरकार एक कमेटी तीन विधायक व चार ईमानदार सरकारी मुलाजमान को मुकर्रर करके इस सम्बन्ध में जांच करवायेगी ?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अजमेर जिले में राहत कार्यों पर अनाज एवं कपड़े का वितरण

२००. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान अकाल सहायता रिपोर्ट सन् १९६६-६७ दिनांक ३०-४-६७ के पृष्ठ संख्या १२ के पैरा नम्बर ३ में वर्णित ५० गांठें जो पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त और तालिका "ड" में वर्णित दो गांठें अजमेर जिले को मिली, उनमें से कपड़े किन-किन को दिये गये ? प्रत्येक की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उपरोक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या १२ में वर्णित उपहार सहायता के लिये भारत सरकार से उपहारस्वरूप प्राप्त गेहूं सम्वत् २०२२ में १८८.५० टन व सम्वत् २०२३ में ३० टन (तालिका 'ड') के विवरण की प्रत्येक पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या १२, पैरा २ के अनुसार राजस्थान को मिले प्रधान मंत्री सहायता कोष से प्राप्त ४,५००) रु.

(श्री देवीलाल बुरासिया)

व आई० पी० एफ० टी० से प्राप्त २०,००० रु० की रकम में से भी यदि अजमेर जिले को कोई हिस्सा मिला हो तो उसका विवरण भी पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें। जिला परिषद्, अजमेर की बैठक दिनांक १९-११-६८ की रिपोर्ट के पैरा नम्बर ४ में वर्णित १०५ बोरी गिफ्ट गेहूं वितरण के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह गेहूं स्टेशन नसीराबाद पर बिना मालिक के पड़ा था और उसे को-ऑपरेटिव स्टोर में रखवा दिया गया। बाद में वितरण कर दिया गया। यह किन-किन पंचायत समितियों को वितरण किया गया। सूची सदन की मेज पर रखें।

(अ) यह गेहूं मुफ्त बांटा गया या रकम से?

(आ) क्या यह गेहूं उपरोक्त प्रश्न नं० २ में से था?

(इ) क्या स्टेशन मास्टर, नसीराबाद व जिला प्रशासन ने उस १०५ बोरी के असल मालिक का पता लगाने का प्रयत्न किया? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या निकला?

(सरकार द्वारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।)

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

२०१. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिछले अकाल में राज्य में कुल कितनी धनराशि किस-किस कार्य में खर्च की गई है?

(२) कुल कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये थे? जिलेवार बताये जावें।

(३) कुल कितने मनुष्य और मवेशी अकाल से प्रभावित हुये थे? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) चालू वर्ष में जिलेवार कितने-कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) सूची 'क' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) सूचना सूची 'ख' में उपलब्ध है?

(४) सूची 'ग' सदन की मेज पर प्रस्तुत है?

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या पाठशाला गांधीनगर—जयपुर में विज्ञान की कक्षाएं

२०२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या पाठशाला, गांधीनगर, जयपुर में विज्ञान की कक्षाएं खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(२) क्या इन कक्षाओं के लिये नये कमरे बनवाना आवश्यक है और उसके लिये सरकार के पास धन का अभाव है ?

(३) क्या यह सही है कि इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका तथा उसके कुछ सहयोगी नये कमरे बनने के लिये जनता से चन्दे के रूप में धन संग्रह कर रहे हैं ?

(४) क्या जनता से धन संग्रह करने की आज्ञा सरकार से लेली गई है ?

(५) अब तक कितने रुपये चन्दे के रूप में इकट्ठे किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। इस स्कूल में विज्ञान के विषय की कक्षायें सत्र ६९-७० से चालू करदी गई हैं।

(२) जी हां। अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है तथा इसी सत्र में अतिरिक्त कमरे बनवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा २,००००) रु० की स्वीकृति दी गई है।

(३) जी हां। इस क्रम में प्रयास किया जा रहा है परन्तु कोई विशेष सहयोग जनता द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब तक केवल इस क्रम में ३२५ रु० एकत्रित किये गये हैं।

(४) जी हां।

(५) केवल ३२५ रु०।

सरकारी व गेर-सरकारी एस. टी. सी. स्कूल

२०३. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितने सरकारी व गैर-सरकारी एस.टी.सी. स्कूल हैं ? सरकार द्वारा ये कहां-कहां पर खोले गये और कब-कब ?

(२) इन पर सरकार द्वारा प्रारम्भ में कितना व्यय किया गया और बाद में सालाना क्या व्यय होता रहा ? सालाना कितने शिक्षकों को दाखला दिया गया और सालाना कितने उत्तीर्ण हुए ?

(३) प्रति शिक्षक सरकार का कितना, व उनका स्वयं का कितना व्यय हुआ ?

(४) उत्तीर्ण कितने शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई और कितनों को नहीं दी गई और क्यों ? सरकार की जानकारी के अनुसार कितने ऐसे शिक्षक बेकार हैं ?

(५) क्या यह सत्य है कि वर्ष ६७-६८ में सरकारी एस.टी.सी. स्कूल बन्द कर दिये गये ? यदि हां, तो किन कारणों से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा ?

(६) क्या ऐसे शिक्षकों के सम्बन्ध में पंचायत समितियों को सरकार की ओर से कोई परिपत्र जारी किया गया था ? यदि हां, तो कब ? उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या उस परिपत्र के अनुसार समस्त पंचायत समितियों में नई नियुक्तियों में केवल प्रशिक्षित शिक्षक रखना अनिवार्य कर दिया था ? यदि हां, तो उस आदेशानुसार किस-किस समिति ने कितने-कितने अध्यापकों को नियुक्त किया ?

(८) जब सरकारी एस. टी. सी. स्कूल बन्द कर दिये गये हैं तो स्टाफ को किस प्रकार

Page No 37

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

से एब्जोर्ब करने का सरकार विचार रखती है ?

(६) जो सरकारी इमारतें एस. टी. सी. स्कूल के काम में आ रही थीं, उनका फर्नीचर अब सरकार किस प्रकार उपयोग में लाना चाहती है ?

उत्तर

(१) वर्तमान में ७ सरकारी व ४ गैर सरकारी एस. टी. सी. स्कूल हैं। वर्ष १९५५-५६ से बी. एस. टी. सी. विद्यालय की योजना जे. टी. सी. विद्यालयों को परिवर्तित करके प्रारम्भ की गई। उस समय १३ शिक्षक प्रशिक्षण शालायें चल रही थीं इनमें वृद्धि व कमी निम्न प्रकार हुई:—

शालाओं की सूची संलग्न है।

वर्ष	संख्या	वृद्धि	कमी
१९५५-५६	१३	—	—
१९५६-५७	२४	११	
१९५७-५८	२८	४	
१९५८-५९	२८	—	
१९५९-६०	३९	११	
१९६०-६१	५५	१६	
१९६१-६२	५०	—	५
१९६२-६३	५१	१	
१९६३-६४	५७	६	
१९६४-६५	६६	९	
१९६५-६६	६३	—	३
१९६६-६७	५३	—	१०
१९६७-६८	५०	—	३
१९६८-६९	४३	—	७
१९६९-७०	११	—	३२

(२) वर्ष १९५५-५६ में राजकीय बजट से इन पर ५.७८ लाख रुपये व्यय हुआ। १९६०-६१ में यह व्यय संस्थाओं की संख्या बढ़ने के कारण ३०.०७ लाख रुपया हो गया। वर्ष १९६८-६९ में राजकीय बजट में २९.०८ रुपये व्यय हुआ। इसमें अभिनव केन्द्रों का व्यय सम्मिलित नहीं है। १९५५-५६ से १९६८-६९ तक व्यय, शिक्षकों का दाखिला व शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए, उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राजकीय स्रोतों से	अन्य स्रोतों से	कुल व्यय	शिक्षकों को दाखिला दिया गया	शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए प्राईवेट छात्र भी सम्मिलित
५५-५६	५.७८	—	५.७८	११७७	१२१७
६०-६१	३०.०७	१.६९	३१.७६	६६२८	६१७२
६१-६२	२९.७४	१.५९	३१ ३३	६०३६	५१८१
६२-६३	२९.७९	१.८५	३१.३४	६१३७	५५००
६३-६४	२५.२३	४.२४	२९.४७	७५१९	६७६८
६४-६५	२५.९४	९.८१	३५.७५	७७८७	७७७०
६५-६६	२६.०१	९.२८	३५.२९	८३९५	७९०३
६६-६७	२७.७०	६.४०	३४.१०	६७९७	६७२०
६७-६८	३५.०८	३.१८	३८ २६	७१६७	६५४६
६८-६९	२९.०८	२.५२	११.६०	४५२०	४७९०

(३) प्रति शिक्षक पर सरकार का वर्ष १९६८-६९ में लगभग ६५०) रु० व्यय होता है व लगभग इतना ही स्वयं का व्यय होता है।

(४) विभाग में ऐसी सूचियां नहीं रखी जाती हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(५) यह सही नहीं है। सत्र १९६७-६८ में केवल दो एस० टी० सी० विद्यालयों को अभिनव प्रशिक्षण केन्द्र में बदला गया। प्राथमिक अध्यापकों को अनवरत सेवारत प्रशिक्षण देने के लिये ऐसा किया गया।

(६) पंचायत समिति के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय से परिपत्र सं० ईडी./बी/स्टेट/बी./ई./११३६/६६/४६, दिनांक ५-९-६६ जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

७. यह सही है। ऐसी सूचना विभाग में नहीं मंगाई जाती है।

८. राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय १९६९ में बन्द होने के फलस्वरूप निम्नलिखित विषय के अनुदेशकों को पदावनत कर द्वितीय वेतन शृंखला में समायोजन किया गया है:—

१. वरिष्ठ अध्यापक २२५-५२५

१.	हिन्दी	२५
२.	इतिहास	१६
३.	नागरिक शास्त्र	१४
४.	भूगोल	१३
	योग....	६८

२. अनुदेशक १७० ३८५

१.	विषय अनुदेशक	४८
२.	उद्योग अनुदेशक	२६
३.	चित्रकला अनुदेशक	१७
४.	व्यायाम अनुदेशक	२४
५.	कृषि	२८
	योग....	१४६

पदावन्नत अनुदेशकों के लिये १०१ पद १७०-३८५ की वेतन शृंखला के राज्य सरकार से मांगे गये हैं और इनका प्रावधान अगले वर्ष के बजट १९७०-७१ में रख दिया गया है।

९. फर्नीचर अन्य विद्यालयों में वितरित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्तियां

२०४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) जे. बी. हायर सेकेन्डरी स्कूल लाडनूं, जिला नागौर में मौजूदा जो अध्यापक व कर्मचारी हैं? क्या उनकी नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुई है?

उत्तर

(१) समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं। यदि अधिक समय हो तो नियोजन अधिकारी को भी सूचित किया जाता है। साक्षात्कार के लिये प्रार्थी बुलाये जाते हैं व नियुक्ति कमेटी के लाडनूं में उपस्थित सदस्यों द्वारा की जाती है।

(शिक्षा मंत्री)

सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुदान, नियम १९६३ बने हुए हैं। नियम ३ के (१४) (१५) व १६ की धाराएं तथा नियम ४ में इनकी प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख है। ये नियम राजस्थान राज-पत्र दिनांक २४-१-६३ के भाग ४ (ग) में छपे हुए हैं।

(२) जी हां।

मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां

२०५. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला शिक्षणालय, नागौर द्वारा सन् १९६३ में प्रमोशन द्वारा मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापक लगाये गये थे ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस को और उनकी क्या-क्या योग्यताएं थी तथा वरिष्ठता सूची में उनका कौन-कौन सा स्थान था ? इस पद के लिये क्या-क्या योग्यताएं होनी चाहिए थीं ?

(२) क्या उपरोक्त पदोन्नतियों के सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी द्वारा जिला शिक्षणालय को कोई आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो वे आदेश क्या थे ?

उत्तर

(१) सत्र १९६२-६३ में मिडिल स्कूलों के जो प्रधानाध्यापक द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे थे, व जिन्हें ही विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा १-७-६३ को अस्थाई तौर पर पुनः द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया था, की सूची मय योग्यता के संलग्न है। उस समय १-९-६१ की वरिष्ठता सूची बनी हुई नहीं थी। चूंकि उस समय बी० ए०, बी० एड० बहुत कम उपलब्ध होते थे इसलिये द्वितीय वेतन श्रृंखला में कार्य करने वाले अध्यापकों को उनकी पुरानी सेवाओं को ध्यान में रख कर मिडिल स्कूल का प्रधानाध्यापक बना दिया जाता था।

(२) जी हां, आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

ग्राम दलोर में हैल्थ सेन्टर

२०६. **श्री हरलाल मीणा:** (प्रतापगढ़-सु.) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला चितौड़गढ सब-डिविजन, प्रतापगढ़ पंचायत समिति अरनोद के ग्राम दलोर में हैल्थ सेन्टर खुल चुका है ? यदि हां, तो कब से और क्या वहां नियमानुसार स्टाफ पहुँच गया है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि यहां हैल्थ सेन्टर भवन बनवाने के लिये नियमानुसार ग्रामवासियों ने दस हजार रुपये विभाग में जमा करा दिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि हैल्थ सेन्टर भवन बनाने का शिलान्यास भी हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(१) जी हां। जिला चित्तौड़गढ़ सब-डिविजन, प्रतापगढ़, पंचायत समिति अरनोद,

Page No 40

(चिकित्सा मंत्री)
के ग्राम दलोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिनांक १०-३-६६ से चालू है एवं कार्यरत स्टॉफ का ब्योरा निम्नांकित हैं :—

क्रम सं०	पद	कार्यरत
१.	कम्पाउण्डर श्रेणी प्रथम	१
२.	,, ,, द्वितीय	१
३.	,, ,, तृतीय	१
४.	स्वास्थ्य निरीक्षक	१
५.	सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	२
६.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	६

(२) जी हां उप-केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए ग्रामवासियों द्वारा जन सहयोग के १०,००० रुपये की धन-राशि सन् १९६५ में पंचायत समिति कोष में जमा करा दिये गये हैं।

(३) विभाग को जानकारी नहीं है।

डाक्टरों के स्वीकृत पद

२०७. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में मौजूदा समय डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद भरे हुये हैं और जो पद रिक्त हैं वो कब-कब से हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त पद कब तक भरे जा सकेंगे और इतने लम्बे समय तक खाली रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(१) राज्य में मौजूदा समय में डाक्टर्स के स्वीकृत पद व कार्यरत पदों का ब्योरा:—

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
चिकित्सा पक्ष में	१४००	१२६५	१०५
परि० नियो० पक्ष में	४७८	२४८	२३०
योग....	१८७८	१५४३	३३५

दोनो पक्षों के रिक्त पदों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(२) राज्य में डॉक्टरों के अभाव में पद रिक्त रहे हैं एवं उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के अनुसार नियुक्तियां सम्भव हो सकेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

श्री सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं में योग्य डाक्टरों की नियुक्तियां

२०८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि श्री सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं में योग्य डॉक्टर नियुक्त करने का आदेश सरकार ने दिया

(श्री हरजीराम बुरड़क)

था ? यदि हां, तो कब ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त आदेश की पालना कहां तक हुई और नहीं हुई तो क्यों ?

(३) भविष्य में इस अस्पताल के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

(४) क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि इस अस्पताल के संचालकों ने सरकार के आदेशों की अवहेलना की है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ११-१-६८ को चाही गई प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) सेठ गजराज गंगवाल ने लेडी डाक्टर नियुक्त करने में असमर्थता प्रकट कर, निदेशालय से एक पार्ट-टाइम डाक्टर के लिए अनुरोध किया। अतः डाक्टर बी. एल. महात्मा को पार्ट-टाइम सायंकाल ५ से ७ बजे तक कार्य हेतु दिनांक ११-११-६८ द्वारा नियुक्त किया गया। परन्तु ट्रस्टीज ने दिनांक १७-४-६९ से उक्त डाक्टर को कार्य-मुक्त कर दिया।

(३) सरकार के आदेशानुसार लेडी डाक्टर की नियुक्ति नहीं करने पर उक्त अस्पताल के अनुदान को राशि बन्द कर रखी है।

(४) सरकार ने १९६७-६८ से अनुदान देना बन्द कर रखा है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

प्रिन्स मेमोरियल हॉस्पिटल, बीकानेर में ई. एम. डी. के कर्मचारियों का फिक्सेशन

२०९. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर प्रिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में ई. एम. डी. में कुल कितने कर्मचारी कब से काम कर रहे हैं ?

(२) इनमें से कितनों का फिक्सेशन हुआ और कितनों का नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कर्मचारी सन् ५१ में तथा कुछ सन् ५९ में बिजलीघर, बीकानेर से लिये गये हैं ?

(४) क्या यह सही हैं कि कुछ जगह खाली होने पर भी उनकी जगह पुराने आदमियों को प्रमोट नहीं किया गया ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों का फिक्सेशन न होने से उन्हें भयंकर आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है ?

(६) क्या सरकार इनका फिक्सेशन कर उन्हें उनकी आर्थिक क्षति की पूर्ति करना उचित नहीं समझती ? यदि हां, तो इनका फिक्सेशन कब करेगी, पूर्ण आश्वासन दें ?

उत्तर

(१) ५२ कर्मचारी दिनांक १-४-५९ से काम कर रहे हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

(२) इन उपरोक्त कर्मचारियों में से सिर्फ ३९ कर्मचारियों का फिक्सेशन हुआ है एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिक्त था, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा कुल ४० पदों की स्वीकृति प्रदान की गई शेष १२ पदों की और स्वीकृति हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार १२ कर्मचारियों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। सिर्फ २ कर्मचारी जो कि पोलीटेक्निक, बीकानेर से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अस्थाई तौर पर नियुक्त किया गया है तथा साथ ही में सीनियर कर्मचारियों को भी प्रमोट किया गया है।

(५) इन शेष १२ कर्मचारियों की नियुक्तियां १-३-५६ के पश्चात् हुई है और इन्हें सालाना वेतन वृद्धि १-३-५६ की वेतन श्रृंखला में लगातार दी जा रही हैं जिससे इनको ऐसी कोई विशेष आर्थिक कठिनाइयां होना प्रतीत नहीं होता। फिर भी इनका फिक्सेशन १-९-६१ व १-९-६८ में इनके पदों की स्वीकृति सरकार द्वारा प्राप्त होते ही कर दिया जावेगा।

(६) इन शेष १२ कर्मचारियों का फिक्सेशन इनके पदों की स्वीकृति सरकार द्वारा प्राप्त होने पर कर दिया जावेगा।

अमीनों की पदन्नोति

श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितने अमीनों का डिप्टी रेंजरों के पदों पर पदोन्नत किन नियमों के अन्तर्गत किया है?

(२) अमीनों के डिप्टी रेंजरों के पदों पर पदोन्नत किए जाने के फलस्वरूप कितने वनपदयों की पदोन्नति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

(१) पदोन्नति नहीं दी गई। इस प्रकार पदोन्नति का नियमों में प्रावधान नहीं है, दो अमीनों की राज्यादेश सं० एफ. ११ (८७) रा० क०/६६, दिनांक १५-२-६८ एवं सं० ११ (८७) रा० क०/६६, दिनांक-२१-३-६८ द्वारा उप क्षेत्रीय पदों पर समान वेतन श्रृंखला में नियुक्ति की गई।

(२) दो अमीनों के डिप्टी रेंजरों के पदों पर नियुक्ति से केवल दो वनपालों की पदोन्नति प्रभावित हुई है।

घास की कटाई

२११. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग कई जगह स्वयं घास कटवाता है? यदि हां, तो अभी तक वन विभाग के अधीनस्थ फोरेस्ट डिविजनों में इस वर्ष कितनी रकम इस कार्य में खर्च हुई है? और कितना-कितना घास एकत्र हुआ है? क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस प्रकार विभाग द्वारा एकत्रित किया हुआ घास औसतन प्रति क्विन्टल सरकार को किस लागत पर प्राप्त होता है?

उत्तर

(वन मंत्री)

(१) संलग्न सूची के अनुसार कुल १,०३,३६७ क्विन्टल घास एकत्रित करने पर जनवरी, १९७० तक ५,८०,४९७ रु० व्यय हो चुका है। पूरे वर्ष के व्यय की जानकारी वर्ष समाप्त होने पर हो सकेगी।

(२) घास कटाई का कार्य प्रगति पर है ढुलाई, बंधाई आदि कार्य भी होगा। जनवरी, १९७० तक रु० ५.६२ प्रति क्विन्टल औसत लागत आ चुकी है, गट्ठे बंधाई तथा ढुलाई का कार्य पूर्ण होने पर कुल लागत की जानकारी हो सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

सिद्धमुख नहर योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में सिंचाई

२१२. श्री रावतराम (छापर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिद्धमुख नहर योजना के अन्तर्गत चूरू जिले के कितने गांवों की सिंचाई होगी ?

(२) उक्त योजना पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च होगी तथा निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा ? कृपया योजना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त योजना बहुत लम्बे अर्से से विचाराधीन पड़ी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

१. १७ गांवों में।

२. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इसकी लागत लगभग ४५० लाख रु० होगी। अभी यह योजना तैयार नहीं हो सकी। इसलिए प्रति सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

३. जी हां। यह अन्तर्राज्यीय योजना है और भारत सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम श्यामपुरा में बांध का सर्वे

२१३. श्री नाथूलाल करील (जमवा रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम श्याम-पुरा, पंचायत समिति, चाकसू, जिला जयपुर में एक बन्ध निर्माण हेतु सर्वे होकर उसके पूरे कागजात डाइरेक्टर डिजाइन के यहां कई दिनों अथवा कई सालों से पड़े हुये हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि गत वर्ष उक्त बन्ध का कुछ कार्य अकालराहत के तहत करवाया गया था ? अब सरकार का इस बन्ध के लिये क्या विचार है ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां। इस योजना के लिये सन् १९७०-७१ के बजट में १-७० लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। कार्य शीघ्र पुनः प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

भरतपुर जिले में सिंचाई की दरें

२१४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला भरतपुर में जिन्सवार सिंचाई की दरें क्या हैं ?

(श्री रामकिशन)

(२) क्या यह सही है कि जिन खेतों में सरसों व गेहूं दोनों का उत्पादन होता है उनसे सरसों को सिंचाई वसूल की जाती है? यदि हां, तो किस नियम के अधीन और यदि नहीं तो इस प्रकार की अनुचित वसूली क्यों होती है ?

(३) सरकार पशु चारे की उपज पर (चरी) क्या सिंचाई वसूल करती है ? दरों का उल्लेख जिन्सवार करें।

उत्तर

१. जिन्सवार सिंचाई दरों की सूची 'क' संलग्न है।

(२) जी हां, मिश्रित जिन्स के लिए राजस्थान सिंचाई एवं जलनिकास अधिनियम, १९५४ की धारा ३९ के अन्तर्गत बनाये गये नियम २५ के अनुसार जिस जिन्स की सिंचाई दर अधिक होती है, यह वसूल की जाती है।

(३) पशु चारे की उपज पर सिंचाई की दरें भी सूची 'अ' में शामिल है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई।)

रोडवेज कॉरपोरेशन के सदस्य

२१५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज कॉरपोरेशन के सदस्य कौन २ हैं ? उन पर कुल कितना रुपया सालाना कॉरपोरेशन खर्च करता है ?

(२) सदस्यों की नियुक्ति का आधार क्या है ?

(३) क्या यह भी सच है कि अब तक जितने भी सदस्य सरकार ने नियुक्त किये हैं उनमें एक भी अनुसूचित जातियों का नहीं है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में इस वर्ग के प्रतिनिधि को निगम का सदस्य नियुक्त करने का विचार है ?

उत्तर

(१) राजस्थान पथ परिवहन निगम के सदस्य निम्न हैं :

१. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष (गैर-सरकारी)

२.	श्री विष्णुदत्त शर्मा गृह आयुक्त राज० सरकार	सरकारी सदस्य
३.	श्री मोहन मुकर्जी, वित्त आयुक्त, रा० सरकार	,,
४.	श्री हनुमानसहाय रावत, प्रधान प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	,,
५.	श्री ए. एल. सचेती, उप मुख्य लेखाधिकारी, पश्चिमी रेल्वे, अजमेर।	प्रतिनिधि रेल्वे।
६.	श्री रघुवीरसिंह, मार्केटिंग एवं विक्रय विपणन अधिकारी, पश्चिमी रेल्वे, बम्बई	,,
७.	श्री हजारीलाल शर्मा, प० रेल्वे मजदूर संघ, जयपुर,	गैर सरकारी प्रतिनिधि।
८.	श्री हेमेन्द्रसिंह, बनेड़ा (भीलवाड़ा)	,,

श्री यातायात मंत्री

६. श्री रघुनाथ दास बांगड सदस्य निगम के सदस्यों का खर्चा मीटिंगों पर आधारित होता है। वर्ष १९६९ से फरवरी ७० तक २७५०) रु० दैनिक भत्ते व यात्रा भत्ते के रूप में खर्च हुए।

(२) सदस्यों की नियुक्तियां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नियम, १९६४ की धारा ३ (१) के अन्तर्गत की जाती है।

(३) जी हां, अभी जातिगत आधार पर सदस्य बनाने का विचार नहीं किया है।

शिकायती कार्ड

२१६. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष ने शिकायती कार्ड छपवा कर मय पोस्टेज के विधायकों को भेजे हुये हैं ?

(२) क्या उक्त पत्र शिकायत अथवा सुधार सुझावों के रूप में निगम को पुनः प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त सुझावों पर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या निगम के अध्यक्ष ने प्राप्त शिकायतों के उपरान्त प्रेषक को आश्वस्त भी किया है वे शिकायतों अथवा सुझावों पर गौर कर रहे हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। कुछ विधायकों से सुझाव व शिकायतों के साथ ये पत्र प्राप्त हुये हैं। उन पर निगम द्वारा समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की गई है।

(३) जी हां।

बयाना से धौलपुर वाया बन्ध बारेठा महमदपुरा मार्ग की बसें

२१७. श्री रामकिशन (वेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला भरतपुर के अन्तर्गत बयाना से धौलपुर वाया बन्ध बारेठा महमदपुरा रूट की कितनी बसें सरकार द्वारा दिये गये परमिटों के अनुसार चलाई जाती हैं ?

(२) क्या परमिट में स्वीकृत रूट के अनुसार ही यह बसें उसमें उल्लिखित ग्रामों में होकर जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) उक्त मार्ग पर चार बसों को परमिट दिये गये थे। पर इस समय ये बसे इस मार्ग पर नहीं चल रही हैं।

(२) जी नहीं। स्वीकृत मार्ग पर नहीं चलाने के कारण प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक २६-२-७० को दो बसों के परमिट कैंसिल कर दिये गये हैं तथा बाकी दो बसों के अनुज्ञा-पत्रधारियों के आवेदन पत्र पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक १८-४-७० की बैठक में विचार किया जायगा।

डूंगरपुर कॉलेज में आदिवासी छात्र

२१८. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डूंगरपुर कॉलेज में वर्तमान में कितने आदिवासी छात्र हैं तथा उनमें से कितनों को किस आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

Page No 46

(श्री महेन्द्रकुमार)

(२) क्या यह सत्य है कि अधिकांश छात्रों को गत वर्ष की तरह छात्रवृत्ति समानरूप से नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यदि नहीं, तो किस-किस छात्र को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति कब-कब से दी जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(स्थगित किया गया)

केकड़ी क्षेत्र के ग्रामों में मकान बनाने के लिये अनुदान

२१९. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९६० के पश्चात् अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र के किस-किस ग्राम में कितना-कितना रुपया मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में दिया गया ? सूची वर्षवाइज सदन की मेज पर रखें ?

(२) सन् १९६० के पश्चात् पेय जल हेतु कुआं खुदवाने के लिये किस-किस ग्राम में व किस-किस जाति को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) अजमेर जिले के कितने आवेदन-पत्र कितने समय से राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं ? इनके स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं ? पूर्ण विवरण गांव-वार व नामवार आवेदन-पत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) पंचायत समिति की रोकड़ पुस्तकें जांच हेतु जाने के कारण वर्ष १९६४-६५ तक की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। सन् ६५-६६ से सूचना संलग्न है।

(२) पंचायत समिति की रोकड पुस्तकें जांच हेतु जाने के कारण वर्ष ६४-६५ तक की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। सन् १९६५-६६ से सूचना संलग्न है।

(३) ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन-पत्र पंचायत समितियों को ही दिये जाते हैं, जिन्हे मांग किये जाने पर विभाग द्वारा प्रावधान के अनुसार धनराशि आवंटित कर दी जाती है। अतः विभाग के पास आवेदन-पत्र प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के ४४ अपूर्ण आवेदन-पत्र इसी वर्ष प्राप्त हुये थे। जिन्हे पूर्ण कराया जा रहा है। सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गयी)

अजमेर जिले के छात्रों को छात्रवृत्ति

२२०. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

समाज कल्याण विभाग द्वारा अजमेर जिले में कितने छात्रों एवं छात्राओं को गत साल छात्रवृति दी गई है एवं कितने फार्म अस्वीकृत किये गये ?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग, अजमेर को अजमेर जिले के छात्रवृत्ति हेतु निम्नप्रकार

(श्री समाज कल्याण मंत्री)
छात्र व छात्राओं के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और उन सभी छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत करदी गई :—

	आवेदन-पत्रों की संख्या
१. अनुसूचित जन-जाति	८
२. अनुसूचित-जाति	५७

इनको धनराशि निम्नप्रकार से स्वीकृत की गई:—

१. अनुसूचित जन-जाति	१. मैरिट कम-नीड	२३०.०० रु०
	२. उत्तर मैट्रिक	१७३८.०० रु०
	योग....	१९६८.०० रु०
२. अनुसूचित-जाति	१. मैरिट-कम-नीड	४०६५.०० रु०
	२. उत्तर मैट्रिक	९४१७.०० रु०
	योग....	१३,४८२.०० रु०
	कुल योग	१५,४५०.०० रु०

आदिम जाति सेवक संघ

२२१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-—

(१) आदिम जाति सेवक संघ, राजस्थान, जयपुर की स्थापना कब हुई थी ?

(२) इस संस्था को गत पांच सालों में समाज कल्याण विभाग से किस काम के लिये कितनी धनराशि कर्ज व सहायता के रूप में दी गई क्या संस्था ने यह राशि उन्हीं कामों में खर्च की जिन कामों के लिये यह दी गई थी या अन्य कामों मे ?

(३) यह संस्था अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान में क्या काम करती है इसके संचालक मंडल में अनुसूचित जन-जाति का कोई प्रतिनिधि है या नहीं और विभाग का कौन प्रतिनिधि कार्यकारिणी में है ?

(४) इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है या नहीं ?

(५) इस संस्था के व्यवस्था खर्च, वेतन, भत्ता, मकान किराया, बिजली, पानी में हर साल क्या खर्च होता है ?

उत्तर

(१) राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर की स्थापना १४ नवम्बर, १९५७ में हुई थी।

(२) संस्था को गत पांच वर्षों में जो धनराशि जिस जिस काम के लिये सहायता के रूप में दी उसकी सूची संलग्न है। संस्था को विभाग से कोई ऋण नहीं दिया गया, संस्था को जिन कार्यों के लिये सहायता दी गई थी संस्था ने उस राशि को उसी कार्य पर खर्च किया है।

(३) संस्था अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान के लिये उनकी शैक्षणिक प्रगति, आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान एवं जनतन्त्र में निष्ठा तथा सांस्कृतिक संरक्षण हेतु

(श्री समाज कल्याण मंत्री)
भिन्न २ प्रवृत्तियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है उसके संचालक मन्डल के २१ सदस्यों में ८ सदस्य अनुसूचित-जाति के हैं। विभाग का कोई प्रतिनिधि कार्यकारिणी में नहीं है।

(४) संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है।

(५) संस्था के व्यवस्था खर्च, वेतन, भत्ता मकान किराया, बिजली, पानी पर जो व्यय वर्ष ६७–६८ में हुआ तथा ६८–६९ का स्वीकृत प्रावधान संलग्न तालिका में दिया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बांसवाड़ा जिला सेवक संघ

२२२. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में बांसवाड़ा जिला सेवा संघ कब से कार्य कर रहा है तथा इसके द्वारा क्या २ काम किये जाते हैं? इसके संचालक मंडल का गठन कैसे किया जाता है?

(२) इसके संचालक मंडल में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों अथवा विभाग का कोई प्रतिनिधि है? यदि हां, तो कौन यदि नहीं, तो क्यों?

(३) इस संस्था को पांच सालों में विभाग द्वारा किन-किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या जो धनराशि संस्था को जिन कामों के लिए दी गई थी उसे समय पर उन्हीं कामों में खर्च करके प्रमाण-पत्र विभाग को भेजा या नहीं?

(५) क्या हर साल इस संस्था का ऑडिटशुदा हिसाब विभाग को भेजा जाता है यदि हां तो व्यवस्था पर कितना खर्चा किया जाता है?

(६) क्या इस संस्था का ऑडिट नियमानुसार होता है?

उत्तर

(१) बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर राज्य में राजस्थान के निर्माण काल से ही कार्य कर रहा है। इस संस्था की स्थापना १ जुलाई, सन् १९३३ को हुई थी। वर्त्तमान में संस्था द्वारा:—

(१) शैक्षणिक प्रवृत्तियां : शाला एवं छात्रावास।

(२) औद्योगिक प्रवृत्तियां : खादी उत्पादन एवं बिक्री अम्बर चर्खा प्रशिक्षण, साबुन उद्योग आदि।

(३) आदिवासियों हरिजनों आदि में समाज सुधार कार्य।

(४) सर्वोदय, भूदान एवं ग्रामदान।

(५) मद्य निषेध आदि कार्य किये जा रहे हैं।

(२) संस्था के विधान के अनुसार सात सदस्य आजन्म सदस्य हैं व दो साधारण सदस्य हैं जो साधारण सभा द्वारा प्रति वर्ष चुने जाते हैं, संस्था के संचालक मण्डल में प्राप्त

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

सूचना के आधार पर अनुसूचित जाति, जन-जाति अथवा विभाग का कोई प्रतिनिधि नहीं है। संचालक मण्डल विधान के अनुसार ही बनाया जाता है। दो सदस्य जन-जातियों के भी हो सकते है जो साधारण सभा द्वारा चुने जाकर संचालक मण्डल के सदस्य बन सकते हैं।

(३) संस्था को विभाग द्वारा जिन जिन कार्यों के लिये जितनी २ सहायता गत ५ वर्षों में दी गई उसकी सूची संलग्न है। विभाग द्वारा संस्था को कोई कर्जा नहीं दिया गया।

(४) संस्था को जो धनराशि जिन कार्यों के लिये स्वीकृत की गई थी उसी में उसका उपयोग कर उसके प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेन्ट्स संस्था ने प्रेषित कर दिये हैं। स्वीकृत बजट के अलावा मदों में किये गये व्यय को विभाग ने अमान्य किया है।

(५) जी हां। वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में व्यवस्था सम्बन्धी मदों के लिये स्वीकृत प्रावधान व वास्तविक व्यय निम्नप्रकार हैं:—

क्रमांकः	मद	स्वीकृत	वास्तविक व्यय
१.	आफिस स्टाफ	५३००	५१००.००
२.	प्रवास व्यय	५००	६०३.१८
३.	प्रिन्टिंग व स्टेशनरी	२००	२३५.२०
४.	पोस्टेज व टेलीग्राम	७५	१६३.४
५.	लाइट एवं वाटर	१५०	१७८.२५
६.	कार्य कर्ता प्रशिक्षण	१००	११४.८१
	योग ...	६३२५	६३९४.८४

६. जी हां।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

(१२.११ म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा ने जिला कोटा की तहसील शाहबाद के ग्राम में एक आदिवासी की ग्राम सूंडा के कुछ बड़े पूंजीपति जमींदारों द्वारा हत्या कर दिये जाने तथा उसकी रिपोर्ट समय पर पुलिस थाने में की जाने के उपरान्त भी बारां क्षेत्र के एक डी० वाई० एस० पी० की मदद से मामले को दबाये जाने की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस मामले में जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा ने ग्राम बासड़ी, थाना खाटू, तहसील दांता रामगढ़, जिला सीकर के एक सार्वजनिक कुए से हरिजनों को पानी निकालने से मना करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें खाद्य पदार्थ, दूध, घी आदि महंगें हो जाने तथा इस महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न किये जाने का उल्लेख किया है। यह विषय सम्बन्धित मांग पर चर्चा के समय उठाया जा सकता है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने सादूलपुर में गिरफ्तार व्यक्तियों के लिये भोजन, कपड़ा आदि की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह बतलाया गया है कि इनके भोजन की व्यवस्था जेल नियमों के आधार पर हो रही है तथा कपड़ों की व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वे अन्डर ट्रायल हैं और खुद अपने कपड़े पहन सकते हैं। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्त्व का विषय नहीं है तथा आज कारागार की मांग पर होने वाली बहस में भी इस विषय को उठाया जा सकता है।

उपरोक्त बताये गये कारणों से इन सभी स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

राज्य सरकार से कुछ स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो जानकारी चाही गई थी वह अब प्राप्त हो गई है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

. (१) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने डीडवाना जिला नागौर तथा नोखा मण्डी में छात्रों की मारपीट की घटनाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में से गिरफ्तारी की गई है और मुकदमें दर्ज किये गये हैं तथा वहां स्थिति सामान्य है। नोखा के झगड़े में चालान भी पेश किये जा चुके हैं और यह मामला सबजुडिस है।

श्री किशनलाल वर्मा तथा श्री कल्याणमल मीणा, सदस्य विधान सभा ने दिनांक १२ जनवरी, १९७० को मुसम्मी सोनी, निवासी ग्राम मिरजापुर, तहसील लालसोट की आपसी झगड़े में चोट आने के कारण दिनांक १६ जनवरी, १९७० को मृत्यु हुई उस हत्या के केस को स्थानीय डॉक्टर व पुलिस ने रिश्वत लेकर दबाये जाने के सम्बन्ध में जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, उसके उत्तर में राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया गया है और सम्बन्धित डॉक्टर व स्टेशन हाउस ऑफिसर को निलम्बित कर दिया गया है तथा जिलाधीश जयपुर द्वारा जांच के आदेश भी दिये जा रहे हैं।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मेघराज पंवार, श्री रामसिंह कुड़ी, श्री भैरोंसिंह तथा श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि चूरू में दिनांक १२ मार्च, १९७० को सत्याग्रहियों पर जिला कार्यालय के आहते में घुसते ही पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था जिसके कारण सत्याग्रही घायल हो गये है। राज्य सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि करीब २५ आन्दोलनकारी तहसीलदार व जिलाधीश जिनके कार्यालय एक ही अहाते में हैं, जबरदस्ती तहसीलदार के दफ्तर में घुसने लगे तो उनको धक्का देकर रोका गया। लाठी का प्रयोग नहीं किया गया था तथा दौसा व सांभर की जेलों में कैदियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया।

श्री हरजीराम बुरड़क, श्री दौलतराम सारण, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया तथा श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उनमें राजस्थान राज्य कृषि उद्योग

(श्री अध्यक्ष)

निगम द्वारा राजस्थान कृषि अभियांत्रिक के कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के कारण उक्त कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया था। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है तथा कृषि मंत्री महोदय द्वारा कल कृषि से सम्बधित मांग के दौरान अपने उत्तर में सारी स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने कल जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसमें यह कहा गया था कि दिनांक १४ मार्च, १६७० को जयपुर रेल्वे स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये गंगानगर जिले के सत्याग्रहियों को जयपुर जेल में साधारण कैदियों की श्रेणी में रखा गया है तथा सत्याग्रहियों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें उपलब्ध नहीं की गई है। राज्य सरकार के उत्तर में यह बतलाया गया है कि इन व्यक्तियों को ट्रायल मजिस्ट्रेट ने कोई सुपिरियर क्लॉस देने के आदेश नहीं दिये थे और न उन्होंने ट्रायल मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी कोई मांग की। इसके अतिरिक्त सत्याग्रहियों का दर्जा कानून में अथवा जेल के नियमों में स्वीकृत नहीं है। इनके भोजन तथा मेडिकल सहूलियत जेल मेन्युअल के माफिक दी जा रही है। इसके अलावा आज कारागार की मांग पर भी बहस होगी जिसके दौरान भी इस विषय को उठाया जा सकता है।

श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसमें दिनांक ८ मार्च, १६७० को विद्युत सब-स्टेशन (नीम-का-थाना) का एक हजार की क्षमता का ट्रान्सफार्मर जल जाने से उस क्षेत्र के कृषकों को विद्युत की सप्लाई बन्द हो जाने पर फसल को भारी नुकसान होने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी में यह कहा गया है कि यदि काश्तकार जिस समय उन्हें बिजली मिलती है उस समय उसका उपयोग करें तो उनको सिंचाई में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये तथा जो ट्रान्सफार्मर जल गया है उसे जल्दी ही रिपेयर कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह कठिनाई करीब १५ दिन के लिये जब तक कि वहां कोई नया ट्रान्स-फार्मर या रिपेयर किया हुआ ट्रान्सफार्मर न लग जाये।

इसके अतिरिक्त ये मामले इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रामचन्द्र आर्य : आ ने जो सत्याग्रहियों के बारे में....

श्री मदनसिंह : मैं पहले था। आपने फरमाया कि हरिजनों के सम्बन्ध में जो मैंने कहा वह लोकमहत्व का प्रश्न नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राजस्थान विधान सभा में कुछ वहां के हरिजन भाइयों को बुलाकर उपस्थित करूं ?

(श्री दांता व श्री आर्य के साथ-साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं आपको सूचना देना चाहूंगा कि एक स्थगन प्रस्ताव जब अस्वीकृत होता है तो नियम के अन्तर्गत कोई बहस उस पर नहीं की जानी चाहिये। ऐसी स्थिति में इस पर अब कोई बहस नहीं उठाई जावेगी।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : मैं निषेध करता हूं। अंकित न किया जावे।

माननीय सदस्य का लेख अंकित न किया जावे।

इस पर कोई चर्चा अब नहीं होगी। व्यवस्था दी जा चुकी है माननीय सदस्य। आप अनुशासन के प्रेमी हैं। नियमों के अनुपालन के प्रेमी हैं। इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका हमारे प्रति जो सहानुभूतिपूर्ण बरताव है उसे मैं समुद्र से भी ऊंचा गम्भीर मानता हूं पर आप भी तरंग कभी ऐसी कर जाते हैं। आज हरिजन गांव से बाहर निकाले जा रहे हैं + + + +

श्री अध्यक्ष : समुद्र में उत्ताल तरंगे उठना चाहती हैं। अंकित न करें।

श्री मदनसिंह : + + +

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। गृहमन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य। झालावाड़ में छात्रों पर लाठीचार्ज के सम्बन्ध में।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को गम्भीरता से लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : कौनसा मामला ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हरिजनों को पानी नहीं पीने दिया गया। बाहर निकाल दिया....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय सदस्य ने कहा सैंकड़ों हरिजन गांव से निकाल दिये गये। मामला गम्भीर है अध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम गंगाराम : यह अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष : वह सवाल समाप्त हो गया है।

दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप केवल मात्र जानकारी दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा। स्थान ग्रहण करें। महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसका स्पष्टीकरण तो होना चाहिये।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप ही नहीं सुनेंगे तो....

श्री अध्यक्ष : मैं तो बहुत सुनता हूं। थक जाता हूं सुनते-सुनते। आप मेरे धैर्य का भी अन्दाज लगाते हैं कि नहीं।

+ + + + अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 53

श्री मदनसिंह दांता : उनके पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। वे ...

श्री अध्यक्ष : पानी की अभी मैं व्यवस्था करता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया।

(श्री डूंगाराम राजोरिया के भी साथ-साथ जोर-जोर से बोलते रहने पर अश्रव्य।)

श्री डूंगाराम राजोरिया। आप नहीं मानेंगे। राजोरियाजी स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम गंगाराम : पानी की उनकी समस्या है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप तो माननीय सदस्य, मानिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम गंगाराम : आप पानी का प्रबन्ध कब तक करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपके लिये पानी की व्यवस्था करा दूंगा।

श्री परसराम गंगाराम : मेरे लिये तो पानी की व्यवस्था है, मैं तो उन लोगों के पानी की व्यवस्था की बात कहता हूं जिनको कुए से पानी भरने से ही नहीं रोक दिया बल्कि गांव से भी निकाल दिया है।

श्री मदनसिंह : गांव छोड़ कर लोग चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वह बात कर लेंगे। (कई सदस्यों के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य मुझको मजबूर न करें।

श्री परसराम गंगाराम : आप भी हरिजनों के मामले को सुनने से इन्कार करते हैं तो इस पर मुझे सख्त ऐतराज है।

श्री अध्यक्ष: फिर खड़े हो गये। स्थान ग्रहण करें। गृह मंत्रीजी, जोर से बोलिये कृपया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: जोर से बोलने का सवाल नहीं है। लोगों के साथ छुआ छूत करके....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को नाम से पुकारना चाहूंगा। आप स्थान ग्रहण करें। बहुत व्यवधान आपने पैदा कर दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसके विरोध स्वरूप मैं सदन का परित्याग करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

श्री श्रवणलाल : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे। श्री श्रवणलाल, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री परसराम गंगाराम : अध्यक्ष, महोदय, + + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री परसराम गंगाराम : मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह अच्छा है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय। + + + +

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जावे। स्थान ग्रहण करें। या जो रास्ता आपके साथियों ने बतलाया है वह ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये इस पर।

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती।

माननीय श्रवणलाल ! स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं.......

श्री अध्यक्ष : श्री राजोरिया। आप नहीं मानेंगे। मानना ही नहीं चाहते हैं। नेता महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय स्वयं परेशान हो रहे हैं। नेता महोदय आप से परेशान मालूम होते हैं।

एक माननीय सदस्य : परेशान नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि वे नियमों को परिपूर्ण रूप से समझते हैं। वे बोलें नहीं, यह अलग बात है। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। बैठिये-बैठिये। ऑर्डर प्लीज।

श्री रावतराम : कुछ तो प्रकाश आप डालिये इस पर। व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था मैं बाद में दूंगा।

शासकीय वक्तव्य-झालावाड़ में छात्रों द्वारा हड़ताल सम्बन्धी

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह विभाग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री देवीदत्त गाड़िया व अन्य तीन सदस्यों द्वारा जो स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसका उत्तर इस प्रकार है दिनांक १३-२-७० को राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ व अन्य स्कूलों के छात्रों ने विवेकानन्द होस्टल, जयपुर में हुई घटना में घायल छात्र दिलीपसिंह की मृत्यु हो जाने की अफवाह फैलाकर हड़ताल कर दी। वास्तविकता यह थी कि दिलीपसिंह की मृत्यु की खबर गलत थी। लगभत ३०० लड़कों का यह जुलूस जिलाधीश कार्यालय के सामने लगभग १२-३० बजे पहुंचा और अध्यक्ष, छात्र संघ ने एस० डी० एम०; झालावाड़ को एक ज्ञापन पेश किया। जिलाधीश उस दिन वहां नहीं थे। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने फौरन टेलीफोन से श्री दिलीपसिंह के स्वास्थ्य के बारे में हालत मालूम कर छात्रों को बताया कि श्री दिलीपसिंह जीवित हैं, अतः इनके द्वारा इस प्रकार हड़ताल किये जाने का कोई कारण नहीं है। यह सूचना देने के बावजूद लड़कों ने हुल्लड़ मचाना और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। छात्र संघ के अध्यक्ष को जब यह बात बताई गई कि दिलीपसिंह जीवित है तो उसने अपने ज्ञापन में शुद्धि भी की, किन्तु लड़कों ने पथराव व उपद्रव जारी रखा तथा जिलाधीश कार्यालय व नागरिकों की दुकानों, होटलों, गर्ल्स स्कूल मंगलपुरा तथा प्राइवेट मोटरकारों को नुकसान पहुँचाया, सब्जियों की दुकानें लूटी गईं। होटल शेरे पंजाब के शीशे व बल्ब तोड़ दिये व काफी नुकसान किया। लगभग दो बजे कुछ लड़के कन्या विद्यालय में भी पहुँच गये और वहां दीवार फांदकर अन्दर प्रवेश कर गये व पथराव किया। कन्या विद्यालय में लड़कों के पहुँचने की सूचना पाकर एस० एच० ओ० कोतवाली मय फोर्स के विद्यालय में पहुँचे तो लड़के भागे। एक विद्यार्थी को जो कन्या विद्यालय के भीतर प्रवेश कर गया, पकड़ लिया और उसे कोतवाली ले जाया गया। एक लड़के को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की खबर सुनते ही अन्य उपद्रवी छात्र कोतवाली के सामने एकत्रित हो गये और कोतवाली के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने पर दो सिपाहियों और छात्रों के बीच खींचातानी हो गई किन्तु तुरन्त ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुँच गये और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लड़कों को समझा बुझा कर शान्त किया। इन दोनों सिपाहियों को भी लाइन में इस दृष्टि से भेज दिया गया कि इनकी कोतवाली में उपस्थिति से छात्रों में व्यर्थ उत्तेजना न हो।

दिनांक १४-२-७० को छात्रों ने पुनः हड़ताल कर दी। आने जाने वाली बसों पर पत्थर फेंके, सरकारी इमारतों के कांच तोड़े और कन्डक्टरों से जबरन ५-५ रुपये वसूल किये गये। लगभग १००० छात्रों का दल खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगाते हुये कोतवाली के सामने पहुँच गया और जिन-जिन सिपाहियों से उनकी पिछले दिन खींचातानी हुई थी उन्हें सुपुर्द करने की मांग की गई। एस. एच. ओ. के मकान पर भी पत्थर फेंके गये। एस. डी. एम. या अन्य नागरिकों द्वारा काफी समझाने पर भी लड़के हुल्लड़ करते रहे। कुछ समय बाद लड़कों का एक झुण्ड जिलाधीश कार्यालय पहुँच गया वहां पथराव किया और कई खिड़कियों के कांच तोड़े व फेमीली प्लानिंग विभाग, एग्रीकल्चर विभाग की सरकारी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुँचाया। कपड़ा बाजार में एक सिपाही को जो बा वर्दी ड्यूटी पर था, पीटा व उसकी टोपी जला दी गई। इसके बाद छात्रों का यह झुण्ड पुलिस लाइन की तरफ बढ़ा जहां कि वे दो सिपाही जिनकी सुपुर्दगी की मांग उनके द्वारा की जा रही थी, रखे गये थे। यह सूचना प्राप्त होते ह पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारी पुलिस लाइन पहुँच गये। शीघ्र ही लगभग २००० छात्र खून का बदला खून से लेंगे आदि नारे लगाते हुये पुलिस लाइन के दक्षिणी फाटक पर पहुँच गये रास्ते में मध्य प्रदेश व राजस्थान रोडवेज की बसों की तोड़फोड़ की व भारी नुकसान किया। १० बसों को हजारों रुपये का नुकसान पहुँचाने की रिपोर्टस् प्राप्त हुई हैं। स्टेडियम पर जो पुलिस लाइन के बिलकुल करीब ही है पहुँच कर भी पुलिस लाइन व फेमीली क्वाटर पर भारी पथराव किया गया, तोडफोड की गई। पथराव से दो हैड कान्स्टबलों के सिर व आंख के पास चोट लगी व खून बहने लगा, इसके डाक्टरों द्वारा टांके लगाये गये। एस. पी. और अन्य कई पुलिस कर्मचारियों के भी चोटें आई।

पथराव को लगातार बढ़ते हुये देखकर एस. डी. एम. ने मजमे के खिलाफ कानून करार देते हुये ऐलान किया और बिखर जाने का आदेश दिया किन्तु बिखरने के बजाय लड़कों की भीड़ और भी उग्र होती गई। इस पर एस. डी. एम. ने चेतावनी दी और भीड़ को बिखरने के लिये १८ अश्रु गैस के सेल छोड़े गये। किन्तु अश्रु गैस का प्रभाव कुछ नहीं हुआ और लड़के पोजीशन लेकर पत्थर फेंकने लगे, जिससे १२ कर्मचारियों को चोटें भी पहुँची। अन्त में सरकारी सम्पति और जान माल की रक्षार्थ इस भीड़ को विसर्जित करने के लिये एक बार और चेतावनी देने के पश्चात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उपद्रवी भीड़ पर केन-चार्ज का आदेश दिया गया, इस बल प्रयोग से भीड़ विसर्जित हुई। ६ लड़कों के साधारण चोटें पहुँची। सार्वजनिक सम्पति व जानमाल की रक्षा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये प्रशासन ने झालावाड़ नगर पालिका क्षेत्र में एक सप्ताह के लिये धारा १४४ तारीख १४-२-७० से लागू की।

सम्बन्धित घटनाओं को लेकर बलवा, लूट, नुकसान रसानी, टेलीफोन तार काटने आदि के आरोपों पर १६ केसेज रजिस्टर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हुये व १० व्यक्ति शीघ्र गिरफ्तार किये गये जिन्हें उसी दिन बाद में जमानत पर आजाद किया गया। केसेज की तफतीश जारी हैं।

स्थगन प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने नगर में पुलिस आतंक छाया हुआ बताया है यह सही नहीं है। सही बात यह है कि छात्रों द्वारा प्राइवेट दुकानों, राजकीय प्रोपर्टी व बसेज को बहुत नुकसान पहुँचाया गया और बस वालों से जबरन चन्दा वसूल किया गया, इस बात को लेकर जनता में रोष है।

कालेज को प्रधानाचार्य ने बन्द रखा और वह इस कारण कि उपद्रवी छात्र न खुद पढ़ना चाहते थे न दूसरों को पढ़ने देना चाहते थे ऐसी सूरत में स्कूल की इमारत, सामान की सुरक्षा और भले लड़कों कि हिफाजत के खयाल से प्रधानाचार्य ने कालेज को जो बन्द रखा वह अनुचित नहीं कहा जा सकता।

पुलिस का कान्स्टेबलों द्वारा जबरन घरों में घुसकर मारपीट व ज्यादती करने की घटनाओं की सूचनायें देने हेतु जिलाधीश ने स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों को निवेदन भी किया किन्तु उनको अभी तक एक भी ऐसी घटना किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बताई गई है।

इस तफतीश से जाहिर है कि झालावाड़ में छात्रों ने १३-१४ फरवरी सन् १९७० को भारी उपद्रव करके न सिर्फ सरकारी मुलाजिमान व सरकारी संस्थानों को हानि पहुँचाई है बल्कि नागरिकों की दुकानों, सार्वजनिक यातायात को बसों आदि को भी तोड़फोड़ की। ऐसी सूरत में प्रशासन ने अमन कायम रखने एवं जन-जीवन को सुरक्षा के लिये कानून के अनुसार कार्यवाही की है। यदि इस कार्यवाही के दौरान प्रशासन की और से कुछ व्यक्तियों द्वारा बेजा कार्यवाही की गई है तो विशिष्ठ घटनाओं और विकटिम्स तथा अपराधियों के तफसील बताने पर ऐसे मामलों में कसूरवारान के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है बिलकुल मनगढन्त, झूंठा और असत्य है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि झालावाड़ में पूर्ण अशान्ति थी और कलेक्टर महोदय अब भी चार आदमियों को लेकर खाना खाने जाते हैं जैसा आपने फरमाया शान्ति है अभी तक भी वहां कोई शान्ति नहीं है। १४ तारीख को कलक्टर साहब, एस० डी० ओ०, एस० डी० एम० इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और कुछ मास्टर सब कोतवाली में इकट्ठे हुये थे और और बहाना बनाया कि हम माफी मंगवाते है....

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी कोई सूचना....

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मेरा निवेदन करना यह है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये निवेदन नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लाठी चार्ज किस जगह पर हुआ ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : झालावाड़ गर्ल्स स्कूल किस जगह पर है और लाठी चार्ज किस जगह पर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : वह समझ गये, प्रश्न आ गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : लाठी चार्ज १४ तारीख को हुआ है, १३ तारीख को नहीं हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य।)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है इस वक्तव्य का आधार एस० डी० ओ० की रिपोर्ट है, कलेक्टर की रिपोर्ट है या और कोई जांच है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कलेक्टर की रिपोर्ट ही आधार होती है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : एस० डी० एम० लाठी चार्ज नहीं करना चाहता था उसके बावजूद भी कलेक्टर ने कहा लाठी चलावो, मैं हुकुम देता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट बताया एस० डी० एम० ने आदेश दिये, वे मौके पर थे। उन्होने स्वयं ने आदेश दिया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : लड़कों को ग्राऊन्ड पर इकट्ठा किया गया और वहां पर माफी दिलाने का बहाना लेकर उनको पीटा गया।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी सूचना के आधार पर यह सही नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही नहीं है घरों में जाकर २२ लड़कों को पीटा गया। पुलिस के सिपाही ने, थानेदार ने बच्चों को मारा है हम लोगों ने जाकर कहा—कलेक्टर और एस० पी० से कि लड़कों की हालत खराब है, मेडीकल जांच कराइये किन्तु उनको कोई मेडीकल ऐड नहीं दी गई और उसके बाद कलक्टर ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा, एस० पी० ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम लगातार दो-तीन दिन तक गये लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या यह सही है

श्री अध्यक्ष : एक सही आने दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने अपने स्टेटमेन्ट में कहा है कि कलेक्टर ने खुद ने ऐलान करवाया कि इस प्रकार की घटनायें हुई हैं उसके बारे में सारी स्थिति बतायेंगे तो मैं जानकारी करने के लिए तैयार हूं लेकिन इस प्रकार की कोई बात कलेक्टर के सामने नहीं रखी गयी इसलिए उसकी जान-

(श्री हीरालाल देवपुरा)
कारी नहीं की गई थ. तो मैंने यह भी कहा है कि अब भी माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक इन्सटान्सेस बतायेंगे तो उसके बारे में जानकारी कर लेंगे।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कांग्रेस वालों ने और तमाम दल के सदस्य हैं उन्होंने आप के पास ज्ञापन भेजा है। इसके बाद जिला कांग्रेस के सदस्य हैं, पी० सी० सी० के मेम्बर्स हैं और सारे लोगों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया कि यह अन्याय हुआ है इसकी जांच कराई जाये....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर क्या यह भेजा गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आपने इसमें मन्जूर किया है कि १३ तारीख को एस० पी० और लड़कों के बीच में कोतवाली मे समझौता हो गया। उसके बाद में लड़के समझ कर चले गये। उसके बाद में १४ तारीख को क्या कारण हो गया कि लड़के वापिस लड़ने गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १४ तारीख को लड़के अटेक करने के लिए नहीं गये थे। माफी मंगवाने के लिए लड़कों को एस० पी० ने स्टेडियम पर बुलवाया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही नहीं है मैंने स्टेटमेन्ट में भी बताया है कि १३ तारीख को समझाने के ऊपर लड़के चले गये और क्यों चले आये इसकी बात तो लड़के ही बता सकते हैं यह मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कोतवाली पर सब लड़कों को इकट्ठा किया कि माफी मंगवायेंगे और कलेक्टर और एस० पी० ने कहा कि अभी माफी मंगवाते हैं उन्होंने कहा कि सिपाही पुलिस लाइन्स में हैं और लड़कों को बहकावा देकर पुलिस लाइन्स में ले गये क्या यह सही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं। ऐसी सूचना नहीं है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा यह है कि स्टेडियम के ऊपर लड़कों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ क्या यह सही है ? लड़कों को और बहुत से नागरिकों को स्टेडियम से एक डेढ़ मील दूर ले जाकर शहर के बीच में पीटा गया है क्या यह सही है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आप एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिए। ऑर्डर प्लीज़ ! स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है वह झूठा दिया है और ऐसा मालूम पड़ता है कि झूठ बोलने का ठेका गृह मंत्री श्री दामोदर जी को दिया है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी उत्तर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न है क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के विधायक और समस्त राजनैतिक दलों ने एक प्रिन्टेड ज्ञापन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है जिस में कलेक्टर और एस. पी. पर इस बात का आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निरपराध छात्रों

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ दुर्व्यवहार किया एक प्रश्न । दूसरे क्या राज्य सरकार इसको उचित समझती है कि जिस कलेक्टर और एस. पी. के खिलाफ वहां की जनता ने शिकायत की है उसी रिपोर्ट के आधार पर इस सदन में इसकी जानकारी दें कि उन लोगों ने जो शिकायतें की वह गलत हैं, क्या इसके अलावा कोई राज्य सरकार का आधार भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा व श्री रामप्रसाद बोहरा मुझसे मिले थे और इस मामले में उन्होने मुझसे बात की थी । उन्होंने इस लाठी चॉर्ज के मुताल्लिक कहा और मैंने दरख्वास्त की थी कि मेहरबानी करके स्पेसिफिक इन्सटान्सेस डिटेल में दीजिए मैं उनको इन्क्वायरी कराऊंगा और मैं आज तक इन्तजार कर रहा हूं वह डिटेल्स मुझे नहीं मिली और स्पेसिफिक इन्सटेन्स ही उन्होंने बताया । अध्यक्ष महोदय मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर वह स्पेसिफिक इन्सटान्सेस देंगे तो मैं निष्पक्ष जांच करवाऊंगा और कलेक्टर से जांच नहीं करवाकर किसी दूसरी आथोरिटी से जांच करवाऊंगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक प्रश्न यह है

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से मिला और मैंने उन्हें सारी स्थिति बताई तो गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि स्टूडेन्ट्स हीं लिखकर देंगे तो कार्यवाही की जायेगी नहीं तो कार्यवाही नही की जायेगी । दूसरे इस बात के लिए इसमें आश्वस्त नहीं किया कि यह किस के जरिये करवायेंगे । हम चाहेंगे कि किसी भी निष्पक्ष एजेन्सी के जरिये जो छात्रों के साथ ज्यादती हुई है और तीन-चार मील दूर जीपों में ले जाकर बच्चों को और दूसरे नागरिकों को पीटा गया है उसकी जांच करवाई जाये । सिर्फ यही एक बात हम चाहते हैं । क्या आप चाहते हैं कि इस बारे में निष्पक्ष जांच हो ? मैं सूची माननीय अध्यक्ष को देना चाहूंगा कि जिस सूची के आधार पर घरों में घुमकर सिपाहियों ने बच्चों को पीटा है, मां बहिनों के धक्का-मुक्की की है । मेरी पत्नी दौड़ी बचाने के लिए तो उसको भी चार बेंतें मारी हैं । दूसरे लोगो के साथ ज्यादती हुई है । आप कहते हैं कि सूची कहां है वह मैं आपको पेश करना चाहता हूं । यह सूची है जो वहां के कलेक्टर ने एक प्रकार से तीन रोज तक सारे झालावाड़ के अन्दर गुण्डा राज्य जैसा था जैसे कोई राज्य ही नहीं हो, प्रशासन ही नहीं हो इस प्रकार की हालत पैदा कर दी और दूसरे लोग इस बारे में आवाज नहीं उठा सकें इसलिए वहां पर धारा १४४ लगा कर उनकी आवाज को दबाया गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि स्टेडियम के अन्दर विद्यार्थियो को पुलिस और जिलाधीश के कहने पर विद्यार्थी जो पहुंचे थे प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कुल और कॉलेज के जिन दो तीन विद्यार्थियों को १३ तारीख को पीटा सिपाहियों ने उनसे माफी मंगवाने के लिए स्टेडियम में खड़ा नहीं किया । क्या उन सिपाहियों ने विद्यार्थियों के सामने माफी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांगने का नाटक नहीं रचा कि "प्राई एम मारी" । मेरे साथ कल जो घटना घटी मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं । क्या उस स्टेडियम के अन्दर कलेक्टर, एस. डी. एम. और एस. पी उपस्थित थे या नहीं और क्या वहां पर पुलिस के दो तीन ट्रक जिनमें पुलिस के जवान थे और जिनके पास राइफल्स, स्टेन-गन और कई शस्त्र थे क्या यह सही नहीं है ? क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने वहां पर करीब दो तीन अश्रु गेस के गोले छोड़े और हवाई फायर किये ? क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने कॉलेज के छात्रावास में जबरन प्रवेश किया और वहां की खिड़कियां तोड़ी ? क्या यह सही नहीं है कि जो छात्रावास के तीन विद्यार्थी थे शिवदान सिंह, बलबीर चन्द और अभय कुमार को छात्रावास में नहीं पकड़ा ? क्या होस्टल वार्डन श्री माथुर ने सिपाहियों को अन्दर घुसने के लिए मना नहीं किया ? कलेक्टर को मना नहीं किया ? क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार से पुलिस होस्टल वार्डन के मना करने के बाद भी छात्रावास में जबरन घुसी हैं और उसने विद्यार्थियों को पकड़ा है ? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने छात्रावास के अन्दर अश्रु गैस के गोले नहीं छोड़े ? क्या वहां लाठी चार्ज नहीं किया ? क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने जनता को बुरी तरह से पीटा ? क्या यह सही नहीं है कि पुलिस रात्रि को २५-३० घरों के अन्दर जबरदस्ती घुसी और लोगों को जबरन पकड़ लिया और उनको पीटा ? अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो यह कहती है कि हमने विद्यार्थियों को नहीं पीटा यह कालेज का एक छात्र जिसका नाम रघुराज है और जो पी. यू.सी में पढ़ता है उसको इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसके हाथ में फैक्चर हो गया और उसकी यह फोटो मैं सदन की मेज पर रखता हूं। डाक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया है और उसके कागज गायब कर दिये।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं कॉलिज के छात्रावास जिसके अन्दर पुलिस वालों ने अश्रु गेस के गोले चलाये और लाठी चार्ज किया और पत्थर फैंके यह होस्टल की बाउन्ड्री में हैं और कमरे जिसके शीशे टूटे हुए हैं उसकी यह फोटो सदन की मेज पर रखता हूं।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह जिला परिषद् की उप-प्रमुख हैं जिनका नाम श्रीमती कैलाश देवी है उनके मकान में वहां के थानेदार श्री सोमानी २५-३० सिपाहियों को लेकर जबरन घुसे। उनका वक्तव्य मेरे पास है। जब उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आपके पास वारन्ट है क्या तो उस औरत से उन्होंने कहा, "छोकरी चुप रह। कलेक्टर का हुक्म है।" हम तुम्हारे मकान को तोड़ देंगे और तहस-नहस कर देंगे। जिला परिषद् की उप-प्रमुख के साथ में उन्होंने कितना अशिष्ट व्यवहार किया (शेम! शेम) यह मैंने आपके सामने रखा है।

अध्यक्ष महोदय, जिन विद्यार्थियों के घरों में घुसे हैं वहां पर उन्होंने घरों की पट्टियां और कातलें तोड़ दिये और दरवाजे तोड़कर वे घुस आये, और जिन लोगों को पीटा उनके वक्तव्य और नाम मैंने पेश किये हैं रघुराजसिंह, सज्जनसिंह, मानसिंह जो कि कॉलेज का प्रेसीडेन्ट है उन लोगों को पीटा....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री देवीदत्त गाड़िया : और आप यह कहते हैं कि इस प्रकार से....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : चले गये अपने आप....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हैड मास्टर लेकर आये हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ! प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं कलेक्टर से मिला हूं, एस० डा०. ओ०. से मिला हूं और कॉलेज के प्रिन्सीपल से मिला हूं अलग-अलग, इन तीनों से जब मैंने पूछा अलग-अलग तो उन्होंने यह कहा था कि स्टेडियम में सिपाही से माफी मंगवा लेंगे और एक से माफी मंगवाई, "आई एम सारी" उस पर विद्यार्थी असन्तुष्ट हुए तब ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं। स्थान ग्रहण करें। प्रश्न बहुत हो गये हैं। स्पष्टीकरण माननीय गृह-मंत्रीजी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय गृह-मंत्रीजी ने यह कहा कि स्टेडियम में अपने आप चले गये तो मैं कहता हूं कि उन्हें बुला कर ले गये, प्राइमरी स्कूल....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्रीजी बोले उससे पहले मैं निवेदन कर दूं कि यह तथ्य तो सदन के सामने आ चुके हैं और राज्य सरकार को जो कुछ सूचना मिली है वह वही है जो कलेक्टर ने कही है, माननीय सदस्य ने अभी सदन में अपना वक्तव्य दिया और समय-समय पर माननीय सदस्यों ने आम सभाओं में केवल एक ही विचार प्रकट किया है कि जो कुछ भी काण्ड हुआ है उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति अधिकारी जिम्मेदार नहीं है और केवल कलेक्टर ही के द्वारा यह सारी कार्यवाही हुई है। इतने उदाहरण देने के बाद भी सरकार यह कहे कि तथ्य बताये जायं और तथ्य बताने के बाद जांच करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं करने जा रही है। जब तथ्य रख दिये है और सारी स्थिति भयंकर बता दी गई है कि किस तरह से पिटाई हुई है और किस प्रकार से विद्यार्थियों को पीटा गया है, किस प्रकार से मकान के तातले उतार कर पुलिस मकानों में घुसी है और उन पर अत्याचार किया....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया है। स्पष्टीकरण।

श्री कृष्णकुमार गोयल : न तो वहां पर १४४ दफा लगाई है और न उसको अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर की है, न एस० पी० इसको करना चाहते थे और न पुलिस के अधिकारी इस कार्यवाही को करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर के कारण यह सारी कार्यवाही ऐसी हो गई है इसलिए सबसे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
पहले जिलाधीश का वहां से ट्रान्सफर किया जाय और फिर सारी एन्क्वायरी कराई जाय....

श्री अध्यक्ष : गृह-मन्त्रीजी। ऑर्डर प्लीज ! स्पष्टीकरण आने दें; माननीय सदस्य। पहले प्रश्न का जवाब आने दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिलाधीश एक विख्यात आदमी हैं। जहां भी यह रहा है वहीं ऐसे काण्ड हुए हैं और वहीं ऐसी कार्यवाही हुई है।

श्री लाभचन्द वैद : इसने सुजानगढ़ में ऐसी ही कार्यवाही की है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण आते हैं। ऑर्डर प्लीज ! पहले कई प्रश्न हो चुके हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : यह और कुछ तथ्य रखना चाहते है।

श्री लक्ष्मण तानीवाल : माननीय सदस्य जो उस तरफ से आये हैं वे स्वयं उन व्यक्तियों के पास गये हैं जिनकी पिटाई हुई है। मैं स्वयं कलेक्टर और एस० पी० से मिला हूं ता उन्होने कहा कि लिखकर दे दो तो मैंने लिख कर दे दिया। एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.) : बीमार बच्चों को उठा उठाकर ले गये हैं बिस्तर पर से। जिनको टाइफाइड हो रहा था उनको ले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु.) : वहां पर स्कूल के प्रिन्सीपल ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री जुझारसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कलेक्टर से स्वयं से बात हुई थी, एस० पी० से मिला था। मंत्रीजी चाहे जो जवाब दें, लेकिन सच्ची बात यह है कि उन्होंने इस बात को मंजूर किया है कि शहर के अन्दर लाठी चार्ज हुआ था, वह गलत था और इसमें उन्होंने पुलिस को ऑथोराइज्ड नहीं किया था। उन्होने कहा है कि हम इस बात को मानते हैं कि यह चीज गलत है। उसके बावजूद यह जो सरकार जवाब दे रही है, उसका इसमें कोई रेफरेन्स नहीं है।

दूसरी बात जो कन्डेम की है, मंत्रीजी करे या नहीं मेरे खुद के सामने इस बात को मंजूर किया है लड़के चला कर नहीं आये थे परन्तु लड़कों को सिपाहियों से माफी मंगवाने के लिए स्टेडियम में बुलाया गया था। वे लड़के कलेक्टर और एस० डी० पी० के बुलाने पर स्टेडियम गये थे और वहां पर उनकी पिटाई की गई थी। कलेक्टर और एस०-डी० पी० ने मुझको स्वयं को यह कहा है इसलिए जो कुछ भी जवाब दिया जा रहा है वह इस संदर्भ में बिलकुल झूठा है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर मन्त्रीजी जवाब दें, तो ठीक रहेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया है कि विधान सभा के दो माननीय सदस्य मुझे मिले थे और उनसे मैंने अर्ज किया था कि मुझे डिटेल्स और स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज दे दें तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जांच कराऊंगा। मैंने यह भी कहा था कि निष्पक्ष जांच कराऊंगा और कलेक्टर से नहीं कराऊंगा। उसके बाद खुद माननीय सदस्य जो उस इलाके से आने वाले हैं उन्होंने कलेक्टर के पास जो ज्ञापन पेश किया था तो उसके बारे में कलेक्टर ने चिट्ठी से उनको यह जवाब दिया है वह १९ फरवरी १९७० का है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : हमने कहा था कि पेम्फलेट ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने चिट्ठी लिखी है—

श्री रामप्रसाद बोहरा,

सदस्य, विधान सभा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने पढ़ी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ...आपके उपरोक्त विषय में प्राप्त प्रकाशित ज्ञापन के संबंध में उल्लेख है कि जिन-जिन लोगों के घरों में घुस कर पुलिस द्वारा मार-पीट और दुर्व्यवहार आदि करने की शिकायतें हैं उन लोगों को अथवा उनसे प्राप्त दरख्वास्तें आप इस कार्यालय में भिजवा दें ताकि प्रत्येक के ऊपर कार्यवाही शीघ्र ही की जा सके।

इस सम्बन्ध में आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी निवेदन किया है और मैं आपको और आपकी मारफत झालावाड़ के नागरिकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि किसी भी राजकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी द्वारा कोई नाजायज या गैर कानूनी कार्यवाही को गम्भीरता से लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी हर कार्यवाही की शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष रूप से जांच कराकर सारी कार्यवाही करूंगा।

सद्भावना के साथ,

भवदीय,
टी० रामचन्द्रन

यह कलेक्टर ने लिखा है १९ तारीख को और उसका जवाब आज तक उनको नहीं दिया गया है।

तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं और दो माननीय सदस्य जो मुझ से मिले थे उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप मिलें तो मैंने आपसे स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज मांगे थे और कलेक्टर से भी मिले तो कलेक्टर ने चिट्ठी लिखकर स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज मांगे थे और मैं फिर भी उनसे अर्ज करता हूं कि आज भी स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें और स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट दें तो निष्पक्ष जांच कराऊंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप यह बता दीजिये कि "आवाज स्टेडियम" में सिपाही ने माफी मांगी या नहीं ? यह बता दीजिये कि क्या पुलिस ने १५ तारीख को विद्यार्थियों को पीटा तो स्टेडियम में उसने १६ तारीख को माफी मांगी या नहीं "आई एम सारी" कहा था नहीं ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है तो मैं खुद उनसे मिला था....

श्री हीरालाल देवपुरा : स्टेडियम में किसी सिपाही ने माफी मांगी या नहीं इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। जितनी जानकारी थी आपको दे दी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्टेडियम में चले गये। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि कलेक्टर और एस० डी० ओ० ने स्टेडियम में विद्यार्थियों को बुलाया और उन्होंने एक सिपाही से माफी मंगवाई। दो हजार के करीब विद्यार्थी वहां आये और स्टेडियम में सिपाही से माफी मंगवाई।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न है। क्या गृह मंत्रीजी यह विचार करने की कौशिश करेंगे कि जो आपने नाम बताये हैं, मुझे नहीं मालूम। कलेक्टर महोदय वहां पर थे वे बोले कि रेकार्ड देख लो कि कौन कौन थे, इसलिए क्या क्या हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : गृह मंत्रीजी।

श्री आईदानसिंह : वे चूरू में थे तो वहां पर क्या हुआ, वे जालौर में रहे हैं तो वहां पर क्या हुआ? वे ही हथकण्डे उन्होंने यहां पर अपनायें हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : गृह मंत्रीजी ने फरमाया कि कलेक्टर से हम लोग मिले और उन्होंने इस प्रकार से पत्र लिखा है कि जो घटना हुई है उसके डिटेल्ड समाचार दें, तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कलेक्टर ने स्वयं ने लाठी चार्ज करवाया है उनको हम क्या सबूत दें। जुगलकिशोर वहां पर कलेक्ट्री के अन्दर क्लर्क हैं तो उनके बच्चे के चोट आ गई और फेक्चर हो गया। उनके पास जब यह बात पहुँची कि जुगलकिशोर के बच्चे के हाथ में चोट आई है और वह जुगलकिशोर कलेक्ट्री के अन्दर बाबू हैं तो उनसे उन्होंने कहा कि अगर तुमने स्टेटमेंट दिया और दूसरे लोगों से मिले तो मैं बाड़मेर भिजवा दूंगा तो आप कल्पना कीजिये....

कलेक्टर के सामने कैसे यह लोग सही बात कह सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, आपका भी स्पष्टीकरण हो गया।

चर्चा समाप्त हो गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय लोग यह सोचते हैं कि नौकरी से बरखास्त हो जायेंगे, इसलिए शिकायत मत करो!

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! चर्चा समाप्त हुई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई लिख कर नहीं दे तो क्या सरकार जांच नहीं करना चाहती है, निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कराना चाहती है?

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय जो शहर में इन्सपेक्टर हैं...

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी!

श्री रामप्रसाद बोहरा : उन्होंने लोगों को लाठियों से मारा है, घरों में घुस घुस कर बच्चों को लाठियों से मारा है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई !

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार की बात कहते हैं तो अफसोस होता है। इस सदन में तथ्य मांगे जायं, सत्यता बताने के लिए कहा जाय····

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कलेक्टर को बचाने के लिए, एस० पी० को बचाने के लिए राजस्थान सरकार इस सदन में गलत स्टेटमेंट दे और सत्यता को छिपाये, तथ्यों को छिपाये इससे ज्यादा लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती है। यह जितनी सत्यता की बात करते हैं

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन इस सदन में जो राज्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया वह इस बात का संकेत करता है कि सत्यता और तथ्य को छिपाया गया है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे ज्यादा राजस्थान सरकार के लिए लज्जाजनक बात नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। भाषण नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की जानकारी चाहता हूं····

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची है इसमें मगनलाल सिपाही है, राधेश्याम, रज्जा....

श्री अध्यक्ष : क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : इन बीस आदमियों ने मारा है वहां बच्चों को।

श्री अध्यक्ष : नाम हैं। हो गया।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। इस सदन में पुलिस के खिलाफ, कलेक्टर के खिलाफ जिस-जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं, क्या इस आधार पर इस विधान सभा में आरोप लगाये जा रहे हैं कि यह किसी प्रकार का महत्त्व नहीं रखते हैं ? क्या महत्व के आधार पर, सीरिअसनैस के आधार पर गवर्नमेन्ट के लिये यह पर्याप्त नहीं है कि इस सारे केस की जांच करने के लिये वह किसी प्रकार की घोषणा करे ? क्या गवर्नमेन्ट ऐसा सोचती है कि सदन में जो आरोप लगाये जाते हैं और जो तथ्य रखे जाते हैं वह गैर जिम्मेदारी से रखे जाते हैं ? इस सम्बन्ध में मैं अध्यक्ष महोदय मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इस प्रकार की कार्यवाही को गैरजिम्मेदाराना कार्यवाही समझते हैं और इस प्रकार के तथ्यों को किसी प्रकार से महत्त्व नहीं देते हैं जिसके आधार पर कि राज्य सरकार इन्क्वायरी कराने के लिये किसी प्रकार का आश्वासन दे सके ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो इस विधान सभा में माननीय सदस्य बात कहते हैं मैं उन्हें गम्भीरतापूर्वक लेता हूं और इन्हें जिम्मेदारी की बात मानता हूं। इसीलिये मैं यह कह रहा हूं कि आप मुझे डिटेल्स और स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज दे दें।

श्री भैरोंसिंह : डिटेल्स में क्या स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिये जायं जब कि इस हाउस में सब बातें कह दी हैं और जो आरोप लगाये हैं वह आपके सामने हैं ?

Page No 66

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीडिंग्स में आ गया है वह प्रोसीडिंग्स देख कर मैं जांच कराने के लिये विचार कर लूंगा। लेकिन यह विचार करने की बात है कि आप जानकारी नहीं देना चाहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ यह चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाय। माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्स्टान्स और डिटेल्स नही दें तो क्या किया जाय— यह आप बता दीजिये। फिर भी मैं प्रोसीडिंग्स देख कर विचार कर लूंगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जो पेम्पलेट है जिसे आज दे सकते हैं वह अभी हैंडग्रोवर कर देते हूं। लेकिन आप एक चीज का विश्वास दिलायें कि क्या कलेक्टर को अलग करके या उसके रहते हुए इस मामले की जांच करायेंगे? मैं यह एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर को हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दें कि जांच किसके द्वारा करवाना चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर से नहीं, किसी दूसरे अधिकारी से।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे अधिकारी से?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलेक्टर से सीनियर ऑफिसर से जांच कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा ऑफिसर?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुपर टाइम स्केल के ऑफिसर होते हैं उनसे कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : सुपर टाइम स्केल के कलेक्टर होते हैं क्या उनसे जांच करायेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुपर टाइम स्केल के ऑफिसर मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : सुपर टाइम स्केल में तो कई ऑफिसर बैठे हैं, आप जांच किससे करायेंगे? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हो और दूसरी तरफ कलेक्टर राज्य सरकार को गलत इन्फोर्मेशन दे— यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। कलेक्टर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, एस. पी. ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने और जनता के लोगों ने अपनी आंखों से इस सारे काण्ड को देखा है— उनको कैसे झुठलाया जा सकता है? मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट जान-बूझ कर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है, ऐसे आफिसरों को प्रोटेक्शन दे रही है जो ऐसा समझते हैं कि भले हो जनता के साथ में किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार करो, राज्य सरकार में गृह मन्त्रीजी बैठे हैं, राज्य मन्त्री बैठे हैं वह प्रोटेक्शन देने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यह विधान सभा ऐसे गलत आदमियों को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है। हम इस विधान सभा में इसलिये बैठे हैं कि जो भी आदमी गलत कार्यवाही करता है उसको कन्डेम करें और गलत कार्यवाही करने वाले व्यक्ति की जांच करके उसको सजा देने के लिये राज्य सरकार को मजबूर करें....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य!

श्री भैरोंसिंह : लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि गलत आदमियों

(श्री भैरोंसिंह)
की कार्यवाही को, गलत कार्यवाही करने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्शन देने के लिये इस विधान सभा के फ्लोर का उपयोग मन्त्री महोदय कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन का ही नहीं, आपका, इस सदन का और इस सदन के माननीय सदस्यों का बहुत बड़ा अपमान है। इस अपमान को हम सहने की स्थिति में नहीं हैं। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस काण्ड के सम्बन्ध में केटेगोरिकली इस सदन को आश्वासन दें कि अमुक अधिकारी से जांच करायेंगे ..

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हुआ !

श्री भैरोंसिंह : और इस सारे मामले की जांच होगी। हम इस प्रकार मार पिटाई को सहन नहीं करेंगे। मार-पीट जिन लोगों के साथ की गई है उसके ऊपर आप सदा पर्दा डाल दें– इस चेष्टा को सफल नहीं होने दिया जायगा। यह संकेत मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ निवेदन कर रहा हूं कि आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स और डिटेल्स दे देंगे....

श्री भैरोंसिंह : सब आ गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो मैं सुपर टाइम स्केल ऑफिसर से इसकी जांच कराऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसा स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसके लिये, लाठी चार्ज के लिए कहते हैं कि घरों में जाकर मकानों में जाकर बच्चों को पीटा है, तो किसको मारा, किसने मारा– यह स्पेसिफिक इन्स्टान्स आने चाहियें। बाकी, जहां तक, अध्यक्ष महोदय, लाठी चार्ज का प्रश्न है, लाठी चार्ज हुआ है– यह कलेक्टर और एस. पी. मन्जूर करते हैं। लाठी चार्ज किया गया है वह सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से किया गया है। लेकिन घरों में जाकर मार-पीट की गई– उसके लिये तो बतायें !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपका यह मतलब है कि इस हाउस के अन्दर सारी एवीडेंस प्रोड्यूस की जाय !

श्री दामोदरलाल व्यास : जी कतई नहीं। जो पेम्फलेट छपा हुआ है वह दे दिया जाय....

श्री रामप्रसाद बोहरा : वह पहले ही पहुंच चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस पेम्फलेट का जिक्र कलेक्टर ने किया है उसके अन्दर स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सिद्धान्ततः गलत बात होगी कि इस प्रकार के मसले के अन्दर इस सदन के अन्दर दुराग्रह करें कि माननीय सदस्य जो सार्वजनिक महत्व के मसले को यहां उठायें उसके लिये सारी ऐवीडेन्स इस सदन में पेश करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं डिटेल्स चाहता हूं। मैं ऐवीडेन्स नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि किसके मकान में कौन घुसा और किसको मारा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह आप हमसे जानना चाहते हैं तो कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है, एस. पी. की क्या जिम्मेदारी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप चाहते हैं कि किसके मकान में कौन घुसा, किसको मारा– इसकी जानकारी माननीय सदस्य एक-एक घर में जाकर करें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहिये कि आपको मालूम नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : मालूम है।

श्री भैरोंसिंह : सब कुछ मालूम है....

श्री दामोदरलाल व्यास : जो आप कह रहे हैं वह तो मैं सुन रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में ही नहीं–इस सदन में तो डिटेल्स देखें ही, इस सदन से निकलते वक्त बाहर भी डिटेल्स देंगे। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि किसी के मकान में पुलिस घुसे और लोगों को मारे तो यह काग्नीजेबल आफेन्स नहीं है और क्या पुलिस को यह केस रजिस्टर नहीं करना चाहिए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी की तो जांच कराऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें जांच का क्या प्रश्न है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : लोगों के घरों में घुस कर मारने का पुलिस को क्या अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कानून की....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस कानून की साधारण जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। जिस किसी को रिपोर्ट करनी है वह पुलिस में कर दें। वह प्रश्न ऑफेन्स काग्नीजेंस लेने का होगा तो वह करेंगे कार्यवाही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कानून यह भी कहता है कि अगर कोई जुर्म होता है और कानून तोड़ा जाता है, कोई काग्नीजेबल ऑफेन्स घटा है और उसके बारे में पुलिस में केस रजिस्टर नहीं हुआ है और उसकी जानकारी राज्य सरकार को, राज्य सरकार के गृह मंत्री को, राज्य मंत्री गृह को और होम कमिश्नर को किसी माध्यम से किसी भी तरीके से हो जाय और वह काग्नीजेन्स नहीं लें तो मैं समझता हूं कि उनका खुद का बड़ा भारी जुर्म होगा। आपको काग्नीजेन्स लेना होगा, आपको लेना चाहिए। मैं समझता हूं। यह हाउस जब सावरिन बोड़ी है और इस हाउस के अन्दर कोई मसला रखा जाता है तो उसकी जांच कराने का आश्वासन न देकर क्या आप इसका मखौल बनाना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करना चाहते है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में विदाउट एक्सेप्शन एक बात कह दी कि लोगों के साथ में जुल्म हुआ है, लड़कों को मारा गया है, गलत ढंग से लाठी चार्ज हुआ है, छात्रावास में घुस कर विद्यार्थियों को पीटा गया है और घरों में घुस कर मां बहिनों की बेइज्जती की गई है....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

Page No 69

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच कराने का सवाल कहां पैदा होता है जब यह प्रश्न प्रारम्भ से यह पैदा हो रहा है कि तेरह तारीख को विद्यार्थियों ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पुनरावृत्ति है। जो कहा जा चुका है उसकी पुनरावृत्ति है । अब समाप्त होती है चर्चा !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस लाठी चार्ज की पुनरावृत्ति करती है तो उसको न आप रोक सकते हैं, न गृह मंत्री उसको रोक सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी बात की पुनरावृत्ति करें तो इसमें आपको आपत्ति है। आप सोचें हम इस बात को कहां तक स्वीकार करें। इसलिए हम पुनरावृत्ति को करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता !

श्री मदनसिंह : मेरा एक सुझाव है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! विरोधी दल के नेता !

श्री मदनसिंह : विरोधी दल के होंगे। मेरे तो नहीं हैं। मेरा स्वतन्त्र रूप भी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : फिर आप उस पक्ष में चले जाइये।

श्री मदनसिंह : उधर बैठ जाऊँगा !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उधर बैठ जाइये !

श्री मदनसिंह : बाढ़दार साहब। इतना मत होइये, न आप मुझे उधर जाने से रोक सकते और न इधर बैठने से रोक सकते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो विचार सदन के सामने आये हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का सवाल है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अभी माननीय सदस्य, दांता साहब ने विरोधी दल के नेता के लिए अपमानित शब्द प्रयोग करते हुए कहा है मैं इनको नहीं मानता, मेरे नहीं हैं—यह सदन में व्यवस्था नहीं है। ऐसे कर्मठ, माननीय विद्वान और अनुशासित सैनिक व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बात कहना, मैं समझता हूं, सदन की गरिमा के खिलाफ है। मैं चाहूंगा कि दांता साहब स्वयं ही इन शब्दों को वापिस ले लें या आप कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : वह खुद ले लेते हैं नहीं तो फिर मैं कोई चिन्तन करता हूं।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, जब यह तीन संस्थायें एक थीं तब हमारे नेता थे, अब अलग अलग संस्थाएं हैं, जनसंघ की संस्था अलग हैं, उसके नेता अलग हैं, संसोपा अलग संस्था है, उनके नेता अलग हैं, बी. के. डी. अलग संस्था है उसके नेता अलग हैं। ये संस्थाएं अगर एक हो जायं

Page No 70

(श्री मदनसिंह)
और एक नेता को मान लें तो मैं इनको विरोधी दल के नेता मान लूंगा और माफी मांग लूंगा। क्योंकि आज ऐसा नहीं है, इसलिये मैं सही हूं। मैं जब बोल रहा हूं तो उनको नहीं बोलना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य यही चाहते थे। अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री **नत्थीसिंह** (भरतपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि जनसंघ के नेता अलग हैं, प्रसोपा के अलग हैं, बी. के. डी. के अलग हैं। लेकिन इस विधान सभा में आपने विरोधी पक्ष को मान्यता दी है, उसके नेता महारावल साहब हैं। तब माननीय सदस्य कैसे यह सवाल उठा सकते हैं ? यह जनतन्त्र है, जनता ने ज्यादा तादाद में जिनको चुन कर भेजा है उसी पार्टी के नेता विरोधी पक्ष के नेता होंगे। इसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है।

श्री **मदनसिंह** : इन प्रजातन्त्र के पुजारी को मैं कह देना चाहता हूं कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा तादाद में चुन कर भेजा है, फिर आपको उन्हें ही मानना चाहिये....

श्री **नत्थीसिंह** : उसके नेता सदन के नेता हैं।

श्री **मदनसिंह** : तभी रात दिन लखनऊ में हुक्मबाजी होती है।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : सदन के नेता हैं वे इस विधान सभा के नेता हैं....

श्री **मदनसिंह** : तभी रात दिन गालियां देते हो।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय विरोधी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नेता वेता के पचड़े को तो बिलकुल व्यर्थ मानता हूं। लेकिन यहां जो झालावाड़ के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने उग्रता व्यक्त की है और खास कर के जनसंघ के सम्माननीय नेता ने वक्तव्य दिया है उसको मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। साथ ही गृह मंत्रीजी के वक्तव्य को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। इधर की तरफ गृह मंत्रीजी कहते हैं कि स्पेसिफिक इन्स्टान्स दिये जायं तो स्पेसिफिक इन्स्टान्स एक से कहीं अधिक दे दिये गये हैं इस प्रकार के स्पष्ट आरोप लगाये हैं कि स्टुडेन्टस को माफी मांगने के लिये स्टेडियम पर बुलाया गया, इसके बारे में दर्याफ्त करें कलेक्टर से जिम्मेदारी के साथ यहां सम्माननीय सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि उस व्यक्ति की निष्पक्षता संदिग्ध है....

श्री **अध्यक्ष** : भाषण तो इस पर नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भाषण तो नहीं करता। मैं आशा करता हूं कि आप सदन के माननीय सदस्यों को संतुष्ट करें। मैं पिन डाउन नहीं करना चाहता आपको कि आप किसी इन्डिविज्युअल आदमी का उल्लेख करें पर इस सब मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाय। स्पेसिफिक इन्स्टान्स सदन की प्रोसीडिंग्स में आ चुके हैं, उनको मान कर, उन पर पूरी एन्क्वायरी करायें। सीनियर ऑफिसर के द्वारा आपने जांच कराने बारे में कहा कि आप इस स्थिति में नहीं हैं....

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यह मैं कह चुका हूं नेता महोदय!

श्री दौलतराम सारण : गृह मंत्रीजी महसूस करेंगे....

श्री मदनसिंह : अब ये कौन बोल रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : गृह मंत्री जी यह महसूस करेंगे कि यह कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं है। लाठीचार्ज हुआ उसमें विद्यार्थियों को पीटा गया। झालरापाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको स्वयं को मुख्य मंत्रीजी को और जिलाधीश को लिखित में दिया है कि किन-किन लड़कों को उनका पीछा कर के उनके घरों में घुस कर पीटा....

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा माननीय सदस्य ने कोई लिख कर नहीं दिया है कि किन-किन लड़कों को पीटा गया, डिटेल्स में नही दिया गया है। कलेक्टर ने उनको लिखा कि उनकी एप्लीकेशन हमको भेजी जायें पर उन्होंने अभी तक नहीं भेजा है। मैंने खुद ने कहा है कि कलेक्टर के पास नहीं तो हमारे पास भेज दें।

श्री दौलतराम सारण : छपे हुए पर्चे भेजे हैं, लिखित में दिया है, पत्र दिये हैं। क्या ऐसे पागल हैं कि बिना किसी कारण, अकारण ही कर रहे हैं, यों ही वहां हड़ताल हो गई....

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा काफी हो गई।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य जो तथ्य यहां प्रस्तुत करते हैं उनके बारे में आपको जांच करवानी चाहिये।...

श्री अध्यक्ष : जो स्पष्टीकरण करना चाहिये, वह किया जा चुका है, चर्चा समाप्त हुई।

श्री मदनसिंह : सरकार का पक्ष तो यह कह रहा है कि हमको लिख कर दें...

श्री दौलतराम सारण : निर्णायक ये हैं या आप हैं।

श्री मदनसिंह : निर्णायक में ही होऊंगा किसी दिन याद रखिये।

श्री अध्यक्ष : चार-चार माननीय सदस्य एक साथ बोलते हैं तो मैं नियन्त्रण करने में क्षमता महसूस नहीं करता।

श्री नत्थीसिंह : आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं इस प्रवृत्ति को ?

श्री अध्यक्ष : मैंने तो बड़ा गर्व किया है।

श्री दौलतराम सारण : इतना बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो, छात्रों को उनके मकानों में घुस घुस कर पीटा जाय, घसीटा जाय, औरतों को बेइज्जत किया जाय, इस प्रकार के स्पष्ट आरोप यहां सदन में लगाये गये फिर आप लिखित में कौनसी शिकायत मांगते हैं ? भादरा, सांगरिया और चूरू में गोली काण्ड हुए, उनके बारे में किसने लिख कर दिया। वहां के बारे में आपको लिखा कर लेना चाहिये था। तो आप जो इस तरह की दलील दे रहे हैं, वह सही नहीं है। आपको आम जनता के रोष को महसूस करना चाहिये। जो ज्यादतियां क्रूरताएं हुई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच करवा कर दोषियों को सजा देनी चाहिये।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा वाका है....

श्री अध्यक्ष : एक बात मेरी सुन लीजिये।

Page No 72

श्री मदनसिंह : मैं सब की सुन रहा हूं ...

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य एक बार बोलें, दूसरी बार नहीं बोल सकते। फिर महत्वपूर्ण बात हो तो फिर बोल लें लेकिन तीन, चार, पांच, छः बार बोलें इस पर कभी नियन्त्रण नहीं हो सकता।

श्री मदनसिंह : इस पर कमेंट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स पूछना चाहती है तो माननीय सदस्यों के भाषण हैं वे लिखित रूप में मौजूद हैं, सबने कहा है, सबकी कापी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह जो बातें हैं, फोटोज आये हैं, वह सब गृह मंत्री जी के पास हैं।

श्री मदनसिंह : यह ऐसा वाका है जिसको सब जानते हैं, इसलिये सबने यहां हल्ला किया पर मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर राजस्थान के किसी गांव में ऐसी घटना हो जाय और वह यहां सदन के सामने नहीं आये तो क्या गृह मंत्री जी उसमें कार्यवाही नहीं करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह सतीशचन्द्रजी ने कह दिया।

श्री मदनसिंह : क्या कलेक्टर नहीं रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह हो गया।

चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह : चर्चा समाप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुई तो आप कहें जैसा करें। मैं बैठा रहूं ?

श्री भैरोंसिंह : आपको नाराज होने का मौका नहीं देंगे। हमको अपने आप निपटने दें।

श्री अध्यक्ष : बाहर जाने की इजाजत दे दूं किसी को ?

श्री नत्थीसिंह : जो स्थिति उत्पन्न हुई है। उसको समाप्त किया जाना चाहिये। उसको समाप्त इस तरीके से किया जा है। गृह मंत्री जी ने जो कहा उससे इस तरह की भावना प्रकट होती है कि पुलिस को छूट है वह डंडे मारे।

वहां किसी व्यवस्था के कारण किया होगा हमको प्रोसीक्यूटर बनाया और आपका और आपकी पुलिस का सारा खर्चा मन्जूर करते हैं इसलिए मन्जूर करते हैं कि आप शांति व व्यवस्था रखें और जनतंत्र में नागरिक की जो इज्जत है, जो सम्मान है, उसको बरकरार रखें। इस तरह की क्रूरता हो और आप शांत हो जांय। इसलिए निवेदन है कि आप कहें कि वहां क्रूरता हुई है तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से अविलंब एक्शन लेंगे और कलेक्टर और एस० पी० महोदय को आप जयपुर में बुला लें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : और स्वतंत्र रूप से जांच करायें।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यदि इस तरह की कार्यवाही हुई तो....

Page No 73

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेढ़ घंटे से यह प्रश्न चल रहा है, सारे विरोधी दलों की तरफ से मांग उठाई जा रही है, स्पेसी-फिक इन्सटान्सेज पूछे जा रहे हैं, उसके बाद भी खेद का विषय है कि गृहमन्त्री की तरफ से कैटेगोरीकली जांच के संबन्ध में किस अधिकारी से कब तक जांच करायेंगे इस बारे में सदन में स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते। तीन सालों से राजस्थान में जितनी ला-एण्ड-आर्डर सिचूएशन डिटेरियोरेट हुई है ७ मार्च, १९६७ से लेकर आज तक राजस्थान में गोलीकांड पर गोलीकांड, लाठीचार्ज पर लाठीचार्ज अश्रु-गैस पर अश्रु गैस, विद्यार्थियों पर, बच्चों पर, औरतों पर तीन साल से राजस्थान में शांति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, राजस्थान में कोई ला-एण्ड-आर्डर सिचूएशन नहीं है। इतना डिटेरियोरेशन ला-एण्ड-आर्डर सिचूएशन में इन तीनों साल में हुआ है कि शायद हिन्दुस्तान में बंगाल को छोड़ कर किसी प्रान्त में होगा। सदन में डेढ़ घंटे से कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं इसमें एक बात और जोड़ दें कि तीन साल से समाज विरोधी तत्वों की हरकतें जितनी ज्यादा बढ़ी हैं, पहले कभी नहीं हुई....

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आपकी निष्क्रियता के कारण है।

श्री दामोरलाल व्यास : (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) आप बैठे जायें।

श्री रामकिशन : मुझे डांट रहे हो क्या ? पुलिस का रंग तो नहीं चढ़ा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने साफतौर से कहा है....

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह लड़के आपके भी हैं, वह नागरिक आपके हैं। क्या झालावाड़ राजस्थान में नहीं है, क्यों बैठे हो बोलते क्यों नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री स्पष्टीकरण कर रहे थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। मैंने कैटेगोरीकली कहा है कि जितने भी स्पेसीफिक इन्सटान्सेज हैं, माननीय सदस्य अगर यहीं सदन में कहते हैं तो उसकी कापी मुझे मिलनी चाहिये। मैं उसके बेसिस पर जांच कराऊंगा। स्पेसीफिक इन्सटान्सेज ऐसे हों कि घरों में घुसकर पुलिस ने ज्यादती की उनके स्पेसीफिक इन्सटान्सेज जितने सदन में आ गए और कोई लिखकर भेज देंगे उनकी जांच में किसी उच्च अधिकारी से कराऊंगा जो सुपर टाइम स्केल का अधिकारी होगा....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कलक्टर का ट्रांसफर होगा या नहीं ? यदि आज गृहमंत्री ने...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, इस तरह से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
झालावाड़ के अन्दर जुल्म और अत्याचार हो और गृहमन्त्री दवायें +++

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न किया जाय। चर्चा समाप्त हुई कडाना बांध।

श्री देवीदत्त गाड़िया: ++++

श्री अध्यक्ष : शांतम् शांतम्। कडाणा बांध। चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय +++

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री श्रवणलाल: +++

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मुझे बोलने दिया जाय +++

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा: +++

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

(श्री मदनसिंह दांताके बोलने पर) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। आगे चलने का मुझे मौका दें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : वहां पर+++

श्री अध्यक्ष : वहां पर कुछ नहीं है। अंकित न किया जाय।

श्री रामप्रसाद बोहरा: +++

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं विनम्र शब्दों में....

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ माननीय गृह-मन्त्री ने कहा है, उसके लिए तो मैं समझता हूं आपको भी इस बात का संतोष नहीं हुआ होगा कि सदन की भावनाओं का जिस प्रकार आदर किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से उस प्रकार का आदर नहीं किया गया। इस सदन में व्यवस्था के नाते आपको बार बार आदेश देने पड़ते हैं और अध्यक्ष महोदय, आप निश्चित रूप से मान कर चलें कि हम आसन के आदेश का जब पालन नहीं करते हैं तो हमें रंज होता हैं....

श्री अध्यक्ष : मेरा भी धैर्य अधैर्य नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : विरोधी दल का धैर्य और आपका धैर्य बराबर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका धैर्य मेरे धैर्य से परे है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी हालत में क्या धैर्य की पहचान है और आप हमारा सहयोग चाहते हैं, आप अपने पद के अनुसार इस

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरोसिंह) सरकार को इस बात का आदेश दें कि सदन की भावनाओं का आदर यदि नहीं किया गया तो निश्चित रूप से सदन में जिस प्रकार प्रक्रिया के आधार पर आप संचालन करवाना चाहते हैं, उसमें कुछ समय के अंदर कई प्रकार की बाधायें उपस्थित हो सकती हैं इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से सरकार पर इस प्रकार का प्रभाव डालें जिससे सरकार इस सदन की भावनाओं के अनुरूप आचरण करे और सदस्यों को संतोष दिलाये कि इस मामले में अमुक अधिकारी से जांच करवायेंगे, कुछ मुद्दे गृह मंत्री ने स्वीकार किए हैं कि सदन में जो बातें हुई हैं उनकी वह कॉग्नीजेन्स लेंगे और माननीय सदस्य यदि जानकारी देंगे तो उसे आधार पर जांच कराऊंगा लेकिन वह अधिकारी कौन होगा अधिकारीगण उसी स्थिति में बने रहे तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी ?

श्री मदनसिंह : भ्रम है कि एस. पी. के रिलेशन्स....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ पर चार्ज लगाया है कि मैं सदन की भावनाओं की इज्जत नहीं कर रहा हूं या आदर नहीं कर रहा हूं। मैं बराबर आदर करता हूं और करता आया हूं। मैंने सदन में इस बात को तस्लीम किया है कि जो उदाहरण माननीय सदस्यों ने दिए हैं, किसी सुपर टाइम स्केल के अधिकारी से जांच कराऊंगा और वह रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर जांच करेगा और चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड, जिसको नामीनेट करेंगे, उससे करवायेंगे।

श्री रामकिशन : यह जो रिपोर्ट है कितने दिनों में देंगे ? जांच का समय क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक महीने में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेनी वाइज एण्ड पाऊंड फुलिश। डेढ़ घंटा पहले आप कह देते तो क्या हो जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुपर टाइम स्केल का मतलब मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू से है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेढ़ घंटा क्यों लगाया ? बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच कराने के लिए पहले कह देते। पेनी वाइज पाऊंड फुलिश।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कडाणा बांध के निर्माण संबंधी

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा की हजारों एकड़ भूमि राजस्थान व गुजरात सरकार के तथाकथित इकरारनामे के अनुसार गुजरात में बन रहे कडाणा बांध की डूब में आ रही है। वहां के हजारों नागरिकों के सम्मुख विस्थापित होने की भयंकर समस्या उत्पन्न होने वाली है। इकरारनामे के अनुसार न तो राजस्थान में माही नदी पर बजाज सागर जल विद्युत योजना प्रारम्भ हो रही है और न नर्मदा विवाद का ही कोई हल निकाला है। केवल कडाणा बांध का निर्माण कर आदिवा-

Page No 76

(श्री नाथूराम)

सियों को तबाह करने की यह योजना प्रारंभ क्यों कर दी गई है ?

इस सम्बन्ध में मेरे अन्तिम प्रश्न दिनांक ९ मार्च, १९७० का लिखित उत्तर भी सरकार की ओर से, संतोषप्रद नहीं दिया गया है।

यह प्रकरण विधान सभा में विगत २ वर्षों से बराबर उठाया जाता रहा है। गुजरात में बांध का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है किन्तु हमारी राज्य सरकार ने अब तक अपने क्षेत्र व नागरिकों की सुरक्षा के निमित्त कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं इससे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष एवं भय व्याप्त हो रहा है। यह मामला अत्यन्त लोक महत्त्व का है। अतः माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव की सूचना देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कडाणा बांध के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर आपने मेरे कर्तव्य का पालन करने के लिये समय प्रदान किया है उसके लिये मैं तथा आदिवासी क्षेत्र के हजारों आदिवासी वगैरा सदन के बहुत बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बारे में पिछले दो वर्षों से बराबर चर्चा होती जा रही है। इस आदिवासी क्षेत्र की समस्या से सब माननीय सदस्य परिचित हैं। २५-८-६९ को मैंने इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा भी उठायी थी और संकल्प भी दिया था उसका एक मात्र कारण सरकार के द्वारा जो भयंकर भूल हुई है उसका समाधान करना चाहा था। सरकार ने विश्वास दिलाया था कि कडाणा बांध की ऊंचाई कम कराई जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की गलती को बताना चाहूंगा। सिंचाई मंत्रीजी ने २५ अगस्त, १९६९ को यह बताया जो सदन की प्रोसिडिंग्स के स्कम्भ संख्या २७४ में यह अंकित है :

"यह भी उचित समझा गया कि उक्त सर्वेक्षण तीन जल धाराओं के लिये अर्थात ४१९ फीट, ४१० फीट और ४०० फीट के लिये किया जाये ताकि एक-एक बार फिर से दोनों राज्य सरकारें इस विषय में विचार-विमर्श करके अन्तिम निर्णय ले सकें। इसमें यह बात भी शामिल है, इस ४१९ फीट, ४१० फीट और ४०० फीट बल्क वाटर से जो फ्लड आयेगा उससे कितनी और भूमि और सम्पत्ति प्रभावित होगी, उसका सर्वेक्षण किया जाये।"

जैसा प्रोसिडिंग्स में ४१९ फीट का सर्वे कराया, ४१२, ४१० और ४०५ का सर्वे कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा प्रोसिडिंग्स में बताया गया है ४०० का सर्वे नहीं कराया गया है। सिंचाई मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने सदन में और सदन से बाहर भी कडाणा बांध की ऊंचाई को कम करने के लिये आश्वासन दिये थे जो समाचार पत्रों में भी समय समय पर प्रकाशित हुए थे। इस हाउस में चर्चा होने लगी। गत वर्ष डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूब संघर्ष समिति का संगठन बनाया गया। उसके बीस हजार सदस्य बन गये और अपने क्षेत्र के प्रभावित नागरिक बड़ी से बड़ी कुरबानी करने के लिये तैयार हैं।

(श्री नाथूराम)

सर्वे के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं। राज्य सरकार के द्वारा सर्वे की गई और लगभग ७ लाख रुपया खर्च हुआ। गुजरात में भी सर्वे की गई लेकिन राजस्थान में १० साल तक कोई सर्वे नहीं की गई जब कि गुजरात में दस साल पहले ही सर्वे शुरु कर दी गई। हाउस में चर्चा होने पर बताया कि सर्वे पर सात लाख रुपया खर्च हुआ और ७ लाख और खर्चा होगा तब काम पूरा होगा। जिस गति और ढग से सर्वे होना चाहिये उस तरह से सर्वे नहीं किया गया है। दिसम्बर ७० में सर्वे पूरा हो जाना चाहिये लेकिन अब तक आधा काम हुआ है २५-८-६९ को यह सूचना दी कि ४१९ और ४१० का सर्वे कराया जावेगा जो सर्वे कराया गया वह भी अधूरा था। कितनी सम्पति और भूमि इसके डूब में आवेगी उसके आंकड़े देने में भी असमर्थता प्रकट की। गुजरात का टेक्निकल डेटा आने के बाद पूरी सूचना दी जावेगी। राज्य सरकार से आंकड़े मिले हैं उसमें यह बताया गया है कि गुजरात से टेक्निकल डेटा आने के बाद सारी स्थिति की जानकारी दी गुजरात सरकार ने सन् १९५८ में प्रभावित क्षेत्र के धरातलों की सर्वे की थी और राजस्थान सरकार ने भी सर्वे की। दोनों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है। जो विवरण उन्होंने दिया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। गुजरात सरकार के सर्वे के अनुसार, ६८-६९ के सर्वे के अनुसार जो पुराने रिकार्ड के अनुसार सर्वे किया था उन्होंने, १२१ गांव बताये और राजस्थान के सर्वे के अनुसार १२८ गांव बताये। इस प्रकार ७ गांव का अन्तर है। राजस्थान ने ७ गांव अधिक बताये हैं। इसी प्रकार से प्रभावित घरों की संख्या गुजरात सरकार ने १०८५ बताये और राजस्थान सरकार ने ६८५ बतायी। इस प्रकार ४०० का डिफरेंस इसमें है राजस्थान ने ४०० कम बताये हैं। गुजरात सरकार ने १५३ कुएं बताये जब कि राजस्थान सरकार ने ४४५ कुएं बताये हैं। इस प्रकार २९२ कुओं का डिफरेन्स है जो कि राजस्थान सरकार ने अधिक बताये हैं। गुजरात सर्वे के आंकड़ों

(१.२८ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के अनुसार प्रभावित जन संख्या ६,८६३ है जब कि राजस्थान के सर्वे के अनुसार २१४५० है। १४५८७ जन-संख्या राजस्थान ने अधिक बताई है। प्रभावित क्षेत्रफल २९,६९४.९३ गुजरात सरकार ने बताया था जब कि राजस्थान सरकार ने दस साल के बाद २२,८९२.३८ एकड़ बताया। ६,८०२.५५ राजस्थान ने कम बताया।

उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य का विषय है कि प्रभावित घरों, कुओं और डूब में आने वाले गांवों की संख्या कम बताई गई है। या तो जमीन कम हो गयी, या जनसंख्या गुजरात में कम बताई या ज्यादा बताई मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि सर्वे संतोषजनक है या नहीं। जन संख्या में वृद्धि हुई है क्या सरकार इसको सही मानती है? सैटलमेन्ट ने पहले सर्वे की थी। राजस्थान सरकार ने सर्वे किया। सैटलमेन्ट आजादी के पहले रियासतों के जमाने में हुआ था। उसको २२ वर्ष हो गये। लेकिन अभी तक सैटलमेन्ट नहीं हुआ। खातेदार बताते हैं उनको इतनी जमीन डूबती है। जब आपकी ओर से सैटलमेन्ट नहीं हुआ तो

(श्री नाथूराम)
सही आंकड़े आप कैसे बता सकते हैं? वर्षों पहले सेटलमेन्ट हुआ था। जो नौतोड़ जमीन थी, मंगरियां थीं, लोगों ने श्रम करके काबिल-काश्त बनाया था।

आज अनाज पैदा हो रहा है। इस प्रश्न संख्या ३ में मंत्री महोदय ने सिंचाई की भूमि का ब्यौरा दिया है वह पुराने रिकार्ड के आधार पर बनाया गया है। बांसवाड़ा का सेटलमेंट पहले हुआ था तब तक पुराने रेकार्ड के आधार पर ही आंकड़े बताये गये हैं। जब तक सेटलमेंट न हो जाये तब तक सही स्थिति सामने नहीं आयेगी कि कितनी जमीन हमारी डूब में आ रही है। सेटलमेंट के जो आंकड़े हैं उस आधार पर ही सर्वे पार्टी ने सर्वे की है इसमें इंजीनियर का कोई दोष नहीं है। इसमें गलती राजस्थान सरकार की तरफ से है। जो दस साल पहले गुजरात ने सर्वे कराई थी उसका सेटलमेंट करना चाहिये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक प्रभावित क्षेत्र का सेटलमेंट न हो जाये सही स्थिति सामने नहीं आयेगी इसलिये मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे कराया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है उसमें आंकड़ों के लिये २०वां कालम बताया गया है लेकिन इस सूची में १७ ही कालम हैं। इसके बिना आंकड़े कैसे देखे जायें। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफा जवाब दिया जा रहा है। जो जवाब दिया जा रहा है उसके हर पाइंट में गलती है। सूची में १७ कालम दिये गये हैं और २०वां कालम देखने को कहा गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह हजारों गरीब लोगों का विषय है इसलिये आप कृपा करके सही आंकड़े बतावें।

कडाना की ऊंचाई कम करने के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था और राज्य सरकार द्वारा इसका उत्तर भी दिया गया और उसके समाचार अखबारों में भी निकले हैं। इस हाऊस में यह आश्वासन दिया था कि अभी राज्य सरकार के पास आंकड़े तैयार नहीं हैं और आंकड़े तैयार होने पर विचार किया जायेगा। सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। आप दो साल से यह कह रहे हैं। गुजरात सरकार को बांध बांधना था, उसने दस साल पहले की इसकी सर्वे करायी। इस हाऊस में यह आश्वासन दिया गया था कि ३१ दिसम्बर के पहले सर्वे करा ली जायेगी। जो आप सर्वे करा रहे हैं उसमें यह बतावें कि इस बांध के कारण प्रभावित क्षेत्र के कितने घरों के जन, सम्पत्ति, हजारों की तादाद में पेड़ होंगे। हमारे क्षेत्र में, दुष्काल में आदिवासी लोग आम और महुवे के फलों से गुजारा करते हैं। लाखों में ये पेड़ हैं। इसकी सर्वे आप साल भर में भी नहीं कर पायेंगे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे इस तरह से करावें कि प्रभावित क्षेत्र में कितना राजस्थान सरकार का पैसा खर्च हुआ है, कितना विकास पर हुआ है, कितना छोटे-मोटे सिंचाई के बांधों पर खर्च हुआ है, कितने स्कूल भवन बने हैं और इसके अलावा कितनी नवतोड़ जमीन को आबाद किया गया है? इसके अलावा हजारों की तादाद में पेड़ हैं। एक महुवे के पेड़ की एक हजार रुपये की कीमत है। इसी तरह से आम की भी है। हर साल फल देता है। गरीबों का निर्वाह

Page No 79

(श्री नाथूराम)

इसी से होता है। आगरा के पेड भी हजारों की तादाद में है। मैने सिंचाई मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा था और उनको यह बताया था कि १९४१ में जो फलड आया था, उसमें ४१६ फीट की ऊंचाई जो आप बता रहे हैं, वह इस से भी नीचा था। इसलिये सब तरह की सर्वे जब तक आप नहीं कर लेंगे तब तक आप गुजरात से किस तरह का मुआवजा चाहेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि २५-८-६९ को जो आपने कहा था उसकी दुबारा सर्वे करायें।

उपाध्यक्ष महोदय, पेज नं० २८२ पर सिंचाई मंत्रीजी ने यह बताया था, यह डिसीजन लिया गया, एग्रीमेंट किया गया, उस एग्रीमेंट के बारे में यह कहा था कि डूब में जो आने वाली जमीन है उसका मुआवजा दिया जायेगा। क्या सिंचाई मंत्री जी अपने पत्र १४-३-६८ के आधार पर दे सकने में समर्थ हैं? मैं कहता हूं कि अब भी सरकार कोई प्रामाणिक सूचना दे सकने की स्थिति में नहीं है। कारण, गुजरात से डेटा आने पर ही ये बात कह सकेंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय प्रभावित क्षेत्र की चर्चा २५-८-६९ को इस हाउस के माननीय सदस्यों ने करके सरकार को हर तरह से जानकारी दी है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि पहले जो बजाज सागर डैम का निर्णय किया गया था तो यह निर्णय था कि विद्युत का डैम भी बनाया जायेगा परन्तु बाद में यह निर्णय हटा कर केवल सिंचाई का डैम बनाने का ही निर्णय लिया गया और कडाना के रिजर्वायर के लिये जो प्रस्तावित किया गया है उस डैम से ३२ हजार एकड़ जमीन डूब में आयेगी और कडाना डैम से ३० हजार एकड़ जमीन डूबेगी और बैक वाटर से लगभग १३ हजार एकड़ जमीन और डूबेगी। इस तरह से गुजरात के फायदे के लिये लगभग ७५ हजार एकड़ जमीन राजस्थान की नष्ट हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह हजारों गरीब आदिवासियों का सवाल है। सिंचाई मंत्री महोदय ने जो आंकड़े बताये हैं वे आंकड़े कम हैं। गुजरात के फायदे के लिये हमें माही डैम बनाकर पानी देना पड़ेगा। गुजरात के फायदे के लिये हम अपना इतना नुकसान कर रहे हैं। डूंगरपुर—बांसवाड़ा क्षेत्र एक आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों के बीच में जो भूमि है वह उपजाऊ है। उस जमीन को उपजाऊ करने के लिये इन गरीबों के परिवार के परिवार खत्म हो गये और जमीन को आबाद किया और आज उस जमीन को गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिये डुबोया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आदिवासी लोग नम्रता से राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि उनकी रक्षा की जाये, उनकी जमीन की रक्षा की जाये, और इस डैम की ऊंचाई को कम कराया जाये और इस की ऊंचाई के कारण जो क्षेत्र प्रभावित होगा उनको बसाया नहीं जायगा तो आदिवासी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिये वे हर तरह से कुर्बानी देने को तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मार्च ६६ के तथाकथित एग्रीमेंट के बारे में सब जानते हैं, उसमें माही बांध के निर्माण में से बिजली का निर्माण, बिजली का उत्पादन अलग करने का निर्णय लिया गया था और नये सिरे से विचार हो रहा है और सिंचाई मंत्रीजी ने यहां बताया था कि पूरी योजना बनाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में।

श्री नाथूराम : गुजरात सरकार ने बांध की दस साल पहले सर्वे करायी थी लेकिन आज हमारे सिंचाई मंत्रीजी के पास कोई आंकड़े नहीं है। यह जो आंकड़े मैं बता रहा हूं गुजरात की पुस्तिका के आधार पर कह रहा हूं। मैं सिंचाई मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली का यह जो आइटम हटाया गया है वह गुजरात सरकार और भारत सरकार के दबाव के कारण किया गया है! इसलिये आप भी भारत सरकार को परस्यू कर इस कडाणा डेम की ऊंचाई को कम करावें नहीं तो आदिवासी लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा का जो विषय इसके साथ जुड़ा हुआ है इसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नर्मदा का जो गुजरात से पानी मिलने वाला है वह मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है, उसके सामने हमने भी अपना पक्ष रख दिया है इस पर कब तक निर्णय हो जायगा यह भी हमें पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप परिश्रम जरूर करते हैं लेकिन जो गलती नाथूरामजी मिर्धा ने कर दी है वह राज्य सरकार की गलती मानी जायगी। आप उस गलती को सुधारने के लिये परिश्रम करें। पहले आप उस स्थान का सेटेलमेंट कराइये उसके बाद में उसका सर्वे कराइये। इस तरह की सर्वे कराने के बाद ही सही स्थिति का पता चल जायगा। केवल आंकड़े बता देने से काम नहीं चलेगा। वहां करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती कि कडाणा डेम का काम स्थगित करा देना चाहिये। जो आदिवासी जनता की तरफ से जो मांगे है वे मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं....

(१) गुजरात में जो काम चल रहा है उसको स्टे करवाया जाय।

(२) मार्च ६६ में जो एग्रीमेंट किया गया था राज्य सरकार द्वारा उसको तुरन्त रद्द कर दिया जाय और उसके स्थान पर नया एग्रीमेंट किया जाय।

(३) माही योजना का प्लान प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत करा कर जब तक उस प्रदेश के लिये माही योजना प्लान स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक कडाणा डेम का बान्ध का काम स्टे होना चाहिये।

(४) जब तक माही की स्वीकृति प्लानिंग कमीशन से न हो जाय गुजरात में बन रहे कडाणा बान्ध का कार्य स्थगित रहे।

(५) गुजरात में कमान्ड एरिया के अन्दर माही व कडाणा के विस्थापितों के लिये भूमि आरक्षित रखवाई जाय।

(६) गुजरात सरकार के व्यय पर विस्थापितों को मकान, कुआ, कृषि के औजार लाखों की तादाद में फलदार आम, महुए आदि के पेड़ का समुचित मुआवजा आदि उपलब्ध कराया जाय।

(७) पुनर्वास का प्रश्न पहले तय किया जाय, पुनर्वास समिति पुनर्गठित की जाय,

(श्री नाथूराम)

जिसमें प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के प्रतिनिधि जन-प्रतिनिधि भी शामिल किये जायें।

(८) पुनर्वास के निमित्त ठोस एवं क्रियात्मक योजना इस प्रकार बनाई जाय कि प्रभावित नागरिक नए स्थान पर भली प्रकार बस कर विस्थापन से एक वर्ष पहले से अपने जीवन यापन की व्यवस्था प्रारम्भ करने लग जायें।

(६) स्थिति पर निगरानी रखने के लिये सदन के माननीय सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मांगें हैं वे सब वहां की जनता की आदिवासी, लोगों की मांगें हैं। जब तक उनकी मांगों की पूर्ति की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक भारत सरकार द्वारा कडाणा डेम का काम स्टे करवाया जाय। यह मैं सदन से निवेदन करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर ! यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इस पर चर्चा नहीं होती है।

श्री नाथूराम : यह महत्त्वपूर्ण विषय है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्त्वपूर्ण विषय है, इसकी कई दफा चर्चा हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं तो और ढंग से इसको सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम : मैंने अध्यक्ष महोदय के आदेश से यह प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबन्ध में जैसे नियम हैं उनके अनुसार जो माननीय सदस्य प्रस्ताव रखते हैं उनको मौका दिया जाता है उसके बाद उसका उत्तर दिया जाता है। इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है वह बिल्कुल उचित है जो सर्वमान्य होना चाहिये। सदन की यह परम्परा रही है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी आसन द्वारा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाता रहा है। अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कर सकें इस बारे में मैं अपने विचार भी व्यक्त करना चाहता हूं विशेष सदन का समय लेना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट से अधिक समय न लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पांच मिनिट छोड़कर मैं चार ही मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी ने जो भावना व्यक्त की है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। वे आदिवासी नेता हैं और वे उस प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। मैं कडाणा डैम, जहां पर बन-रहा है वहां पर, अब की बार गया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी गलियाकोट आदि क्षेत्र का भ्रमण करके आ गये। यह निर्विवादित बात है. यह भूमि माही नदी के दोनों तरफ है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की बहुमूल्य भूमि इससे

Page No 82

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह) :

प्रभावित होती है। ३२ हजार एकड़ भूमि माही जलाशय जो बजाज सागर डेम के नाम से प्रसिद्ध है उससे प्रभावित होती है उससे डूब में आती है। और कडाणा डेम द्वारा ३० हजार एकड़ भूमि डूबती है। इसके मुकाबले राजस्थान की ६२ हजार एकड़ भूमि डूबती है और गुजरात की १५ हजार एकड़ भूमि डूबती है। गुजरात सरकार ५७ करोड़ की लागत द्वारा बान्ध बना रही है। गुजरात सरकार पांच, छः सात वर्ष के अन्दर जो कुछ खर्च इस पर कर रही है उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान सरकार को अभी से ही इस क्षेत्र की पैमाइश करानी चाहिये और इस क्षेत्र के अन्दर कितने करोड़ रुपये की भूमि और फलदार वृक्ष, कुए तालाब आदि डूब में आवेंगे उसका अनुमान करके राज्य सरकार को अपना केस बनाना चाहिये।

उधर बजाज सागर डेम पर पौने दो करोड़ रुपया खर्च कर दिया है उसके लिये हम उसको केवल विचाराधीन विषय लेकर बैठे और उस बारे में कोई आगे निर्णय नही कर रहे हैं। और इधर कडाणा का काम ६ जनवरी, १६५६ से रात दिन तड़ी मार तौर से चल रहा है। आखिरकार राजस्थान सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है इस बारे में गुजरात सरकार से बैठकर बात करे और इससे जो बिस्थापित होंगे उनके लिये कोई न कोई व्यवस्था करे। यह मैं भी अनुभव करता हूं कि कडाणा बान्ध बनेगा और बनकर रहेगा। इस संबन्ध में लाख चर्चा आप करें कि यह कडाणा बान्ध न बनाया जाय यह अवास्तविक चीज होगी। मैं आपके द्वारा सरकार से पुरजोर शब्दों में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अगर इस बान्ध का लेबल एफ. आर. एल. ४१० रख दिया जाय तो इससे गुजरात के लक्ष्य की पूर्ति होगी और उसके साथ-साथ जो प्रभावित क्षेत्र है उनकी इस हद तक क्षति भी नहीं होती है, जिसके द्वारा आदिवासियों की बहुमूल्य भूमि हमेशा के लिये नष्ट हो जाय और हजारों आदिवासी परिवार एक तरह से शरणार्थी बन जांय।

इस संबन्ध मे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कडाणा बान्ध ४१० एफ. आर एल. से आगे बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल में राजस्थान की हानि अधिक होगी। हानि इतनी होगी कि उसकी क्षति-पूर्ति करना दुश्वार हो जायगा।

श्री नाथूरामजी मिर्धा ने ऐसा किया वे नहीं करते तो नहीं होता। यह मैं नहीं मानता जो हो गया सो हो गया। 'बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध लेय' इस कहावत के आधार पर हमको अब भी सोचना चाहिये। इस बारे में केबीनेट मेमो का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जिसके अनुसार यह बड़ा संदिग्ध विषय है। ६-६-६६ का मेमो है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है।

मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़कर और मुझे दो शब्द कहने हैं वे कह कर समाप्त करूंगा।

"The economic feasibility of the project is extremely doubtful. The estimated cost of the project has been shown as Rs. 29.56 crores. This is based on estimates prepared in 62-63. It is well known that there has been nearly 25% increases in the construction cost in the interven-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ing period and therefore on current prices, these estimates would have to increase by an equivalent proportion. Further the estimates were prepared before devalution and therefore the cost of the imported equipment particularly for power generation would increase substantially. Moreover, this project will take about 10 years to complete and on a very conservative estimate the construction cost during this period will rise further by at least 25%. Therefore I am quite confident in my mind that the project in its present shape can not be completed with an investment of less than Rs. 45 crores."

इसके साथ-साथ गुजरात का ५७ करोड़ है। आप २९ करोड़ की चर्चा कर रहे हैं तो एस्टीमेट के मुद्दे पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और यह मीमो आगे कहता है:

"The economic return has been calculated on the basis of the estimated cost of Rs. 29.56 crores (which as I have explained is totally unrealistic) and even this does not give a very encouraging picture. The return of the irrigation portion has been calculated at 1.08 per cent' which is extremely low by any standard. Even Nijlingappa committee has recommended that project with a return of less than 1.5 per cent' should not normally be sanctioned. After the project is completed the return would perhaps be reduced to only 0.7 per cent' on the power portion a fairly high return of 8.78 per cent' has been shown which on first sight appears to be extremely doubtful."

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुजरात सरकार यह भी हमको आश्वासन दे कि हम बाड़मेर जालोर आदि जिलों में नर्मदा का पानी लावेंगे तो यह सब आशा मात्र है। यह इन्टर स्टेटों के आपस में जो मामले हैं उनके डिस्प्यूट की हालत देश में एक्यूट होती जा रही है। नर्मदा का पानी गुजरात और मध्यप्रदेश से बचा हुआ राजस्थान के अन्दर आकर बाड़मेर और जालोर जिलों में जावे यह भी मेरे ख्याल में मृगतृष्णावत् है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से यह मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इसे देखते हुए यहां ऐसी बात नहीं कही जावे जिससे हमारे पक्ष पर असर पड़ता हो तो अच्छा रहे।

श्री नाथूराम (वागीडोरा) : सारा सदन विरोध कर रहा है, आप हमको डुबाना चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस कडाणा योजना के तथ्यों के बारे में राजस्थान सरकार पूर्णतया जानकारी करे। पुनर्वास के लिये जो व्यवस्था हो उदारपूर्वक करे और गुजरात को भी बाध्य करे कि गुजराती क्षेत्र में जो क्षेत्र इस बांध के द्वारा लाभान्वित होता है वहां पर राजस्थान के आदिवासी जनता के लाभ को प्राथमिकता देकर उनको विस्थापित करने की व्यवस्था करें इसके लिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करते हुए यह कहूंगा कि आज समय के हेरफेर के अनुसार भी राजस्थान सरकार

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की बारगेनिंग पावर बढ़ी हुई है क्योंकि राजस्थान में आज इण्डिकेटी सरकार है, उसका बारगेनिंग पावर बढ़ा हुआ है और गुजरात सौभाग्य से या दुर्भाग्यवश सिंडीकेटी है जो हमारे बारगेनिंग पावर के मुकाबले में कमजोर है, मेरे ख्याल से तो हम भारी पड़ेंगे, इसका लाभ हम उठाएं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपका सम्पर्क तो गुजरात के साथ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा तो किसी के साथ सम्पर्क नहीं है, न सिंडीकेट के साथ है न इण्डिकेट के साथ है। मैं चाहता हूं कि देश की और इस प्रान्त की जनता का हित हो, अधिक से अधिक हो वह व्यवस्था की जावे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सदन में कई बार तथ्यों के साथ आ चुका है। मैं इसलिये, नहीं चाहूंगा कि सदन का अधिक समय लिया जावे। मैं तो सिर्फ यह चाहूंगा कि दो तीन बातें साफ हो जानी चाहिये। क्षेत्रीय भावना की दृष्टि से कोई राजस्थान गुजरात के साथ अपने मामलों को हल करे, यह मैं नहीं चाहूंगा। सारा देश एक है। क्षेत्रीय भावना की दृष्टि से हमें कोई प्रश्न नहीं देखना है, न इस दृष्टि से कोई हल निकाला जावे इस में मैं विश्वास करता हूं। तो इस प्रश्न को क्षेत्रीय भावना से देखने के बजाय जो आदिवासी क्षेत्र में नुकसान होगा, और जो आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर असर पड़ेगा उस दृष्टि से हमें इस प्रश्न को देखना चाहिये। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासियों को जो नुकसान होगा उसका किस तरह से पूर्ति की जाने की बात सरकार सोच रही है, और इस बारे में अन्तिम रूप से क्या तय किया है यह सरकार स्पष्ट कर दे। भविष्य के आश्वासन पर चला नहीं जा सकता कारण कि इन इलाकों की आर्थिक स्थिति, उनका रहन सहन, उनके अपने विश्वास, उनके अपने तौर तरीके ऐसे हैं कि अगर उनको ठीक तरह से विस्थापित नहीं किया गया तुरन्त ही और एक साथ एक जगह उनको नहीं बसाया गया तो यह क्षेत्र बरबाद हो जावेगा। तीन चार साल से यह प्रश्न सदन में उठाया जा रहा है। जब कि दूसरे प्रान्त वालों ने महाराष्ट्र ने मैसूर वालों ने और दूसरों ने अपने-अपने पक्ष मे फैसले करवा लिये हैं तो राजस्थान सरकार क्यों इतनी सक्षम नहीं है कि मानवीय दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से और आदिवासी क्षेत्र का अपनी विशेष स्थिति और सुविधा की दृष्टि से दो तीन चीजों पर फैसला नहीं कर पाई।

कडाणा बान्ध की मौजूदा ऊंचाई है उसके बारे में जितना बांसवाड़ा डूंगरपुर से आने वाले कहते हैं कि इसका वहां की आदिवासी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और जब उनके कथन के अनुसार इतना प्रभाव पड़ेगा तो योजना आयोग के साथ बैठकर क्या राज्य सरकार कोई आल्टरनेट प्रोपोजल नहीं दे सकती ताकि इस क्षेत्र को बचाया जा सके और गुजरात सरकार को भी क्षति पहुंचाने की स्थिति न बने। इस पर सदन में पहले काफी प्रभावशाली चर्चा हुई। पर राजस्थान सरकार ने लगता है प्रभावशाली तरीके से केन्द्रीय

(श्री रामकिशन)

सरकार और योजना आयोग के सामने इस मसले को नहीं रखा। इसलिये आज गुजरात सरकार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और हमारा संकट आदिवासियों का संकट नजदीक आता जा रहा है। अब इसमें चाहे नाथूरामजी की गलती हो, या हरिदेवजी की गलती रही है हमें उसे सही में रूप देखना है। यह ठीक है कि निश्चित तौर से इन्होंने गलती की है। हरिदेवजी को उस क्षेत्र से मोह नहीं है। ब्राह्मण के वोट उनको मिल जावें और वे जीत कर अपने क्षेत्र से आ जावें इसके अलावा उनको आदिवासियों की चिन्ता नहीं है। वे तो चाहते होंगे कि आदिवासी लोग दबे रहें इस तरह से, तो उनका रास्ता ठीक रहे।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): यह ब्राह्मण की जाति की आप क्या बात करते हैं।

श्री रामकिशन: आप जब बोलें तब मेरी बात का खण्डन आपको पसन्द न हो।

आप उनको थोड़ा समझाइये कि वे भूलें नहीं आप भले ही ब्राह्मण हैं पर आदिवासियों के हित की बात करना आप न भूलें। यह आपके हित में ही है।

श्री रोशनलाल शर्मा: ब्राह्मण और आदिवासी की बात क्यों करते है ?

श्री रामकिशन: यही तो बात है न। अगर वे उस वर्ग से होते तो उनको ज्यादा दर्द होता वहां के आदिवासियों पर यह संकट आया देखकर। उनको दर्द नहीं हैं क्योंकि वे वहां बसते भी नहीं हैं। उनका परिवार और घर कोई डूबने वाला नहीं है वहां पर। उनका कुटुम्ब नहीं है वहां पर। पर नाथूरामजी को दर्द है, क्योंकि वे वहां के रहने वाले हैं उनका घर बार कुटुम्ब परिवार के सदस्यों पर आपत्ति आई है। और उनके दर्द के पीछे कारण है। मैं कहूंगा सिंचाई मन्त्रीजी से कि वे हमारे सन्तुष्ट होने के लिये स्पष्टीकरण न दें तो चलेगा। आप ऐसा उत्तर अवश्य दें कि उस इलाके की जो समस्या इससे पैदा हो गई है उनको हल करने के लिये उनका समाधान करने के लिये उन आदिवासियों के हित के लिये राज्य सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है। और अभी तक जो कोशिश की है उसमें आपको कितने अंशों में सफलता मिली है और कितने अंशों में असफलता मिलने का डर है। अगर यह उत्तर दें तो दूसरे तथ्य भी सामने लाये जा सकते हैं।

यह प्रश्न वैसे क्षेत्रीय है. हमारे जैसे आदमी इसमें उलझना नहीं चाहते, पर जो इसके पीछे आर्थिक, राजनैतिक और क्षेत्रीय कारण हैं आदिवासियों से उनका विशेष तौर से सम्बन्ध है इसलिये उनको विशेष तौर से नजर में रखना चाहिये। एक बात और भी ध्यान में रखना है। आदिवासियों की अपनी संस्कृति और सभ्यता है। तो उनको बसाते वक्त इन चीजों को भी खयाल में रखना होगा उनको जहां बसाया जाय तो एक समूह के रूप में बसाया जावे ताकि उनकी अपनी राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर न हो जाय आज जो उनकी बारगेनिंग करने की स्थिति है वह कमजोर न हो जाय। इन सारी दृष्टियों से आप इसका जवाब दें। अगर इस दृष्टि से आपने इस प्रश्न को

(श्री रामकिशन)

हल करने का प्रयत्न किया तो हम भी राजस्थान सरकार के लिये कुछ दूसरी तरह से आपको और ताकत देकर मदद कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल आप बोलना चाहते हैं ?

(२ म. प.)

श्री रतनलाल रोत : } अध्यक्ष महोदय
श्री रामानन्द अग्रवाल : }

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी अवसर देंगे।

श्री रतनलाल रोत : (चौरासी) : उपाध्यक्ष मोहदय गुजरात सरकार की कडाणा बान्ध को बनाने की जो गति है वह बड़ी तेज है। जहां तक आदिवासी क्षेत्र का सवाल है हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने उस क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर की एक तहसील को शिड्यूल्य एरिया घोषित किया है। वहां के लोग पिछड़े हुये हैं ऊंचे तबके के लोगों को समान लाया जाय और विशेष प्रकार की सुविधा देकर तरक्की दी जाय। आदिवासी लोगों के गांवों में छोटे मोटे निर्माण कार्य कराये जायं। वहां के लोगों में बड़ी घबराहट है। लोगों ने मेहनत करके जमीन को आबाद किया है राजस्थान सरकार सर्वे करने जा रही है, मेरे ख्याल से सर्वे हो चुकी है। बान्ध की ४०० फीट की ऊंचाई है उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। वहां की भूमि की कीमत के बराबर दूसरी भूमि की कीमत जांचनी चाहिये। एक तरफा कार्यवाही करके उनकी जांच करेंगे तो उन लोगों का नुकसान हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई है उनके पुनर्वास के लिये पूरी व्यवस्था की जाय उसके अन्दर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी लोगों को जो वहां के प्रतिनिधि हैं, उनको उस कमेटी में रखना चाहिये ताकि वे अपनी समस्या राज्य सरकार के सामने रख सकें।

(घंटी)

राज्य सरकार को गुजरात सरकार से जानकारी लेनी चाहिये। और जानकारी लेने पर गुजरात सरकार से पूछना चाहिये कि उनकी क्या मंशा है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें गुजरात सरकार की क्या मंशा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आदिवासी बड़े घबरा रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा की उर्वरा जमीन है ऐसी जमीन मिलना मुश्किल है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और उन्होंने वहां भाषण दिया कि हर तरह से आदिवासियों को बचाया जायगा लेकिन जमीन नहीं होने के कारण और राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार की कमेटी बनाई है भूमि की कीमत आंकने के लिये उसमें उन लोगों को सन्देह है। इसलिये उस कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिये जो वहां के प्रतिनिधि हों। जो जमीन डूब में आ रही है उसकी पूरी कीमत आंकनी चाहिये। बान्ध पूरा न हो उसके पहले उन लोगों को हर प्रकार से सुविधा देकर बसाना चाहिये तभी वहां के लोग सन्तुष्ट हो सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, इस कडाणा बान्ध के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। हमने पहले भी इस बारे में अपना मत व्यक्त किया था। माही योजना के सम्बन्ध में जो एग्रीमेंट गुजरात सरकार से किया है वह एग्रीमेंट अन-एक्वल एग्रीमेंट है और पता नहीं किन हालात में राज्य सरकार को उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। अब-जब नर्मदा के बारे में गुजरात-महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के विवाद का प्रश्न है और जो ट्रिब्यूनल बैठाया है इस पर पुनः विचार करने की स्थिति पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त भी कडाणा बान्ध बान्धने से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में समस्या पैदा हो रही है बावजूद इतनी बहस के गुजरात सरकार की ओर से या राजस्थान सरकार की ओर से कोई आश्वासन आदिवासी क्षेत्र को नहीं दिया गया है। डूब में आने वाली जमीन के पुनर्वास की क्या समस्या होगी, यह अभी तक नहीं बताया गया है। केवल थोथे आश्वासन से उन लोगों को तसल्ली नहीं मिल सकती है।

तीसरे इस सम्बन्ध में जो पुनर्विचार किया गया है कडाणा मल्टी पर्पज स्कीम जो इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिये रखी है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मामला अगर इसमें से निकाल दिया जाय तो गुजरात को कोई क्षति नहीं होगी। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में बहुत भारी दिक्कत और आशंका सामने आ रही है। इससे उनको भी राहत मिल सकती है। इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है। इसमें बिजली का हिस्सा निकलता है तो मैं समझता हूं उस आधार पर गुजरात सरकार को दूबारा विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का सर्वे अभी हो रहा है, कम्पलीट नहीं हुआ है जैसा माननीय सदस्य की ओर से कहा जा रहा है यदि इसकी ऊंचाई ४०० फीट रख दी जाय तो काफी क्षेत्र निकल जायेगा और जहां तक इरिगेशन का मामला है गुजरात सफर नहीं करेगा। इस बात को हम एक राष्ट्रीय प्रश्न मानते है! यह केवल एक स्टेट के हित की दृष्टि से नहीं सोचा जा सकता है! इन्टर-स्टेट्स का मामला है। गुजरात और राजस्थान में आखिर सब जगह जनता बसती है हमें सबके हित को ध्यान में रखना होगा। सम्पूर्ण देश के हित की बात है उसमें फेक्ट्स एस्टाब्लिश्ड होने चाहियें।

जिस प्रकार पोंग डेम से हिमाचल प्रदेश की जमीन डूब में आयगी और वहां पर काफी लोग विस्थापित होंगे, राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया है ११ लाख एकड़ जमीन उन लोगों के लियें सुरक्षित की है और हम भी इस सदन में बैठने वाले लोग राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे कि उन आदिवासियों को जमीन देने का सरकार का परम कर्तव्य है और कर्तव्य ही नहीं बल्कि जो भूमि हीन लोगों को जमीन देंगे उससे भी ज्यादा प्रायरटी उनको आती है। मैं समझता हूं गुजरात सरकार वही एटीट्यूड अपनायेगी और राजस्थान में डूब में आने वाले लोगों को न केवल डिक्लेरेशन बल्कि कन्क्रीट प्रपोजल बनाकर उनको बसाने के लिये फन्ड्स अलॉट करेगी। ताकि डूब में आने वाले जो क्षेत्र हैं उनको सन्तोष मिल सके और उनका पुनः स्थापन सही तरीके से हो सके और अनावश्यक जमीन को डूब को जो बान्ध को नीचा रख कर दिया जा सकता, करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोशनलाल।

Page No 88

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, कडाणा बान्ध की समस्या सदन में कई बार आ चुकी है और हम इस बात को जानते हैं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला किस स्थिति में है। वहां के आदिवासियों की जो हालत है उसको यह सदन जानता है कि राजस्थान के अन्दर जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया छोटी जोत के अन्दर आदिवासी आते हैं। अगर बांसवाड़ा के और डूंगरपुर के आंकड़ों को देखा जाय तो मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि प्रति परिवार ४ एकड़ तक जमीन है और प्रति परिवार ४ एकड़ जमीन है तो आज जो जमीन बांसवाड़ा में डूब रही हैं उसके बजाय उन लोगों को कहीं बसाया जाय यह राजस्थान सरकार ने अभी तक इस सदन को विश्वास में नहीं लिया है। और जैसा कि मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि बांध बन रहा है और जमीन डूब में आ रही है तो राजस्थान सरकार उन लोगों को बसाने के लिए जमीन दे जैसे कि राजस्थान केनाल के अन्दर पोंग बांध बन रहा है और वहां पर जिसकी जमीन डूब रही है तो राजस्थान सरकार उन लोगों को बसाने के लिए जमीन दे रही हैं। इसी तरह से यहां भी राजस्थान सरकार को गुजरात सरकार के ऊपर दबाव डालना चहिए और कहना चाहिये कि जब तक आप हमारे यहां से जो आदिवासी उठ रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं देंगे तब तक इस बांध का जो कार्य चालू है उसको नहीं होने देंगे। तब तो गुजरात सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी नहीं तो इस सदन में कई बार यह प्रश्न उठाया गया है और माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज दिन तक जिस तरह से इस प्रश्न को टाला गया है और ऐसे ही यह प्रश्न टाला गया तो बांसवाड़ा के आदिवासी लोग परेशान हो जायेंगे क्योंकि मैंने निवेदन किया कि आज जो आदिवासी हैं और देश के अन्दर जिस तरह से हम काश्तकारों को ऊंचा उठाना चाहते हैं उसके लिये भी पर्याप्त मात्रा में जमीन जब बांसवाड़ा में नहीं हैं तो जो आदिवासी डूबेंगे उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कहां बसायेंगे। जो लोग हैं उनको कहां जमीन देंगे ? एक काश्तकार के पास कम से कम दस एकड़ जमीन होनी चाहिए लेकिन आज तीन चार एकड़ भी जमीन उनके पास नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न को गहराई से सोचें और इस पर विचार करें और इस समस्या को राजस्थान की समस्या मानते हुए गुजरात सरकार के ऊपर दबाव डालें तो इन आदिवासी गरीबों की समस्या हल हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल : (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, कडाणा डेम और माही योजना दोनों का एग्रीमेंट साथ हुआ था। माही योजना राजस्थान की तरफ बनने की थी और कडाणा बांध की योजना गुजरात की तरफ बनने की थी। उपाध्यक्ष महोदय समझ में नहीं आता कि कडाणा बांध का काम तो शुरू हो गया और यह बताया जाता है कि माही योजना अभी तक प्लानिंग कमीशन से भी स्वीकृत नहीं हुई तो यह कैसा एग्रीमेन्ट ? जहां तक एग्रीमेन्ट के बारे में कहा गया और बहुत से माननीय सदस्यों ने

(श्री शंकरलाल)

भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री नाथूरामजी मिर्धा का भी जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परिस्थितियों के अनुसार जो एग्रीमेन्ट कोई मंत्री करता है वह राज्य सरकार की तरफ से करता है और वह समय के अनुकूल बदलता भी है। जैसे पहले राजाओं के प्रिवीपर्स के सम्बन्ध में और उनकी सम्पत्ति के संबंध में कोई एग्रीमेन्ट हुआ लेकिन आज के हालात बदले और उनका प्रिवीपर्स एग्रीमेन्ट के माफिक उचित नहीं समझे जाते। इसलिए कडाणा डैम का किस हालत में एग्रीमेन्ट हुआ और आज के हालात क्या हैं जब यह विषय हमारे सामने आता है तो माननीय सदस्यों ने पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई। तो मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने क्या एफर्ट्स किये और एफर्ट्स करने के बाद उन एफर्ट्स का क्या नतीजा निकला? यह हमने कहा था कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो उसका कन्सट्रक्शन बंद होना चाहिए लेकिन उसका तो कन्सट्रक्शन चालू है। यह भी नहीं बताया जाता कि उसका कन्सट्रक्शन कितना हो गया। वह ४१९ फीट तक ऊंचा जायेगा या ४०५ फीट तक जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि ४०५ फीट तक ऊंचा जाये तो जमीन कम डूबेगी तो मैं पूछना चाहूंगा कि इससे संबंधित सर्वे हुआ या नहीं हुआ और अगर सर्वे हुआ है तो उसका क्या नतीजा निकला। दूसरा यह जानना चाहूंगा कि ४१९ फीट पर ही कडाणा बांध बनता है तो कितनी जमीन डूब में आयेगी और वहां के लोगों के लिए जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने क्या योजना बना रखी है आदिवासी काश्तकारों को बसाने के लिए?

तीसरी बात यह है कि वहां पर गलियाकोट और माताजी का मन्दिर और धार्मिक स्थान क्या वहां पर डूब में आयेंगे? इसकी ऊंचाई कितनी की जाये जिससे कि धार्मिक स्थान डूब में नहीं आयें यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एग्रीमेन्ट दोनों तरफ से ही मान्य होता है। जो केबिनेट मीमो पढ़ कर सुनाया उससे ऐसा मालूम होता है कि माही योजना में से बिजली की प्राडक्शन का काम हटा दिया गया है। तो जब माही योजना में से बिजली के प्राडक्शन को हटा दिया गया है तो कडाणा डैम से भी बिजली के प्राडक्शन को बन्द कर देना चाहिये। अगर यह बिजली के प्राडक्शन का काम कडाणा डैम से हट जाता है तो अपने आप उसकी ऊंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह बड़ा लीगल पाइन्ट है। एक तरफ तो आप एक योजना में से किसी काम को हटाते हैं तो दूसरी तरफ से कडाणा डैम से उस काम को क्यों नहीं हटाते? उसकी मुख्य बात यह है कि जब सारी चीजें एग्रीमेन्ट के विरुद्ध में बताते हैं तो आपने उसको रोकने के लिये प्लानिंग कमीशन के सामने और भारत सरकार के सामने एप्रोच क्यों नहीं की और अगर की है तो उसका क्या नतीजा निकला। यह सारी चीजें न्यायसंगत हैं और लीगल हैं। एक तरफ तो बांध बन रहा है और सदन के सभी माननीय सदस्य जोरों से आवाज उठाते हैं गये सत्र में और आज भी लोग कहते हैं कि वह बांध बन रहा है और एग्रीमेन्ट के माफिक काम नहीं हो रहा है तो यह जो चार-पांच पाइन्ट्स हैं इनको मन्त्री महोदय स्पष्ट कर दें और बतायें कि इन पाइन्ट्स को देखते हुए क्या अड़चन

Page No 90

(श्री शंकरलाल)

आती है कि जिससे इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। यह कोई क्षेत्रीय बात नहीं है। आज समाजवाद की बातें करते हैं तो वास्तव में गरीब और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को जो कि शिड्यूल्ड एरिया घोषित कर दिया है, वहां के लोगों को बसाने की कोई योजना नहीं बनाई और बांध बन रहा है। पहले योजना इनके लिए बनाओ और फिर सारी चीजों को देखो। तो सवाल यह है कि पहले तो बांध नहीं बने। बने तो कितनी ऊंचाई का बने और और दोनों तरफ के एग्रीमेन्ट में क्यों फर्क आ रहा है— इन सब बातों का स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री महोदय दें और पुरजोर शब्दों में भारत सरकार के सामने इस केस को रखें। मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है और माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी बागीडोरा जो बार-बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाते हैं और बड़ी उचित ढंग से उठाते हैं और उनकी मांग वाजिब है, सारे सदस्य उनके साथ हैं और जो बातें यहां उठी हैं उनका हल होना चाहिये और जो सदन में बार-बार ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लायें उससे यह मसला हल होने वाला नहीं है।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा-सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कडाणा बांध को लेकर सदन में दो साल से लगातार चर्चा हो रही है लेकिन सरकार ने इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया है और कोई खास स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया है जिससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के आदिवासियों की जो जमीन कडाणा डैम से डूब रही है उससे उन लोगों को भी संतोष हो सके। वास्तव में उपाध्यक्ष महोदय, हजारों बीघा जमीन डूब रही है लेकिन पता नहीं सरकार ने क्या एग्रीमेन्ट किया है जिससे वहां के लोगों को सरकार सही बात नहीं बता सकती है जिससे कि हम वहां के लोगों को संतोष दे सकें। वास्तव में गुजरात का बांध बन रहा है और हमारे आदिवासी लोग हैं और वहां के जितने भी गांव हैं वे तमाम डूब में आने वाले हैं। ४१६ फीट की जो ऊंचाई है उससे कोई गांव बच नहीं सकता, यह निश्चित बात है लेकिन हमारी और लोगों की यह मांग है कि ४१६ फीट के बजाय ४०५ या ४१० फीट तक भी ऊंचा रखा जाये तो लोगों को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि वहां हजारों ऐसे पेड़ हैं जिनसे काफी लोगों को फायदा होता है। महुआ के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं और दूसरे भी कई अन्य पेड़ हैं जिनकी काफी अच्छी कीमत आती है और जो जमीन है उसकी कीमत भी ऐसी कीमत है कि सरकार भी इसको चुकाने में मजबूर होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। आज तक हमारे राजस्थान में जितने भी बड़े-बड़े बांध बने हैं उनमें काफी अच्छी-अच्छी जमीन डूबी है लेकिन सरकार ने आज तक उस जमीन का भी मेरे खयाल से मुआवजा नहीं चुकाया है। तो मेरा आपके द्वारा यह सरकार से निवेदन है कि अगर कडाणा बांध बन ही जाता है तो वहां के जितने लोगों की जमीन डूबती है उन लोगों को गुजरात सरकार के ऊपर भी दबाव डाल कर उन्हें बचाने के लिए सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिये नहीं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में कहीं भी इतनी जमीन नहीं है कि इतने लोगों को डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कहीं बसाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ मेरा सुझाव है कि कडाणा बांध में जो डूब में आने वाला एरिया है उसको बचाने के लिए हमारी सरकार को भी कुछ ऐसी योजनायें बनानी

(श्री महेन्द्रकुमार)

चाहिये जैसे बजाजसागर की योजना है इसी तरह से सोम नदी पर एक बांध बनाया जाये और जाखम नदी पर बनाया जाये जिससे काफी पानी रोका जा सकता है और जो जमीन डूब में आती है उस जमीन को बहुत कुछ बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार से मेरा यही निवेदन है कि किसी भी तरह से जितना भी हो सके उतना उस बान्ध की ऊंचाई को कम करना चाहिए और हमारे वहां के लोगों को, आदिवासी लोगों को संतोष देना चाहिए। यह निश्चित बात है कि संविधान में भी यह नियम बना हुआ है कि आदिवासी और हरिजनों की कोई भी मुसीबत हो, कैसी भी तकलीफ हो तो उस तकलीफ को कैसा भी नियम बनाया जाय तो उस नियम को बदल-कर उनकी तकलीफ को दूर करना चाहिए। तो फिर हमारी सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती है और उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती है ? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस ऊंचाई को कम किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्षजी, मेरा एक प्रश्न है कि जब राजस्थान सरकार ने एग्रीमेंट गुजरात सरकार से किया है उस समय माननीय नाथूरामजी ने जो प्रश्न उठाये हैं वे पाइंट्स ध्यान में थे या नहीं, और उन पाइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्रीमेंट हुआ ? क्या आज राजस्थान सरकार गुजरात सरकार से जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें संशोधन कर सकती है और करने की पोजीशन में है या नहीं ? तीसरी बात ... जो नाथूरामजी ने ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा था और माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, कडाणा बान्ध के सम्बन्ध में जो गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार में उसकी ऊंचाई ४१९ फीट तक बनाने के सम्बन्ध में समझौता हुआ है और उस ऊंचाई को देखते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़े के आदिवासी क्षेत्र हैं वे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और आदिवासियों में इस तरह से ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, और उनमें एक प्रकार से बहुत बड़ा असन्तोष पैदा होता है।

इसके अलावा इसमें बताया है कि करीब ३२ हजार एकड़ माही नदी की भूमि डूब में आती है, और ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये सब तथ्य सदन के सामने आ चुके हैं। कोई नई बात हो तो कहें।

श्री नाथूराम (बागीडौरा) : करोड़ों रुपयों का नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब पहले आ चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : नई बात यह है कि सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी की नींद खुलनी चाहिए जिससे गरीबों को सन्तोष मिल सके।

श्री किशनलाल वर्मा : जो ऊंचाई ४१९ फुट की रखी गई है वह ऊंचाई कम की जाय, और इसके बारे में जब मतलब जो है समझौता किया जाय, और इन तमाम बातों

(श्री किशनलाल वर्मा)

का ख्याल रखकर फिर से इस पर समझौता किया जाय और तब तक गुजरात सरकार से कहा जाय कि वह निर्माण का कार्य बन्द करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्षजी, मुझे केवल एक मिनिट के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मुकटबिहारीलाल गोयल के खड़े होने पर) आपकी तरफ से रामकिशनजी बोल चुके हैं।

श्रीमुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक सवाल है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे केवल एक मिनिट में यही निवेदन करना है कि जिनकी कुरबानी पर बान्ध बनता है उनको सबसे पहले बसाना चाहिए ताकि उनकी व्यथा कम हो। जिनकी कुर्बानी से यह बान्ध बन रहा है उनकी व्यथा को आप दूर नहीं कर रहे हैं इसलिए ही यह सारी परेशानी है। इसलिए मैं आपकी मारफत माननीय सिंचाई मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि तत्काल इस ओर ध्यान दें और इनको आप बसायें।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी !

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि कडाणा बान्ध का किस्सा दो बार तो संकल्प के रूप में आ चुका है और तीसरी बार यह प्रस्ताव के रूप में आया है। यह तिबारा आ गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी मांग इतनी मजबूती के साथ में एक सदस्य आज करीब दो साल से इस सदन में चला रहे हैं तो इस पर कभी क्या आश्वासन दे देते हैं और कभी क्या। गये सत्र में भी कहा था कि हम इसकी ऊंचाई कम करेंगे, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से पिछड़े हुए लोगों के साथ में सरकार का रवैया न विचार करने का है यह बड़ा ही खेदजनक है। दो साल से यह प्रश्न उठाया जा रहा है और गवर्नमेंट ध्यान ही न दे और साधारण से साधारण बात पर गवर्नमेंट ध्यान दे देती है और पिछड़े हुए लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल ही महसूस नहीं किया कि इन लोगों को कहां बसायेंगे, कहां ले जायेंगे, इनकी जमीन डूब में आयेगी तो इनका पुनर्स्थापन कहां करेंगे ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े हुए लोगों के सम्बन्ध में यह सरकार की गलत नीति है उसको छोड़ दें और उदारता के साथ में मंत्री महोदय जैसे कि पिछले सत्र में गलत आश्वासन दिये थे उस तरह से न दें और उनके साथ में सहानुभूति से विचार करें। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बान्ध के बारे में जो भी बात हो वह स्पष्ट कहें और झूठे शब्दों में जैसा पहले कहते आये हैं वैसा न कहें और माननीय सदस्य की मांग पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी !

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने माही नदी पर गुजरात में बनने वाले कडाणा बान्ध की समस्याओं के सम्बन्ध में इस सदन में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इन समस्याओं के सम्बन्ध में इस सदन में और कई बार विचार-विमर्श हुआ है। बान्ध से डूब में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
ग्राने वाले क्षेत्र के ग्रादिवासियों की कठिनाइयों के बारे में बागीडोरा से ग्राने वाले माननीय सदस्यों को चिन्ता है, ग्रौर सदन के माननीय सदस्यों को चिन्ता है तो उसका होना स्वाभाविक है, ग्रौर मैं भी उनकी इस चिन्ता में ग्रपने ग्रापको भी सम्मिलित करता हूं। राज्य सरकार ने जो कडाणा डैम के बनने से डूंगरपुर ग्रौर बांसवाड़ा जिलों के ग्रादिवासियों की जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनको सुलझाने के लिए ग्रभी पूछा गया है कि क्या प्रयत्न किये गये हैं, तो सदन की जानकारी के लिए उन प्रयत्नों की ग्रोर मैं ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं जो राज्य सरकार ने पिछले १२ महीनों में इस दिशा में लिये हैं।

इन समस्याग्रों के ऊपर सबसे पहले हमने ४ ग्रप्रैल, १९६९ को दिल्ली में गुजरात के मुख्य मंत्री ग्रौर विभागीय मन्त्री तथा राजस्थान के मुख्य मंत्री ग्रौर विभागीय मंत्री ग्रौर दोनों राज्य सरकारों के ग्रफसरों से चर्चा की, ग्रौर उस चर्चा के ग्रन्दर जो माननीय सदस्यों ने यहां पर भावनाएं व्यक्त की हैं उन चीजों को गुज- रात सरकार को ग्रवगत कराया है। मिसाल के तौर पर, यहां पर दो-तीन मुद्दे उठाये गये हैं। एक मुद्दा तो यह है कि इस कडाणा डैम की ऊंचाई ४१९ फीट जो एफ० ग्रार० एल० है उसको कम किया जाय। दूसरा मुद्दा यह है कि राजस्थान में जिस तरह से पोंग डैम से विस्थापित लोगों को बसाने के लिए ३,२५,००० एकड़ जमीन राजस्थान में सुरक्षित की है उसी तरह से डूंगरपुर ग्रौर बांसवाड़े में जिन लोगों की भूमि इस कडाणा बान्ध के सबमर्ज में ग्राती है उन ग्राउस्टीज के लिए, उनको बसाने के लिए गुजरात में इस बान्ध के कमाण्ड में भूमि सुरक्षित की जाय, ताकि इन लोगों को वहां पर बसा सकें।

तीसरी बात जो यहां पर कही गई है कि जलमग्न कितना क्षेत्र होता है ग्रौर कितने ग्रादमी प्रभावित होते हैं, कितनी सम्पत्ति प्रभावित होती है, ये पुराने ये ग्रांकड़े हैं इसलिए नये सिरे से गांवों को सर्वे किया जाय जिससे कि सही स्थिति का पता लग सके।

ये तीन मोटे मुद्दे सामने ग्राये थे। हमने इन तीन मुद्दों पर गुजरात सरकार ग्रौर उनके मुख्य मंत्रीजी से इस वार्तालाप में चर्चा की ग्रौर उन्हें बताया, ग्रौर चिट्ठी के जरिये भी बताया। उसी के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि पहले हम जो लेटेस्ट पोजीशन है उसका सर्वे करा लें कि ४१९ फुट की ऊंचाई ग्रौर बैकवाटर इफेक्ट से कितनी भूमि जलमग्न होती है, कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है ताकि यह ग्रन्दाजा लगाया जा सके कि समस्या कितनी गम्भीर है। इसके साथ-साथ ४१९ के नीचे कुछ स्तर ग्रौर सर्वे करा लिये जायं जिससे कि यह पता लग सके कि किस स्तर पर इस बान्ध को बना देने से कितनी हानि होती है ग्रौर ४१९ ग्रौर बेकवाटर इफेक्ट से कितनी होती है, ग्रौर कितना लेवल नीचा करने से कितनी हानि से बचाया जा सकता है ग्रादि- वासियों को इसका सही पता लगाया जाय ग्रौर इसी कारण पहला स्टेप राज्य सरकार ने जो लिया वह यह है कि एक सर्वे ग्रौर इन्वेस्टिगेशन का डिविजन कायम करके इसकी सर्वे कराई। सर्वे ग्रभी ग्राज की तारीख में जो हो चुकी है समाप्त वह ४१९ ग्रौर फिर बेकवाटर इफेक्ट-मतलब जो पानी का उठाव होता है उस उठाव से कितना ग्रसर पड़ता है। इसकी सर्वे का काम कम्प्लीट हो चुका है। सर्वे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
केवल डूब के क्षेत्र की कम्प्लीट हो चुकी है। बाकी प्राबादी, घर, विकास के काम, स्कूलें, सड़कें–यह जो पहले नहीं थी और अब हैं तो उनका भी सर्वे आवश्यक है। लेकिन जो कुछ सर्वे प्राज तक कम्प्लीट हो चुका है उसकी जानकारी तो मैं अभी सदन में दूंगा। उसके साथ-साथ बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये कि इन चीजों का भी सर्वे होना चाहिए इसके लिए सेटलमेंट की पार्टी जानी चाहिए और वह सर्वे करके सही स्थिति को बतावे।

तो सबसे पहले मैं ये आंकड़े आपको देना चाहता हूं कि जो ४१९ और बेक वाटर इफेक्ट से कितना क्षेत्र डूब में आता है, कितने मकान डूब में आते हैं, कितनी आबादी प्रभावित होती है। यह मैं और निवेदन करना चाहता हूं, जो आबादी के आंकड़े और मकान के आंकड़े मैं आप लोगों के सम्मुख अभी प्रस्तुत करूंगा वे सन् १९६१ की जनसंख्या के आधार पर हैं और १९६१ के बाद ७० आ जाता है तो लगभग बीस वर्ष बढ़ जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : दस !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दस वर्ष बढ़ जाते हैं। दस वर्ष बढ़ जाने के बाद जो तब्दीली हो सकती है, जो संख्या में वृद्धि आ सकती है और जिसका आना स्वाभाविक है, वह इसमें शामिल नहीं है। वह तब मुकम्मिल होगी जब माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में निर्णय लेकर राजस्थान सरकार कुछ करे। वैसी स्थिति में इसका पता लग सकता है। तो सबसे पहले मैं आंकड़े बता देना चाहता हूं और उसके बाद माननीय सदस्य बताते हैं उसके लिए क्या सरकार करना चाहती है उसके लिए निवेदन करूंगा। जो ४१९ एफ० आर० एल० और उसका बेक वाटर इफेक्ट जो ८ फीट का होता है, उससे ही पानी का सबमर्जेन्स होता है। बांसवाड़ा में ८८ प्रभावित होते हैं, २८८ कुए प्रभावित होते हैं मकान ४२६ प्रभावित होते हैं, जनसंख्या १३,२४४ प्रभावित होती है और भूमि १८,२८३ एकड़ प्रभावित होगी। डूंगरपुर में ५७ गांव प्रभावित होते हैं, ३८४ कुए प्रभावित होते हैं, २,०४९ मकान प्रभावित होते हैं, १७,०१४ जनसंख्या प्रभावित होती है और १९५०७ एकड़ भूमि जलमग्न होगी। इस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में १४५ गांव प्रभावित होंगे, ९७२ कुए प्रभावित होंगे, २४७२ मकान प्रभावित होंगे, ३०२९६ जनसंख्या प्रभावित होगी और ३७७९१ एकड़ भूमि जलमग्न होगी। फिर जैसा मैंने कहा, यह १९६१ के आधार पर है, जनसंख्या में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि मान लें तो लगभग ३७, चालीस हजार के लगभग जनसंख्या का प्रभावित होना और कुए और मकानों में वृद्धि हो सकना सम्भव है और गांवों की संख्या जो १४५ थी वह १४५ ही रहेगी। तो इस तरह से १९६१ की जो सैंसस है, उसके अनुसार यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो जलमग्न क्षेत्र आता है वह यह है। अब जैसा बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन दस वर्षों में विकास के काम भी हुए हैं, स्कूलें भी बनी हैं, सड़कें भी बनी हैं, नये कुए भी बने हैं। मकान भी पहले कच्चे थे तो अब पक्के बने हैं। ये सारी चीजे हैं। इसलिए इनका भी सर्वे होना चाहिए। तो मैं उनकी इस बात से और इस मांग से सहमत हूं। इसलिए राज्य सरकार चाहती है और हम जल्दी ही

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इस बात के बारे में आदेश प्रदान करेंगे कि जो सेटलमेंट विभाग है उदयपुर में वहां जो सेटलमेंट के अधिकारी हैं, सर्वेयर और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, सेटलमेंट आफिसर-उनकी पार्टी वहां तत्काल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लग जाय ताकि प्रभावित क्षेत्रों की उस दृष्टि से सर्वे कर लें जिस दृष्टि से सर्वे करने की बात बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है। उससे हमको इस बात का अनुमान हो जायगा कि वास्तव में चल और अचल सम्पत्ति का कितना नुकसान होता है और चाहे वह कुए हों, मकान हों, विकास के काम हों, एरिया अण्डर कल्टीवेशन पहले के मुकाबले ज्यादा चला गया हो–ये सारी बातें मुकम्मिल तौर पर वह सर्वे पार्टी करेगी और हम यह व्यवस्था भी करेंगे कि वह जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें ताकि इससे आगे होने वाली कार्यवाही को भी हम जल्दी से जल्दी कर सकें। तो जो मुद्दे बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसके बारे में उठाये थे उनके सम्बन्ध में जो सरकार का रुख है, उससे मैंने माननीय सदस्यों को अवगत कराया है।

इसके साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन के सम्बन्ध में भी यहां पर कई तरह के मुद्दे उठाये गये और ऊंचाई को कम करने के सिलसिले में भी उठाये गये। तो ऊंचाई को कम करने के सिलसिले में एक तो मैंने कहा ४ अप्रेल, ६९ को मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये बातें अवगत कराई, उसके फलस्वरूप सर्वे हो रहा है। सर्वे ४१९ का हो गया, बाकी के लिए और करना है, वह ४१२ हो, ४१५ हो, ४१० हो या यहां तक कि ४०० हो। इस ऊंचाई को किस लेवल पर लें तो कितना क्षेत्र आ सकता है–इसका पता लग सकता है। यह हमने जरूर कहा था कि दिसम्बर तक कर देंगे। लेकिन उस वक्त इतने सारे लेवल पर लेने की बात नहीं थी, कुछ इसके अलावा पोस्टिंग हुई, कुछ और हुआ–इसलिए देरी लगी। अब इस कार्यक्रम के अनुसार ३० जून तक सारा काम करना है, और इस सम्बन्ध में जो समय-समय पर कहा है उस प्रकार से डिटेल्ड सर्वे करा सकें–इस प्रकार का तय किया है, उसके लिए कार्यक्रम बताया, ३० जून तक विभिन्न स्तरों पर इस बांध के सिलसिले में जो सर्वे करनी है वह मुकम्मिल कर देंगे। राज्य सरकार ने इस काम में गति देने की दृष्टि से चाहे रिहेबिलिटेशन का काम हो, चाहे सर्वे का काम हो, चाहे अभी जैसा आखिर में बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि आखिर बहुतसारे नालों का पानी इसमें आता है इसके आने से इसका बैक वाटर इफेक्ट बढ़ जाता है, सब मर्जेन्स बढ़ जाता है। तो क्यों न ट्रिब्यूटरी की अलग से माइनर स्कीम बना कर, इरिगेशन की स्कीम बना कर रोक दिया जाय जिससे इस पानी की आमद, बैक वाटर इफेक्ट और सबमर्जेन्स कम हो, डूब में क्षेत्र कम आये, किसानों को नुकसान कम हो। इस बात को राज्य सरकार वचन देती है और आवश्यक समझती है। इसलिए राज्य सरकार ने अभी-अभी यह निर्णय किया है कि हम तीन डिवीजन्स एक्जीक्यूटिव इंजिनियर विद सब-डिविजन एण्ड ओवरसियर–यह नियुक्त कर इस बात की योजना बना रहे हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी में कहां-कहां इरिगेशन स्कीम बना सकते हैं–उनको हम बनावें ताकि यह पानी इस नदी में कम आये

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

और उसका बेक वाटर इफेक्ट कम हो। इसलिए इन तीन डिवीजन्स की मंजूरी दी जा चुकी है और हम इस तारीख को डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बड़ी तेजी के साथ योजना को चला सकें, बल्कि योजना इसलिए बना रहे हैं कि बेक वाटर इफेक्ट को काउन्टर-एक्ट करने के लिए योजना बनायें। हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार, जिसकी कि यह योजना है, वह इसमें शेअर करे, इसलिए प्रिलिमिनरी प्लान बना कर गुजरात सरकार प्लास लग को उसमें मदद करे ताकि रिहेबिलिटेशन का काम शुरू कर सकें और उसके साथ-साथ यह इर्रिगेशन स्कीम भी कुछ ले सकें जिससे ट्रिब्यूटरी में पानी कम जाय और नुकसान और सबमर्जेन्स को कम करें। तीसरे इससे इर्रिगेशन बढ़ जायगा और सबमर्जेन्स भी कम होगा....

इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि जो आउस्टीज होंगे इस बांध के बनने से, जिनकी संख्या अभी मैंने ४० हजार बताई है तो उनका रीहेबिलिटेशन कैसे हो, जैसा आपने....

श्री नाथूराम (बागीडोरा): आपने जो सूची दी है उसमें २१ हजार जनसंख्या बताई है, १२८ मकान बताये हैं, आपने १४३ बताये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जो बता रहा हूं वह अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है जिसको मैंने टेलीफोन कर के रिपोर्ट मंगवाई है, उस रिपोर्ट के आधार पर आज जवाब दे रहा हूं। एरिया बढ़ गया तो बढ़ा हुआ बता रहा हूं। इन लोगों को बसाने का सवाल है, वह किस तरह से हल किया जा सकता है और वह हम किस तरह हल करना चाहते हैं, यह मैंने बताया। एक तो मैंने कहा कि गुजरात सरकार को हमने लिखा था और लिख रहे हैं और आयन्दा भी इस बात के लिये कहेंगे, जितना कह सकते हैं कहेंगे और यह कोशिश करेंगे कि गुजरात के अन्दर इस बांध का कमाण्ड होगा, उस कमाण्ड के अन्दर उसी तरह से गुजरात सरकार जमीन सुरक्षित रखे जिस तरह हमने पोंग डेम के लिये राजस्थान केनाल एरिया में भूमि को सुरक्षित किया है। ताकि जो लोग सामूहिक रूप से गुजरात में जा कर कमाण्ड एरिया में बसना चाहें तो उनको वहां बसने की यह सहूलियत उनको मिल सकती है।

श्री रोशनलाल : आपके सामने यह प्रश्न आया तो आपने गुजरात सरकार को फाउण्ड नहीं किया कि इन लोगों को वहां बसाने के लिये एग्रीमेन्ट करें। आप १८२८३ बांसवाड़ा के बता रहे हैं, १९,५०७ डूंगरपुर में बता रहे हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी बात पूरी सुनें। यह सर्वे एक लेवल का हुआ है। मैंने सारा रेकार्ड मंगा कर उत्तर देने के लिये मसाला तैयार किया है। जो लेटेस्ट सर्वे के कनक्लुजन निकले हैं वह अभी गुजरात सरकार को नहीं दिये हैं क्योंकि ३ लेवल का और देना है। आपकी इच्छानुसार जिन लेवल का सर्वे हो चुका है और रेकार्ड मेरे पास आ गया है, उसे गुजरात सरकार को दे दें लेकिन वहां अचल सम्पत्ति का लोगों को नुकसान होगा, उसका सर्वे करना बाकी है। वास्तविक नुकसान ज्यादा होगा, उसकी सैटलमेंट अधिकारियों से पूरी जांच करवा कर गुजरात सरकार को बतायेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री रोशनलाल : अचल सम्पति का नुकसान होगा, यह आप बता देंगे, कुए खुद

(श्री रोशन लाल)
जायेंगे, सब कुछ ही जायगा पर जमीन तो देनी पड़ेगी । गुजरात सरकार को यह मानने के लिये आप मजबूर तो कीजिये पाबन्द तो कीजिये कि इन लोगों को कमाण्ड एरिया में बसाने के लिये वहां इतनी जमीन सुरक्षित रखे ।

श्री उपाध्यक्ष - इनका पूरा उत्तर सुन लीजिये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जगह बता दीजिये ।

श्री नाथूराम : ये तो बांध बन जायगा तब यह तय करेंगे । आप यह क्यों नहीं करते कि जब तक यह सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कडाना बांध का काम स्टे किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा पूरा उत्तर सुन लीजिये, उसके बगैर आपको कान्टेक्स्ट मालूम नहीं होगा ।

श्री नाथूराम : इन लोगों को वहां बसाने के लिये भूमि सुरक्षित करने का एग्रीमेंट क्यों नहीं करते ?

श्री रोशनलाल : राजस्थान के लोग डूब जायें, मर जायें, पर आप गुजरात सरकार से यह एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि हमारे यहां के इस बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के लिये इतनी भूमि सुरक्षित रखिये । जिस तरह से हमने पोंग डेम में भूमि सुरक्षित रखी है, उस तरह से गुजरात सरकार को भी भूमि सुरक्षित रखने के लिये पाबन्द नहीं कर सकते ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपके द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान के कितने मरेंगे, कितने डूबेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं, वह कह दीजिये, भाषण नहीं करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो यह क्या भयावह स्थिति है कि उधर तो वर्क पूरी तरह से प्रोग्रेस में है और आप सर्वे ही नहीं करा पाये हैं कि कितने मरेंगे, कितने डूबेंगे, कितना अर्वल सम्पत्ति का नुकसान होगा ? क्या यह भयावह स्थिति है ? एग्रीमेंट तो गुजरात सरकार के साथ कर लीजिये कि इतना नुकसान देना होगा, इतने लोगों को इस बांध के कमाण्ड में अमुक जगह इतनी-इतनी जमीन देनी होगी । एग्रीमेंट करने से पहले इन सब कान्सिक्वेन्सेज के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, क्या यह अपने आप में दयनीय स्थिति नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने रिहेबिलिटेशन के बारे में जमीन दी जाय, यह पूछा है । मैं भी इसी तरह का उत्तर दे रहा था कि दो तरह से इस प्रश्न को हल करना चाहते है । एक तो गुजरात सरकार से निवेदन किया कि कड़ाना डेम के कमांड में इन लोगों को जमीनें दी जाय.........

श्री रोशनलाल : किस जगह ? जिस तरह राजस्थान सरकार ने पोंग डेम के लिये जमीन सुरक्षित रखी है, उसी तरह से वहां पर भी पहले से ही सुरक्षित क्यों नहीं करवाते । राजस्थान सरकार ने जब पोंग डेम के लिये जमीन सुरक्षित रखने का एग्रीमेंट किया है तो गुजरात सरकार से भी जमीन

Page No 98

(श्री रोशन लाल)
सुरक्षित रखने के लिये एग्रीमेंट क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम : एग्रीमेंट पर पुनर्विचार करने के लिये राजस्थान सरकार क्या करना चाहती है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस तरह कावेरी डेम के ऊपर वर्क सेन्ट्रल गवर्नमेंट से स्टाप करवा दिया उसी तरह से, आप पुनर्विचार इस सम्बन्ध में करना चाहते हैं तो आपको इस बांध के कार्य रोकने की मांग करनी चाहिये कि पहले कडाणा डेम पर जो काम हो रहा है उसको रोक दिया जाय क्योंकि इस एग्रीमेंट पर पुनर्विचार कर रहे हैं। तब तो कुछ कर सकते हैं वरना वही होगा कि हाथी तो निकल गया और उसके पैरों के निशान देखते रहो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो प्रश्न हमारे सामने हैं। एक तो कहां बसाया जाय, किस तरह बसाया जाय, कब तक तक बसाया जाय, यह सब रिहेबिलिटेशन के सम्बन्ध में हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने में या तो २१ या २२ या २६ मार्च को राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी और गुजरात के मुख्य मन्त्रीजी और अधिकारियों के बीच में इस सम्बन्ध में चर्चा हो रही है कि जो मुद्दे हमने पहले उठाये और जो मुद्दे माननीय सदस्यों की ओर से यहां उठाये जाते रहे हैं और आज भी उठाये हैं, उन पर विचार किया जायगा। डूब में कितने गांव आवेंगे, कितनी जमीन आयेगी, इसकी सर्वे होकर तो रिपोर्ट हमारे सामने आ गई है, सम्पत्ति के वेल्युएशन की रिपोर्ट कल्टीवेटेड एरिया की रिपोर्ट नहीं आई है, मोटे रूप से आ गई है। उसके लिये गुजरात में इस बांध के कमांड में जमीन रिजर्व हो, ऊंचाई में हो, रिहेबिलिटेशन के लिये सारी मशीनरी का खर्चा, कम्पेन्सेशन का अमाउन्ट जल्दी से तय हो। इस सम्बन्ध में हम २१-२२ या २६ मार्च को चर्चा कर रहे हैं और जो मुद्दे आपने यहां उठाये हैं उन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन वह चर्चा होगी तो एक रिजर्वेशन की बात आती है कि जो गुजरात में जमीन रिजर्व हो वहां उन लोगों को बसाया जाय। दूसरी बात यह आती है कि जो लोग गुजरात में नहीं जाना चाहते बहुत सारे आदमी ऐसे हो सकते हैं जो यह कहें कि हम गुजरात नहीं जाना चाहते, तो उनको यहां बसाया जा सकता है या नहीं। बसाया जाय तो कहां ? कितनी भूमि अवेलेबल है और भूमि अवेलेबल की जा सकती है या नहीं, यह दो प्रश्न सामने आते हैं। इसके लिये जो जंगलात की जमीन है उस जमीन को जंगलात से रिलीज करवा कर गुजरात में जमीन सुरक्षित हो जाने के बाद भी जो लोग जाना नहीं चाहते, उनको राजस्थान में जमीन दी जा सके इसके लिये गवर्नमेंट ने निर्णय किया है कि एक हाई पावर कमेटी यह दूसरी तरह की हाई पावर कमेटी है, मुकर्रर की जाय जो इस सारे मामले को रीहेबिलिटेशन के मामले को, पेमेंट आफ कम्पेन्सेशन के मामले को, रिहेबिलिटेशन का प्रश्न है, जो जहां बसें, वहां सड़कें, तकावी, स्कूल आदि के प्रश्न, इन सारे प्रश्नों को जिस तरह से गवर्नमेंट निर्धारित करती है, उसी तरह से यह हाई पावर कमेटी निर्णीत करे। यह हाई पावर कमेटी जिस तरह से गवर्नमेंट निर्णय करती है उस तरह से निर्णय करेगी। यह हाई पावर कमेटी तात्कालिक प्रश्नों को महत्व देकर, आवश्यक

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समझ कर जल्दी से निबटा दे, इसके लिये यह हाई पावर कमेटी बनाने का सरकार ने निर्णय किया है ताकि इस प्रश्न को जल्दी ही महत्व देते हुए मानवीय दृष्टिकोण से सुलझा सके।

(२.४८ म० प०)

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

यह हाई पावर कमेटी जंगलात कमेटी की जमीन के बारे में जो डिसिजन ले वह गवर्नमेंट का डिसिजन मान कर जल्दी व्यवस्था की जाये।

श्री नाथूराम : आपने सुझाव दिया लेकिन पहले से हजारों आदिवासी और दूसरे लोग भूमिहीन हैं, जंगलात की जमीन इतनी कहां है, छोटी-मोटी पहाड़ियां हैं, आप गुजरात के लिये ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि गुजरात में रिजर्व करामा हमारा स्टैंड है लेकिन वह अगर कोई नहीं चाहे तो थोड़ी बहुत भूमि की यहीं उपलब्धि हो जाय तो....

श्री रोशनलाल : आपका आंकड़ा है १२८८३४, बांसवाड़ा में ५ हजार एकड़ भी भूमि है क्या ? आपको अधिकारियों ने बताया कि यह जमीन है, एक फॉरेस्ट में ताकि हम संतुष्ट हो जायें कि सरकार सजग है ? कहां है जंगलात की जमीन ? तालाब बन रहे है, जमीन डूब रही है, अभी तक मालूम नहीं कि मुआवजा कितना होगा, एग्रीमेंट पर राज्य सरकार ने दस्तखत कर दिए और गुजरात के सुपुर्द कर दिया।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज डालडा वेजीटेबल पर रोक लगा दी तो यहां भी गप्पा सिंडीकेट और इन्डीकेट का झगड़ा है....

श्री रोशनलाल : यह सिंडीकेट और इंडीकेट का मामला नहीं है, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में है....

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं आपको साफ बता दूं ....

श्री मदनसिंह : सिंडीकेट और इंडीकेट है।

(शोरगुल)

श्री सभापति : एक सदस्य बोले ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बार जब सदन में इस विषय पर चर्चा हुई थी तो बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो कि इस सदन में चारों ओर से माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुकूल था। उस प्रस्ताव का आशय यह था कि जो मौजूदा एग्रीमेंट है, उसको राज्य सरकार रद्द माने और दुबारा नये सिरे से गुजरात सरकार से एग्रीमेंट करे। सरकार की ओर से इस प्रकार का आश्वासन देने पर और शासन की ओर से इस बात की संकेत करने पर कि सरकार इस सदन की भावनाओं का ध्यान

Page No 100

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रखेगी और बात चलाएगी। मंत्री महोदय ने बताया कि सदन में जो चर्चा हुई, उसके बाद जिस स्तर पर आप चल रहे हैं, वह कोई संतोषजनक मालूम नहीं पड़ता। हम यह दृष्टिकोण हरगिज नहीं लेना चाहते कि कडाणा बांध नहीं बने या गुजरात के अन्दर सिंचाई न हो लेकिन एक प्रोजेक्ट के कारण जो लोग उजड़ें, उनका पुनःसंस्थापन निहायत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिये और इसलिये अगर नए लोगों को नई सहूलियतें देने के बाद जो लोग बसे हुए हैं उनकी बरबादी करना न्यायोचित नहीं हैं इसलिये इस दृष्टिकोण से आप इन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये क्या कह रहे हैं। अभी केवल हाई पावर कमेटी आपने बनाई लेकिन ठोस रूप में कोई बात नहीं हुई इसलिये अच्छी बात है कि २१-२२ तारीख को आप इस बारे में चर्चा करेंगे, तो ठोस रूप में इस तरह को बात की जाय कि हम फलांनी जगह फलांनी तहसील में इतनी एकड़ जमीन, आर इसके लिये सुरक्षित रखते हैं, इतना पैसा उनको मुआवजा देने के लिये सुरक्षित करते हैं और सरकार अगर राजस्थान में या डूंगरपुर में या बांसवाडा में कोई जमीन ऐसी महसूस करती है कि वहां पर है तो इंडीकेट करेंगी कि इतनी जमीन क्या उसका मुआवजा, गुजरात सरकार को जो जमीन हम यहां से प्रोवाइड करेंगे उसके बदले मे क्या मिलेगा क्योंकि उसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की है। हम जो प्रोवाइड करें वह कैसे कम्पन्सेट होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति जी, इस बांध के प्रश्न को अनेक वार इस सदन में माननीय सदस्यों ने गंभीरता से लेकर रखा है राजस्थान सरकार का ध्यान भी आकर्षित कर दिया है कि इस प्रकार से उस क्षेत्र....

श्री सभापति : आपको भाषण नहीं करना है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : थोड़ीसी भूमिका बांध रहा हूं जिससे मंत्री महोदय की समझ में आ जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति जी का संकेत है, समझ लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूं कि इस बांध के कारण उस क्षेत्र के जो सैकड़ों गांव जिसके अन्दर आदिवासी लोग रहते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति वैसे हो खराब है, रोजगार का साधन नहीं और यदि वह गांव डूब में आ गया तो उन लोगों की आजीविका और रहने का क्या होगा वह बरबाद हो गए, राज्य सरकार की ओर से....

श्री सभापति : इस बारे में चर्चा हो चुकी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं।

श्री रोशनलाल : सब प्रश्न आ गए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन-जिन इलाकों में राज्य सरकार ने चाहा, नहर बनाई चाहा तो बांध बनाया। एक उदाहरण के लिए सवाई माधोपुर का जिक्र करना चाहता हूं। वहां गांव डूब में आ गए।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो चुकी है, विषयान्तर न हों।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डूब में आने के कारण राज्य सरकार कहां बसाएगी और कितने समय में बसाएगी और उसके साथ-साथ आजीविका के साधन मकान वगैरह इस बारे में सरकार क्या गारंटी देती है और साथ ही साथ गुजरात से और उन लोगों को बसाने के लिये जमीन किस तरह की लेगी मुआवजा किस तरह से लेंगे और उस इलाके के लोगों को नुक्सान न हो पाए, इस बारे में क्या गारंटी है ?

श्री रोशनलाल : सब प्रश्न आ चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक यह प्रश्न उठाया गया कि यदि राजस्थान में कोई भूमि मुआवजे के तौर पर आदिवासियों को जो इस बांध से प्रभावित होते हैं दी जाएगी, सरकारी भूमि तो उसका मुआवजा लिया जाएगा या नहीं। जो भी राजस्थान की भूमि अनआक्यूपाइड भूमि किसी को दी जायगी ? मुआवजे के रूप में उसकी कीमत राजस्थान सरकार गुजरात सरकार से लेगी क्योंकि उनको रिहेबिलीटेट करने का उत्तरदायित्व गुजरात सरकार पर है। इसलिये इस बारे में भ्रम नहीं होना चाहिये और वह तो मैंने इसलिये अर्ज किया कि अगर कोई थोड़ी बहुत भूमि उपलब्ध की जाती है और यदि कोई इच्छुक है लेने का तो कुछ व्यवस्था यहां भी की जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई गुजरात सरकार से रिजर्वेशन के लिये नहीं कह रहे हैं अथवा नहीं चाहते हैं अथवा प्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास भूमि बहुत कम उपलब्ध हो सकती है। यदि हम जंगलात का टुकड़ा दें इसलिये गुजरात सरकार से बात करके तय करना होगा और हमने पहले भी कहा है और अब भी कहेंगे कि जो लोग राजस्थान के इस बांध से प्रभावित होंगे उनको रिहेबिलीटेट करना उस समय से पूर्व करना, जब वह जलमग्न हो जाय, यह सरकार का उत्तरदायित्व है और इसकी अहमियत को सरकार महसूस करती है और उसी दृष्टि से जलमग्न होने से काफी पहले सबको किसी भी तरह से मुआवजा मिलना है जिनको बसाना मकान आदि चले जाते हैं, सारे के सारे जलमग्न होने से पहले इस बात को हम चाहते हैं और देखेंगे कि जलमग्न होने से पहले सारी व्यवस्था होती है। वह मैं माननीय सदस्यों को उन्हें जो चिन्ता है उस विषय में आश्वासन देना चाहता हूं।

एक प्रश्न यहां पर उठाया कि यह जो माही बजाज सागर है इसमें विद्युत् काम्पोनेन्ट है, उसको कम करने या न करने की क्या क्रियायें और प्रक्रियायें हैं, उस सम्बन्ध में तरह-तरह के विचार आए। अभी तक कोई ऐसा फैसला गुजरात सरकार से नहीं हुआ है। हम इस बात को वर्क आउट कर रहे हैं कि अगर विद्युत् काम्पोनेन्ट हटा दिया तो जो पानी विद्युत् के लिये साल भर रखना पड़ता है उसको रखने की जरूरत नहीं होगी, तो ऐसा हालत में पानी का उपयोग दो तरह से हो सकता है। एक तो यह कि डूंगरपुर इलाका उसकी डूब में तो आता है लेकिन बजाज सागर का बेनीफिट इरिगेशन की दृष्टि से नहीं मिलता है।

(३ म० प०)

इसलिये हम लिफ्ट इरिगेशन के जरिये डूंगरपुर इलाके में पानी दे देते हैं और उनकी आवश्यकता की पूर्ति के बाद जो पानी बचे वह कडाणा वालों को कहें कि तुम हाइट कम करो, तुम्हारा पानी का नुक्सान नहीं होता

Page No 102

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है, कडाणा की हाइट को रिड्यूस करने के लिये हमारे जो आर्गुमेन्ट्स् हैं वे दूसरे हैं वे तो हमने दिये ही हैं लेकिन उसके साथ ही साथ यह एक एडीशनल बात, और सोची जिसको वर्क आउट कर रहे हैं। उनकी रोशनी में भी हम बात करना चाहते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य अगर कोई है तो हम कितने लोगों को प्रभावित होने से बचा सकते हैं और डूबने वालों को बजाज सागर से पानी नहीं मिलता है तो उनको भी पानी दें ताकि उनके मन में भी यह हो कि डूब में गये लेकिन ईरिगेशन के लिये पानी मिला। इस योजना के बारे में मैंने यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

दूसरा मुद्दा यह उठाया कि कडाणा डेम बन रहा है और बजाज सागर को धीमी गति है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें ठोस कार्य डेम का कन्स्ट्रक्शन कहें तो वह नहीं हुआ। दूसरे काम जरूर हुए हैं। इसकी स्वीकृति प्लानिंग कमीशन से नहीं हुई। डेम का काम एक बार शुरू कर देते हैं तो उसको जारी रखना पड़ता है वरना नुकसान होता है। लेकिन अभी वर्किंग ग्रूप के डिस्कशन में और प्लानिंग कमीशन के सामने गुजरात सरकार के सामने यह तय हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आने वाला वर्ष है

(३.०२ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई श्रो उपाध्यक्ष, पदासीन)

बजाज सागर पर अबतक खर्च कर दिया और उनका जो शेयर बनता है उस शेयर की रकम वह हमें देंगे।

श्री नाथूराम : माही डेम पर कितना खर्च किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मेन डेम पर ठोस रूप से खर्चा नहीं हुआ है और दूसरे प्रिलिमिनरी वर्क्स हुए हैं। प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति नहीं थी, गुजरात का शेयर नहीं था। राजस्थान का बीस-बीस लाख रुपया कटता था। डेम का काम एक दफा शुरू कर देते हैं तो तेजी से करना पड़ता है।

श्री नाथूराम : बजाज सागर की स्कीम पहले बन कर प्लानिंग कमीशन के पास गयी, मुरारजी भाई ने इसका शिलान्यास किया, तो दस वर्ष तक ईरिगेशन नहीं दे सके तो क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शिलान्यास किया था। यह योजना दो तीन करोड़ रुपये की थी और वह केवल राजस्थान की ही बनाने की बात थी।

श्री नाथूराम : यह एग्रीमेन्ट राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच का है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : है।

श्री नाथूराम : उसमें साफ बताया गया है। प्लानिंग कमीशन से माही की मंजूरी नहीं होती है तो कडाणा का काम कैसे शुरू किया ? स्टे के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? सारांश में यह बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टे के लिये न तो कोई कार्यवाही की गई है।

श्री रोशनलाल : और न मंशा ही है।

Page No 103

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इच्छा का सवाल पैदा नहीं होता है। सिचाई का मामला है निकट भविष्य में गुजरात सरकार से तय करने वाले हैं चर्चा करके और उस तरफ हमने यह भी सोचा है कि यदि हमें संतोषजनक सफलता नहीं मिलती है तो स्टे करने और दूसरी बातों पर विचार करेंगे।

श्री नाथीसिंह : आपको आशा है संतोषजनक सफलता मिलेगी। आप कहते हैं कि जमीनें मिलेगी और किसी को विस्थापित नहीं होने देंगे। लेकिन इस ओर क्या प्रगति हुई है? आपने गुजरात सरकार से बात करके कितनी जमीन रिजर्व करवा ली है? आप कह रहे हैं कि रिजर्व नहीं हुई। जिनकी जमीन डूबेगी उनको संतोष होगा नहीं। उनको संतोष के लिये क्या आधार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछली बार यह कहा गया था सदन में कि गवर्नमेन्ट की ओर से ऐसा फोर्मल रिजोल्यूशन न करें जिसके सीरियस रिपरकशन हों और दूसरों पर भी उसका असर पड़े। मुझे जहां तक याद है आपकी ओर से ही यह सुझाव आया था उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया था कि हाउस में इस विषय पर स्ट्रांगली कहना ही पर्याप्त है। गवर्नमेन्ट यह स्टेन्ड लेगी और इरिगेशन मिनिस्टर यह स्टेन्ड ले रहे हैं। जिस तरह से प्रेशर में एग्रीमेंट किया है वह अनईक्वल है और आज भी वह बन रहा है और विस्थापितों को बसाने और कम्पन्सेशन और जमीन इयर-मार्क करने की बात है वह तो भुलावा मात्र है। एक्चुअली आप नहीं करवा सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा कि क्या राजस्थान सरकार की यह फर्म कन्वक्शन है कि कडाणा डेम की ऊंचाई ४१६ फीट से नीचे की जाय और क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि बिजली के कम्पोनेन्ट्स इसमें से निकाले जांय दूसरा क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि जिन लोगों का रिहेबिलिटेशन किया जाना है क्या यह उसका सारा दायित्व है? कडाणा डेम का, जिसका लाभ होगा गुजरात सरकार को, क्या उसका पूर्व सर्वे करवा कर गुजरात सरकार से पूरा कमिटमेन्ट ले लिया है जितनी भूमि की उनके लिये आवश्यकता होगी और कम्पन्सेशन देय होगा वह गुजरात सरकार राजस्थान सरकार को एडवान्स देगी? तीसरा क्वेश्चन है बजाज सागर के सम्बन्ध में। राज्य सरकार इस समय किस स्थिति में है? बजाज सागर का काम शुरू करना और प्लानिंग कमीशन की स्वकृति और करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेन्ट कर दिया उसका उपयोग लेना, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्पष्ट नीति क्या है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं उसके बारे में वैसे तो मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : स्पष्ट कह दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि जहां तक बजाज सागर के निर्माण का प्रश्न है, जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि अब इसको जल्दी शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये और एक कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राजस्थान ने जिस तरह से रुपया इसके लिये रखा है उस तरह

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

गुजरात ने भी रखा है और वर्किंग ग्रुप में बात हुई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। फोर्मल सेन्क्शन लेना है जो हम जल्दी ही ले लेंगे और इसको तेज गति से चलने में जहां तक मेरी जानकारी है अब तक, उसमें सन्देह नहीं है।

श्री भैरोंसिह : क्या माननीय मंत्री महोदय को कोई जानकारी है कि ऐसी स्कीम की प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति लेने के लिये तो केवल एक फोर्मेलिटी पूरी करने के लिये पोस्टपोन की जाती है। इसी प्रकार की स्थिति मैसूर और महाराष्ट्र के बीच और गुजरात और मध्य प्रदेश के बीत चल रही है। थ्रू आउट इन्डिया है यह उपाध्यक्ष महोदय, एक बात स्टेट गवर्नमेन्ट बजट में प्रावधान रखती है पर्टिकुलर स्कीम के लिये, टेक्निकल सेन्क्शन मिल गयी और प्लानिंग कमीशन के सामने फोर्मल सेन्क्शन की बात आती है तो आज तक कोई स्कीम पोस्टपोन नहीं की गई। इस स्कीम के लिये ही यह क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले प्लॉनिंग कमीशन धन के अभाव में ना करता रहा अभी की यह कही हुई बात नहीं है और मेरी बात नहीं है, पुरानी कोरेस्पोन्डेन्स है जो मेरे वक्त से पहले हुई थी सुखाड़िया साहब ने गाडगिल साहब को लिखा और गाडगिल साहब ने सुखाड़िया साहब को लिखा। रिसोर्सेज की कमी की वजह से इस स्कीम को मंजूर नहीं किया। चूंकि हमने फोर्थ फाइव इयर प्लॉन में प्रावधान कर दिया है और प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है और गुजरात सरकार ने कह दिया इसलिये फोर्मेलिटी है और रुपयों का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिह : बजाज सागर योजना का काम शुरू हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : अब चर्चा बहुत लम्बी हो चुकी है। समाप्त करें।

श्री नाथूराम : विषय बहुत गम्भीर है। आप पूरा समय दें।

श्री भैरोंसिह : मेरे दो प्रश्न रह गये उनका उत्तर हो जायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दूसरा कौन सा ?

श्री उपाध्यक्ष : ४१९ की हाइट को आप ठीक समझते हैं या उसे कम करवाना चाहते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम चाहते हैं कि ४१९ की हाईट में कमी हो जिससे कि जितना क्षेत्र हम बचा सकते हो बचा सकें। राजस्थान के प्रभावित क्षेत्र को इस दृष्टि से हम देख रहे हैं और गुजरात सरकार को ४ अप्रेल, १९६९ की मिटिंग में कहा था और उस पर विचार कर रहे हैं। चूंकि प्रभावित क्षेत्र के आंकड़े पुराने रिकार्ड के आधार पर थे इसलिये नया सर्वे करवा रहे हैं और अब हम वापिस इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कुछ कम हो।

श्री भैरोंसिह : कितनी कम हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये हम विभिन्न स्तरों की सर्वे करा रहे हैं। ४१९, ४१५, ४१२, ४१० और ४०५ इस विभिन्न स्तरों की सर्वे करा रहे हैं। और यह सब जल्दी हो जायेगा तब हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन सकेगी कि कितना पानी से लोस होगा ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : २१ तारीख को आप बात करना चाहते हैं और आज १७ तारीख हो गई है। तब क्या कहने वाले हैं उसमें। क्या ४०५ की हाईट के लिये कहेंगे ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हम तो जितनी हाईट कम हो सके उसके लिये कहेंगे ....

श्री भैरोंसिंह : आप कितनी कम कराना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम : यह कह दें कि ४०५ या ४१० करायेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आज नहीं कह सकते कि वह कितना मान लेंगे और कितना नहीं मानेंगे यह नहीं कह सकते परन्तु इसके साथ ही साथ हर स्तर पर कितना क्षेत्र डूब में आयेगा यह जानकारी कर रहे हैं। आज इसके कोई आंकड़े नहीं हैं।....

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ४१९ फीट में कितनी कमी करने के बारे में गुजरात सरकार के सामने प्रस्ताव रखेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम ४१९ के बैक वाटर इफैक्ट से उनको कितना पानी मिलता है उसके बाद १५ से १० से कितना पानी मिलता है और उस के मुकाबले क्षेत्र में क्षति कितनी होती है और कितनी कम होती है, यह हम देखेंगे। ४१९ के अलावा हर स्तर का ५५ % काम हो चुका है और ४५ % काम बाकी रहा है। इसके मुकम्मिल हो जाने पर ही तस्वीर सामने आ सकेगी। लेकिन अभी हम जनरल समस्या को डिसकस करने के लिये, रिजर्वेशन ऑफ लेण्ड के लिये कि वह कितनी हो, एक लाख हो या २ लाख हो। इसके फीगर के अंतिम निर्णय के लिये हम मिल रहे हैं। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जमीन को वहां रिजर्व करा लिया जावे और फण्ड्स राजस्थान सरकार के डिसपोजल पर हों। इन मुद्दों पर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : हाईट के बारे में क्या चर्चा नहीं होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाईट के बारे में भी चर्चा होगी ?

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके बारे में तहकीक सूचना तब दे सकता हूं जब हर स्तर के आंकड़े प्राप्त हो जायें। इसलिये हर स्तर की सर्वे चल रही है और उसके होने के बाद ही सही स्थिति का पता लग सकता है। इसमें ५५ % काम हो चुका है और ४५ % काम होना बाकी है जिसको जल्दी से करा देंगे। हाईट रिड्यूज करने के बारे में हम कह रहे हैं परन्तु उसके पहले अल्टरनेटली जो हम कहना चाहते है उसके पानी का हमें पता चल जाये तब हमें दोनों की पोजीशन का पता लग जायेगा और अनुमान से कुछ फीगर हमारे सामने रहेगी। यह ४५ % काम बाकी रह गया है वह एक डेढ़ महीने में पूरा हो जावेगा तब प्राइमा-फेसी तस्वीर मालूम हो जावेगी। जनरली हम इस बात को मान कर चल रहे हैं कि कम किया जाये ताकि क्षति कम हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ही सवाल है ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : जनसंघ के नेता का एक सवाल रह गया है। बिजली का प्रावधान बजाज सागर से हटाया गया है तो क्या राजस्थान सरकार कड़ाणा डैम से भी बिजली का प्रावधान हटवाने का प्रयास करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिजली का प्रावधान नहीं हटाया है जैसा उत्तर में बताया है हम इसे वर्क-आउट कर रहे हैं जिससे हम डूंगरपुर के हिस्से में लिफ्ट इरिगेशन कर सकें।

श्री नाथूराम : आपके सरकारी सर्वे में जितना टाइम लगेगा तब तक तो वह डूब में चला जायेगा। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप एग्रीमेंट को स्टे कर के उस पर पुनर्विचार कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप बात करेंगे २१ तारीख को।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आ चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजली के कम्पोनेन्ट को हटाकर इतना नीचा कर दें तब फिर किस बेसिस पर आप बात करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जितने भी तथ्य हैं उसकी चर्चा हो गई है। ऑर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : कई प्रश्न रह गये हैं। यह हजारों आदिवासियों के पुनर्वास का प्रश्न है। राजस्थान का अहित हो रहा है और इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बातें उठाई गई हैं अगर उन पर गुजरात सरकार ध्यान नहीं देती है तो क्या राजस्थान सरकार उसको इसके लिये पाबंद करेगी या नहीं यह बताया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो चुका है। ऑर्डर माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त •••

श्री नाथूराम : चर्चा जरूरी है। इससे राजस्थान का अहित हो रहा है। मैं एक दो प्रश्न और करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण प्रश्न था इसलिये दो घण्टे का अवसर दिया गया। आमतौर पर इस पर दस मिनिट की ही चर्चा होनी चाहिये।

श्री नाथूराम : सन्तोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। इस साल से सरकार इसमें डिले कर रही है। आपने कडाणा के पुनर्वास के लिये जो कमेटी बनाई है उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर के जन-प्रतिनिधि शामिल करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से पूछ लीजिये।

श्री नाथूराम : मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जाये ? इस पर मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री उपाध्यक्ष : दो प्रश्न हो चुके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

राजस्थान सरकार कम से कम इतना आश्वासन देगी कि ४१० एफ. आर. एल. तक यह लेविल पानी का रहे। क्या इस सम्बन्ध में सुझाव के रूप से सरकार गुजरात सरकार के सामने रखेगी। गुजरात सरकार इसे माने या न माने कम से कम अपने तौर पर आप यह कहें। आपके दिल में और कोई बात है, उसे आप यहां न कह कर और कुछ कहें। आपके मन में धारणा कुछ और हो और यहां कुछ और कहें, यह ठीक नहीं है मंत्री महोदय। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को क्या कहना है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सितम्बर ६९ में राज्य मंत्रिमण्डल ने ऐसा कोई फैसला किया था कि इसकी ऊंचाई ४१९ फीट के बजाय ४१२ फीट कर दिया जाये?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ४१२ में भी सब डूब में आयेगा।

श्री भैरोंसिंह : मंत्रिमण्डल ने फैसला लिया है उस पर कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने गांव डूब में आयेंगे और कितने लोगों को बसाया जायेगा यह बाद का प्रश्न है। यह अलग से प्रश्न है। मैं इस फैक्ट की जानकारी करना चाहता हूँ कि क्या सितम्बर ६९ में राज्य के मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया था कि इसकी ४१९ के बजाय ४१२ फीट ऊंचाई की जाये और साथ में पावर जेनरेशन को कम्पलीट ड्राप कर दिया जाये। इकोनोमिकली यह राजस्थान को फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार जो पावर जेनरेट होगी उसकी कास्ट ज्यादा होगी। इसकी फैक्च्युलिटी आप बता दीजिये।

श्री रामप्रसाद लखदा : उपाध्यक्ष महोदय, सितम्बर १९६९ के निर्णय के बारे में जो जानकारी चाहते हैं उसके बारे में जैसे मैंने पहले कहा था सरकार ने वेरियस लेवल्स पर इसकी ऊंचाई में कमी करने के बारे में विचार किया है उसमें ४१२ भी एक लेवल है ४१५ भी है और ४१० भी एक लेवल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्पेसिफिकली मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में जानकारी चाहते है ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है इस पर विचार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों के बारे में चर्चा करनी है अब इस विषय को समाप्त किया जाय।

श्री नाथूराम : पुनः इस विषय पर हाऊस में चर्चा होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। ऐसा है कि नाथूरामजी ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी उसका आशय होता है कि सरकार बहुत बड़ी है उसको बहुत काम है इसलिये इस बारे में ध्यान नहीं दे पायी हो उस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। ध्यान आकर्षित करके चर्चा होगई। अब प्रशासनिक मामला है कहां से किस स्टेज पर, क्या क्या बातचीत हुई किस प्रकार से बार्गेनिंग हुआ वह सब तो आ नहीं सकता।

श्री नाथूराम : यह राजस्थान की जनता के लिये और खास तौर से आदिवासी जनता के लिये जीवन-मरण का प्रश्न है। हजारों परिवारों के बेकार हो जाने का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सभी नियमों में देखकर दो ढाई घंटे इस चर्चा के लिये समय दिया। इस पर माननीय दलों के सभी सदस्यों ने विचार रख दिये हैं। अब आप सरकार को बाध्य ही करना चाहते हैं तो उसके लिये आप अलग से प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है माननीय मंत्री महोदय ने जो स्थिति थी उसको बतला दिया है। इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये इससे अधिक कुछ और हो नहीं सकता।

श्री मदनसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने यह बताया है कि ५५ प्रतिशत तय कर लिया है वह किस लेवल पर है ४१० पर या ४१२ पर यह ही बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण करने का उद्देश्य पूरा हो गया। इस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने का कार्य पूरा हो चुका।

श्री रोशनलाल शर्मा : आसन का ध्यान तो आकर्षित हो गया लेकिन इसमें सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में गवर्नमेन्ट २१ को बात कर रही है। हम यह सुझाव रखते हैं कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर मुख्य मंत्री उनसे बात कर लें। जिस प्रकार की बातचीत हो उसके आधार पर राज्य सरकार गुजरात सरकार से बात करें इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है। जिस बेसिस पर सरकार बात करना चाहती है उससे हम सन्तुष्ट नहीं है। मुख्य मंत्री सभी पार्टीज के प्रतिनिधियों की एक बैठक अपने चेम्बर में बुलाकर सब से बात करलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक ही मिनिट में सदन के समक्ष पढ़ दूं। कडाणा डेम के सम्बन्ध में जो केबिनेट मेमो पेश हुआ है जिसके बारे में मंत्रमंडल ने निर्णय लिया है। जिसकी जानकारी आप देना नहीं चाहते सदन से आप क्यों छिपाना चाहते हैं।

पैरा २९

"Therefore, considering both Irrigation and Power together and individually, one reaches the inescapable conclusion that Mahi is not an economically attractive investment. However, neither it is possible nor desirable at this stage to give up the irrigation portion completely because of two reasons:

(1) The height of Kadana Dam been kept lower by the Gujrat Government on the specific assurance of Rajasthan Government that the loss of storage on this account would be made up by supplies from Mahi Bajaj Sagar Project.

(2) The construction of Irrigation Porton of Mahi Project is necessary for claiming share of Narbada waters which we want to utilise for irrigation in Jalore and Barmer Districts.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

I, therefore, propose that the project may be recast for giving irrigation benefits alone and the power portion may not be deferred but deleted altogether from the scheme."

This was the Cabinet Memo.

सुखाड़िया जी ने खुद से पत्रकारों को बताया है कि इसकी ऊंचाई ४२० की करदी गई तो सारी जमीन डूब में आ जाती है।

केबिनेट ने पावर जनरेशन को बन्द कर दिया है उसके बारे में गुजरात सरकार से समझौता हुआ। इस स्थिति के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कुछ बातें अखबार की कटिंग से और कुछ केबिनेट मेमो से आपके समक्ष बात रखी हैं यह मैं नहीं समझता कि यह केबिनेट मेमो आपके पास आगया।

श्री नाथूराम : आपने जो मुझे कापी दी है, वही माननीय सदस्य ने पढ़ी है यह सारा मसाला ६ तारीख को मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुख्य मंत्री जी ने जो प्रेस कोन्फ्रेन्स में बात कही वह उनका लाउड थिंकिंग था। अगर बजाज सागर के पावर कम्पोनेन्ट को हटा दें तो उससे जो पानी रिजर्व रखने का था वह नहीं रखना पड़ेगा और इस तरह से वह पानी कडाणा डेम में जाय तो उससे जो क्वान्टिटी है वह बढ़ जाती है लेवल ४१२ तक हो जाय तब भी कोई इरिगेशन वाटर में सबस्टेन्शियल कमी नहीं आयेगी। यह एक लाउड थिंकिंग था इस वजह से इस प्रोजेक्ट को हम ४१२,४१० या उपर ४१५ कर देते हैं तो उससे इरिगेशन वाटर बजाज सागर से कडाणा को जायगा उससे कितना चेन्ज होता है या नहीं होता है इस बारे में अन्तिम रूप से गुजरात सरकार से बातचीत करके तय किया जायगा। जब तक इसको वर्क आउट नहीं करते है तब तक हम किस लेवल के बारे में गुजरात सरकार से विचार करें यह संभव नहीं है। ४१२ के बारे में जो वक्तव्य दिया है वह इसी आधार पर है। इसलिये ४१२ के फिगर को ही फाइनल मान लें ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब है मुख्य मंत्री जी ने अन्दाज से कहा था। तथ्य नहीं था यह।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई एक्चुअल इन्वेस्टीगेशन और सर्वे होकर डिटेल्ड एग्जेमिने होकर स्टेटिस्टिकल फेक्ट्स और फिगर्स केलकुलेट करके नहीं कहा। प्रिलिमिनेरी बात के आधार पर अनुमान लगाया गया है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सन्तोष जनक जवाब नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सन्तोष तो जब हटे हो जावे तब मिलेगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : पुनर्वास के बारे में। पुनर्वास कमेटी बनाई है। उनमें सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया जावे ताकि वे तमाम मामले को देख।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य इच्छुक हैं कि रिहैबिलिटेट करने के लिये एडवाईजरी कमेटी है उससे बांसवाडा और डूंगरपुर के जन प्रतिनिधि हों तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक जन प्रतिनिधि बांसवाडा डिस्ट्रिक्ट से और एक डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से और सम्मिलित कर लिये जावेंगे।

रोशनलाल शर्मा: हाई पावर कमेटी बनाई जावेगी वह कब तक बन जावेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस हाई पावर कमेटी का ऐलान भी सात आठ रोज में कर दिया जावेगा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति का गठन किया जावे इसके लिये मैंने निवेदन किया था।

एक माननीय सदस्य : जिन काश्तकारों की डूब में जमीन आवेगी क्या उस जमीन के एवज में जमीन दी जावेगी अगर हां तो किस स्थान पर दी जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : सुबह से रामायण पढ़ी जा रही है और शाम को आप पूछ रहे हैं सोता कौन थी।

श्री भैरोंसिंह : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि तीस तारीख से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से बात करने जावें तो सदन को कान्फीडेन्स में लेने के लिये विभिन्न दलों के सदस्य और नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता को बुलाकर चर्चा कर ली जावे ताकि पूरी स्थिति का विश्लेषण किया जा सके और उसको मीटिंग के वक्त रखा जा सके।

श्री रोशनलाल शर्मा : कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं ही।

श्री भैरोंसिंह : सदन के नेता समझ लें।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमारी पार्टी में अलग अलग नेता नहीं होते।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्यमंत्रीजो के साथ रोशनलाल जी और नाथूरामजी भी बैठ जावें। आप नहीं बैठना चाहें तो हमें आपत्ति नहीं है सब सदन की ओर से बैठकर चर्चा करलें तो पूरी जानकारी मिल जावे लोगों को सन्तोष भी हो जावे। गुजरात के सामने हमारा केस किस प्रकार से रिप्रेजेन्ट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के सामने इसके लिये हम सब अपने सुझाव भी प्रस्तुत करदें जो गुजरात सरकार के सामने रखने है जिससे राजस्थान की जनता का हित बच सकें।

मुझे आशा है माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्षजी सदन की अलग-अलग पार्टियों के मेम्बर एक जगह बैठ कर बातचीत के अन्दर सारी स्थिति को समझना चाहते हों तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। बातचीत की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार। श्री शिक्षा मंत्रीजी !

अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च,

Page No 111

(श्री शिवचरण माथुर)
१९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३८,५७,३६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विधि मन्त्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खाँ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,२,२३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६५,१४,०००) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह!

मांग संख्या १५, ११ व १० पर निम्नांकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या १५

१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा द्वारा मात्र लिपिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है; इस विषयक सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या ११

२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बन्दियों को उचित, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा न दिये जाने पर पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया (जयपुर में वादों के अनुपात में न्यायालय न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

४. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की ढिलाई, पक्षपातपूर्ण नीति एवं उचित सुविधा न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में सुशिक्षा एवं चिन्तन के लिये उचित वातावरण की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को सस्ता, चुस्त, उचित समय में मिलने विषयक चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

७. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालयों में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

८. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के कारण उन अध्यापकों की बच्चों को पढ़ाने में दिलचस्पी न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों में भवनों के अभाव पर चर्चा के लिए) ।

१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकण्डरी एवं सैकेण्डरी स्कूलों में टेक्निकल क्लासेज के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १०

११. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में मुकदमों के फैसला करने में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

१२ श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (वर्त्तमान शिक्षा पद्धति से क्लर्कों तथा बेकारों की बढ़ोतरी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

१३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नये कॉलेज न खोले जायें और शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा भी दी जाए जिससे विद्यार्थी आत्म निर्भर हो सकें, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११

१४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को नैतिक व धार्मिक शिक्षा देने की कारागारों में उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १०

१५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (न्याय, सुलभ, सस्ता व शीघ्र मिलने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

१६. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्त्तन करने पर चर्चा के लिए) ।

१७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की कंवास मिडिल स्कूल को सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नति पर चर्चा के लिए)।

१८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बालोतरा सैकेन्डरी स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नति पर चर्चा के लिए)।

१९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में हरसाणी, भीयाड, वाटांग प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नति पर चर्चा के लिए)।

२०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं के भवन-निर्माण में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिए)।

२१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर हायर सैकेन्डरी स्कूल में पानी की उचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

२२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार द्वारा न्यायपालिका (Judiciary) और कार्यपालिका (Executive) को सम्पूर्ण रूप से पृथक नहीं करने पर चर्चा के लिए]।

२३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन सुलभ और सस्ता नहीं होने से जनता में तीव्र असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

२४ श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील मुख्यालयों पर सैकेन्डरी स्कूलें खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२५. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में नई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु बजट प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (पब्लिक स्कूल्स को अनुदान बन्द करने की बजट भाषण में कोई घोषणा नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निटादनू, जिला झुन्झुनू में मिडिल स्कूल खोलने की बजट में व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले की राजकीय मिडिल स्कूल्स शेखसर और महरा-

Page No 114

(श्री रामनारायण चौधरी)
दासी को सैकेन्डरी स्कूल्स बनाने हेतु बजट में कोई व्यवस्था नही है, इस पर चर्चा के लिए)।

२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की राजकीय सैकेन्डरी स्कूल बिसाऊ को हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाने को बजट में व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले को टमकोर कस्बे में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने को व्यवस्था बजट में नही रखो गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले की हायर सैकेन्डरी स्कूल नुग्रा में विज्ञान की कक्षाएं खोलने की बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में एक भी राजकीय कॉलेज का प्रावधान बजट में नहीं है तथा झुन्झुनूं की राजकीय हायर सैकेन्डरी स्कूल को कॉलेज बनाने की बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

३३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (खेतड़ी तथा नवलगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति नहीं हुई है तथा स्थान खाली पड़े हैं, जिनके कारण जनता परेशान है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

३४. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम अलीगढ़, जिला टोंक की कन्या पाठशाला को प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)

३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (उनियारा माध्यमिक शाला, जिला टोंक को अभी तक उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित न करने पर चर्चा के लिए)।

३६. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जिला टोंक में शिक्षा की ओर सरकार द्वारा उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

३७. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर कॉलेज में कला व वाणिज्य में एम० ए० कक्षाएं खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

३८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

Page No 115

(श्री नत्थीसिंह)

कम कर दिया जाय (बीकानेर व जोधपुर जेलों में गंगानगर के सत्याग्रहियों की हुई मृत्यु पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

३९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अभियोक्ता शाखा को पुलिस विभाग से पृथक् कर न्याय-प्रशासन में विलीन करने के सम्बन्ध में की चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

४०. श्री मूलचन्द डागा (पाली): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (विद्यार्थी सक्रिय राजनीति में भाग न लें, इस सम्बन्धी कोई तरीका या हल ढूंढने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली में छात्रों और छात्राओं को धूप व खुले स्थानों में पढ़ाया जाता है; भवनों की उचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु०) कम कर दिया जाय (पाली शहर में विद्यार्थियों के खेलने के लिये मैदानों की व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (महाविद्यालय के छात्रों द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

४५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुभवी एवं योग्य वकीलों में से ही मुन्सिफ, सिविल जज आदि पदों पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही सिविल न्यायालय से बाली व देसूरी तहसीलों के हटाने पर चर्चा के लिये)।

४७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सिविल जज पाली का jurisdiction बाली और देसूरी तहसीलों तक बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

४८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय विभाग की सतर्कता और क्षमता की कमी के कारण हाई कोर्ट द्वारा नियम उप-नियमों को अवैध करार देने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द डागा)

४९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आजकल न्यायालयों में समय पर फैसले न देने के कारणों पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये)।

५०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आजकल की अदालतों में अनुभवी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट व जजों की नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)

५१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांगों में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय देरी से मिलने के कारणों पर विचार हेतु चर्चा के लिये)।

५२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाई कोर्ट व राज्य मन्त्रालय द्वारा छुट्टियों की एक रूपता नहीं होने पर विचार हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

५३. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ में हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में माध्यमिक पाठशालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

५५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों के बन्दियों की खुराक की मात्रा में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

५६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा सैशन जज का स्थान खाली है, तत्काल रिक्त स्थान की पूर्ति करने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

५७. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर-सु.): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में स्कूलें खुलवाने तथा अधूरे भवनों को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये)।

५८. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में 'लाइब्रेरी' की सन्तोषप्रद व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

५९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में

Page No 117

(श्री जुझारसिंह)

हाई स्कूल व मिडिल स्कूल भवन बड़ी तादाद में अधूरे होने तथा उन्हें पूरा नहीं कराने अथवा नये भवन नहीं बनाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

६०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण छात्रों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने व उनमें सामाजिक भावना बढ़ाने हेतु रेजिडेन्शियल स्कूल्स खोलने सम्बन्धी योजना चालू करने पर चर्चा के लिये)।

६१. श्री देवीलाल मीणा (सराडा-सु.): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव सेमारी में सैकेन्डरी स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव अदवास में प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के गांव देपुरा में सैकेन्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में प्राइमरी कन्या स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

६५. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के शिक्षकों को एवं स्कूलों को विभाग के अधीन लेने बाबत चर्चा के लिये)।

६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (एस० टी० सी० ट्रेंड बेकार अध्यापकों को नौकरी दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६७. श्री विजयसिंह (मकराना): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की ओर सरकार की उदासीनता के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

६८. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.): मांग संख्या १५-मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में आदिवासी छात्रों को होस्टल की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६९. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की स्कूलों का ठीक प्रकार से संचालन न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया

(श्री मूलचन्द कटेवा)
कम कर दिया जाय (ग्रामों में पर्याप्त कॉलिजेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम दिया जाय (स्कूल भवनों के निर्माण के लिये धन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कम दिया जाय (विद्यार्थियों में पर्याप्त अनुशासन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

७३. मांग संख्या १५, मुख्य, शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राथमिक शिक्षा वापिस ली जाने पर चर्चा के लिये)।

७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) कम कर दिया जाय (राज्य की सहायता प्राप्त सैकेन्डरी स्कूलों में स्टॉफ को राणावत कमीशन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पे-स्केल की भुगतान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

७५. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम माजरा, तहसील बहरोड़ जिला अलवर की प्राथमिक कन्या विद्यालय को माध्यमिक शाला बनाने पर चर्चा के लिए)।

७६. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सब-डिविजन बहरोड़ में जहां १६ सैकण्डरी एवं हायर सैकन्डरी स्कूल हैं, उसे देखते हुए कॉलेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

७७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (बहरोड़ सब-जेल के भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

७८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता एवं शीघ्र न्याय गत २३ वर्ष की आजादी के बाद भी नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार पनप रहा है, इस पर के लिए)।

मांग संख्या १५

७९. श्री हरलालसिंह खर्रा(श्री माधोपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल, जयतुसर में सहायता के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

८०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर तहसील में कालेज नहीं होने से गरीब छात्रों का उच्च शिक्षा से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

Page No 119

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

मांग संख्या १२२

८१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२ कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (नीम-का-थाना सब कारागार में कैदियों के लिये उपयुक्त मकान नहीं होने से कैदियों की परेशानी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

८२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर में Ist class मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज का कार्यालय नहीं होने से जनता को महंगा न्याय मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

८३. श्री नन्दलाल (किशनगञ्ज) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में १००) रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में तहसील शाहबाद में रायपुर, तहसील किशनगंज में रामगढ़ तथा तहसील अटरू में 'अडीन्द' गांवों में माध्यमिक शालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

८४. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ग्रामीण व हरिजन आदिवासियों की शिक्षा में सुधार एवं उनकी कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

८५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के प्रत्येक जिले के कारागार में सुधार की आवश्यकता एवं उनके विकास पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

८६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के न्याय प्रशासन द्वारा समय पर निर्णय न देकर वर्षों तक लम्बा किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

८७. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से ३००) रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा कार्य पर बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

८८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों की व्यवस्था ठीक नहीं है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

८९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय गरीबों को

(श्री फूलचन्द बाफना)

उपलब्ध नहीं हो पाता है, अतः धनवान व गरीब को समान रूप से न्याय मिले, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

९०. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे में कालेज खोले जाने हेतु सारी परिस्थितियां विद्यमान होते हुए भी कॉलेज न खोले जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

९१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर गर्ल्स माध्यमिक शाला में पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों को पढ़ाने हेतु अध्यापिकाओं के अभाव के विषय में चर्चा के लिए)।

९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर हायर सैकेन्डरी स्कूल में एस० टी० सी० की समाप्ति पर बड़ा फार्म मिल जाने पर भी कृषि कक्षाएं न खोले जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

९३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे में प्राथमिक एवम् बॉयेज हायर सैकेण्डरी स्कूल एवम् गर्ल्स स्कूल भवनों में छात्रों की बढ़ती संख्या के बावजूद विशेष कमरे निर्माण हेतु राशि का प्रावधान न करने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

९४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर की माध्यमिक शाला कुण्डेरा को समुन्नत कर हायर सैकेण्डरी स्कूल न किए जाने के विषय में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

९५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर स्टेशन पर नव निर्मित कारावास भवन में नल एवम् बिजली तथा कम्बलों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

९६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कलेक्टरेट के समीप नव निर्मित कारागार भवन कतई अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

९७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (Addl. District Judge Court सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर न खोला जाकर गंगापुर में खोलने संबंधी चर्चा के लिए)।

९८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में वर्षों से पेन्डिंग मुकदमों का शीघ्र निबटारा न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

९९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
१०० रुपया कम कर दिया जाय (Judicial Executive seperation के बावजूद पुराने पैंडिग मुकदमे S. D. M. सवाई माधोपुर की कोर्ट से मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय को हस्तान्तरित न किए जाने के विषय पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

१००. श्री गोकुलचन्द (खैरथल) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २ –शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ कन्या प्राथमिक विद्यालय को मिडिल स्कूल में परिवर्तित किये जाने के विषय पर चर्चा के लिये)

१०१. श्री शिवनार्थसिंह (गुढ़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इतिहास विषय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

१०२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिला मुख्यालय पर सरकारी सांइन्स कॉलेज खोलने पर चर्चा के लिए)।

१०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की प्राईवेट संस्थाओं के द्वारा शासकीय नियमोपनियम लागू करने पर चर्चा के लिए)।

१०४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट स्कूल तथा कॉलेजों में अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

१०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पढ़ाई के स्तर में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

१०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विश्व-विद्यालयों के प्रबन्ध में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

१०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

१०८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की शिक्षा नीति निर्धारित करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

१०९. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं में जेल भवन निर्माण की चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

११०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में बहुमुखी सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री शिवनाथसिंह)

१११. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में न्याय में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए) ।

११२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (समाज के गरीब तबके को सस्ता न्याय दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

११३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जाय (District & Sessions Judge के लिए निर्धारित पांच Selection scale की पोस्टों में आने वाले को Selection scale नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए) ।

११४. मांग संख्या १० मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (पब्लिक प्रोसीक्यूटर झुन्झुनूं की पोस्ट के लिए निर्धारित वेतन के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

११५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांय (हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में खोले जाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

११६. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा :(अकलेरा) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांय (राज्य के स्कूलों में व्यर्थ पड़े सैंकड़ों रुपयों के सदुपयोग पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या ११

११७. मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांय (राज्य की जेलों की स्थिति सोचनीय है तथा कैदियों के साथ जेलों में अमानवीय व अभद्र व्यवहार किया जाता है, इन पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

११८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (न्याय-व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता व इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : ११९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांयं (मावंडा खुर्द नीम का थाना) में सैकेन्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : १२०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांय (Aided schools को Higher Secondary schools में Raise करने पर Aid न देने पर चर्चा के लिए) ।

१२१. श्री हंसराज आर्य (भादरा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं, राजस्थान में शिक्षा प्रणाली से बेकारी, अनुशासन-हीनता, उद्दण्डता, उच्छृंखलता आदि की भावनाएं पनप रही हैं, उनके सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

१२२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (बन्दियों को बन्दी गृहों में उचित सहूलियतें प्राप्त नहीं हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १२

१२३. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (अनुसूचित व जन-जाति के ट्रेन्ड लड़के लड़कियों की नौकरी अनुपात में नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (पंचायत समितियों के अध्यापकों की नियुक्ति आदि की प्रशासनिक व्यवस्था शिक्षा विभाग के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रेज्युएट व पोस्ट ग्रेज्युएट को उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (अध्यापकों को सिनियेरिटी, एरियर्स एवं अवकाश प्राप्त अध्यापकों के एरियर्स के मामलों में जो धांधली आदि चल रही है, उस सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (बारां नगर में माध्यमिक स्कूलों में करीब तीन चार हजार छात्रों को संख्या को देखते हुए नगर में दूसरा मिडिल स्कूल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जाये (अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बिर्जापुर सोरसन में तथा अटरू पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम अरडान में मिडिल स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक,२८–शिक्षा के अंतर्गत मांग से से १०० रुपये कम कर दिये जायं (जिन जिन स्थानों पर ईसाइ स्कूलें हैं इन स्थानों पर सरकारी स्कूलेंनहीं खुलने के कारण ईसाइयों द्वारा जबरन धर्म परिवर्त्तन करने हेतु ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उनके मानस पर कुप्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

१३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (जिला

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कोटा को मांगरोल, शाहबाद तथा अन्ता हाई स्कूल व सैकन्डरी स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक, २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (Aided Schools को सहायता, अनुदान और विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति आदि में चल रही धांधली पर चर्चा के लिए) ।

१३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (कोटा बालिका हाई स्कूल भवन की दुर्दशा व स्थानाभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१३३. मांग सं० १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (एस० टी० सी० ट्रेन्ड सैकड़ों लड़के लड़कियां बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

१३४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक, २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (प्रौढ़ शिक्षा दूषित होने के कारण, इस पर हो रहे धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जांय (छात्रावासों को दी जाने वाली अनुदान की रकम में चल रहे पक्षपात एवं घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ११

१३६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिये जायं (जेल के सिपाहियों को पुलिस विभाग के सिपाहियों के समान वेतन व ड्रेस आदि मिलने पर चर्चा के लिए) ।

१३७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जायं (जेल के आई० जी० पी० द्वारा जेल के कर्मचारियों के प्रमोशन एवं स्थानान्तरणों में किए जा रहे पक्षपात एवं धांधली पर चर्चा के लिए) ।

१३८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाये (आई० जी० प्रिजिन्स द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके अनुचित रूप से बिजली पानी, मकान व बेगारी आदि का लाभ उठाने पर चर्चा के लिए) ।

१३९. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर, जोधपुर आदि सैंट्रल जेलस में बन्दियों की निर्मम ढंग से मृत्युएं हो गई, इस पर चर्चा के लिये) ।

१४०. मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि सेन्ट्रल जेलों में बन्दियों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं उनके द्वारा न्यायोचित मांगों को लेकर की जाने वाली भूख हड़ताल के समय किये जाने वाले अत्याचार आदि पर चर्चा के लिए) ।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

१४१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा जेलों में कारखाने व वर्क शाप्स में काम करने वाले कैदियों से नियमों के विरुद्ध अधिक काम लेकर तथा उनको पूरी मजदूरी नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

१४२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बारां सब-जेल में व्याप्त गंदगी, खराब भोजन एवं स्थानाभाव के बाद भी भेड़ बकरियों की तरह साठ-साठ, सत्तर-सत्तर बन्दियों को रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

१४३. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (बारां सब-जेल में मुल्जिमों की संख्या को देखते हुए अच्छे व बड़े जेल भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

१४४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१४५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (लोकपाल व लोक आयुक्त के पदों पर नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

१४६. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत, मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में टोडारायसिंह क्षेत्र में शिक्षा में खामियां पूरी की जाए, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

१४७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में न्याय लोगों को सुलभता से नहीं उपलब्ध हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

१४८. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली की वर्तमान पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१४९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत, मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अधीन शिक्षकों की दुर्दशा हो रही है, इसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इसकी मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों के अधीन रखने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

(श्री शंकरलाल)

मांग संख्या १०

१५१. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता, सरल व जल्दी न्याय न मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या १५

१५२. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा का बजट ५० करोड़ तक पहुंचने वाला है किन्तु यह भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

१५३. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कारागार के सम्बन्धित अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस पर चर्चा के लिए)

मांग संख्या १०

१५४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन स्वतन्त्र हो एवं जनता को शीघ्र न्याय मिले इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

१५५. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा की ग्राम पंचायत, चांदरणा में हाई स्कूल खुलवाने हेतु जनता द्वारा भवन बनाकर देने पर भी हाईस्कूल नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

१५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा दौसा में कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

१५७. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हुर्डा, बनेड़ा तहसील में शिक्षा प्रसार पर सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

१५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों की शोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

१५९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षा को विभिन्न श्रेणियों पर प्राथमिकता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १०

१६०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (न्याय शीघ्र और सस्ता बनाने में राज्य सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

Page No 127

मांग संख्या १५

१६१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (निवाई सैकन्डरी स्कूल को हायर सैकन्डरी में पदोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

१६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में अनावश्यक व गलत किताबों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई होती है, इस पर चर्चा के लिये)।

१६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों व अन्य पुस्तकों के समय पर नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

१६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में पंचायत समितियों से बी० ए० व बी० एड० पास अध्यापकों को शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी नहीं लेने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

१६५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के सत्याग्रहियों के भोजन आदि की खराब व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १०

१६६. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना पर व के लिये)।

मांग संख्या १५

१६७. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद तहसील के हरनावदी मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में परिणित किये जाने के बाबत चर्चा के लिए)।

१६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १००) रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मिडिल स्कूल, सैकन्ड्री स्कूल व हायर सैकन्ड्री स्कूल खोले जाने में पक्षपात बरतने पर चर्चा के लिए)।

१६९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद गर्ल्स मिडिल स्कूल में स्कूल भवन के अभाव पर चर्चा के लिए)।

१७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद, सारथल, हरनावदाशाहजी के व छबड़ा के व हाईस्कूलों के भवनों की दुर्दशा से विद्यार्थियों को होने वाले कष्ट के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

१७१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा जेल

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
जेलर द्वारा की जाने वाली नाजायज कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

१७२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक२२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बारां, छबड़ा सब-जेल की हालत खराब है एवं बन्दियों के रहने के स्थानाभाव व गंदगी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १०.

१७३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक२१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया का कर दिया जाय (छबड़ा में मुन्सिफ कोर्ट को हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके राजनैतिक आधार पर अटरु कैम्प पर ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७४. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक२१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता व सुलभ न्याय नहीं मिलने के कारण जनता में फैल रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

१७५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा नगर में प्राइमरी व माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों की जीर्णावस्था पर चर्चा के लिए) ।

१७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कॉलेजों में लेक्चरार्स की पदोन्नतियों में सौतेला व्यवहार बरता जाता है, इस पर चर्चा के लिए)

१७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान में पुस्तकों की चोरी पर चर्चा के लिए) ।

१७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था के परिणामस्वरूप विवेकानन्द छात्रावास में हुई हत्या के कारण उत्पन्न असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिए) ।

१७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कोटा लॉ कॉलेज में श्रमिक विद्या का डिप्लोमा कोर्स रखने पर चर्चा के लिए) ।

१८०. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८— शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की मौजुदा प्रणाली में छात्रों में नैतिक भावनाओं का पतन हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए) ।

१८१. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक२८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली से बेकारी बढ़ रही है जिसे सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

१८२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया

(श्री सुवालाल चौधरी)
कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की देखरेख में चलने वाली प्राइमरी स्कूलों को उनकी देखरेख से हटा कर उनको शिक्षा विभाग के अंतर्गत देने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

१८३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (साली, रहलाना, सेवा, बोदास स. मै. मिडिल स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

१८४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मोजमाबाद हाई स्कूल को हायर सैकेन्ड्री स्कूल में परिवर्तित करने व विज्ञान विषय खोलने पर चर्चा के लिए) ।

१८५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दुदू के कार्यालय पर ग्राम में हायर सैकन्डी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिए) ।

१८६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की व्यवस्था करने में सरकार द्वारा क्षेत्रीय भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिए) ।

१८७. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर कर दिया जाय (जालोर, हायर सैकेन्डी स्कूल का अधूरा भवन पूरा होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए क्योंकि वहां के विद्यार्थियों को इसके बिना अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,पर चर्चा के लिए)।

१८८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार अधिकारी,पंचायत समिति लाडनूं के विरुद्ध गंभीर आरोप सिद्ध होते हुए भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए) ।

१८९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक२८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टी पर्पज हायर सैकेन्ड्री स्कूल, लाडनूं को अधिग्रहण करते समय फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

१९०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (जौहरी मल्टी पर्पज हायर सैकेन्ड्री स्कूल, लाडनूं के नाम को बदलकर राजकीय स्कूल कर देने के आदेश को सरकार पालन करवाने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

१९१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जे० बी० हायर सैकन्ड्री स्कूल, लाडनूं में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करवाने में सरकार द्वारा ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिए) ।

१९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जे० बी० हायर सैकन्ड्री स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा

(श्री हरजीराम बुरडक)
गलत रूप से हटाये गये अध्यापकों की अपील पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिए)।

१६३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जे० बी० हायर सेकण्ड्री स्कूल को सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

१६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जे० बी० हायर सेकण्ड्री स्कूल, लाडनूं के विधान व संचालक मण्डल नियम विरुद्ध होने के संबन्ध में चर्चा के लिए)।

१६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा गलत रूप से अध्यापकों के स्तानान्तरण करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिए।

१६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा गलत रूप से अध्यापकों की नियुक्ति करने पर चर्चा के लिए)।

१६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय निरीक्षक, जयपुर द्वारा अनियमित रूप से अध्यापकों की नियुक्ति करने पर चर्चा के के लिए)।

१६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विद्यालय निरीक्षक, नागौर द्वारा सामान खरीदने में किए गए घोटाले पर चर्चा के लिए)।

१६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में पदोन्नत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

२००. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी शिक्षा में खर्चा कम करने और ऊंची शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने पर चर्चा के लिए)।

२०१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हाइस्कूल निम्बी, जोधा, जिला नागौर में वाणिज्य कक्षा नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

२०२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सेकण्ड्री स्कूल, मीठड़ी, जिला नागौर में वाणिज्य कक्षा नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

२०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला शिक्षणालय, नागौर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

२०४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कम कर दिया जाय (अजमेर की शिक्षण संस्थाओं में गलत रूप से दिये गये ऋण और उसके दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (दयानन्द कृषि कॉलेज, अजमेर के प्रिन्सिपल द्वारा किये गये गबन-घोटालों पर चर्चा के लिए)।

२०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार अधिकारी, लाडनूं को राजनैतिक आधार पर गलत रूप से संरक्षण देने तथा बार-बार हुये स्थानान्तरण को रद्द करने पर चर्चा के लिए)।

२०७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल, रताऊ के रिटायरशुदा एक अध्यापक के पेन्शन के कागजों को फाइनल करने में की जा रही अनावश्यक देरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२०८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं पर लागू सरकारी आदेशादि के पालन करवाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

२०९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जौहरी मस्ती पर्वज हायर सैकण्डरी स्कूल, लाडनूं के संचालकों द्वारा सरकारी सहायता का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए)।

२१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर स्कूलों को अपग्रेड करने पर चर्चा के लिए)।

२११. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को सेवा में न लाये जा सकने पर चर्चा के लिए)।

२१२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों तथा प्रशिक्षकों की लापरवाही व गलती के कारण छात्रों में हो रहे आपसी दंगों पर चर्चा के लिए)।

२१३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सरस्वती बालिका विद्यालय, अजमेर के संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी व समय पर स्टाफ को तनख्वाह नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

२१४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (किसान संघर्ष समिति के सत्याग्रहियों के लिए जेलों में सरकार द्वारा सुचारू व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिए)।

२१५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

Page No 132

(श्री हरजीराम बुरड़क)
कम कर दिया जाय (जेलों के लिए चिकित्सा व्यवस्था पर आवश्यक धनराशि खर्च नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२१६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. रुपया कम कर दिया जाय (जेल विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की पदोन्नति में बर्ते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

२१७. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२१८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (न्यायपालिका–कार्यपालिका के पृथक्करण के मामले में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

२१९. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (स्कूल व कॉलेज भवनों की वर्षों से मरम्मत नहीं की जा रही है, विशेषतः बूंदी कॉलेज के अधूरे भवन को पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२२०. श्री रूपसिंह (सरदार शहर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के स्थानान्तर एवं नियुक्तियों में सरकार द्वारा पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

२२१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (सत्याग्रहियों के साथ कारागार में दिये जाने वाले भोजन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

२२२. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की बहुसंख्यक जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए जयपुर में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग पर चर्चा के लिए)।

२२३. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१ न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायाधीशों के रहने के मकानों की उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

२२४. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वर्तमान दूषित शिक्षा प्रणाली व शिक्षकों को पूरी सुविधा देने में सरकार ने ढिलाई व लापरवाही बरती है, इस पर चर्चा के लिए)।

२२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पांचू, तहसील नोखा की मिडिल स्कूल को हायर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
सैकेन्ड्री में परिवर्तित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

२२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गुसाईसर, जिला चुरू में मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

२२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कूचोर (आथूणी) में मिडिल स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

२२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ कस्बा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलने व शिक्षा में पक्षपात करके जनता को जानबूझकर अशिक्षित रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

२२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम नापासर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं खोलने से जनता आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

२३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जसरासर की मिडिल स्कूल को माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित न करने के संबन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

२३१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२--कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कारागारों में रहने वाले कैदियों की आधी से अधिक जेल काटने के बाद भी कृषि फार्मों पर नहीं भेजने के संबन्ध में चर्चा के लिए)।

२३२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के सत्याग्रहियों को भरतपुर की जेल में रहने के लिये ठीक व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

२३३. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के सत्याग्रहियों को जोधपुर जेल में समय पर खाद्य सामग्री व अन्य सुविधा देने में सरकार ने उदासीनता दिखलाई, इस पर चर्चा के लिए)।

२३४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की जेल में गंगानगर के सत्याग्रहियों को चिकित्सा व खाद्य सामग्री समय पर न मिलने के कारण सत्याग्रहियों की मौत पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

२३५. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में न्याय प्रशासन में सरकार द्वारा दखलंदाजी करने से जनता को सही न्याय नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२३६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजर्षि कॉलेज, अलवर में हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए) ।

२३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

२३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बुर्जा, तहसील अलवर में प्राथमिकशाला को माध्यमिक शाला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

२३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (छात्रों को छात्रवृत्तियां बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

२४०. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में स्कूल नौगांवा, बोरी और कन्या मिडिल स्कूल परतापुर को उच्च माध्यमिक शाला में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये) ।

२४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–कृषि के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार व उच्च शिक्षा में कमी पर चर्चा के लिये) ।

२४२. श्री रावतराम (छापर-सु०) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सहू, तहसील सुजानगढ़, जिला चुरू की प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में बदलने हेतु चर्चा के लिये) ।

२४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर डिविजन में अनिवार्य शिक्षा शालाओं को शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णतः अपने अधीन लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२४४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल, राजलदेसर (चुरू) के स्टाफ का बकाया वेतन व एरियर नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२४५. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर में नये छात्रावास खोलने व वर्तमान छात्रावासों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

२४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पोकरण हायर सैकेन्डरी स्कूल में विज्ञान व वाणिज्य की कक्षा की आवश्यकता एवं इस जिले की कुछ माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ११

२४७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

Page No 135

(श्री बालसिंह सोढा)
कम कर दिया जाय (जैसलमेर व पोकरण कारागारों में भवनों की अपूर्णता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १०

२४८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रु० कम कर दिया जाय (जैसलमेर व पोकरण में स्थाई रूप से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

२४६. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षा सम्बन्धी सरकार की वर्तमान असफल नीति का अननुमोदन) ।

२५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में बालक व बालिकाओं की हाईस्कूल को हायर सैकेण्डरी नहीं बनाने से गरीब जनता को होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव बदबिराना-गंधेली में मिडिल स्कूल नहीं खोली जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन में हायर सैकेण्डरी कक्षा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

२५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में कृषि विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिये इस पर चर्चा के लिये) ।

२५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्रौढ़ शिक्षा के नाम से रात्रि पाठशालाएं चलाने सम्बन्धी फर्जी रिपोर्टस् तैयार की जाकर धन का अपव्यय किया जाता है एवं प्रौढ़ों को साक्षर करने में सरकार एक दम असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा की कमी को देखते हुए बजट में धनराशि का जो प्रावधान किया गया है यह अपर्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर की हाईस्कूल में बायोलोजी की कक्षा चालू नहीं करने से गरीब जनता के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२५७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर मे बार-बार मांग करने पर भी हाईस्कूल नहीं खोली जा रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

२५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में करीब ६० ग्रामों में प्राथमिक पाठशाला आज तक नहीं खोली गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

२५६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२– कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर व दौसा की जेलों में किसान संघर्ष समिति के सत्याग्रहियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

२६०. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२– कारागार के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंह नगर सब-जेल से गांधी शताब्दी के अवसर पर एक उम्र कैदी को रिहा कर दिया गया लेकिन बाद में उसको दुबारा जेल में बन्द कर दिया गया इस पर चर्चा के लिये)।

२६१. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की जेलों में सफाई नहीं होने से गंदगी से कैदियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा जेलों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२६२. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में उम्र कैद के कैदियों को रेमिशन देने आदि में भारी पक्षपात किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

२६३. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर जेल में ३ सत्याग्रहियों की जो मृत्यु हुई और उनकी लाशें कहां जलाई गई तथा उनकी मृत्यु के क्या कारण थे, इन पर चर्चा के लिए)।

२६४. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जेल में दो सत्याग्रहियों की मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

२६५. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जेल कानून में संशोधन नहीं करने से कैदियों को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

२६६. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के सत्याग्रहियों को जहां-जहां भेजा गया व जो दर्जा दिया गया, उस पर चर्चा के लिए)।

२६७. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जेल मेनुअल बहुत पुराना है, जिसके आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

२६८. मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में शौचालय पुराने किस्म के होने के कारण

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जेलों के बन्दियों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

२६९. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय सस्ता व शीघ्र मिलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२७०. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है—इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२७१. श्री लक्ष्मणसिंह (डग) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा की शोचनीय स्थिति एवं वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

२७२. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय द्वारा १९६७-६८ में सामान खरीद में घोटालों पर चर्चा के लिए)।

२७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (ऑडिट रिपोर्ट, १९६७ में भरतपुर बेसिक एस० टी० सी० में गबन की शिकायत होने पर भी कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

२७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व गबन के मामलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२७५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

२७६. श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में मिडिल स्कूल पाड़वा, आसपुर को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ११

२७७. श्री नाथूलाल करोल (जमवा रामगढ़) : मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के सत्याग्रहियों को जेलों में सुविधा न देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १०

२७८. मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में मुकदमों के शीघ्र न निबटने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ११

२७९. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—

(श्री बनवारीलाल)
कारागार के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर जेल को अप-ग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

अनुदानों की मांगों पर विचार

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो मांगें रखी गई हैं उनके सम्बन्ध में सर्वप्रथम जो लॉ प्रशासन है उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूंगा।

आज सभी लोगों की यह मान्यता है कि जितनी अदालतें हैं उनका सम्मान करना चाहिये, पर यह खेद का विषय है कि आज उनसे जनता को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जूडीसियरी सेपेरेट की गई । पर इसके बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया । तो न्याय में विलम्ब को दूर करने की दिशा में स्थिर कदम उठाया जाय यह मेरा निवेदन है।

फिर अलग अलग-अदालतों में काम करने वालों की पे तय करने में राज्य सरकार का अलग-अलग काइटेरिया है यह भी अनुचित है। सरकार विचार करे इस पर और एक सरीखे काम करने वालों की एक सरीखे तौर पर पे फिक्स करे। पब्लिक प्रोसीक्यूटर है उसको ठीक तनख्वाह दी जावे ताकि वह ईमानदारी से काम कर सके । वरना आदमी के लिये ईमानदारी से काम करना मुश्किल हो जावेगा । पब्लिक प्रोसीक्यूटर को २५०) देते हैं जब कि उससे कम काम करने वालों को आप अधिक दे देते हैं। तो राज्य सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की एक मांग है कि राजस्थान हाई कोर्ट की एक बैंच जयपुर में हो। एक वातावरण बना था इस कारण वह बैंच यहां से हटाई गई। जनता में रोष था हड़तालें हुईं प्रदर्शन हुआ। उस वक्त सरकार का यह सोचना कि मजबूर नहीं किया जा सकता इस तरह से सरकार को तो ठीक था, पर आज वातावरण शान्त है। तो आज की शान्त परिस्थितियों में सरकार को सोचना चाहिये। इस क्षेत्र की काफी दिक्कतें हैं। दूसरे प्रान्तों में भी बैन्चें हैं । दो-दो और तीन-तीन स्थानों पर हैं। यहां इस उद्देश्य से एक स्थान पर किया गया था कि न्याय की सम्यक् व्यवस्था हो। पर यह चली नहीं। लोगों को परेशानी हो गई । तो जब दूसरे प्रान्तों में भी एक से अधिक स्थानों पर ब्रान्च रखते हैं तो इस क्षेत्र के लिये क्या दिक्कत की बात है। अधिक न कह कर मैं यही निवेदन करूंगा कि शान्त वातावरण में राजस्थान सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

आज जेलों की स्थिति अच्छी नहीं है। न मकान है न अच्छा रहने का स्थान है, न सामान ठीक ढंग से है। झुन्झुनूं में जेल पचास-साठ साल पहले बनी थी। वह उपयुक्त नहीं है। अच्छा वातावरण नहीं है, न रहन-सहन का स्थान अच्छा है। राजस्थान सरकार की स्कीम भी थी इनको सुधारने की। पता नहीं किन कारणों से नये मकान नहीं बन पाये और सुधार नहीं हो पाया। अब चाहता हूं सरकार इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्षजी, शिक्षा के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । शिक्षा की जैसी पद्धति है उसके बारे में तमाम

Page No 139

(श्री शिवनाथसिंह)

हिन्दुस्तान में विचार हो रहा है। शिक्षा की प्रणाली सही रूप में हमारे अनुरूप नहीं है। काफी समय से विचार कर रहे हैं पर सही नतीजा नहीं निकला है। इससे बेरोजगारी है। शिक्षितों में बेकारी हमारे सामने भयंकर समस्या है। आये दिन आन्दोलन होते हैं, ऐसा समस्या है। आज शिक्षित समुदाय का क्या होगा यह समझ में नहीं आ रहा है। अभी राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो आदिवासी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको स्कॉलरशिप दी जायगी, टेक्निकल लाइन है उनको स्टाइपेन्ड दिया जायगा किन्तु यह सही समाधान नहीं है। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो, इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरा यह निवेदन है कि कोई कमेटी बिठायें जो जांच करे और कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे शिक्षा की नीति में परिवर्तन हो। कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी कुछ कर सकें अपने हाथ से और केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा ट्रेनिंग की व्यवस्था बन्द कर दी। अध्यापक अपना खर्चा करें और उसके बाद उनको स्थान नहीं मिल रहे हैं। उसके लिये भी राज्य सरकार निश्चित करे। अगर अध्यापकों की कमी है तो फिर ट्रेनिंग व्यवस्था को क्यों बन्द कर दी। इस बारे में सरकार भ्रम निवारण करे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आज जो स्कूलें एवं शिक्षण संस्थायें हैं, युनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या स्थिति है। वे दो प्रकार की हैं कुछ तो राज्य की हैं और कुछ प्राइवेट हैं। आज प्राइवेट संस्थायें जितनी हैं वे राज्य सरकार से अनुदान लेती हैं और राज्य से अनुदान लेने के बाद उनके खुद के नियम होते हैं, वे खुद ही उसका संचालन करते हैं। कुछ संस्थायें तो ८०-९० प्रतिशत तक अनुदान लेती हैं। वे चाहे जिस अध्यापक को निकाल देते हैं, चाहे जिसको रख लेते हैं। उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। मैनेजमेंट चाहे जो कुछ कर लेता है। जो लोग १० साल सेवा करते हैं, उनको बिना कारण निकाल दिया जाता है। उम्र अधिक हो जाने से वह राज्य सेवा में भी नहीं आ सकता है इसलिये उसकी सुरक्षा की जाये। जितने नियम राज्य सरकार के शिक्षा सम्बन्धी हैं, रिक्रूटमेंट के सम्बन्ध में, प्रमोशन के सम्बन्ध में, प्रमोशन प्रोविडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में, स्थायित्व के सम्बन्ध में आदि अनेक बातों के सम्बन्ध में राज्य के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाय, इस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा और निवेदन करूंगा हमारे शिक्षा के मंदिर हैं युनिवर्सिटीज वगैरह इनकी क्या हालत है। आये दिन झगड़े होते हैं, विद्यार्थी आन्दोलन करते हैं। ऐसा वातावरण हो गया है कि विद्यार्थी भी दुखी और समाज भी दुखी। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हालत है पिछले दिनों ऐसी घटना हुई है जब से वर्तमान चान्सलर आये हैं उनका मैनेजमेन्ट इतना गिर गया है कि वे मैनेजमेन्ट सम्भाल नहीं सकते हैं। आये दिन हड़ताल होती है, आये दिन झगड़े होते हैं। उनका एक प्रकार का नियन्त्रण है डिवाइड एण्ड रूल। विद्यार्थी और विद्यार्थी में आपस में झगड़ा किया है, अध्यापक और अध्यापक के बीच झगड़ा किया है। वे गुटबाजी में विश्वास करते हैं इसलिये एक वर्ग से कहते हैं तुम फलां वर्ग के हो। यह विद्यार्थी बहुत कोमल

(श्री शिवनाथसिंह)

बुद्धि वाला होता है। किन्हीं लोगों के इशारे से पिछली तीन तारीख को बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा इसी झगड़े की वजह से एक विद्यार्थी, जो एक विधवा माता का पुत्र था, मारा गया। अब उसके सामने बिलकुल अन्धकार हो गया है, उसने अपने लाल को खोया है—इस मैनेजमेन्ट की वजह से। वाइस-चान्सलर को बार-बार निवेदन किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस में शिकायत की गई लेकिन हमारे वाइस-चान्सलर एक ही बात को सोचते हैं किसी तरह आन्दोलन नहीं बढ़े। वे आमतौर से कहा करते थे मेरी युनिवर्सिटी में हड़ताल न हो। उपाध्यक्ष महोदय, वे इस बात को कब तक रखेंगे। हमारे सामने अभी उदाहरण है जब कन्वोकेशन हुआ तो लड़कियों से छेड़-छाड़ की गई, जो अध्यापक हैं उनकी स्त्रियों के साथ जिनको हम माता मानते हैं उनके साथ छेड़-छाड़ की, वाइस-चान्सलर इन्तजाम नहीं कर सके। उनके वस्त्र फाड़ दिये गये, टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये लेकिन वाइस-चान्सलर सो रहे हैं। वे सोचते हैं इनको कुछ कहा जायगा तो हड़ताल हो जायगी, इन्स्टीट्यूशन पढ़ाई का चाहे स्तर गिर जाय लेकिन हड़ताल नहीं होनी चाहिये। उसीका यह नतीजा है। यह सब कुछ होने के बाद यहां के वाइस-चान्सलर पूर्ण रूप से राजनीति में आ गये। मैं बधाई देता हूं यहां के राजनीतिज्ञों और कार्यकर्त्ताओं को जिन्होंने इनको पनपने नहीं दिया....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। वाइस-चान्सलर जैसे ऊंचे स्तर के व्यक्तित्व पर आरोप लगाया जाय यह सही नहीं है और मैं समझती हूं उनकी अनुपस्थिति में यह बात कही जा रही है डिवाइड एण्ड रूल जैसी बात और यह कहना कि राजनीति में उतर आये हैं, गलत है।

श्री नत्थीसिंह : साफ उदाहरण है। अगर इसको छिपायेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुराई को साफ कहना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ट्रेजरी बेंच की तरफ से पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है और वह भी एक भद्र महिला की ओर से और वह भी उस बात पर जबकि महिलाओं को अपमानित करने का झगड़ा चल रहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : कौनसी बात का ?

श्री शिवनाथसिंह : मैं तो वाइस चांसलर से सम्बन्धित मैनेजमेन्ट की बात कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई वाइस-चान्सलर के खिलाफ हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उनके मैनेजमेन्ट के बारे में कहता हूं। एक्स, वाई, जेड कोई हो सकते हैं। अगर आपकी वाइस चान्सलर से सद्भावना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैनेजमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक लड़के की जान गई। उस विधवा माता के सामने कोई नहीं है, उसका एक ही लाल था वह भी चला गया। उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। इस राजस्थान युनिवर्सिटी के प्राध्यापकगण आन्दोलन करते हैं, चौपड़ पर आकर भाषण करते हैं, वे एक जुलूस निकालते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने जाते हैं। हम उनको गुरू मानते हैं और गुरु माता-पिता से भी बढ़कर होता है। माननीय उपाध्यक्षजी,

(श्री शिवनाथसिंह)

अगर वहां के स्तर को नहीं सुधारा गया तो स्थिति कन्ट्रोल में आने के बजाय बिगड़ती जायगी। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं वाइस-चान्सलर के पास एक शिकायत की। श्री कैलाशचन्द्र नाम का एक विद्यार्थी था उसके साथ मार-पीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। वाइस-चान्सलर को लिखित में शिकायत की लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये उनको प्रोत्साहन मिला। कुछ विद्यार्थी जो कॉलेज में भर्ती नहीं किये जाने चाहिये, भर्ती किये गये। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं से शुरू होती है। कॉलेज में नाम नहीं हैं लेकिन उनको रखा गया। हमने वाइस-चान्सलर के सामने यह बात रखी तो कहा गया छात्रावास में फीस दे दी है, मैं इसको नहीं निकाल सकता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में कोई होस्टल नहीं है, होस्टल में रह सकते हैं। यह तो छात्रावास है। जो लोग युनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन लोगों के लिये है लेकिन कुछ ऐक्शन नहीं लिया गया। जिनका पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगता है दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ने देते नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, हमारी इस विधान सभा के प्रांगण में क्या हुआ उन्होंने नारे-बाजी लगाई। इतनी उद्दण्डता कभी नहीं देखी। नारे-बाजी में मांग क्या है, मांग उनकी कुछ हो सकती है लेकिन सभ्य तरीके से सरकार के सामने आनी चाहिये। इस तरह उनको प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन से ही यह वातावरण बिगड़ा है। माननीय उपाध्यक्षजी, जब इतनी समस्यायें हैं उनकी तरफ यदि वहां का मैनेजमेन्ट ध्यान देता तो कोई गड़बड़ नहीं होती। माननीय उपाध्यक्षजी, वहां के कुछ लोग ऐसे विद्यार्थी जिनका कि पढ़ने से कोई सरोकार नहीं है, उनके कॉलेज और युनिवर्सिटी में नाम नहीं है वे आज भी बदमाशी करना चाहते हैं और स्ट्राइक करना चाहते हैं। वहां जो लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनको वे बदमाश लड़के नहीं जाने देते और वे खुले आम कहते हैं कि हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार तो वे अपने आप करेंगे क्योंकि उनकी अटेन्डेन्स की परसेन्टेज कम है, उनको बैठने की इजाजत नहीं है। लेकिन दूसरे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, जो परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं उनको वे बैठने के लिए अलाऊ नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। यह समस्या है जिसके लिए यहां का शिक्षा विभाग और युनिवर्सिटी समय रहते हुए इसका इन्तजाम नहीं करेगी तो ये समस्यायें आवेंगी। वे विद्यार्थी जो साल भर से पढ़ रहे हैं, जो अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई से पढ़ रहे हैं यदि यही वातावरण रहा तो उनको परीक्षा में बैठने नहीं देंगे और इसमें बाधा आयेगी। तो उन विद्यार्थियों का एक साल बेकार जायेगा। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और यह उचित होगा कि समय रहते हुए इसका इन्तजाम करें। अगर समय रहते इसका इन्तजाम नहीं किया तो फिर कॉलेजों का वातावरण बिगड़ेगा और युनिवर्सिटी का वातावरण बिगड़ेगा और फिर बाद में समस्याओं को सुलझाने में दिक्कत आयेगी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि वहां के वाइस-चान्सलर रिक्रूटमेन्ट में और प्रमोशन्स में पक्षपात करते हैं। इसका क्या असर हुआ है कि वहां के प्राध्यापक जितने भी हैं उनमें असन्तोष है

(श्री शिवनाथसिंह)

और उनको अपनी सुरक्षा के लिए लोगों की टोली बनानी पड़ती है और दो-तीन गुण्डों को साथ रखना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा एक-दो बातें। कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन यहां के इंगलिश विभाग में रिक्रूटमेन्ट हुआ है माननीय उपाध्यक्षजी, उसमें दो केन्डीडेट्स थे और उसके लिए एडवरटिजमेन्ट में यह था कि पीएच० डी० इंगलिश का होना चाहिये और जिस आदमी को सिलेक्ट किया गया वह इंग्लिश का सेकिण्ड क्लास था और उसके अलावा जो दूसरा आदमी था उसने आब्जेक्शन किया कि आपने जो एडवरटिजमेन्ट में क्वालिफिकेशन मांगी थी वह यह फुलफिल नहीं करता है लेकिन उसकी ओर ध्यान नही दिया गया और जो क्वालिफाइड आदमी पीएच० डी० किया हुआ था उसको नहीं रखकर दूसरे को रखा।

इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है कि यहां एक लिस्ट बनती है जिसमें कि उनका दूसरा नाम था और ऐसा नियम है कि ६ महीने तक उस लिस्ट को ले सकते हैं। अगर ६ महीने तक अपाइन्टमेन्ट नहीं होता है तो वह लिस्ट समाप्त हो जाती है। इस मामले में वाइस-चांसलर ने उन रूल्स को नहीं देखा और रूल्स के खिलाफ जाकर ६ महीने से पुरानी लिस्ट थी उसमें से अपाइन्टमेन्ट किया गया। इसके लिए प्रधानाध्यापक ने ऐतराज किया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसके लिए उनको हाईकोर्ट में जाना पड़ा और वहां से स्टे लाना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था वहां युनिवर्सिटी में है। युनिवर्सिटी की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके ऐसा करना चाहिए और जितने हैड ग्रॉफ दी डिपार्टमेन्ट्स है उनके छात्रों को आपस में बांटने की मनोवृत्ति है। वे यह चाहते हैं कि छात्र एक-दूसरे से लड़ते रहें और ठीक तरह से वातावरण नहीं बन सके और उसकी वजह से डिवाइड एण्ड रूल वाली पालिसी पर वे चलते रहें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें और एक ऐसी कमेटी बैठायें कि विश्वविद्यालय में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, जितना मिस-मैनेजमेन्ट हुआ है उसकी जांच करने के लिए और उनका सही निराकरण करने के लिए कमेटी बैठायें और जांच करेंगे, ऐसी मैं शिक्षा मंत्री से आशा करता हूं।

हमारा विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी होनी भी चाहिए लेकिन ऑटोनोमस इस बात के लिए नहीं हो कि वह हमारे स्टेट एक्सचेकर का पैसा ले, हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा ले और उसका उपयोग विद्यार्थियों को बिगाड़ने में हो। कोई भी आदमी अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। यदि विश्वविद्यालय अपने स्टेन्डर्ड को कायम नहीं रखता है तो हमारी शिक्षा बिगड़ेगी और हमारे विद्यार्थियों में गिरावट आयेगी और उसका नतीजा आज हमारे सामने है।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी विद्यार्थी अपने आपको सुरक्षित अनुभव नहीं करता है। कोई भी दस लड़के जिनका पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं है बाहर से आकर बैठ जाते हैं और दूसरे लड़के जो पढ़ना चाहते हैं, परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं उनको तंग करते हैं और यहो नहीं उपाध्यक्ष महोदय, वहां तो ऐसी घटना हुई है कि जो आपको विवेकानन्द छात्रावास है वहीं पर वार्डन के दस फुट दूरी पर एक बम का विस्फोट किया गया। लेकिन उसकी सरकार को कोई

(श्री शिवनाथसिंह)

जानकारी नहीं है और न उसके लिए कोई कार्यवाही ही की और उसको दबाया गया। तो मैं उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां के सभी राजनैतिक दल हैं उन्होंने काफी सक्रियता से काम लिया और जो वातावरण बिगड़ा था उसको संभाला और जो कटुता फैलाई जा रही थी उसको खतम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युनिवर्सिटी के जो वाइस चान्सलर हैं और जो वहां के मैनेजमेन्ट में हैं वे इस ओर ध्यान ही नहीं दें। इसलिये मैं फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस युनिवर्सिटी में जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच करायें और जांच करने के बाद जो भी आवश्यक कदम हों, उठायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वाइस चान्सलर को भी यदि छुट्टी देने की जरूरत हो तो वह काम भी किया जाये क्योंकि हमारे लिये एक व्यक्ति विशेष महत्व नहीं रखता बल्कि हमारे लिये स्टुडेन्ट्स का इन्ट्रेस्ट अधिक है। उस पर पूरा समाज निर्भर करता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसकी जांच करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़ा होने पर) माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि देश में शिक्षा की स्थिति शोचनीय है। यह बात सर्वविदित है और राजनैतिक नेता, विशेषज्ञ और सामान्य बुद्धि के नागरिक भी यह अनुभव कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति के अन्दर कहीं न कहीं ऐसी खामी है कि जिसके द्वारा हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। मूल उद्देश्य शिक्षा का ज्ञान की वृद्धि और चरित्र का निर्माण तो है ही उपाध्यक्ष महोदय, किन्तु उसके साथ ही साथ शिक्षा वह है जो अर्थकरी हो और यशप्रदायिनी हो। अगर ऐसा नहीं होता कि शिक्षा अर्थकरी हो तो सदगृहस्थ भी नहीं बनते और यशप्रदायिनी विद्या नहीं होगी तो सफल नागरिकों का भी निर्माण हम नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ व्यवहारकुशल बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिये। भौतिक उन्नति के साथ यह मैं अनुभव करता हूं कि आध्यात्मिक उन्नति करने वाली भी शिक्षा अवश्यमेव होनी चाहिये। सरकार का यह दावा है और यह दावा एक हद तक ठीक है कि हमने बहुत सारे स्कूल खोले, उसका मैं स्वागत करता हूं, खर्च भी कई गुना शिक्षा के मद में बढ़ाया गया। जनतंत्र के सिद्धान्त के अन्दर यह भी एक आवश्यक है और होना ही चाहिये। साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों की संख्या भी कई गुना बढ़ गयी। यह सब होते हुए भी मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह नहीं अनुभव करती कि कोई ऐसे आवश्यक उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में हैं जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम शिक्षा के उद्देश्यों की सफल रूप से पूर्ति कर पाते आधे हिस्से तक, यदि, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति ही प्राप्त हम कर पाते तो मैं सरकार की शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रशंसा करता किन्तु इसके बरखिलाफ हम देखते है कि आज छात्रों के अन्दर निराशा है, आज उनमें असन्तोष व्याप्त है। अनुशासनहीनता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और खेद के साथ कहना पड़ेगा कि नैतिकता का तो समूल ह्रास होता जा रहा है। नैतिकता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तो कहीं रही अवसरवादिता की पराकाष्ठा हो चली। ऐसी परिस्थिति में मैं सदन का विशेष समय नहीं लेते हुए मुख्य-मुख्य रूप से ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की नीति जो विकेन्द्रीकरण की है वह मेरे खयाल में ठीक नीति नहीं है। यह विकेन्द्रीकरण नहीं है। मैं समझता हूं विनाशकरण है, और इस भूल की नीति को सरकार को परित्याग करना चाहिये, क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में रखें। अगर सरकार इन मौलिक विषयों को अपने हाथों के अन्दर नहीं रखती है तो सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है।

(४ म. प०)

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक पाठशालाओं को पंचायतों को सौंप देने का आपका निर्णय ऐसा है कि जिसका मैं स्वागत कभी नहीं कर सकता। यह एक गलत कदम है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। जहां बच्चों की नींव डाली जाती है वहां आज शिक्षकों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज राजनैतिक नेताओं का एक गुलाम बनकर के उसको रहना पड़ता है। उसका कोई आदर नहीं करता है। उसको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, और कोई स्थिरता उसके दिमाग के अन्दर नहीं है। तबादले उसके राजनैतिक कारणों से और छोटी-मोटी बातों के ऊपर हो जाते हैं, और शिक्षकों को परेशान किया जाता है। आखिर पंचायत का जो सरपंच है हम उससे क्या आशा कर सकते हैं कि शिक्षक और शिक्षा के सम्बन्ध में गहन और महत्त्वपूर्ण विषय है उसके सम्बन्ध में सुचारु रूप से और उदारता से कोई प्रबन्ध कर पाये ?

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के अन्तर्गत से इन प्राथमिक पाठशालाओं को हटा लिया जाय, और राज्यों के नियन्त्रण में सीधा ही लिया जाय।

एडेड इन्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं में दिनोंदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और शोषण होता है अध्यापकों का। ऐसी भी मेरी जानकारी में बातें आई हैं कि जहां उदाहरणार्थ शिक्षकों को १०० रुपया माहवार तनख्वाह मिलनी चाहिये वहां पर उनको ७०-७५ रुपया देकर १०० रुपये की रसीद ले ली जाती है। कांग्रेस-नेताओं के शोषण के लिये यह एक तरीका सरकार ने अपना लिया है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। खास तौर से अभी यहां आज भी माननीय सदस्य नाथूरामजी ने भी इस प्रश्नोत्तरकाल में इस सम्बन्ध में प्रश्न रखा उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाये उसके साथ भी मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

हमारे जिले के अन्दर वागड़ सेवाश्रम नाम की एक संस्था है। वह एक अच्छी संस्था है अगर उसको अच्छी तरह से चलाया जाय तो मैं उसका स्वागत करता हूं, किन्तु हम क्या देखते हैं कि उस सेवा-संघ का कोई विधान अभी तक नहीं बना, कोई पदाधिकारियों का चुनाव नहीं हुआ और पदाधिकारियों के चुनाव मेरे खयाल में जनतन्त्र के अन्दर परमावश्यक हैं। कोई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वार्षिक विवरण भी नहीं छापते और उसके हिसाबात आय-व्यय के सम्बन्ध में ऑडिट भी नहीं होते, तो यह एक तरह का मैं एक अंधेर अनुभव करता हूं। सरकार को चाहिए कि टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार के खजाने में आता है उसका दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग हो, और शिक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के अन्दर भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ता है, और अगर नियन्त्रण नहीं रहता है और अवसरवादिता और राजनैतिक कारण वहां पर दिनोंदिन प्राबल्य होते जायं तो मैं उसकी प्रशंसा कभी नहीं कर सकता।

संचालक जैसे मामले में प्रश्नकर्त्ता नाथूरामजी ने जो कहा कि संचालक भी अधिकांश रूप से सवर्ण हैं, मैं जातिवाद नहीं फैलाना चाहता हूं, लेकिन जिसकी आज संख्या है कम से कम उनको कोई उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी देनी चाहिए। सवर्णों का पेट भरने के लिए यह उदरपूर्ति का एक कारण बना दिया जाय, यह मेरे खयाल में सर्वथा अनुचित है। दलित वर्ग में से भी थोड़े-बहुत ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि जिम्मेदारी वहन करके वे एक ऐसे योग्य प्रशासक बन सकें कि जिसके द्वारा आपकी यह विधान सभा भी भविष्य में सुशोभित हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होना परमावश्यक है।

छात्रवृत्ति में गड़बड़ हो। ३५ रुपये माहवार, ४० रुपये माहवार और ४५ रुपये माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, ३५ रुपये माहवार प्राथमिक स्कूल के छात्रों को दी जाती है छात्रवृत्ति, ४० रुपये माहवार हायर सैकेन्डरी को और ४५ रुपये माहवार कालेज के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, वह उनके हाथों में बराबर नहीं पहुंच पाती, और उनको समय पर किताबें भी नहीं मिलती हैं और उसके साथ-साथ उनके छात्रावासों में खाने-पीने की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था भी दयनीय है। इस तरह की व्यवस्था छात्रावासों में वह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए और समय-समय पर जो सामान्यतः बड़े-बड़े मुद्दे हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए, आय-व्यय का आडिट होना चाहिये, चुनाव समय पर पदाधिकारियों का होना चाहिए, और जिनकी संस्थाएं हैं अगर वे स्वावलम्बन प्राप्त करने के योग्य बनते हैं तो दलित वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। आज तो केवल वोट का जमाना है। अगर दलित वर्ग को प्रोत्साहन नहीं देते हैं, तो मेरे ख्याल में आप अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं क्या आशा करूं कि माननीय शिक्षा मंत्री से कि इस सम्बन्ध में सरकार जांच कराने का इरादा रखती है या नहीं ? यह तो डूंगरपुर सेवासंघ, वागड़ सेवासंघ के सम्बन्ध में मैंने चर्चा की है, लेकिन दो-तीन ऐसी संस्थाएं हैं, और इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं समान रूप से आप उनको बरतें और उसके अन्दर निष्पक्ष रूप से अगर आप जांच करेंगे तो इनका नियन्त्रण भी होगा, और लोगों में यह खटका भी होगा कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करती है। अभी तक वे बिल्कुल निधड़क हो कर मनमाने रूप से भ्रष्टाचार करती हैं। यह व्यवस्था मेरे खयाल से एक बहुत बुरी है और इसकी मैं निन्दा किये बिना नहीं रह सकता।

(श्री महारावल लक्ष्मणसिंह)

समाज कल्याण के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उद्धार के सम्बन्ध में यह समाज कल्याण विभाग आपने कायम किया है। आप किसान और राज्य के बीच में बिचौलिया नहीं रखना चाहते है, और आप उद्योग और राज्य के बीच में बिचौलिया नहीं रखना चाहते तो फिर इस समाज-कल्याण के अन्दर क्यों बिचौलियों को रखना चाहते हैं? यह मेरी समझ में नहीं आया है। इनको आप समाप्त करें। शिक्षकों का शोषण हो रहा है उसके अन्दर आप रोक-थाम करें। साथ ही साथ छात्रों का जो शोषण हो रहा है उसको भी आप रोकें। और यदि आप यह कर सकते हैं तो कार्य-कुशलता में भी कुछ फर्क पड़ेगा और इसमें जनहित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के अन्दर मैं प्ले ग्राउन्ड के ऊपर एक स्टेडियम की मांग रखना चाहूंगा। डूंगरपुर की स्पोर्ट्स के अन्दर विशेष अभिरुची रही है और राजस्थान के अन्दर ही नहीं किन्तु यदि मैं यह निवेदन करूं कि देश के स्तर पर भी डूंगरपुर स्पोर्ट्स खेल कूद, के सम्बन्ध में सेवा अर्पित करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। डूंगरपुर में जो प्ले ग्राउन्ड है, एक रमणीय स्थान है, वहां पर आप एक स्टेडियम की व्यवस्था करते हैं तो मैं सरकार का आभारी होऊंगा।

आसपुर में हाई स्कूल के सम्बन्ध में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई थी, तब जो कुछ निवेदन करना था वह मैंने निवेदन किया था। मुझे माननीय शिक्षा मंत्री का आश्वासन प्राप्त है। मैं आशा करता हूं, वह निराशावादी आश्वासन नहीं होगा, तथ्यहीन आश्वासन नहीं होगा। इस समय को उपयुक्त समझकर मैं मेरी मांग को दोहराता हूं क्योंकि यह उससे सम्बन्धित मांग आज सदन के समक्ष रखी जा रही है।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, फलासिया तहसील के अन्दर बाघपुर नाम का एक गांव है, उसके आस पास पन्द्रह प्राथमिक पाठशालायें हैं और इन प्रन्द्रह प्राथमिक पाठशालाओं के समूह में दो सौ, ढाई सौ वर्गमील क्षेत्र के अन्दर एक भी हाई स्कूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है, नन्हें मुन्ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस फलासिया तहसील के अन्दर एक हाई स्कूल का होना परमावश्यक है।

भोगणा इस फलासिया तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहां की जनता ने दस हजार रुपये एकत्रित करके वहां हाई स्कूल भवन का निर्माण किया। वह हाई स्कूल भवन अभी अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए नागरिकों की आर्थिक स्थिति नहीं है, और दुष्काल पड़ने की वजह से, पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण दिन ब दिन लोगों की आर्थिक दशा गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार के खर्चे से, हाई स्कूल भवन का, जो अधूरा है, निर्माण करके उस अधूरे भवन को पूरा कराया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकें प्रेस्क्राइब होती हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हैं। छोटे छोटे बच्चों के पास इतनी पुस्तकें रहती हैं कि उन पुस्तकों को वह उठा भी नहीं सकते। आपको चाहिये, सरकार को चाहिये कि इन पुस्तकों की संख्या आप कम

(श्री महारावल लक्ष्मणसिंह)

करें। कैसे थोड़ी सी पुस्तकों में जो कुछ भी आप. विषय हैं उनको समाविष्ट करें। उदाहरण के रूप में विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, काव्य इत्यादि की एक ही पुस्तक में समाविष्ट किया जा सकता है। यह असम्भव नहीं है। कीमत भी पुस्तकों की आप कम करिये। दिन ब दिन शिक्षा को सस्ती बनाने की जगह आप शिक्षा को महंगी बना रहे हैं, यह बहुत बुरी चीज है मैं इसकी निन्दा किये बिना नहीं रह सकता। किताबों को सरकार के द्वारा, मेरे ख्याल से, सब्सीडाइज करना चाहिए ताकि सस्ती किताबें उपलब्ध हो सकें। और कोर्स बुक्स का बार बार फेर बदल न करें। यह घातक नीति है, यह सिद्धान्तविहीनता की पराकाष्ठा है। आप जो टेक्स्ट बुक्स सेट करते हैं वह टेक्स्ट बुक्स कम से कम दस साल तो वैसी की वैसी रहने दीजिये ताकि ताकी छात्रों को बार बार किताब खरीद करने में खर्च न करना पड़े।

ट्यूशन फीस के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, कर्मचारी जो इन्कम टैक्स नहीं देते हैं उनसे आप फीस नहीं लेंगे मैं इसका विरोध नहीं करता। आपके कर्मचारियों का यह प्रिविलेज है तो वह रहे लेकिन इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करना परमावश्यक समझता हूं कि जो व्यक्ति इन्कम टैक्स नहीं देते उनको भी कोई न कोई छूट सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए। यदि उनके बच्चों की ट्यूशन फीस आधी ही की जाय तो मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं यह अनुभव करूंगा कि यह सामाजिक न्याय हुआ है।

इतना ही मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा एवं न्याय प्रशासन के विषयों पर....

श्री उपाध्यक्ष : समय दस मिनिट !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं उनके बारे में संक्षेप में विचार रखना चाहता हूं क्योंकि समय भी मेरा निर्धारित कर दिया गया है।

पहले मैं शिक्षा के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में अभी तक भी मिडिल स्कूलों में पढ़ने के लिये विद्यार्थियों को बीस बीस मील दूर जाना पड़ता है। ये स्थान विशेष तौर से शिव तहसील में है और शिव तहसील में बीस,बीस मील मिडिल स्कूल के लिये विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये जाना पड़ता है। तो मैं यह चाहता हूं कि जिस प्रकार कि शिक्षा विभाग ने जिन जिन पंचायत समितियों में हाई स्कूल नहीं थे वहां हाई स्कूल चालू करने के लिए निर्णय करके उसका क्रियान्वयन किया है, उसी तरह से ऐसे स्थानों पर जहां पन्द्रह बीस मील मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिये जाना पड़ता है उन छात्रों को, अवश्य ही दस दस मील की दूरी पर मिडिल स्कूल की स्थापना की जानी चाहिये। उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भीयाड़ और हसानी—यह गांव आबादी बहुत के लिहाज से बहुत बड़े गांव है। यद्यपि शिव तहसील में आबादी बहुत कम है, परन्तु यह दोनों गांव बड़े है। इस दृष्टि से इन गांवों में मिडिल स्कूल की स्थापना होनी चाहिये।

दूसरे मैं यह चाहता हूं, जो गांव मेरे निर्वाचन में है जैसे बाटाडू

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

गांव है, जिसकी आबादी पांच हजार की है, ऐसे गांव में मिडिल स्कूल की स्थापना होनी चाहिये। हमारे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी ढाई हजार, तीन हजार के आस-पास है, किन्तु वाटाडू ऐसा गांव है जहां पर कि पांच हजार की आबादी है। वहां पर मिडिल स्कूल की स्थापना नहीं हुई है। ऐसे क्षेत्र में मिडिल स्कूल की स्थापना होनी चाहिये। मेरा यह कहना है कि बाड़मेर जिले में सैकण्डरी और हायर सेकण्डरी स्कूल बहुत कम हैं। कवास ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर पांच सौ विद्यार्थी हैं, इसलिये वहां जो स्कूल है। उस स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में परिणत किये जाने के लिए मैंने कट मोशन रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि उस स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट किया जाय।

बालोतरा नगर बालोतरा सब-डिविजन का हैड क्वार्टर है, वहां पर सैकेण्डरी स्कूल होना, यह मैं समझता हूं, उस सब-डिविजन के साथ अन्याय है। इस सब-डिविजन के दूसरे स्थान हैं वहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल चालू हो गया है, जैसे सिवाना, तहसील के अन्दर समदडी गांव में, चौहटन में हायर सैकेण्डरी स्कूल है तो इस सब-डिविजन के ऐसे महत्वपूर्ण स्थान बालोतरा में हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं हो—यह उचित नहीं है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि तीस सैकेण्डरी स्कूल को अपग्रेड करके हायर सैकेण्डरी स्कूल में कन्वर्ट किया जाय। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बालोतरा सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में अपग्रेड किया जाय।

विशेष तौर से मेरा यह भी कहना है, बाड़मेर मल्टी पर्पज हायर सैकेण्डरी स्कूल है वहां पर पानी की बड़ी भयंकर समस्या है, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने विशेष तौर से निवेदन शिक्षा मंत्री जी से किया था, कि वहां पर हौज की व्यवस्था हो, टैंक की, जो पन्द्रह हजार रुपये का हो, उसकी वहां व्यवस्था होनी चाहिए। वह व्यवस्था, मैं समझता हूं, इस वर्ष तय कर देनी चाहिए ताकि पानी के बारे में समस्या हल हो और विद्यार्थियों को पानी की कठिनाई नहीं उठानी पड़े। वहां पर पानी का कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन यह इर्रेगुलर पानी सप्लाई होता है, इसलिए वहां पर हौज बना दिया जाने से छात्रों को नियमित रूप से पानी मिल सकेगा और विद्यार्थियों की पानी की समस्या हल हो सकेगी।

अब मैं शिक्षा नीति पर आना चाहता हूं। जब हम शिक्षा प्राप्त करते थे, उस समय हमारे में एक लगन थी, हमारे अन्दर देश की आजादी की एक लगन थी कि देश आजाद हमें करना है और विद्यार्थियों ने इसके लिये विशेष तौर से आजादी प्राप्त करने के लिए बलिदान भी किये थे, त्याग भी किये थे, परन्तु अब यह स्थिति है कि हमारे देश के आजाद होने के बाद में देश के निर्माण में हमने जो कदम उठाया है वह कदम इस प्रकार का है जिससे कि हम दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हैं।

क्या विद्यार्थी, क्या नेता और क्या बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, वे आज दिनों दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि इसका जो मूल कारण है, यह कि आज की शिक्षा से चरित्र का निर्माण नहीं होता। हमारी शिक्षा में यह मूल कमी है। इसलिये इस मूल कमी को दूर करना पड़ेगा, इसके लिये हमें विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि

(श्री बृद्धिचन्द जैन)

हम इस प्रकार के गुरु रखें जो चरित्रवान हों, क्वालिफाइड हों, ऐसा नहीं कि जिन लोगों को कहीं भी सर्विस नहीं मिलती है, एल० डी० सी० और छोटी से छोटी नौकरी भी जिन लोगों को नहीं मिलती है वे लोग मास्टर रखे जाते हैं। आज के इस दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, यह नहीं करेंगे तो न तो विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होगा और न गुरुग्रों का। और अगर विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो उनमें अनुशासनहीनता बढ़ती जायगी और शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जायगा।

आप भले ही खुशी मनायें कि हमने इतने मिडिल स्कूल खोल दिये, इतने प्राइमरी स्कूलों की स्थापना कर दी, इतने हाई स्कूलों की स्थापना कर दी, इतने कॉलेजेज की स्थापना कर दो पर जब तक विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण नहीं होता तब तक इस प्रकार की प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं मानी जा सकती इसी के नतीजे हमारे सामने आते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो अभी नई घटना घटी है वह घटना इसी का नतीजा है, उसको लेकर राजनैतिक पार्टियों ने बड़ा आन्दोलन किया। अगर हम इस की गहराई में जांय कि इस तरह की मार पिटाई क्यों हुई और उसके कारण एक विद्यार्थी की मृत्यु हुई, इसके लिये हमें उसके तह पर जाना चाहिये।

(४.२१ म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

क्या वजह थी कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई? कल ही नवज्योति का १६ तारीख का प्रकाशन हुआ, वह राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्र संघ को प्रोसीडिंग्स के ऊपर किया है। उससे मालूम होता है कि जनवरी से विद्यार्थी मार पीट कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, पिस्तौल बता रहे थे और वाइस चान्सलर को इसकी पूरी मालूम हो गई थी पर समय पर कदम नहीं उठाया गया और उस कारण एक विद्यार्थी की मृत्यु हुई। इसके लिये हमें खेद है पर हम यह भी चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हुईं, उनकी जांच करनी चाहिये। प्रश्न यह उठता है कि यूनिवर्सिटी एक ग्रोटोनोमस बोडी है, इसकी राजस्थान सरकार जांच करा सकती है या नहीं। पर हमें यदि शिक्षा में सुधार करना है तो कोई न कोई तरीका जांच का हमें अपनाना पड़ेगा। ग्रांटस् कमीशन के सामने गवर्नमेन्ट इस प्रकार की बात रखे कि इस प्रकार की बदइन्तजामी कैसे हो रही है। यह जो ग्रोटोनोमस बोडी होने के कारण इस प्रकार का ग्रोटोनोमस अधिकार है वह स्नैच किया जा सकता है। अगर विद्यार्थियों का चरित्र इस प्रकार बिगड़ जाय तो लेजिस्लेचर को अधिकार है कि इस प्रकार की ग्रोटोनोमस बोडी के अधिकार को स्नैच कर ले या इसको कम कर दे।

आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, जगह-जगह गोलीकाण्ड किये जाते हैं इस बारे में भी हमें देखना होगा। पुलिस के रवैये के बारे में भी मेरी अच्छी धारणा नहीं है। पुलिस की तरफ से भी गलती होती है, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है ही। इन दोनों कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है गवर्नमेंट दुविधा में पड़ जाती है। इसके लिये हमें प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिये कोई न कोई रास्ता निकाल कर विद्यार्थियों को अनुशासन में लायें और पुलिस डिपार्टमेन्ट को

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

भी डेमोक्रेटिट सेट-अप के माफिक करना पड़ेगा।

अब मैं न्याय प्रशासन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। न्याय-प्रशासन के बारे में मुझे खास तौर से यही कहना है कि आज न्याय प्रशासन बहुत ही महंगा है। गरीब आदमी तो आज किसी तरह से न्याय प्राप्त कर ही नहीं सकता। आज अगर कोई गरीब आदमी को किसी कत्ल के मामले में झूठा फंसा दिया जाय तो उसका कन्विक्शन हो सकता है और उसे बड़ी से बड़ी सजा मिल सकती है। जुडिशियरी में अगर कोई गरीब आदमी फंस जाय और वह न्याय प्राप्त नहीं कर सके तो यह उचित नहीं है।

अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिये हमने कानून बनाये हैं पर उनका कितना पालन होता है, उनसे लोग कितना लाभ उठाते है, यह भी हमें सोचना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वकीलों की फीस का कन्ट्रोल कर दिया जाय तो न्याय प्रशासन सस्ता हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : वकीलों को तो ज्यादा पैसे दिये जाने चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वकीलों की फीस कम कीजिये। गवर्नमेंट खुद वकील अप्रोइन्ट करके इन्साफ करवाये तो, वह मुझे मंजूर है। किसी तरह सस्ता न्याय मिलना चाहिये।

आज यह भी स्थिति है कि दो दो, तीन तीन, चार वर्ष तक केसेज कोर्ट्स में चलते रहते हैं, जिससे न्याय नहीं मिल सकता है। हाई कोर्ट में भी चार चार साल तक केस चलते हैं विलम्ब से न्याय नहीं मिलता है लोग खर्च से बरबाद होते हैं। न्याय को बनाने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। और कानून में जो लाभ अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को दिये गये हैं। उनका पूरा लाभ इन लोगों को मिले इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह काम सोशयल वेलवेयर डिपार्टमेंट का है, अगर वह इस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता है तो विधि विभाग को यह काम दे दिया जाना चाहिये। और अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को इनका पूरा पूरा लाभ पहुंचाना चाहिये।

न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किये जाने का जो निर्णय सरकार ने लिया है वह स्वागत के योग्य है। पर अभी तक माइनर एक्ट्स के अन्तर्गत जो ओफेन्सेज हैं उनको जुडिशियरी में नहीं लिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माइनर एक्ट्स के अन्तर्गत आने वाले आफेन्सेज को भी जुडिशियरी में लिया जाय ताकि एग्जीक्यूटिव उनमें अनुचित दबाव नहीं डाल सके।

अब मैं एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स के समय के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स के टाइम भिन्न भिन्न हैं। इस कारण वकीलों को गर्मियों में सुबह से शाम तक कोर्ट्स में बैठे रहना पड़ता है। इससे प्रशासन में भी कठिनाई आती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन दोनों प्रकार के कोर्ट्स का टाइम एक ही कर दिया जाय, इनका अलग अलग समय नहीं रखा जाय। इससे वकीलों को और क्लाइन्ट्स को दोनों को ही फायदा होगा।

Page No 151

(श्री बुद्धिचन्द्र जैन)

सुबह से लेकर शाम तक वकील कार्य कर ले तो वह अपने क्लाइन्ट्स के मुकदमों की अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकता। इसलिये एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स का समय एक कर दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : कोर्ट्स का टाइम मोर्निंग का ही रखना चाहिये क्योंकि गांवों में बिजली नहीं है, और सुविधाएं नहीं हैं।

श्री बुद्धिचंद्र जैन : ताकि न्याय सस्ता मिले, सुलभ मिले और लोगों को परेशानी न उठानी पड़े, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी मांगे पेश करता हूं और मैं चाहता हूं कि वे स्वीकृत होंगी।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री रामचंद्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इनके बाद किनका नंबर है? अगर यह सूचना देने में कठिनाई हो रही है....

(श्री रामचंद्र आर्य व श्री मुकुट बिहारीलाल साथ साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

अब तक जो क्रम चल रहा है उसके अनुसार मेरी पार्टी का नंबर कितनी देरी के बाद आएगा?

श्री सभापति : आपके दल का समय श्री प्रेमसिंह सिंघवी के बोलने के बाद।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शुरू से ही कम्यूनिस्ट पार्टी को इधर से लें तो अच्छा होगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इसके मायने श्री प्रेमसिंह सिंघवी के बाद....

श्री रामचंद्र आर्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझे गंगानगर आन्दोलन संबंधी जो मुख्य मंत्री से वार्ता चल रही है उसमें शामिल होना है तो सदन की कार्यवाही ५ बजे के बाद नहीं चलनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये महत्त्वपूर्ण मांगे हैं, इन पर जो बहस हो रही है उसका हम संबंधित मंत्रियों से जवाब सुनना चाहते हैं। इसलिए सदन की कार्यवाही ५ बजे के बाद आज नहीं चलनी चाहिए और उससे पहले मुझे समय मिलना चाहिए। इसके साथ ही मुझे समय देने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि मैं गंगानगर किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं।

श्री मदनसिंह - मैं समझता हूं जो माननीय रामचंद्रजी ने बात रखी है, यह विधिवत थी, हमेशा समय ५ बजे तक ही रहता है, किन्हीं विशेष कारणों से समय बढ़ता है। इनको पहले मौका दिया जाय तो बात सही होगी।

श्री सभापति : मैंने श्री प्रेमसिंह का नाम पुकारा है।

श्री रामचंद्र आर्य : मैंने जो प्रश्न उठाया है, उस पर आपने व्यवस्था नहीं दी।

श्री सभापति : समय बढ़ाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि ५ अभी नहीं बजे हैं, उसके बाद....

श्री रामचंद्र आर्य : ५ बजे वार्ता में मुझे शामिल होना है। तो मुख्य मंत्री को सूचित कर दो, क्योंकि मैं बोले बगैर तो जाता नहीं।

श्री रामकिशन : इनको बोलने में प्राथमिकता दी जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जिन मांगों पर बहस हो रही है, उसमें शिक्षा, जेल और न्याय हैं जिनके विषय में मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले शिक्षा के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं, विशेषकर मेरे क्षेत्र छबड़ा के बारे में। हमारे क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है और अव्यवस्था हो रही है। जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें अधिकतर स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए टाटपट्टियां नहीं हैं, न मास्टरों के रहने के लिए व्यवस्था है इसलिए कोई मास्टर अपने हैडक्वार्टर्स पर नहीं रह पाता और महीनों तक लड़के बिना मास्टरों के स्कूल जाते हैं और चक्कर काटकर वापस आ जाते हैं तो इस तरह की जो अव्यवस्था है उस ओर आप ध्यान दें।

छबड़ा स्कूल में कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था। गत वर्ष राज्य सरकार को वहां पंचायत समिति व जिला परिषद् की मांग के कारण जेपला गांव में मिडिल स्कूल खोलना चाहिए था लेकिन वहां न खोलकर राजनैतिक आधार पर और दूसरे कारणों से फलिया में खोला गया। वह छबड़ा तहसील में है और मध्य प्रदेश सड़क पर है और जेपला पंचायत यह दूसरे किनारे पर है और तहसील के अंदर कोई मिडिल स्कूल नहीं है इसलिए वहां विद्यार्थियों को मिडिल स्कूल तक पढ़ने में दिक्कतें आती हैं और किसानों व आदिवासियों के बच्चे और अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री को इस सिलसिले में विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही छबड़ा में जो हाई स्कूल है उसको हायर सेकेंडरी में परिवर्तन करें तो अच्छी बात होगी और छबड़ा का हाई स्कूल बिल्कुल अधूरा पड़ा है और उसकी ग्रांट भी पड़ी हुई है लेकिन न मालूम किन कारणों से राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है।

छिपाबत गर्ल्स स्कूल के लिए पहले जो एस.डी.ओ. थे, उन्होंने गढ़ी की इमारत उस स्कूल का बनाने के लिए दी है और उस खर्च का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायत ने इकट्ठा भी कर लिया और १२,०००) रु० के आसपास अभी तक पंचायत के जिम्मे है और स्कूल के काम नहीं आ रहा है। वहां पर जो गर्ल्स मिडिल स्कूल निर्माण समिति बनी हुई है, उस समिति के पास पैसा पड़ा हुआ है और इस तरह से १२,०००) रु० ग्राम पंचायत से आजाय तो १५-१६ हजार इकट्ठे हो जायें तो उसके बाद यह पैसा वहां पर १५,०००) रुपए देने के बाद कलेक्टर, कोटा का जो चैरिटी फंड है उसमें से उन्होंने १५,०००)रु० मन्जूर किए हैं। इस तरह से ३०,०००)रु० हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो गर्ल्स मिडिल स्कूल भवन बन सकता है। वैसे हम प्रयत्नशील हैं लेकिन जब शिक्षा मंत्री पधारे थे तो मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। स्कूल न होने की वजह से लड़कियां परेशान होती हैं और गत वर्ष तो दो-तीन लड़कियां धूप में बैठने की वजह से बेहोश हो गईं और कृत्रिम छाया का इंतजाम किया था तो हवा लगने से डंडे गिर गए और दो-तीन लड़कियों के सर में चोटें आईं, यह दुर्भाग्य की बात है राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिएं।

कोटा दिनोंदिन प्रगति कर रहा है, वहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन लोगों के लिए कोटा में लॉ-कॉलेज

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

मौजूद है मगर वहां पर लेबर डिप्लोमा कोर्स चालू किया जाय तो सरकार के लिए अच्छा होगा क्योंकि वहां पर दिनोंदिन मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है।

हाल ही में सरकार ने वहां पर प्री-मेडिकल टैस्ट की व्यवस्था की है। इसके अंदर भ्रष्टाचार की बू आती है, मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

जेल के सिल-सिले में निवेदन करूंगा कि वहां छबड़ा और बारां में सब-जेल हैं और कैदियों की संख्या अधिक रहती है। एक-एक कोठड़ी जो ८×८ होती है उसमें १०-१२ आदमियों को रहना पड़ता है, वे आराम से नहीं सो पाते हैं, न फिर सकते हैं। इसलिए इनको सुविधा मिलनी चाहिए और भ्रष्टाचार को रोकें।

न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन है कि यहां की सरकार ने जो राजनैतिक स्टन्ट खाली किया है उस तरफ राज्य सरकार ध्यान दे। एस. डी. ओ. कोर्ट, एस. डी. एम. कोर्ट और डीवाई. एस. पी. हैडक्वार्टर छबड़ा के अंदर मौजूद हैं। हाई कोर्ट के जज ने सिफारिश की है कि सब कोर्टस एक जगह होने चाहिएं और कोठारी कमीशन की भी मन्शा थी कि सब कोर्टस एक ही जगह होने चाहिए। मगर, माननीय सुखाड़िया साहब की जो नीति हैं और जो राजनैतिक भ्रष्टाचार उन्होंने फैला रखा है, हमारी पार्टी के रामकिशन एम० एल० ए० को दल बदलाकर डिप्टीमिनिस्टर बना दिया और अब छबड़ा की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुन्सिफ कोर्ट जो छबड़ा में थी उसको अटरू में लाया गया। वहां पर एक वकील है, जब कि छबड़ा में १४ वकील हैं। मुवक्किल और काश्तकार जो न्याय के लिये आते हैं उनके छबड़ा में तो ठहरने आदि की सुविधा है लेकिन अटरू में कोई सहूलियत नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी डिप्टी मिनिस्टर जिन्हें दल बदलू मिनिस्टर कहिये, के राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छबड़ा में दो-तीन बार हड़तालें हो चुकी हैं। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में बरकतुल्ला साहब से भी मिल चुके हैं। लेकिन पक्षपात किया जा रहा है उसको खत्म करें और छबड़ा की जनता को राहत दें। बस, मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जेल पर ६ प्रस्ताव रखे हैं उन पर पांच मिनिट कह देना चाहता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन्होंने जेल पर प्राथमिकता इसलिये मांगी है कि श्रीमानजी की धर्मपत्नी जेल में है और श्रीमानजी यहां बाहर हैं। वे वहां जेल में सुधार कर रही हैं और श्रीमानजी यहां सदन में जेलों का सुधार चाह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : रावण सीता को हर ले गया। रावण का राज्य समाप्त होगा तो वापस मिल जावेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सीता के वियोग में रामचन्द्रजी विलाप कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राजस्थान के राज्य में जयपुर की जेल में २६ सत्याग्रही हैं। न तो उनको भोजन दिया जाता है, न उनको कपड़ा दिया जाता है और न ही उन सत्याग्रहियों को यह सरकार स्वीकार करती है। हिन्दुस्तान में ही नहीं संसार में भी कोई देश ऐसा नहीं जहां गरीब से गरीब भी सुबह चाय न पीता हो। दूध न मिलता हो तब भी चाय जरूर पीयेंगे। यहां की यह नादिरशाही हुकूमत है कि जेलों में जो कैदी हैं, सत्याग्रही हैं वे बुरी तरह से पीसे जा रहे हैं। जेलों की व्यवस्था इतनी गन्दी है कि कभी नादिरशाह की हुकूमत में ऐसी व्यवस्था होगी। आज प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाली सरकार की हुकूमत में जेलों में न पाखाने बने हुए हैं, न बाथ रूम हैं। गन्दे मकान है, दो-दो सेर के चूहे कूद रहे हैं। गंदा अनाज दिया जा रहा है और कैदियों को बड़ी पीड़ा दी जाती है, यातनायें दी जाती हैं। इस प्रकार का वातावरण जेल में है। सत्याग्रह शुरू होने के बाद कपड़ा, बरतन इस सरकार ने खरीदे हैं, लेकिन जब से जेलें बनी हैं न तो उनकी सफाई की गई है, न कलई की गयी है। इतना गंदा वातावरण जेल विभाग के द्वारा कैदियो के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि सादूलपुर स्टेशन पर हमारे जो सत्याग्रही गिरफ्तार हुए उनको बड़ी यातनायें दी गयीं और उनके लिये भोजन और कपड़े की व्यवस्था इस सरकार के द्वारा नहीं की गयी। और जिस तरह से कोई जुर्म किया हो और कैदी हो, उनको सजा सुना कर जेल में भेज दिया जाता है उसी प्रकार उन सत्याग्रहियों के साथ बर्ताव किया गया। पूछने पर भी यह नहीं बताया कि कौनसी जेल में भेजा। यातनायें उनको दी जा रही हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सत्याग्रह गांधीजी के बताये मार्ग पर चल रहा है। २६ जनवरी से गंगानगर में रेलों पर सत्याग्रह चल रहा है। क्यों चल रहा है ? अदालतों में सत्याग्रहियों को घुसने नहीं दिया, लाठियों से उनको मार रहे हैं, बोर्डर फोर्स, पुलिस फोर्स और मध्य प्रदेश से पुलिस फोर्स बुला कर लगा रखी है। लेकिन सत्याग्रहियों ने यह निर्णय किया है कि जेलों में जाना है, सत्याग्रह करना है और यातनायें जो भी सरकार दे उनको सहन करना है। किसान संघर्ष समिति ने पहले बाजाब्ता नोटिस दिया सात दिन का। सात दिन के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ और सरकार उस सत्याग्रह को स्वीकार नहीं करती है और कहती है कि यह विदआउट टिकिट है। कितनों को मानेंगे विदआउट टिकिट ? दो हजार चार, हजार, दस हजार। केन्द्रीय सरकार को भी समझना पड़ेगा। मुख्य मंत्रीजी को दमनकारी बातों को छोड़ देना चाहिये और जो सत्य बातें हैं, आन्दोलनकारियों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार कर लेना चाहिये और सत्याग्रहियों को मेहमान की तरह रखना चाहिये। यदि आज सत्याग्रहियों के साथ यह व्यवहार किया गया तो कल जब ये सिकेन्जे में आवेंगे तब इनके साथ भी यह ही व्यवहार होगा।

श्री मूलचन्द डागा : मेहमान कैसे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्याग्रही मेहमान हैं। उन पर हाथ उठाना एक गये गुजरे शासन का कार्य होता है इसलिये सत्याग्रहियों की इज्जत होनी चाहिये। बा-इज्जत जेल में भेजना चाहिये। उनके अन्दर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जन-प्रतिनिधि सत्व हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलायें हैं उन सबको 'सी' क्लास में भेजकर जाय तक न दी जाय इस प्रकार की वृत्ति इस सरकार के द्वारा नहीं रखनी चाहिये। यह इस बारे में कहना चाहता हूं।

इसके बाद रायसिंहनगर सब-जेल में रामप्रताप बिश्नोई नाम का जन्म कैदी था। उसको गांधी शताब्दी वर्ष में रिहा किया गया लेकिन एक महीने के बाद उस आदमी को गिरफ्तार करके वापस जेल में डाल दिया। किसके आदेश से छोड़ा गया और फिर दुबारा क्यों भेज दिया गया? इसकी जांच की जानी चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही राज्य में हो तो जेल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करायें और दोषी को दंड दें।

बीकानेर जेल में दो सत्याग्रहियों की मौतें हो गयीं। जेल विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हुई थीं इसलिये इसकी जांच करायी जानी चाहिये कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई? मैं बीकानेर जेल में था। बार-बार कहने पर भी दवाई की व्यवस्था नहीं। शहीद बख्शीसिंह की अस्पताल जाने के बाद आधे घंटे में मृत्यु हो गयी। सीरियस केस था। जेल अधिकारियों और डॉक्टर ने देखा नहीं इस कारण मृत्यु हुई या किस कारण मौत हुई इसके लिये जांच कमीशन बिठाया जाय और जांच करायी जाय ताकि लोगों को संतोष हो कि या तो मौत से मरे है या अधिकारियों की लापरवाही से मरे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये। तीन सत्याग्रहियों की मौतें हुई थीं। उनकी लाशें इस जालिम सरकार ने कहीं ले जाकर जलायीं। डैड बोडी घर पर पहुँचनी चाहिये। बीकानेर से तो उनको घर पहुँचा दी लेकिन जोधपुर से रास्ते में जला कर हड्डियां भर कर बोरे में घर पर पहुँचा दी गयीं। दूसरे देश में भी कोई आदमी मर जाता है तो उसकी लाश घर पर आती है लेकिन एक सत्याग्रही मरा है तो उसकी लाश उनके घर वालों को देनी चाहिये। कह दिया तार दिया। लाश सड़ने लगी इसलिये जला दी। और भस्मी घर भेज दी। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। वास्तव में लाश को जलाया गया या जंगल में फैंक दिया गया और सत्याग्रहों की मौत हुई उसका कारण क्या था? दवाई नहीं दी इस कारण मौत हुई या क्या? ये दर्दनाक मौतें हुई हैं पांच आदमियों की इसकी जांच करायी जाय।

चुरू जिले के जो सत्याग्रही दौसा जेल में है उनका पत्र मेरे पास में आया है। उन्होंने यह लिखा है—हमारे से मिलने मेघराज एम० एल० ए० आया। उन्होंने शायद विधान सभा में कोई मामला उठाया। वह यहां मालूम हो गया। वहां के आई० जी० प्रिजन्स हैं उन्होंने एस० डी० एम० को टेलीफोन किया। जिसके बाद वह एस० डी० एम० वहां आया। अब ८ बजे हमारे पास जेल में आया और हमें धमकाने लगा। मैंने कहा मेरी भी सुनोगे तो साफ कह दिया कि आपके मेघराज ने मेरी तोहीन की है इसलिये अब मैं आपके साथ बुरा से बुरा वर्ताव करूंगा, आपको खारा पानी पाना पड़ेगा। मैं जेल का ऑफिसर हूं। नेतागिरी नहीं चलने दूंगा। मैंने आपको भी अच्छी तरह से देख लिया है। तुम कितनी ही शिकायतें करो मेरा कोना क्या

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बिगाड़ सकता है। इस तरह का कागज सभापति महोदय, मेरे पास आया है। इस प्रकार के जुल्म जेलों के अन्दर ये अधिकारी सरकार के आदेश के बाद भी कर रहे हैं। विधान सभा का कोई सदस्य बात उठावे उसके बाद यह अधिकारी कहे कि विधान सभा में उठाओगे तो मैं समझूंगा। इसकी जांच होनी चाहिये। वहां खाने को नहीं मिलता है, पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। वहां जेलों में इस तरह की दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हमारे सत्याग्रहियों को बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिये इस मामले की विशेष तौर से जांच की जाये और उनकी सुविधा की तरफ ध्यान दिलावें। उनमें दो-तीन आदमी (बी) क्लास के हैं। उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। नहाने को पानी नहीं दिया जाता है। खाने को अच्छा अनाज नहीं दिया जाता है। बिस्तर वगैरह उनको नहीं दिये जाते हैं। इस तरह की कठिनाइयां उनके सामने हैं....

श्री मधनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जो जानकारी दी गई है वह माननीय सदस्य का ब्रीच ऑफ प्रिवीलेज है। असेम्बली में कोई बोल जाये और उसको बाद में धमकाया जाता है तो चेयर को उसका कोग्नीजेंस लेना चाहिये। सदस्यों के अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है इसको रोका जाना चाहिये....

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार जेलों के अन्दर कठिनाइयां हैं। जो २० साल के कैदी हैं उनको रेमीशन नहीं दिया जाता है। ऐसा प्रावधान है कि जिसने दस साल जेल काट ली उसको सूरतगढ़ फार्म भेजा जाना चाहिये, परन्तु उसको नहीं भेजा जाता है। जो पैसा देता है उसको सूरतगढ़ फार्म पर भेजा जाता है और दूसरे आदमी जेलों में सड़ रहे हैं। बीकानेर जेल में ५१ आदमी हैं। इसी प्रकार के अनेक आदमी हैं उनको कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। पैसा देते हैं उनको रेमीशन मिलता है। जो आई० जी० प्रिजन्स हैं उसकी मिलीभगत होती है। सुपरिन्टेन्डेन्ट को जेल में कैदी जो पैसा देता है उसमें उसका भी हिस्सा होता है। जो पैसा देता है उसको ही रेमीशन दिया जाता है और जो कोई सुपरिन्टेन्डेन्ट की शिकायत कर देता है कि उसको खाना नहीं मिला, तो उसके डंडे लगाये जाते हैं। उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। और उसको दूसरी जेल में भी बदल दिया जाता है जहां पर कि दूसरा सुपरिन्टेन्डेन्ट भी उनको तंग करता है। उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जेलों के अन्दर है। इसलिये जेलों के जो पुराने कानून हैं उनको बदलना होगा। बाबा आदम के जमाने का यह कानून है। उसके बाद से तीस गुना भाव बढ़ गये हैं और उसके मुताबिक जो खाना दिया जाता है उससे कैदियों का गुजारा नहीं होता है। इसलिये इस जेल के कानून में परिवर्तन होना चाहिये, इसमें सुधार होना चाहिये। जेलों की सफाई होनी चाहिये। जेलों के अन्दर पंखे होने चाहिये, रोशनी होनी चाहिये। जेठ के महीने के अन्दर तपती हुई धूप में, कैदियों को कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। वह भी इंसान है। वह गलती करता है तो उसको दंड दो किन्तु उसका भी ध्यान रखना चाहिये। वह मेहनत करता है। उसकी मेहनत से जेल के अन्दर जो रहते हैं उनको बहुत फायदा होता है। फिर भी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उसको पेट भरकर दोनों टाइम खाना नहीं मिलता है। वे जैसे तैसे कर के अपना पेट भरते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी करना चाहती हूं कि जैसा आप कह रहे हैं कि कैदियों को पेट भर कर भोजन नहीं मिलता है तो आप यह राजनैतिक कैदियों का जिक्र कर रहे हैं या साधारण कैदियों का ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं साधारण कैदियो का जिक्र कर रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं राजनैतिक कैदियों के बारे में पूछ रही हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं आपको सही ही बताऊंगा। उनको पेट भर कर भोजन नहीं मिलता है। किसी प्रकार से अपना पेट भरते हैं। बड़ी मुश्किल से उनका पेट भरता है। जेलों के अन्दर जो अनाज दिया जाता है वह बड़ा गंदा होता है और विदेशी गेहूं होता है। उस पर पॉइजन छिड़का होता है। उससे कैदी बीमार हो जाते हैं। सब्जी जो दी जाती है उसमें रेता मिला होता है। जो दालें होती हैं उनमें कंकड़ मिले होते हैं उसको साफ नहीं किया जाता है। उसमें नमक मिर्ची नहीं डाली जाती है इस प्रकार की व्यवस्था है........

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बीकानेर जेल में खीर और हलुआ किसने खाया है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : हम सरकार के जंवाई थे इसलिये दिया था, हम सरकार के मेहमान थे। मेहमान को सरकार को देना पड़ेगा। या तो वह भर्ती ही नहीं करे और भर्ती करेगी तो देना पड़ेगा।

(४.५८)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

आप जेल जाकर पहले देखें उसके बाद में बात करें। आप एक महीना जेल में रह कर आयें। जेल का क्या वातावरण है ? अध्यक्ष महोदय, जेल पर लिखा होता है सुधार गृह। वह सुधार गृह नहीं बिगाड़ घर है। जितना बिगाड़ वहां होता है उतना बाहर भी नहीं होता है। जितना जुल्म जेलों के अन्दर होता है उतना कहीं नहीं होता है। वहां इस जुल्म को सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ जेलर जानता है या कैदी।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दो-चार मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा। इसलिये मैं जेल मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की तमाम जेलों को हमारे सत्याग्रहियों ने जाकर देखा है। इसकी व्यवस्था-अव्यवस्था के बारे में वे अच्छी तरह से जानते हैं। उनको जो जानकारी है वह ठीक है। इसलिये इसमें सुधार होना चाहिये। बजट में जेलों के सुधार के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया है। राजस्थान के अन्दर जितनी भी जेलें हैं उनकी दीवारों के अन्दर चूहे हैं, मच्छर हैं उनकी मरम्मत नहीं की जाती है। इसलिये इसका बजट भी सालाना होना चाहिये लेकिन कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। जेलों का जो वातावरण है उसमें सुधार होना चाहिये और उसमें शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। मास्टर की नियुक्ति की जानी चाहिये जो २० साला कैदी होते हैं उन पर सरकार को कुछ न कुछ खर्च करना चाहिये।

Page No 158

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अब मैं शिक्षा के बारे में दो-चार बात कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आप समय बहुत ले चुके हैं।

(५ म० प०)

श्री रामचन्द्र आर्य : शिक्षा के बारे में मैं कह देना चाहता हूं । राजस्थान प्रान्त का शिक्षा का बजट मैंने देखा है इस राज्य सरकार ने दूर-दूर तक गांवों में प्राइमरी पाठशालाएं तक नहीं खोलीं हैं। मेरे क्षेत्र के ६० गांव ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं । इसकी प्रगति रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें लिखा है, गत साल आठ मिडिल स्कूल व १० प्राथमिक पाठशालायें खोली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति से एक घंटे का समय बढ़ाता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब आपन पर चैयरमैन महोदय थे उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस समय व्यवस्था नहीं दी गई। गंगानगर के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है अतः सदन का समय पांच बजे के बाद न बढ़ाया जाय। सदन के समय में वृद्धि न की जाय। हमारे अधिकार को जो बात है आप उसे मनवा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारी सुरक्षा आप कर सकते हैं सरकार नहीं कर सकती है । हमारी सुरक्षा करने का अध्यक्ष का फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : सदन के अन्दर मेरे द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा होती है ।

श्री मदनसिंह : आप उनसे बातचीत करेंगे तो क्या हम यहां हल्ला करेंगे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं शिक्षा के बारे में निवेदन कर रहा था। गत साल ८ माध्यमिक स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनाये गये। इसके अलावा मंडार, रोहेड़ा की क्लासें तोड़ी गईं, खेतड़ी और आबू में खोली गईं। खेतड़ी में इसलिये खोली गईं चुनाव वहां का जीतना था इसलिये वहां पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये स्कूल खोली गई। दूसरी तरफ राज्य सरकार हिण्डौन में स्कूल खोलने के लिये गोली चलाती है। हिण्डौन के लोगों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। खेतड़ी के लोगों से वोट लेने थे। इसी प्रकार की अव्यवस्था गांवों में हो रही है प्राथमिक पाठशाला तक नहीं है। जब नये चुनाव आते हैं तो उस साल सारे पांच सालों के बजट को खत्म कर दिया जाता है। प्रजातंत्र के जमाने में इस प्रकार की दयनीय हालत है प्रशासन की ।

गंगानगर जिले में कृषि विश्व विद्यालय होना चाहिये था जिसको खोला है उदयपुर में, जहां पहाड़ ही पहाड़ हैं। मुझे उदयपुर में खोले जाने के लिये कोई एतराज नहीं है लेकिन गंगानगर जो नहरी इलाका है उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । उसकी उपेक्षा की उसका नतीजा आज आपके सामने है। यह आन्दोलन भी इसी का परिणाम है कि आपने गंगानगर के साथ भेदभावपूर्ण रुख अपनाया है। इसी कारण मेरे क्षेत्र में ६० गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं तक नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयन्दा जो भी स्कूल खोले जायें वह जहां जरूरत हो वहां खोले जाने चाहिये। राजनीति से प्रेरित होकर नहीं। पार्टी-बाजी के आधार पर नहीं खोले जाने चाहिये। इस तरह से खोलने से शिक्षा का महत्व चला जाता है। आज हम देख रहे

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हैं कि कॉलेजेज के छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही हैं, इस अनुशासनहीनता ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को भ्रष्ट किया है। इनको कोई सरोकार नहीं जनता का पैसा किस प्रकार से खर्च किया जाता है। अपनी कुर्सियों को कायम रखने के लिये, अपने आदमियों को जिताने के लिये स्कूलें खोली जाती हैं। जरूरत है वहां पर नहीं खोली जाती है। हमारे नोहर में हाई स्कूल थी, लड़कियों की हाई स्कूल थी वहां पर साइन्स की क्लासें नहीं खोली गई। महिलाओं को शिक्षा को आज प्रोत्साहन देना चाहते हैं लेकिन आप साइन्स का इन्तजाम नहीं करते यह जो आप की बद-इन्तजामी है मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और इस नीति का घोर विरोध करता हूं। लानत देता हूं ऐसे शासन को।

श्री मूलचन्द डागा : कानून वह चीज है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चेयरमैन साहब ने मेरा नाम लिया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे ऊपर बातचीत करने को जाना है अतः मुझे पहले समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने डागाजी को समय दे दिया है अगर उनकी जगह दूसरों को समय दूंगा तो काम्प्लीकेसीज पैदा होंगी। वक्त बहुत कम है अतः हर माननीय सदस्य को पांच मिनिट से ज्यादा नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : जितनी अक्ल होगी उतना ही तो बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : डागाजी को पांच मिनिट। इनके बाद बाहर जाने वाले सदस्यों को समय दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो पांच मिनिट का समय दिया है वह बहुत ही अल्प समय है। मेरे आज की मांगों पर १५ कटौती के प्रस्ताव हैं। पांच मिनिट में मैं सब पर बोल भी नहीं सकता।

मैं पहले कानून की बात पर आ रहा हूं अदालतों में जहां न्याय की व्यवस्था है वहां आप नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट लगाते हैं वे नये कालेज के पढ़े हुए लड़के होते हैं जिनको कुछ एक्सपीरियन्स होता नहीं उनको आप मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति दे देते हैं जिनको भाषा का ज्ञान नहीं। किस प्रकार से वकीलों के साथ बोलना चाहिये, यहां तक जानते नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जिनको पांच साल का वकालत का अनुभव हो। इसके साथ-साथ फैसले जिस भाषा में लिखे जाते हैं उससे भी मुझे सख्त एतराज है। जब तक अदालतों में हमारी भाषा में फैसले नहीं होंगे तब तक उसको आम जनता समझ नहीं पायेगी। जिन लोगों ने अंग्रेजी से शिक्षा प्रारम्भ की वे हाई कोर्ट में लग गये हैं अब उनकी अपनी भाषा नहीं चलेगी। लोगों की भाषा में उन को फैसला देना होगा हिन्दी भाषा को यूज करना होगा।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक न्याय की भाषा हमारी हिन्दी नहीं होगी तब तक कोर्ट में न्याय नहीं होगा। और न्याय सस्ता भी नहीं मिल सकेगा। अंग्रेजी बोलने वाले ऊंची उड़ान करने वाले केवल रटी-रटायी भाषा में वकालत करते हैं, उसी को वे यूज करते हैं। इस तरह से न्यायालय में जो

(श्री मूलचन्द डागा)

कुछ वाद-विवाद होता है वह एक प्रकार से रटी-रटायी भाषा में होता है जिसको आम जनता समझती नहीं। मेरा निवेदन है कि आप न्यायालय का काम-काज हिन्दी में कीजिये। हिन्दी भाषा न्यायालय की भाषा होनी चाहिये और फैसले भी हिन्दी में होने चाहिये

इसके अलावा हाई कोर्ट में छुट्टियां जो होती हैं वह हमारी छुट्टियों से अलग होती हैं। हमारी सरकार जब छुट्टी ओब्जर्व करती है तब न्यायालय में छुट्टी नहीं होती है। उनकी छुट्टियां भी सरकारी छुट्टियों के समान ही होनी चाहिये।

पाली की सिविल जजी कोर्ट, देसूरी बाली के नीचे है। पुलिस डिपार्टमेंन्ट हमारे यहां है, कलेक्टरी हमारे यहां है जिसको अब सिरोही डाल दिया गया है जो एक जमाने में गुजरात में चला गया था। सिरोही में सिविल केसेज तय होते हैं, जहां पर आने जाने के कोई साधन नहीं है। सिविल जजी देसूरी और बाली में बैठती है। पुलिस विभाग और इन्कम टैक्स पाली में है। ऐसी हालत में सिविल जजी को पाली में लाने के लिये विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आज शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की सब ओर से मांग है। आज आप देखते हैं जिस प्रकार के लड़के कॉलेजेज से निकलते हैं जिनमें अपने माता-पिता के प्रति अपने गुरुजनों के प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं। आज लड़के कॉलेजो में लाल दुपट्टे और पीले दुपट्टे के पीछे फिरते रहते हैं। आज शिक्षा का मतलब केवल ऐसे लोगों की फौज पैदा करना है जो अनुशासन को न मानें, अपने प्रिन्सीपल को घेर कर पीट दें, अपने अध्यापकों को पीट दें, आज की शिक्षा यहीं तक रह गई है। शिक्षा का मतलब होना चाहिये इन्सानियत को पैदा करना। अगर हम शिक्षा के द्वारा लड़कों में इन्सानियत के भाव पैदा करते हैं तो उनमें अपने गुरुजनों के प्रति आदर भाव पैदा होगा। आज जो प्रोपर्टीज को जलाते हैं, अनुशासन भंग कर देते हैं अध्यापकों का मखौल बनाते हैं। लानत है ऐसे राजनीतिज्ञों को जो विद्यार्थियों को अपना टूल बनाते हैं राजनीति में उनको घसीटते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी राजनीति क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : बात यह है कि आज के जो प्रिन्सीपल हैं उनमें योग्यता नहीं है, काबलियत नहीं है, पढ़ाने वाले काबिल नहीं हैं। यह ऐसी खामियां है जिनके बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज लड़के रट-रटाकर पास हो जाते हैं, एम ए. पास कर लेते हैं, उनके अन्दर कोई प्रतिभा नहीं आ सकती इस तरह से उनके पास ज्ञान का भंडार नहीं हो सकता। आज हम कॉलेजों में देखते हैं लेक्चरार्स रट-रटाकर आ जाते हैं और उसी को उसी रूप में लड़कों के सामने उगल जाते हैं, इससे लड़कों पर उनकी विद्वता का असर नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कॉलेज बन्द होने चाहियें। कॉलेजेज में वे ही लड़के जायं जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी हों, ब्रिलियन्ट हों। होता क्या है ज्यों ही कॉलेज खुलते हैं लड़के अपना आन्दोलन शुरू कर देते हैं। चाहे थर्ड डिविजन ही हों वे कॉलेज में एडमिशन के लिये आन्दोलन शुरू कर देते हैं। मेरा शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे

(श्री मूलचन्द डागा)
इस प्रकार की नीति अपनावें जिससे जो होनहार और फर्स्ट डिविजनर्स लड़के हों वे ही कॉलिज में एडमिट किये जायें। शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिये जिनके दिमाग हों, जो शिक्षा में रुचि लेते हों।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आप भरती हुए थे कॉलेज में आपकी क्या स्थिति थी ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं मालवीयजी के चरणों में रहा हूं और जिस युनिवर्सिटी के सर्वपली डॉ. राधाकृष्णन् जैसे वाइस चान्सलर थे उनके पास रहा हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मेरी जानकारी के अनुसार डागाजी उस समय अपनी बाहों से नाक पोंछा करते थे ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दोनों के बीच एक ही था।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा यही निवेदन है कि हायर सैकेण्डरी जिन्होंने अच्छे डिविजन में पास की है एक्स्ट्रा आर्डिनरी जो ब्रिलिएण्ट हों उनको ही कॉलेज में एडमिशन दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : डागा साहब, अब समाप्त करिये। प्रश्न यह बड़ा विषद् है।

श्री मूलचन्द डागा : एक दिन इस शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। यह सबकी राय है। पर यह परिवर्तन करने वाला जिन्दा दिल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ। सब घिसे पिटे रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि नये रास्ते पर चलने में और यह ढर्रा बदलने में हिम्मत चाहिये, दिल चाहिये। कॉलेज एज्यूकेशन से क्या फायदा हुआ। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को सुन्दर बनाना है। इस तरह के लड़के पैदा हों जो हमारे देश के सिर को ऊंचा करें। पर आज तो शर्म से सिर नीचे झुकाना पड़ता है। राजस्थान में मीरा और दुर्गादास जैसे पैदा हुये। पर अब तो इस प्रकार के पैदा हुए हैं जो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पाली में जैसे मूलचन्द डागा पैदा हुए। अवतार अवतरित हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : शिक्षा के मामले में जीवन का सौन्दर्य और निखार आ जाता है।

श्री मदनसिंह : दोनों शिक्षा मन्त्रियों में से वह सौन्दर्य निकल रहा है कि वाह !

श्री मूलचन्द डागा : आपने तो तलवार का खेल खेला है।

श्री मदनसिंह : दुर्गादास ने तो कलम चलाई थी ?

श्री मूलचन्द डागा : हम जैसे शिक्षा के प्रेमी हैं। हमें भी बिगाड़ डाला। यह उचित नहीं है। जिनको शिक्षा से प्रेम न हो वे इस क्षेत्र में न आवें। उनको तो युद्ध के मोर्चे पर भेजा जावे। फौज में दे दिया जाय ताकि शरीर से कमजोर न हों। तो शिक्षा में परिवर्तन लावेगा कौन, नया कदम उठावेगा कौन ?

श्री मदनसिंह : हुक्म दो आप।

श्री मूलचन्द डागा : एक किताब आपने (श्री शिवचरणजी ने) भी लिखी है। विद्यालय

(श्री मूलचन्द डागा)
ने कहा था। शिवचरणजी ने भी चुटकले लिखे हैं। फिर भी परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : कभी और विवेचन किया जावेगा इस पर। अभी तो समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : लड़कों को सक्रिय राजनीति से दूर रखना चाहिये। मुझे भी मूलचन्द डागा मुर्दाबाद सुनना पड़ा है। मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा ये बच्चे सदन में आकर अनुशासन तोड़ रहे हैं तो उन्होंने इस पर मेरे लिये भी कहना शुरू कर दिया मूलचन्द डागा मुर्दाबाद।

श्री अध्यक्ष : वे भूल गये होंगे जिन्दाबाद कहते-कहते मुर्दाबाद कह गये होंगे। आपका समय समाप्त हुआ। श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस वक्त तीन मांगों पर विचार कर रहा है। सर्व-प्रथम मैं कारावास को लेकर कुछ कहना चाहूंगा।

कारावास की जो आज दशा है वह वास्तव में बड़ी दयनीय है। सरकार ने इसको देखते हुए परिपूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की थी। उसकी रिपोर्ट आये काफी अर्सा हो गया पर अभी तक सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया है। गंगानगर का आज आन्दोलन चला। १९/२० हजार लोग उसमें जेलों में गये। उनमें से बहुतों ने सामान्य सुविधाएं तक प्राप्त करने के लिये काफी संघर्ष किया। कुछ को भूख हड़तालें करनी पड़ीं। तब कुछ सुविधाएं प्राप्त हुईं। नियमों में भोजन का जो पैटर्न प्रेस्क्राइब्ड है वह वही पुराना दकियानूसी है। अभी अभी एक माननीय सदस्या कह रही थी कि क्यों लोग वहां भूखे रहते थे? लोगों को (जो) क्लास मिल गया। पर फिर भी सत्याग्रही यह शिकायत करते रहे कि वे भूखे रहते थे। इसका कारण यह था कि अनुपात बंधा हुआ था कि फिर इस अनुपात में आटा, दाल मांस अण्डा मिलेगा। अब जो मांस अण्डा वगैरह नहीं खाते उनको भूखे रहना पड़ा। फिर बहुत कह सुनने पर, संघर्ष करने पर यह निर्णय करवाया गया कि हम मांस नहीं खाते, अण्डा नहीं खाते, मछली नहीं खाते। मांस को कीमत एक रुपया होती है तो मांस के एवज में इस एक रुपये में आटा, दाल वगैरह ले लो। पर जेल के खाते में और इन्द्राज में तो मांस ही लिखा गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन दकियानूसी पुराने कायदे-कानूनों को आप जल्दी से बदलें। इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाय। सदन में पूरी तरह से विचार और निर्णय इस बारे में लिया जाय और फिर तेजी से कदम उठाये जावें। वह रिपोर्ट सदन में जल्दी से जल्दी पेश करके निर्णय लिया जाय।

मैंने स्वयं ने राजाशाही की जेलें देखी हैं। आज की नहीं ४२ और ४७ की जेलें देखी हैं और आज के कांग्रेसी राज में भी चार-चार बार जेलें देखी हैं। इस लिये यह सब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब न्याय पर आ जाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं न्याय प्रशासन के बारे में कहता हूं। इस सम्बन्ध में भी

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। एक बात तो सूत्र रूप में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप खुद विधि शास्त्री हैं, विधि वेता हैं। प्रमुख वकील रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप और हम दोनों ही।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया है उससे मैं अनुगृहीत हूं और जो सुझाव इस सदन में रखूंगा उस पर अमल हो सकेगा। आपने जूडिशियरी के बारे में कहा, केवल सैपेरेशन का सवाल आया तो वह नाम मात्र का है। ताजिरात हिन्द के जो केसेज हैं उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे बाकी के जो और हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट करेंगे चाहे वे एक्सट्रेशन के हों, कैटिल ट्रेसपासर्स के हों, गेम्बलिंग के हों, एक नहीं अनेकानेक जो क्रिमिनल केसेज इन्स्टीट्यूट होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट ही करते हैं। जुडिशियल सेपेरेशन हुआ अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से २५ प्रतिशत मामले जुडिशियल सेपरेशन में आते है। जुडिशियल में आप नई-नई भरती कर रहे हैं वे जुडिशियल की सीमा में नहीं रहते हैं। मैं समझता हूं या तो उम्र की पख लगा दी जाय या सरलता जैसी चीज उनके साथ जोड़ दी जाय। नहीं तो निश्चित् रूप से से न्याय प्रशासन गिरेगा। वैसे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूं मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक नहीं अनेक डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जजों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया है। भरतपुर सेशन जज के खिलाफ मैंने स्वयं संघानी की फाइल से देखा, उन्होंने तुरन्त कदम उठाया, उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट कर दिया गया....

श्री अध्यक्ष : दूसरे जज सुनते रहेंगे....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आपके माध्यम से राजस्थान के चीफ जस्टिस ने इस तरह के करप्शन को रूट आउट करने के लिये कदम उठायें उनको बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से उनका यह सराहनीय कदम है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की भाषा हिन्दी होते हुए भी राज भाषा में जैसा कि भाई मूलचन्दजी डागा ने कहा यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जजों को आवश्यक रूप से हिन्दी में काम करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसका सारा सदन पुष्टि करता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री महोदय एक ऊंचे दर्जे की छाप है। मैं समझता हूं इससे ऊंचे दर्जे की प्रामाणिकता, आवश्यकता, जनभावनाओं की एक जो प्रथमता है, उसके बराबर और दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, इसकी छाप जन-मानस को झंकृत कर देने वाली है....

श्री अध्यक्ष : एक साथ सदन की इतनी ....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस बात को स्वीकार करें या न करें सच्चाई यह है कि जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करनी चाहिये। इसमें ईमानदारी का तकाजा है, सच्चाई का तकाजा है, एफिशियेन्सी का तकाजा है। राजस्थान के साथ यह मखौल है, विडम्बना है। कमीशन की

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

रिपोर्ट अमल में नहीं आई उस पर विचार भी नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकार ने मान्यता नहीं दी लेकिन राजस्थान सरकार के अमल कर दिया। यू. पी. का हवाला रख करके देखिये इलाहाबाद में हाई कोर्ट की बैंच है, लखनऊ में है और अब मेरठ में भी स्थापित करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत चर्चा हो चुकी है सदन में। केवल भावना व्यक्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं फिर से इस मन्तव्य पर अपनी भावना को, जन-भावना के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय हो....

श्री अध्यक्ष : सुविधा अनुसार।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सुविधा के आधार पर हो। मैं यह चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को हाई कोर्ट की बैंच यहां स्थापित हो। मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, वर्क लोड को देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के जजेज ने भी माना है। बैर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट होना चाहिये। इसी तरह बाड़ी में भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत कायम होनी चाहिये। यह सब चीज तथ्यों के आधार पर है, वर्क लोड के आधार पर है जो एस्टेब्लिश हो चुकी है।

अब मैं शिक्षा के आधार पर आना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा को छोड़ दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं, अध्यक्ष महोदय, जरूर छोड़ देता लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो....

श्री अध्यक्ष : अच्छा फिर प्रारम्भ रखिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शिक्षा शास्त्री की अध्यक्षता में यह सदन चले....

श्री अध्यक्ष : आज जितनी मैंने तारीफ की है उसको कम्पेनसेट कर दिया है।

श्री रामकिशन : कम्पेनसेट टाइम से होगा, बोलने से नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी-अभी जैसा माननीय मूलचन्दजी डागा ने कहा, मैं उस रूप में तो नहीं जाना चाहूंगा। मन तो यह कहता था शिक्षा के बारे में क्या गति हो उस बारे में कहता लेकिन समय कम होने से मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि राजस्थान की शिक्षा दिशा विहीन शिक्षा है, कोई उसका लक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि क्लर्क और बाबू पैदा करें जो नौकरी के चक्कर लगाते फिरें। आज की आवश्यकता की कसौटी पर कसा जाय तो यह बुरी तरह फैल होगी। कोई जमाना जब हम कहा करते थे — Harmonious development of mind, body and soul.

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक समन्वय और आध्यात्मिक विकास करना है। इस प्रकार का उद्देश्य रहा है। परन्तु आज मैं उस मीमांसा में नहीं जाऊंगा और जो सिद्धान्त हैं उनका भी बखान नहीं करना चाहता हूं परन्तु जो बेसिक एज्यूकेशन है ..

श्री अध्यक्ष : बहुत ज्ञान है आप में।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपकी मार्फत और वह यह है कि युनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर राज्य सरकार के कोष का बहुत बड़ा हिस्सा खतम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : करैक्ट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ३८ करोड़ का प्रावधान है बजट में। मैंने इस फीगर को देखा प्राइमरी एज्यूकेशन और माध्यमिक एज्यूकेशन आठवीं तक के लिये केवल दो करोड़ का प्रावधान है और बड़ी चालाकी के साथ यह रिपोर्ट तैयार की है जिसे हम पढ़ नहीं सके हैं, जिस पर हम सुझाव दे नहीं सकते– कंक्रीट परन्तु क्या है? इसके हिसाब से फीगर आई है दो करोड़ और कुछ ६५ हजार या ५५ हजार कुछ है का प्रावधान केवल इस बात के लिये रखा है और युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के लिये ३८ करोड़ इस सारी बाकी की शिक्षा के लिये १८ करोड़ का प्रावधान है....

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : यह तो प्लान है। प्लान की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं युनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर हमारे शिक्षा के कोष की बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर दी जाती है। मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष जी, थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद दोनों में ६ करोड़ ३३ लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको हम शिक्षा देने से महरूम रहे हैं। आज इतना समय निकलने के बाद साढ़े सात करोड़— साढ़े सात करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान में पर्सेन्टेज नीचा है। शिक्षा मन्त्रीजी डिमाण्ड को लेकर हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कम्पलसरी प्राइमरी एज्यूकेशन को इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बड़ी बहादुरी के साथ प्राइमरी एज्यूकेशन पर ज्यादा खर्च करते तो हमको स्फूर्ति मिलती, निश्चित रूप से शिक्षा के बढ़ते हुए चरण अग्रसर होते दिखाई देते और यह कहते कि निरक्षरता को हम हमेशा के लिये नेस्त-नाबूद कर देना चाहते हैं। क्या ही अच्छा होता इस प्रकार की बात आप लेकर आते परन्तु हम देखते हैं कि युनिवर्सिटी एज्यूकेशन के ऊपर शिक्षा बजट का बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है। आज युनिवर्सिटी की क्या हालत है? हमारे यहां राजस्थान में तीन युनिवर्सिटीज हैं और तीनों का ही स्टेन्डर्ड अलग-अलग स्टुडेन्ट्स में अनरेस्ट, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता....

श्री अध्यक्ष : बहुत कुछ कहा गया है, इस पर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शिक्षकों में असंतोष, अपाइन्टमेन्ट्स में धांधली। कभी किसी युनिवर्सिटी ने ज्यादा नम्बर दे दिये तो किसी ने अपना दूसरा ही स्टेन्डर्ड रख दिया।

श्री अध्यक्ष : विषमता है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हमारे केदारजी ने एक सब्सटेन्टिव मोशन भी रखा है....

श्री अध्यक्ष : उसको हम ले लेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं चाहता हूं कि युनिवर्सिटी के बारे में एक रोज फूल-फ्लेज्ड डिबेट हो....

श्री अध्यक्ष : आपका अच्छा सुझाव है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस मंशा के साथ, मुझे आशा है कि अध्यक्ष महोदय हमारी इस प्रार्थना का निर्वाह करेंगे। मैं यूनीवर्सिटी की बात को छोड़ देता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब बाकी क्या रहा ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब मैं मतलब की बात पर आता हूं। प्राईमरी एजुकेशन की हालत देखिये। पेड़ों के नीचे शिक्षा पाते हैं। भवनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। भवनों के लिए आपको एडहाक बेसिस पर व्यवस्था करनी चाहिए। साथ साथ आप प्लान बनाकर चलें कि इस साल एक हजार स्कूलों को करेंगे, अगली साल पांच सौ को करेंगे। ऐसी योजनायें हम बनाकर चल सकते हैं। इसके साथ एक मुद्दे का सवाल आता है। शिक्षा मंत्रीजी लोग समाजवाद की बात बहुत ज्यादा किया करते हैं लेकिन पब्लिक स्कूलों में यह डैडी, मम्मी की पढ़ाई के साथ साथ आज समाजवाद कैसे टिक सकता है। एक तरफ तो सारे स्कूलों के बच्चे पेड़ों के नीचे, शिक्षा पाते हैं और दूसरी तरफ डैडी, मम्मी....

श्री अध्यक्ष : अरे....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन पब्लिक स्कूलों पर सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। मैं कहता हूं कि जो लोग इतने साधन सम्पन्न हैं और जहां मंत्रियों के बच्चे या एम० एल० ए० के बच्चे पढ़ते हैं, कोई के भी हों तो उन स्कूलों की एडहाक ग्रान्ट बन्द कर देनी चाहिए। राज्य की तरफ से उनको कोई इमदाद नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा था और मैं दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं और वह यह है....

श्री अध्यक्ष : अब देखिये बहुत समय हो गया है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं और मुद्दे की बातें करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं सारी मुद्दे की बातें हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दूसरों की ऐसी आदत है। आई एम नाट फिलीबस्टिंग'। मैं निवेदन कर रहा था कि प्राईमरी स्कूलों को और प्राथमिक स्कूलों को आपने पंचायतों के बीच में डाल रखा है। बजट वही रहेगा, शिक्षक वही रहेंगे, पढ़ने वाले वही रहेंगे और आपके इन्सपेक्टर्स वगैरह वही हैं—कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं—लेकिन पंचायतों के अण्डर में डालने से आप मानें या नहीं मानें टीचर्स की बड़ी दुर्दशा है। बड़े निम्न स्तर पर इन्टरफियरेन्स है और इससे शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिर रहा है।....

श्री रामनारायण चौधरी : रामकिशनजी क्या कह रहे थे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम तो पंचायतों को ही तोड़ने की बात कह रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर केवल आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में रखूंगा कि टीचर्स के सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस देश के अन्दर पहले कभी कहा जाता था:—

"गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरो
गुरुसाक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।

और अध्यक्ष महोदय, क्या होता है कि पंचायत का सरपंच पहुंच गया या कोई पटेल आ गया तो कहता है अरे लाला, अरे मास्टर हुक्का भर ला'।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह समझा कि आपने माननीय सदस्यों को कुछ कहा है। यह नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके साथ ही एक बड़ा कान्क्रीट सुझाव देना चाहता हूं। आप कई बार बसों में बैठ कर गये हैं और देहातों में होकर गये हैं। रूट बसेस हैं विद्यार्थी सड़कों पर खड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा। कोई अच्छा ड्राइवर होता है उनको लिफ्ट दे देता है। विद्यार्थियों को तीन-चार मील रोज जाना और आना पड़ता है। पंजाब के अन्दर सिस्टम है, उन्होंने यह कम्पलसरी कर दिया कि बस्ता लेकर कोई भी विद्यार्थी अगर सड़क पर कहीं खड़ा है तो उसको स्कूल तक लिफ्ट दे देते हैं....

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जहां से गाड़ियां जाती हैं जो कि पास है उस रूट पर, तो निश्चित रूप से उनके परमिट में यह कन्डीशन होनी चाहिए कि विद्यार्थी को फ्री लिफ्ट स्कूल को लेजाते समय और आते समय मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री को भी इससे सुझाव लेना चाहिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी कि आप यातायात मंत्री को इस मामले में कान्फीडेन्स में लें। शहरों के अन्दर क्या है कि शहरों के अन्दर जो बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं....

श्री अध्यक्ष : हम जानते हैं शहरों का मामला तो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : शहरों में पचास-पचास और सत्तर-सत्तर हजार को एयर कन्डीशण्ड बसेस हैं और बेचारों गांवों से आने वालों बच्चों के लिए पैदल यात्रा है टपर, टपर।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप २० मिनिट ले चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : २० मिनिट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्या २० मिनिट और लेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कम ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप ६ मिनिट में ही समाप्त कर देंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा मंत्री महोदय को आपके माध्यम से भरतपुर के कॉलेज में फिजिक्स की क्लासेज एम० एस सी० की इस साल में स्टार्ट

करने पर कोई पिछली साल कॅमिस्ट्री की एम० एस० सी० की क्लासेस स्टार्ट करने पर बधाई देता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं और यह धन्यवाद मैं विद्यार्थी वर्ग की तरफ से और ग्राम जन-साधारण की तरफ से आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आगे आलोचना मत करना बस।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : परन्तु इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि क्या ही अच्छा होता कि भरतपुर के कॉलेज में....

श्री शिवचरण माथुर : अभी तो आप कह रहे थे नहीं पढ़ाना और फिर पढ़ने वाली बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर याद दहानी करा रहे हैं। वो फिर आ जायेंगे इस पर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हू और आप युनिवर्सिटी को तोड़ें। परन्तु जो मौजूदा व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि वहां पर एम० ए०, एम०-काम० की क्लासेस अवश्य खोलें। मैं निवेदन करूं कि फाइनेनशियल दृष्टि से १५ रुपये से कम फीस नहीं है और उसके ऊपर ज्यादा से ज्याजा फीस है। कम से कम एम० ए० में १५० और कॉमर्स में १०० विद्यार्थी एडमीशन लेने के लिए तैयार हैं। वहां की संख्या को देखते हुए आपका खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप थोड़ा इस दृष्टि से भी देखें।

इसके साथ ही भरतपुर के अन्दर गर्ल्स कॉलेज की निहायत आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : कन्या महाविद्यालय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके साथ ही डीग के अन्दर भी आप कॉलेज खोलें। वहां के लोग बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं। ५ लाख रुपया पहले आपके माध्यम से ऑफर किया और ४-५ लाख रुपया लगाने के लिए तैयार हैं। हमारा इलाका मेवात का इलाका कहलाता है। ४-५ तहसीलों में कोई सुविधा नहीं है। जब डीडवाना में खोल सकते हैं, नसीराबाद में खोल सकते हैं तो डीग के अन्दर जहां की जनता की उतकण्ठा को देखिये कि ४ लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार है आप कृपा पूर्वक इसके ऊपर विचार करें।

इसके साथ ही जहां तक बयाना का ताल्लुक है तो बयाना के अन्दर, अध्यक्षजी, एक ही स्कूल है जिसमें १७०० विद्यार्थी पढ़ते है। अभी हमने डिविजन करके बड़ी मुश्किल से मिडिल स्कूल को अलग किया और मिडिल स्कूल को अलग करने के बाद भी वो शिफ्ट चलाते हैं। बच्चे सुबह पढ़ते है और दुबारा चलाते हैं। इस तरह का सिस्टम है। इन तमाम चीजों के होते हुए वहां पर बयाना में एक हायर सैकेन्डरी स्कूल होना बहुत जरूरी हैं। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवहारिकता के आधार पर, कठिनाइयों के आधार पर नदबई, कुसावर के अन्दर हायर सैकेन्डरी स्कूल होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : यह तो बातचीत से तस्फिया हो जायेगा।

श्री रामकिशन : बातचीत तभी प्रभावशाली होगी जब कि यहां भाषण हो जायेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं रिधवाल की बात कहना चाहता हूं यहां के लोगों ने १० कमरे बना दिये। वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिए। बाढ़ग्रस्त इलाका है और आने-जाने के साधन नहीं हैं। बरसात में वह एन्क्लेव हो जाता है, आईलेण्ड हो जाता है। वहां पर····

श्री अध्यक्ष : वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल हो गया, आगे....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसके साथ ही जहां तक भरतपुर का सवाल है वहां पर न्याय के आधार पर शिक्षा के लिये जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वे आपको देना चाहिए। ऐसा मैं मानकर चलता हूं। वहां पर मिडिल स्कूल ज्यादा बढ़ाये जाने चाहिएं।

अध्यक्षजी; एक समस्या बड़ी मानवीय समस्या है, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। वह समस्या यह है, अध्यक्षजी, कि एस० टी० सी० के जो युवक हैं और जिन्होंने ट्रेनिंग पास की है भरतपुर जिले में कम से कम २५०० से ३००० तक विद्यार्थी घूम रहे हैं। आप एस० टी० सी० के स्कूल चला रहे हैं। आखिर आप उनको कहां पर एब्जार्व करेंगे? अकेले भरतपुर में···

श्री अध्यक्ष : राजस्थान की समस्या है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसलिए मैं इस समस्या की बात करता हूं कि एस० टी० सी० के जो स्कूल्स हैं उनको बन्द कर दें।

श्री शिवचरण माथुर : कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन विद्यार्थियों को एब्जार्व किया जाय, और डिमाण्ड मंगा लें, हर जिला परिषद् को लिख दें आपके यहां टीचर्स की आवश्यकता हो तो इन पास्ड विद्यार्थियों को लें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ओवरएज वे हो गये हैं। यह तमाम परेशानियां हैं। मैं समझता हूं कि यह मानवीय दृष्टिकोण है। आज की हालत में बहुत ज्यादा तो ५०-६० आदमियों को आप एब्जार्व कर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बहुत ही मानवीय प्रश्न है।

अब मैं आता हूं भरतपुर जिले के अन्दर····

श्री अध्यक्ष - अभी तो थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें एक ही रिकगनाइज्ड स्कूल है। वह सनातन धर्म हाई स्कूल है जो कि बहुत ही पुरानी संस्था है। भरतपुर के जीवन में यह ६० वर्ष से काम कर रही है और सतीशचन्द्र अग्रवाल जैसे विद्यार्थी, बच्चे उस स्कूल की देन हैं। (हंसी) मैं निवेदन करूंगा कि आज ओल्ड बॉयज हैं उस संस्था के वे। ऐसे ओल्ड बॉयज जिस संस्था ने पैदा किये हैं और ६० वर्ष से वह संस्था काम कर रही है तो ६० वर्ष के बाद भी आप निवेदन करेंगे....

Page No 170

श्री अध्यक्ष : मैं ही निवेदन करूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि वह संस्था चल रही है। उसमें कामर्स क्लासेज चल रही हैं, आर्ट्स क्लासेज चल रही हैं और साइन्स की क्लासेज चल रही हैं, परन्तु उसके साथ में एक बड़ी विडम्बना है और वह विडम्बना यह है कि ७०० विद्यार्थी आज भी उसमें पढ़ रहे हैं। वह प्राइवेट है और आपकी तरफ से एड मिलती नहीं है। भरतपुर जिले के अन्दर लड़कों की केवल एक ही संस्था है....

श्री अध्यक्ष : इस पर खत्म करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक मिनिट।

उसकी हालत क्या है कि उसमें १२ सीनियर टीचर्स की बड़ी जरूरत है और १२ सीनियर टीचर्स वहां पर काम कर रहे हैं। आप उनकी कठिनाइयों का अन्दाजा लगा लें आपने भी प्राइवेट संस्थाएं चलाई हैं। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के अन्दर कितनी-कितनी प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं और उन प्राइवेट संस्थाओं की कितनी दयनीय हालत है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने कितनी कठिनाइयां होती हैं। वहां पर १२ सीनियर टीचर्स की आवश्यकता है...

श्री अध्यक्ष : मेरी सहानुभूति है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको ३००–४०० रुपये तनख्वाह के देने पड़ते हैं....

श्री अध्यक्ष : और रसीद कुछ लिखवाने का भी बता दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इसमें वह चीज नहीं हैं। पूर्वी राजस्थान के अन्दर अगर कोई एक मात्र संस्था है जो कि नैतिकता के आधार पर, आदर्श के आधार पर, विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के आधार पर समाज-सेवा के क्षेत्र में अनवरत परिश्रम कर रही है तो भरतपुर की सनातन धर्म संस्था है। आप देखिये कि ६० वर्ष से अनवरत काम कर रही है। कोई बरसाती मेंढ़क नहीं है और गाड़िया लुहार नहीं हैं। अध्यक्षजी जैसा कि आज पूछा गया कि गाड़िया लुहारों इन्स्टीट्यूट कहां है तो यहां से टेलीफोन....

श्री अध्यक्ष : आप कहां से कहां चले गये? भरतपुर से कितने मील का फासला आपने तय कर लिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसको ग्रान्ट-इन-एड देने का आपने कहा था लेकिन उसको ग्रान्ट-इन-एड देने का सवाल ही नहीं है। वह बरसाती मेंढक नहीं है, वह गाड़िया लुहार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : जितना कमाया उतना खो दिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस स्कूल के अन्दर क्या विडम्बना है कि ६४-६५ में यहां पर डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन आये और इसमें क्या बात की लिखित में कि हमारे पास तो साइन्स के लिए काफी पैसा है तो आप साइन्स की क्लासेज खोल दें। हमने साइन्स की क्लासेज खोल दी ६४-६५ में और उन्होंने कहा कि अगले साल से ग्रान्ट-इन-एड देना शुरू कर देंगे....

श्री अध्यक्ष : दी या नहीं ? समाप्त करें कृपया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक मिनिट।

श्री अध्यक्ष : समय बहुत ज्यादा ले लिया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ज्यादा नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमने लेबोरेट्री बनाई है और आज की तारीख तक एक पैसा भी हमको उस साइन्स के ब्लाक के लिए नहीं दिया। हमने पूरा ब्लाक का निर्माण कराया, वहां पर टीचर्स रखे, और, अध्यक्षजी, स्थिति यह है कि तीन तो सीनियर टीचर्स हैं, तीन असिस्टेंट्स टीचर्स हैं, तीन लेब. असिस्टेन्ट्स हैं तीन लेब. बॉयज हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इस तरह का स्टाफ वहां पर रखा है। लेबोरेटरी बनाई (समय-समाप्ति सूचक घंटी) फिजिक्स की लेबोरेटरी अलग है, केमिस्ट्री की लेबोरेट्री अलग है। उनके उपकरण खरीदे हैं और उन्हें चिल्लाते हुए ६४-६५ से आज की तारीख हो गई है, लेकिन एक पैसा नहीं दिया है। लाइब्रेरी के लिए पैसा नहीं दिया, फर्नीचर के लिए पैसा नहीं दिया....

श्री अध्यक्ष : एक पैसा नहीं मिला उसमें सब आ गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो समाज-सेवी संस्था हैं वे करीब पौने दो लाख रुपया खर्च कर चुकी हैं....

एक मिनिट में खतम कर रहा हूं।

मैं अन्त में, अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था से आप इस्तिफा देकर अलग हो गये, और जिस संस्था के आपने खुद ने कार्य हेय समझे, उस संस्था के, साहित्य, कला एकेडेमी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे भरतपुर के अन्दर बहुत पुरानी साहित्य-सेवी संस्था है हिन्दी साहित्य समिति तो उसका एफिलियेशन उससे है। तो उस संस्था के दो पहलू हैं। कुछ तो ग्रान्ट-इन-एड आपके यहां से मिलती है तो उसकी इतनी दयनीय हालत है कि बड़ी मुश्किल से काम चलता है। अब फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को काट दिया, बुक लिफ्टर को काट दिया, ग्रान्ट-इन-एड शुरू हुई तो ६२००-६३०० से उसको काटकर ५६०० की कर दी। इस तरह से सौतेला व्यवहार उनके साथ किया गया। यह संस्था एफिलियेटेड है साहित्य कला एकेडेमी से....

श्री अध्यक्ष : कला नहीं है। साहित्य एकेडेमी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सहित्य अकादमी...

श्री अध्यक्ष : हां वही।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अब पोजीशन यह है, अब स्थिति क्या है कि उस संस्था में बड़ा गड़बड़ घोटाला है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। वह संस्था इस तरह से फन्क्शन करती है और तमाम काम करती है और हमारा पैसा खा जाते हैं। हमारे नाम से एड ले लेते हैं और खा जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : अब काफी हो गया है। ४० मिनिट हो गये हैं आपको माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं तीन मिनिट में ही खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपने कृपापूर्वक मुझे लम्बा समय दिया और काफी अच्छी तरह से मैंने अपने पक्ष का प्रतिपादन किया है तो मैं आपके माध्यय से शिक्षा मंत्रीजी को विशेष विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :....सनातन धर्म संस्था की जो कठिनाइयां हैं उनको हल करें....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट संस्थाओं के सन्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं जितनी भी साम्प्रदायिक संस्थाएं हैं उनको सरकारी एड बन्द हो जाना चाहिए चाहे वह कोई सनातन धर्म का स्कूल हो या कोई जैन स्कूल हो....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :वह साम्प्रदायिक नहीं है जैसी कि आप बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह गलत समझ रहे हैं। वह सनातन धर्म सभा नहीं उस स्कूल का नाम है।

श्री अध्यक्ष : नाम है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : नाहर साहब, यह वैसा नहीं है जैसा कि आप समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उन्होंने जैन का भी कहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्षजी, आप अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से खड़ी कर सकते हैं और साम्प्रदायिकता की बात करते हैं। मुस्लिम और दूसरे लोगों में बैठकर बात करते हैं....

श्री अध्यक्ष : सबका कहा जा रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : साम्प्रदायिकता का विष फैलाने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग वातावरण को दूषित करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्षजी, मैं सनातन धर्म संस्था की बात नहीं करता हूं। मैं भीलवाड़े की कुछ संस्थाओं को लेकर बात कर रहा हूं। वहां जैन स्कूल हैं, माहेश्वरी स्कूल हैं। वे २१० रुपये की रसीद लेकर टीचर्स से ६० रुपये तनख्वाह देते हैं। यह जितने स्कूल हैं मैंने सनातन धर्म संस्था का जिक्र नहीं किया था, मैं तो यही कहता हूं कि चाहे हिन्दू युनिवर्सिटी हो, चाहे मुस्लिम युनिवर्सिटी हो, अगर हम सही मायने में सम्प्रदायवाद को पनपाना नहीं चाहते हैं तो प्रथम कार्य तो कम से कम यह करना चाहिए कि राज्य की एड नहीं दी जाय; इतना ही नहीं बल्कि जिनको दे रहे हैं उनकी बन्द कर दी जाय तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं इस बात का निवेदन नहीं कर रहा था ..

(५.५० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

देश के अन्दर जो आज विचार चल रहा है न्याय के सरलीकरण का, उसके

श्री यशवन्तसिंह नाहर,

सम्बन्ध में मैं एक विशेष प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहूंगा संक्षेप में। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ब्रिटिश राज्य के समय में अदालतों का पैटर्न ब्रिटेन की तरह बनाने के लिए हमारे यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कायम हुई। लेकिन आज हाई कोर्ट की स्थिति क्या है। आज हाई कोर्ट राजस्थान के अन्दर आठ हजार केसेज पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट के अन्दर एक लाख केसेज पेंडिंग हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अन्दर बियासी हजार केसेज पेंडिंग है। राजस्थान हाई कोर्ट में जो १९६० के अन्दर अपीलें पेश हुई थीं उनका नम्बर अभी तक नहीं आया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि देश के अन्दर आज चारों तरफ समाजवाद की आवाज आ रही है। लेकिन देश में समाजवाद तभी आ सकता है जब समाजवाद की आवाज के साथ साथ समाज में नई धारणायें पैदा हों। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ आज पांच हजार के दावे तक सुनता है, उसको पांच हजार के दावे से लेकर एक लाख तक के दावे सुनने का अधिकार मिले। उसे इन्जेक्शन सूट सुनने का अधिकार क्यों नहीं हो? उसे ट्रान्सफर सूट सुनने का अधिकार क्यों नहीं हो? प्रापर्टी के आधार पर मनी सूट सुनने का अधिकार क्यों नहीं हो। आज मुन्सिफ एक लाख तक अनलिमिटेड दावे सुनने का अधिकार नहीं रखता है। इस तरह से मैं आपको निवेदन करूं कि जो स्माल काज कोर्ट है उसको पांच सौ रुपये तक के दावे सुनने का अधिकार है। स्माल काज कोर्ट केवल छोटे आदमियों के दावे सुनता है और उसमें वह जो निर्णय देता है उसकी अपील का प्राविजन है वह सिविल जज को है, लेकिन रिवीजन करे तो वह हाई कोर्ट कर सकती है। स्माल कोज कोर्ट में कोई निर्णय हो जाता है रिवीजन के लिए एडीशनल सेशन जज का पांच सौ रुपये के लिए सम्बन्ध नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से मुन्सिफ को दो हजार रुपये तक के दावे सुनने का अधिकार है और सिवील को बीस हजार रुपये तक के दावे सुनने का अधिकार है। ब्रिटिश टाइम में जो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता था। बम्बई में प्रेसीडेंसी टाउन के अन्दर जो हाई कोर्ट थी उसको अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन दिया गया था। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आपको न्याय को सस्ता करना है, न्याय को शीघ्रगामी करना है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ कोर्ट को अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन किया जाय, चाहे वह एक लाख का दावा हो, चाहे दस लाख का दावा हो, चाहे पच्चीस लाख का दावा हो। वह जो निर्णय करे उसकी फर्स्ट अपील सिविल जज के पास हो और सैकिंड अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो। इसी तरह से क्रिमिनल केसेज के अन्दर मर्डर केसेज को छोड़ कर, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फांसी की सजा हो इसके अलावा सब केसेज पूरी तरह से ट्राई हो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखना चाहते हैं न्याय के सरलीकरण के लिए तो इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किन्तु जब मैं इस प्रश्न पर सोचता हूं तब मेरे दिमाग मे कुछ कान्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन अपने आप उभर आते हैं। ब्रिटिश ऐज में पूरे रूप में ब्रिटेन जैसा पूंजीवादी एक नया नक्शा हमारे देश में पेश किया गया था,

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उसको हमारे कान्स्टीट्यूशन में ज्यों का त्यों रख दिया गया है। हमारे कान्स्टीट्यूशन में जो एक अपील का प्रावीजन रखा गया है उसमें है कि बीस हजार की मालियत की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, अगर बीस हजार की मालियत से ऊपर की है तो उसमें होगी। ऐसी अवस्था में आज जो मैं इस सदन में विचार रख रहा हूं, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन की उसकी न तो पूर्ति ही हो सकती है और न अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात को हम क्रियान्वित कर ही सकेंगे जब तक हमारे कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो। यह आज हमारी शक्ति से बाहर की चीज है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ कोर्ट को बीस हजार के दावे सुनने का अधिकार दे दिया जाय, वह जो निर्णय करे उसकी फर्स्ट अपील सिविल जज को ही और सैकिंड अपील डिस्ट्रिक्ट जज को हो। सिविल केसेज में कोई भी अपील हाई कोर्ट में नहीं हो जब तक कि इनहैरेन्ट लेक आफ जुरिस्डिक्शन की बात नहीं की जाय। इसी तरह से क्रिमिनल केसेज में मर्डर केसेज के अलावा बाकी सब केसेज की फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास हो और दूसरी अपील हाई कोर्ट के अन्दर हो। आज हाई कोर्ट के अन्दर जितने केसेज पेंडिंग हैं, मैं सोचता हूं कि १९६० और १९६१ के केसेज का, मेरे ख्याल में, तीन साल में भी निर्णय नहीं होने वाला है। मुझे याद है, १९५८ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट का बीस हजार के दावे का एक केस मैंने लिया था। जब मुवक्किल मेरे पास आया तो खिलाफ मुवक्किल भी मेरे मिलने वाला था, उसने आफर किया था कि मैं उसका पैसा इन्स्टालमेंट में पे करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे मुवक्किल ने कहा कि मैं इन्स्टालमेंट में क्यों लूं, मैं तो एक मुश्त लूंगा। तो उस दावे को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश किया, कोर्ट फीस दी। उसके बाद में आज १९७० हो गया है, लेकिन वह दावा डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से निकला तो हाई कोर्ट में अब पेंडिंग है। जब एक्जीक्यूशन आर्डर मिलेगा तब बीस हजार रुपये का पेमेंन्ट हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने अलग-अलग लोगों से बात की, वकीलों से बात की, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से बात की, सिविल जज से बात की और हाई कोर्ट के जज साहबान से भी चर्चा की। जब ख्याल आया कि यह चीज अजीब सी है तो मैंने पूछा-इसमें डर क्या है, डर क्यों लगता है। कानून वही है। पांच हजार के दावे का निर्णय करने का अधिकार जिसको है उनके लिए भी वही कानूनी पाइन्ट है, जो कि एक लाख के दावे में है। तब डर क्या है। तब यह विचार सामने आया कि सिविल केसेज में अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन हो और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां से कोई प्रापर्टी सूट में एक लाख का दावा खारिज कर दिया जायगा तो उससे समाज बिखर जायगा। अगर उसके पास पांच सौ का दावा है, जो किसी ने किसी को उधार दिये थे, उसका दावा है; वह दावा खारिज हो गया तो उसकी समाज को चिन्ता नहीं होगी लेकिन एक लाख का दावा खारिज हो जाता है तो उससे समाज बिखर जायगा। तो मेरा निवेदन है कि समाज की सम्पदा के सम्बन्ध में जो धारणा है, इस धारणा को बदलना होगा। जब तक समाजवाद लाने के लिए आप न्याय का सरलीकरण नहीं करेंगे और न्यायालयों का सही वर्गीकरण

(श्री यशवन्तसिंह नाहर) :
नहीं करेंगे तब तक देश में समाजवाद लाना बहुत दूर की बात होगी। आज समाज के अन्दर की तरफ आकर्षण है, सम्पदा की ओर समाज का झुकाव है और समाज की आस्था इस वर्गीकरण पर टिकी हुई है। आज जिस प्रकार रेल के अन्दर थर्ड क्लास, सैकिंड क्लास और फर्स्ट क्लास होती हैं, फिर ऐअर कन्डीशन क्लास होती है। उसी प्रकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, स्माल कोज कोर्ट, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट और फिर हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के सम्बन्ध में, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह : क्यों ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लेकिन नीचे से चलती हुई बात ऊपर तक मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। मैं नहीं कहना चाहता हाई कोर्ट के जज साहबान के लिए कि वहां पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन रिट पिटीशन का वहां पर इतना है कि और कैसेज का सालों तक निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए उसको सिविल सूट के काम से बरी कर दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट जज साहब को फर्स्ट अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाय और हाई कोर्ट के जो जज बन गये हैं उनको सैकिंड अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाय। यह मेरा पर्सनल पाइन्ट आफ व्यू है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह विचार मैंने लोगों के सामने रखा तो एक विचार मेरे सामने आया कि मुन्सिफ जज एक लाख के दावे को खारिज कर देगा तो उसमें शक हो सकता है कि उसको ब्राइब दी गई है। इसका मतलब है कि लाख रुपये के दावे के लिए ब्राइब देगा तो ब्राइब माना जायगा और पांच हजार के लिए ब्राइब देगा तो वह ब्राइब नहीं माना जायगा। मेरे विचार से तो इसमें अन्तर मालूम नहीं होता है, पांच हजार की डिग्री पाने के लिए कोई ब्राइब कर सकता है। लेकिन जब मुन्सिफ जज और सिविल जज साहबान से बात की तो उनके दिमाग में यह ख्याल है। तो ख्याल रिश्वत का नहीं है, ख्याल प्रापर्टी और सम्पदा का है। यह ख्याल काम कर रहा है लोगों के दिमाग में कि लाखों रुपये का दावा खारिज हो जायगा तो समाज में विघटन पैदा हो जायगा। एक्चुअली यह सही बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको दूर करने का एक ही रास्ता है कि पांच वर्ष के अनुभव के वकील को मुन्सिफ जज बनने का अधिकार हो। पांच वर्ष की प्रेक्टिस करने के बाद में मुन्सिफ जज बने तो उसके लिए मिनियम पांच सौ रुपये तनख्वाह और रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर दी जाय। उसके बाद अपील लाई करेगी वह सिविल जज को होगी। तो जब तक हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से सिविल और क्रिमिनल कैसेज को बहार नहीं करेंगे तब तक किसी तरह भी न तो न्याय सस्ता हो पायेगा और न उसमें सुधार हो पायेगा। लेकिन मेरे सामने कान्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन है, इसलिए सदन के सामने यह विचार रखना चाहता हूं। इस पर सदन पूरी तरह से विचार करे और इस मामले में राजस्थान देश के अन्दर पहल करे तो मैं समझता हूं कि हम न्याय सस्ता और शीघ्रगामी करने के सम्बन्ध में कदम उठा सकेंगे। कान्स्टीट्यूशन की धारा को सामने रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीस हजार के दावे का जुरिस्डिक्शन मुन्सिफ कोर्ट को दे दिया जाय

Page No 176

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कान्स्टीट्यूशन कहाँ आड़े आता है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं इतना विचार रखना चाहता हूं कि मैं स्टडी करने के बाद में सदन में विचार रख रहा हूं। इस विषय में सोच कर मैंने देखा है कि जब तक बीच हजार का, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करती है, वह बीच में आता है उसको अवाईड नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरी एक योजना है, सदन इस पर विचार करे और मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि रिश्वत के प्रश्न को छोड़ कर बाकी मुझे कोई कहीं कठिनाई नहीं आती कि लॉ पोइन्ट पर २० हजार या १ लाख में कोई फरक आता हो। कान्स्टीट्यूशन अमेंड होता है तो मुंसिफ को दीजिये। नहीं तो राजस्थान में पहल करें। २० हजार तक मुंसिफ का जुरिस्डिक्शन रखें। फर्स्ट अपील सिविल जज को २० हजार से ज्यादा हो और फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज का जुरिस्डिक्शन हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, ६ बजे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

(६ म. प.)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : न्याय के लिये आज देश में इसे अग्रगामी और सस्ता बनाने की आवाज आ रही है। फीस दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है हाई कोर्ट में कोई जायेगा तो यहां का डिस्ट्रिक्ट जज के यहां का वकील जो फीस लेता है उससे काफी ज्यादा हाई कोर्ट का वकील लेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि न्याय को सस्ता और शीघ्रगामी बनाना है तो इस पर विचार करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड कर के राजस्थान की हुकूमत इस मामले में पहल कर के एक नया रास्ता मुल्क को देगी।

शिक्षा की प्रायोरिटी के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक न्यूज अखबारों में आई थी कि रूस कॉलेज एज्यूकेशन में संसार में सब से आगे है। जब रूस में फ्रान्स के एम्बेसेडर की लड़की को कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो उसने दो महिने की छुट्टी समुद्र के किनारे पर बिताने के लिये ली। यह न्यूज आइटम हमारे इन्डिया के पेपर्स में आई है, रूस और फ्रान्स के पेपर्स से छन कर इन्डिया के पेपर्स में आई है। क्योंकि उस लड़की का कॉलेज में एडमिशन मिल गया, इसलिये उसने दो महीने की छुट्टी मनाने का सोची। एम्बेसेडर की लड़की, कॉलेज में एडमिशन पाती है, इस पर वह इस प्रकार खुशी मनाती है वहां पर यह हालत है तो हमारे यहां की क्या स्थिति हो सकती है, यह हमारे लिये विचारणीय है। आज हमारे यहां मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन के लिये आने वाले लड़कों में से कितनों को एडमिशन दे पाते हैं। आखिर हम डॉक्टर्स को कहां तक खपा सकेंगे। आज हम इन्जीनियर्स को खपा नहीं सकते इसलिये विचार करें। आज हायर सेकेन्डरी पास और बी. ए. व एम. ए. पास को वही तनख्वाह मिलती है तो यह समाज का और एज्यूकेशन का वेस्टेज करना कहां तक उचित होगा, यह आज हमारे लिये विचारणीय विषय है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : तो क्या आपकी राय में शिक्षा को बन्द कर दिया जाय ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हमारा देश एक गरीब देश है, इसमे शिक्षा में भी ऐश चलता रहे यह कहां तक युक्तिसंगत होगा ? आज ८० हजार इन्जीनियर्स बेकार बैठे हैं, किन-किन को नौकरी देंगे ? एस. टी. सी. के १० हजार टीचर्स बैठे हुए हैं, कहां खपायेंगे उनको एस. टी. सी. स्कूल हमारे आने के बाद एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट ने बन्द कर दिया है। बी. एड. की भी यही हालत होने वाली है।

हमारे समाज का एक अच्छे समाज के रूप में निर्माण हो, इस दिशा में हमें विचार करना चाहिये, यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा पर मैं भी अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। डूंगारामजी बोल रहे हैं, आपको अवसर बाद में दिया जायगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य के लिये जिससे आदमी को उन्नति करने का अवसर मिलता है और शिक्षा के माध्यम से देश की उन्नति हो सकती है। शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में और राज्यों की बनिस्बत शिक्षा का स्तर नीचा है अगर कम्पीटिशन में एक राजस्थान का लड़का और दूसरे किसी राज्य का लड़का बैठता है तो राजस्थान के विद्यार्थी दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के मुकाबले में कम्पीटिशन में पीछे ही रहेंगे। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के स्तर को हमारे यहां ऐसा ऊंचा बनायें कि हमारे राज्य के विद्यार्थी दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के मुकाबले में आगे आ सकें। ऐसा शिक्षा में हमारे यहां परिवर्तन होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी अभी श्री डागाजी ने कहा था कि जो कॉलेज में लड़के जाते हैं उनमें से जिनके फर्स्ट और सैकिन्ड क्लास के मार्क्स हो उन्हीं को चुन कर कॉलेजों में लेना चाहिये, बाकी को नही लेना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता था कि यदि यह बात होगी तो पिछड़ा तबका शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेगा। एक ओर तो डागाजी कहते हैं कि समाजवाद आना चाहिये, पिछड़े वर्गों के लोगों की हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ कहते है कि कम मार्क्स वालों को कॉलेज में नहीं लेना चाहिये तो क्या वे पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ा हुआ ही रखना चाहते हैं ?

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लड़के बुद्धि में पिछड़े हुए नहीं हैं, उनके संस्कार ही ऐसे हैं, उनको ऐसी जगह बसाया गया है कि वे संस्कारों में ढले नहीं हैं, आज भी उनकी यह दशा है कि उनको समाज से अलग ही रखा जाता है। समाज से अलग रहने के कारण ही वे बच्चे इतनी प्रगति नहीं कर पाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूंगा कि एक अफसर है, वह पढ़ा-लिखा आदमी होता है, उनका बच्चा आधी शिक्षा तो घर में ही

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

प्राप्त कर लेना है क्योंकि उसके माता-पिता पढ़े लिखे हैं। एक गरीब आदमी का बच्चा वह दो-चार घंटे स्कूल जाता है और घर पर आता है तो क्योंकि उसके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं ऐसी ही पिछड़ी बस्ती में रहता है, ऐसा ही वातावरण उसके चारों ओर है इसलिये जो कुछ वह स्कूल में पढ़ कर आता है, वह घर आकर भूल जाता है। तो श्री डागाजी ने जो यह सजेशन दिया है वह अनुचित है, इसलिए शिक्षा मंत्रीजी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे कम नम्बर लाते हैं और जब सर्विस में उन्हें लेने का सवाल आता है तो सरकार कहती है कि ये योग्यता प्राप्त नहीं हैं, इसलिये हम उनको प्रशासन में नहीं ले सकते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह इलाहाबाद में प्रशिक्षण केन्द्र खोला है, वैसा ही प्रशिक्षण केन्द्र हमारे राजस्थान में भी खोलना चाहिये ताकि जो लड़के कमजोर पड़ते हैं उनको इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देकर होशियार किया जाय। इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था हमारे यहां राजस्थान में कर देने से जो राजस्थान सरकार की नीति है कि पिछड़े वर्गों को ऊंचा उठाया जाय; वह नीति भी सफल होगी और शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के प्रशासन में ऊंची पोस्ट पर आ सकेंगे। इसके अलावा मैंने दौसा कॉलेज भवन के बारे में कटौती प्रस्ताव दिया है। कॉलेज भवन में काफी तादाद में लड़के हैं और भवन में हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में ही कॉलेज खोला गया था। आज स्थिति यह है कि हाईस्कूल भवन में हायर सेकेंडरी के बच्चे भी पढ़ते हैं और कॉलेज के बच्चे भी। उसमें ४-५ कमरे हैं, जहां कॉलेज के भी हों और हायर सेकेंडरी स्कूल भी हो और ४-५ कमरे हों तो उस स्कूल में शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है। एक उप-जिला दौसा जैसा कस्बा हो और उसके आसपास कोई कॉलेज नहीं और वहां जो लड़के ज्यादा से ज्यादा तादाद में हों और वहां भवन न होना, यह सरकार की अनुचित नीति है। इसलिए वहां कॉलेज भवन की बहुत ही पुरानी मांग है और आप कृपा करके उसको पूरा करें।

उस भवन के लिए ५०,००० रु० वहां की जनता ने अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दे दिए हैं मगर उसके बाद भी भवन न बनाने का राज्य सरकार का क्या कारण है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से भवन के बारे में जानकारी चाहूंगा कि सरकार भवन बनाएगी या नहीं। वह ५० हजार रुपए जो दौसा की जनता ने दिए हैं, उसका क्या हुआ ?

दूसरी बात चंदराना में हाईस्कूल का भवन बना था और शिक्षा मंत्री द्वारा उसका उद्घाटन हुआ था और उन्होंने मिडिल स्कूल से हायर सेकेंड्री स्कूल खोलने के बारे में आश्वासन दिया था, दो वर्ष पूर्व। उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह हायर सैकेण्ड्री स्कूल इस साल खोलेंगे या अगले साल।

तीसरी बात थर्ली में स्कूल भवन जनता द्वारा बना हुआ है, वह खर्चा जो आएगा जनता देने को तैयार है, वहां भी हायर सैकेण्ड्री स्कूल खोला जाय तो अच्छा होगा।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

भूज ग्राम पंचायत में नवलकिशोरजी ने चुनावों में सरकार द्वारा आश्वासन दिया था कि हाईस्कूल खोला जायगा, वहां बहुत आबादी है, वहां हाईस्कूल खोला जाय।

जो प्राथमिक पाठशालाएं पंचायत समितियों के तहत रखे हुए हैं, कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि वास्तव में वे पाठशालाएं राजनीति के अड्डे हैं और अध्यापक वाकई पढ़ाई में कम समय देते हैं और सरपंचों की खुशामद में ज्यादा समय देते हैं। उसका कारण यह है कि वे चाहते हैं कि जिस गांव के वे रहने वाले हैं, वहीं के वह बने रहें। अगर सरपंच की अवहेलना करेंगे तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देगा, इसलिये सरपंच को वे ज्यादा समय देते हैं और पूरा समय पाठशाला में न देने के कारण जो शुरू में नींव लगनी चाहिए वह कच्ची रह जाती है। इन प्राइमरी स्कूलों को शिक्षा विभाग के नीचे ले लेना चाहिए वरना यह लड़कों के लिए बहुत ही घातक होगा।

न्याय प्रशासन के बारे में मेरे खयाल से मंत्री महोदय तो हैं नहीं। आज न्याय जो साधारण व्यक्ति को मिलना चाहिए वह सही तौर से उपलब्ध नहीं है। आज जहां न्यायालय जैसी जगह जहां ईश्वर का नाम होता है कि वहां न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। उनमें आज भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से जो लोग दुःखी हैं वे पिछड़े हुए लोग ही हैं। वे ही कम समझते हैं और वे ही झगड़ा करके ज्यादातर अदालतों में आते हैं। किसी भी अदालत चले जायें बगैर पैसे काम नहीं होता है, किसी हाकिम के यहां चले जायं बगैर पैसे काम नहीं होगा। इस राज्य में अन्याय है। २० वर्ष से कांग्रेस के लोग कहते आए हैं, राजाओं के जमाने में भ्रष्टाचार ज्यादा था, मैं कहूंगा कि उस समय दो आने था अब एक रुपया हो गया है। अदालत में चाहे हाकिम हो, चाहे पेशकार हो, चाहे सिरिश्तेदार हों, के पास जाय कोई भी काम करायेंगे तो बगैर पैसे नहीं करेंगे। वकील भी यही राय देगा कि फलां आदमी को १० रुपये देना, वे खुद देते हैं, राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जहां न्याय के लिए जायं और वहां अन्याय हो तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में और इस देश में न्याय के बाजार के अंदर खुली बिक्री होती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि अदालतों में भारी भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से बिक्री होती है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि जिस देश में इतनी भारी गरीबी हो, उस देश में आदमी इस मुकदमेबाजी में किस प्रकार से अपना निर्वाह कर सकते हैं। आज एक साधारण स्थिति का गरीब आदमी एक अच्छे वकील को नहीं कर सकता है और हमारे देश में और हमारी अदालतों में यह धारणा बनती जा रही है कि जितना अच्छा वकील होगा उतना निर्णय मेरे पक्ष में होगा। तो वकालत का जो प्रोफेशन है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और जो भी व्यक्ति जो कानून पास है वह अदालत में जाने का अधिकारी नहीं हो सिवाय सरकारी वकीलों के। इससे हर आदमी सरकारी पैनल में से वकील करने का अधिकारी होगा। उससे यह असर नहीं पड़ेगा कि मैं

Page No 180

(श्री रामनारायण चौधरी)

गरीब आदमी हूं और पैसे वाली पार्टी के अच्छे वकील से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए निर्णय और इन्साफ मेरे पक्ष में नहीं होगा। इसलिए वकालत के प्रोफेशन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

आज अदालतों में चाहे वे जुडिशियल कोर्ट्स हों या रेवेन्यू कोर्ट्स हों; मंत्रीजी कहेंगे कि रेवेन्यू कोर्ट्स मेरे हाथ नहीं है लेकिन आप राजस्थान के न्याय और कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री के नाते आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है, चाहे कार्य प्रणाली के हिसाब से नहीं आते हैं लेकिन दृष्टिकोण के हिसाब से आप राजस्थान में न्याय व्यवस्था के अधिकारी हैं। अदालतो में जिस प्रकार से अनावश्यक देरी निर्णय मे होती है उसमें आप जल्दी करवायें। जो इन्साफ देरी से होता है वह नहीं के बराबर है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यह कहावत बिल्कुल सत्य है आप देखेंगे कि अदालतों में १५ साल तक फैसले नहीं होते हैं। आज सुबह ही मेरे पास मेरे क्षेत्र का एक आदमी आया था उसका मुकदमा १५ साल से चल रहा है १९५४ से और रेवेन्यू एपीलेट ऑथोरिटी के पास है, उसके बाद कितनी अदालतें हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आज अंदाजा लगायें १४ साल से रेवेन्यू एपीलेट ऑथोरिटी के पास पहुंचा और पहली पेशी भी नहीं हुई है, छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों के मामलों में निर्णय होता है तो किस प्रकार से हम कह सकते है कि राजस्थान में लोगों को न्याय दे रहे हैं और सस्ता न्याय दे रहे हैं। कहां है न्याय ? यह तो गैर इन्साफ होने के बराबर है। इससे तो अच्छा यह होगा कि शुरू में ही उसको रिजेक्ट किया जाय।

अदालतों में मुकदमों में जल्दी निर्णय हो। एक समय फिक्स होना चाहिए कि अमुक समय से ज्यादा अमुक अदालत में पेंडिंग नहीं रहेगा। ओरिजिनल कोर्ट में जहां से मुकदमा शुरू होता है उसके लिए समय फिक्स होना चाहिए उसके बाद एपीलेट कोर्ट्स हैं उनके लिए भी समय मुकर्रर होना चाहिये और कागजों में नहीं, सरक्यूलर्स में नहीं, निर्देशों में नहीं, कार्यरूप में परिणत होना चाहिए। आप इसको सख्ती से लागू करें कि किसी भी अदालत में अमुक समय से अधिक केस पेंडिंग नही रहेगा। पिछली बार आपने बजट भाषण में वित्त मंत्रीजी ने आपकी सहमति से यह घोषणा की थी कि राजस्थान में हमने कम्पलीट ज्युडिशियरी का सेपेरेशन कर दिया है। आपने यह बजट भाषण में कर दिया होगा। आपने देखा होगा कि १२ महीने में जजों की नियुक्ति करने की व्यवस्था नहीं की है। जहां आर. ए. एस. अधिकारी काम करते थे उनको विथड्रा करने के बाद अदालतें खाली पड़ी हैं। जजेज नहीं। जो एलान आप करें उसका इम्पलीमेन्टेशन तुरन्त होना चाहिये। उसका इमिजियेट असर होना चाहिये। तुरन्त काम करने का जो चमत्कार होना चाहिये वह नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। हमारी शिक्षा पद्धति और प्रणाली के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी चर्चा की है। मैं भी उस चर्चा में शामिल होना चाहता हूं। शिक्षा जिसका देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योग है उसका स्तर गिरता जा रहा है। आज हमारे जीवन के मूल्यों का ह्रास हो रहा है और देश द्रुत गति से उस स्थिति में पहुंच रहा है, मुझे यह कहते

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुए संकोच नहीं हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, हम इस प्रकार को सोसाइटी फोर्म करने जा रहे हैं जिसको हमारे देश में डिप्टी टाइप की सोसाइटी कहते हैं, वह हम फार्म करने जा रहे है। आज हमारी शिक्षा पद्धति के कारण कॉलेज, युनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को देखेगें तो उनका मानस ही बदल गया है। न तो उनको आज इस बात का ज्ञान है कि उनका देश के प्रति क्या कर्त्तव्य है और समाज के प्रति उनका क्या कर्त्तव्य है। आज शिक्षा में जो कमियां हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा था। हमारे मंत्री महोदय, मसूदा साहब ने भाषण दिया मसूदा में उनकी बात बड़ी पसन्द आई। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपनी शिक्षा को नहीं सम्भालेंगे तब तक उन्नति सम्भव नहीं। शिक्षा की जो बुनियादी चीज है वह धार्मिक शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि किसी धर्म विशेष की शिक्षा। किन्तु धार्मिक शिक्षा पर जोर देना चाहिये। धार्मिक शिक्षा के कार्यक्रम में होनी चाहिये। उसको किसी न किसी रूप में रखना पड़ेगा और यदि हमने अपने पुरान मूल्यों को कायम नहीं रखा तो समाज और राष्ट्र किधर जावेगा यह पता नहीं। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में परिवर्तन करना चाहिये।

आज शिक्षा मंत्रीजी को मालूम नहीं होगा कि कक्षा १ से लेकर ११ तक कोई केरीकुलम नहीं है, स्कूल और अध्यापकों को मालूम नहीं है कि आगे आने वाले साल में बच्चों को क्या पढ़ाना और न ही बच्चों को मालूम है कि क्या पढ़ना है। ११ वर्ष पूर्व केरीकुलम बना था। आज आपके पास नहीं है। जिस विभाग के अध्यापकों को यह मालूम न हो कि बच्चों को आगे वाले साल में क्या पढ़ाना है तो शिक्षा विभाग की दयनीय स्थिति को देख सकते हैं।

साधारण बातों के अलावा मेरे अपने क्षेत्र की बातों की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बजट भाषण में भी पढ़ा है और घोषणाओं में भी पढ़ा है प्रत्येक जिले में डिग्री कॉलेज खोल दिये हैं। झुंझुनू जिला ८ लाख की जन संख्या का जिला है। वहां पर एक भी गवर्नमेन्ट कॉलेज नहीं है। इसलिये झुंझुनूं जिले में जो हायर सैकेन्ड्री स्कूल है उसको डिग्री कॉलेज बनाना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है झुंझुनू में आप यह कह रहे है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जी हां। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ८ लाख का झुंझुनू जिला है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कॉलेज नहीं है।

पंचायत क्षेत्र, अलसीसर में एक सैकेन्ड्री स्कूल नहीं है जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे पुराना हाईस्कूल है। इसलिए इसको हायर सैकेन्ड्री में इस साल परिणत करें।

दूसरा भूतपूर्व जयपुर स्टेट ने पांच मार्शल स्कूल खोले थे। मिडल स्कूल थे। एक हायर सेकेन्ड्री था। फौजी परिवार के बच्चों के लिये भूतपूर्व, जयपुर स्टेट ने खोले थे, उनमें साइन्स, मेथेमेटिक्स, बायोलोजी निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद भी नहीं खोले जा सके उनको खोलने के लिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिक्षा विभाग के प्रगति-पत्र १९६९ को मैंने पढ़ा। ७४ स्कूल ऐसे खोले हैं प्राइमरी से मिडिल तक, उनका खर्चा पंचायत समितियां करेंगी और सरकार ने उनकी स्वीकृति दे दी। मलसीसर पंचायत समिति से प्रस्ताव पास करके शिक्षा मंत्रीजी के पास भिजवाया लेकिन वहां नहीं खोले। इस उम्मेद में कि सरकार की स्वीकृति आ जावेगी, उन्होंने मौखिक रूप से कह दिया था कि पंचायत समिति अपने खर्चे से चलाने के लिये तैयार हों तो मुझे एतराज नहीं है, कक्षायें चल सकती है। स्कूल खोल दिया है, कक्षा चालू कर दी है। २५ लड़के पढ़ रहे हैं। ७४ के साथ एक और यह एड कर लीजिये।

श्री रामसिंह कुड़ी : रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से।

श्री रामनारायण चौधरी : चालू है। तमाम कागजात बनकर आगये हैं पंचायत समिति उसको चला रही है महज आपकी फोर्मल सैंक्शन की जरूरत है। मुझे विश्वास है इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा।

दूसरा, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय मेरे क्षेत्र में क्षेसर एक ऐसी जगह है जहां प्राइमरी स्कूल खोला या मिडिल स्कूल चल रहा है उसको सेकेन्डरी स्कूल बनाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवानदास !

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में दो शब्द आपके सामने कटौती प्रस्ताव के द्वारा रखना चहता हूं। शिक्षा की मांग में जहां तक मेरा और शिक्षा मंत्रीजी का सम्बन्ध है हमेशा मिलना होता है। अजमेर का जो आदर्श स्कूल है उसके वे भी सख्त खिलाफ हैं और मैंने भी गुजरात में कुछ शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण किया तो आपका भाषण याद है गुजरात का हवाला देते हुए आपने कहा कि राजस्थान में ऐसे स्कूल हों जो प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेन्डरी तक सारा भार अपने सिर पर ले लो। जितने एडेड स्कूल हैं उसके शिक्षक कैसे हैं उसके शिक्षक और पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है इस पर विचार नहीं किया है। विद्यार्थी विद्यार्थी के पास ऐसे बैठे रहते हैं, उनमें से चाहे कोई चर्म रोगी हो, चाहे दूसरी भयंकर बीमारी का शिकार हो। शिक्षा विभाग में ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल नहीं थी आज वे लाखों करोड़ों के महल में रहते हैं। सरस्वती बालिका विद्यालय का काण्ड जिसके मेरे पास फोटो भी है आपके आदेश होने पर भी शिक्षा विभाग ने कोई कार्यवाही न करने के कारण अध्यापिकायें, उच्च घराने की होते हुए भी मातायें और बहिनें, खुले आम व्यवस्थापक महोदय के घर पर धरना देती रहीं।

मैंने लगातार आपसे कहा, व आपको टेलिग्राम दिया, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया हम आपको उदीयमान सूर्य मान रहे थे परन्तु दुर्भाग्य से जब से इन्दराजी का आशीर्वाद आपको मिला तब से वह रोशनी नहीं हो रही है। अजमेर में शिक्षा की कैसी स्थिति है? जो प्राइवेट इंस्टिट्यूशन्स हैं वे खुद तो मालदार बनती है और शिक्षक को ७० रुपये देती हैं और १०० रुपये पर उनके दस्तखत

(भगवानदास शास्त्री)

कराती हैं। क्या शिक्षक का कर्त्तव्य है ? जिस शिक्षक को गुरु माना जाता है, जिसे हम गुरुपद देते हैं उस शिक्षक के साथ अत्याचार होता है। मेरा निवेदन है कि उसको अपने दस्तखत नहीं देने चाहिये। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसके शिक्षक में आत्मविश्वास होना चाहिये। जिसने पैदा किया है वह रोटी देने में भी समर्थ है। आज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनका स्तर काफी नीचा हो गया है। ये स्कूलें निरीक्षकों को प्रसन्न करते है और छोटे-छोटे बच्चों, बालिकाओं को उनके प्रसन्न करने के लिये नचाते है। इसकी बहुत सी शिकायतें होती है। चाहे वह हैडमास्टर हो या मास्टर, उनका नाम नहीं लेना चाहता व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी की शिकायत नहीं करता और न उनको नौकरी से हटाना चाहता हूं, यह मेरा कर्त्तव्य नही है और न मेरा दल का ऐसा कर्त्तव्य है परन्तु हम आपसे यह आशा रखकर चल रहे थे कि जो स्टेन्डर्ड स्कूल हैं जिनको किराया मिलता है वे आज उससे वंचित हो गये हैं और आज शिक्षक को तनख्वाह का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है फिर किस रूप में आप उनसे सेवा लेने के लिये तत्पर हैं। इसके अलावा जो शिक्षक हैं वे स्कूलों में खुले आम बच्चों के सामने चाय, सिगरेट पीते हैं और आपस में हंसी मज़ाक करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृती के लिये तो कलंक है। और राजस्थान के लिये तो विशेष रूप से कलंक है। राजस्थान ने हमेशा इतिहास को दोहराया है। मीरा जैसी दासी पैदा की है, अच्छे से अच्छे विद्वान पैदा किये हैं, जिन्होने भारतीय संस्कृति को पुनर्जिवित किया हैं। उस प्रदेश में आज शिक्षक परेशान है। विद्यार्थी खुद परेशान है। आज शिक्षकों का रात-दिन एक ही बिजनिस हो गया है, ट्यूशनों करना ट्यूशनों के लिये माता-पिता को परेशान किया जाता है। ट्यूशन नहीं की जाती है तो बच्चों को फैल कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि अजमेर में जब से श्री किशनचंद जैन आये हैं, अजमेर को आराम नहीं मिला है। कोई सार्वजनिक फंक्शन होता है; तो एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता होने के नाते मुझे भी जाने का मौका मिलता है। परन्तु आज छोटे-छोटे शिक्षकों में भी राजनीति ऐसी फैल गई है, छोटे-छोटे स्तर के कर्मचारियों में यह फैल चुकी है जब से अजमेर में श्री किशनचन्द जैन आये हैं। अजमेर की शिक्षण संस्थायें राजस्थान में मान्य हैं और प्रदेश के बाहर भी मान्य हैं। वहां के कालिजो को उच्च कोटि का महत्त्व रहा है परन्तु आज वहां के शिक्षा जगत में भारी अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह देश का दुर्भाग्य है। वहां एक सरस्वती बालिका विद्यालय है, शिक्षा सदन हटुन्डी है, वहां पर अभी पांच अध्यापिकाओं को, एक प्रधान अध्यपिका और चार अध्यापिकाओं को निकाल दिया गया है। अब वे ओवर एज हो गई और उनको निकाल दिया गया वे कहां जावेंगी, उनको कौन सर्विस देगा हिन्दु धर्म मिडिल स्कूल को जब समाप्त किया जा रहा था तब श्री बोर्दिया डायरेक्टर थे और एक निदेशक के नाते उन्होंने माउन्ट आबू में यह कहा था की इनको सरकारी नौकरी में लिया जावेगा और उनको लिया भी फिर समझ में नहीं आता इन अध्यापिकाओं को भी क्यों नहीं लिया जाता। उपमंत्री जी कहते हैं कि हर एप्लीकेशन पर मैं नोट लिख देता हूं कोई

Page No 184

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सुनता नहीं हैं। परन्तु शिक्षा मंत्रीजी आपने भीलवाड़ा में शिक्षण संस्थाएं चलायी है और आज भी वे चल रही हैं। अजमेर में जो आज शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं उनके शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

हम विशेषकर तीसरी भाषा के लिये लड़कों को फी छोड़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाये। इसको तृतीय भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिये और इसकी घोषणा करे कि इसको शुरू किया जाना चाहिये। संस्कृत कोई साम्प्रदायिकता के रूप में नहीं हैं। संस्कृत भाषा में एक शक्ति है। मैं स्वयं दक्षिण भारत के दौरे पर गया हूं। वहां की संस्कृत को मैंने देखा है उसमें १% भी अन्तर नहीं है। हम हिन्दी, अंग्रेजी के झगड़े को समाप्त करना चाहते हैं तो संस्कृत को पढ़ावे। हम यदि चाहते हैं कि हिन्दी हमारी राजभाषा हो, भाषा के ये झगड़े समाप्त हो तो संस्कृत को हम अपने प्रदेश में चालू करें। मै आशा करता हूं शिक्षा विभाग इसमे कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। आज यह सब अकर्मण्यता के कारण हो रहा है।

आज अजमेर में लड़कियों के लिये कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और इस वजह से हमारी लड़कियों के ऊपर भी ट्यूशन फीस लगादी है। जो इन्कम टैक्स पेयर है, उनका विभाजन अलग-अलग किया गया है, जो प्रांतीयता की भावना है, जो एक प्रकार से सारे हिन्दुस्तान में आज फैल रही है, वह इसमे और फैलेगी। इस भावना का असर सारे भारतवर्ष में हो रहा है, वह इस राजस्थान में भी होगी। इसलिये इस केटेगरी को मैं मानने वाला नहीं हूं

(६.४० म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

दुर्भाग्य से हमारे हिंदू कोड बिल लागू हो गया। इसके बाद से लड़कियों को सुसराल से निकाल दिया जाता है, कोई न कोई एलीगेशन लगाकर उनको सुसराल से वंचित कर दिया जाता है। इसलिये राज्य सरकार को यह चाहिये कि वह लड़कियों पर ट्यूशन फीस नहीं लगावें। अजमेर में कोई लड़कियों का डिग्री कालेज नहो है। सावित्री कॉलेज है वह एडेड कॉलेज है। दूसरा सोफिया कॉलेज है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिये इसके फीस का भुगतान करना असम्भव है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि बालिकाओं के लिये जो करीबन २,००० की संख्या में है उनके लिये अजमेर में एक डिग्री कॉलेज खोलना चाहिये। बालिकाओं का भविष्य समाज में अन्धकारमय है। वे अपना भविष्य नहीं बना सकती। अच्छी से अच्छी लड़की आर्थिक स्थिति के कारण वहां के कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। इसलिये अलग से लड़कियों का कॉलेज खोलना जरूरी हो गया है। वे अपने भविष्य के लिये लड़कों के स्कूल में पढ़ती हैं। और आप जानते हैं लड़के उनके साथ हंसी करते है परन्तु शिक्षा के लिये अपने भविष्य के लिये ये लड़कियां लड़कों के स्कूल में पढ़ती हैं सोफिया कॉलेज के भार को सहन नहीं कर सकती है, सविता कॉलेज के भार को सहन नहीं कर सकते। आपके शिक्षा विभाग के कर्मचारी निरीक्षक और निरीक्षिकाओं से मेरी शिकायत है। सरकार और जनता शिक्षक और राज्य सरकार दोनों अन्धकार में रखते जा रहे हैं।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

जब स्थिति बिगड़ती है तो झूठे आश्वासन देकर उसको टाल देते हैं। सरस्वती बालिका विद्यालय के लिये यही कारण है उसकी सही स्थिति आपके कानों तक नही आयी। वहां का मैनेजमेन्ट कुछ करता है और आपके निरीक्षक लोग कुछ ही सुझाव देते हैं। वहां के अध्यापकों को आठ महीने तक वेतन का पता नहीं। आखिर वे आकर मुझ से मिले, वहां का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्त्तव्य था कि मैं उनके साथ सहानुभूति रखूं और मेरे से जितना बन पड़ा उसके बारे में किया। लेकिन वहां के जो कर्मचारी हैं जिन्होंनें नियम, कानून और संविधान की मर्यादा को छोड़ दिया है। मेरा यही निवेदन है कि राज्य सरकार के जितने भी राज्य को स्कूलों के बारे में नियम हैं वे सब प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स पर लगने चाहिये। उनको तनख्वाह डाइरेक्ट चेक द्वारा निरीक्षक और निरीक्षिकाओं की मारफत दी जानी चाहिये। तभी जाकर वे मन लगाकर अपनी सुख-सुविधा को ताक में रखकर अपने प्रदेश के बालिकाओं की शिक्षा में योग दे सकेंगे।

दूसरी बात मैं जेलों की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आन्दोलनों के दिनों में हमने भी जेल में दिन बिताये, आज अजमेर जेल की हालत का वर्णन करूं वहां की हालत डेरी फार्म से भी बदतर मैं समझता हूं। जिस तरह डेरी में बड़ा हाल होता है जिस प्रकार बंबई में डेरी है, गाय भैंसों को जैसी जगहों में रखा जाता है उससे भी बदतर स्थिति हमारे अजमेर की जेल की है। न वहां सोने का स्थान है और न बैठने का ही स्थान है। बराण्डे है नहीं, जिस तरह से बन्जारों का डेरा होता है उस तरह की वहां व्यवस्था है। मैं गंगानगर के आन्दोलन के बारे में जो व्यक्ति गिरफतार हुए उनको जेल में देखने के लिये गया। मैंने (बी) क्लास को देखा है जहां खुले क्वार्टर नहीं होने के कारण रात्रि में सोने का इन्तजाम नहीं भेड़ बकरियों की तरह एक ही जगह पर सबको सोना होता है। (बी) और (सी) में कोई अन्तर नही है। मैं समझता हूं जिस प्रकार की हालत जेलों की आज है वह अंग्रेजों के के जमाने से भी बदतर है।

हमने देखा है कि आन्दोलनों के सिलसिले में जो व्यक्ति जेल में जाता है, जनता अपने राज्य में जो कुछ कमियां हैं उनके लिये आन्दोलन करती है और उसके लिये जेल जाती है उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो एक नागरिक के साथ होता है। मैं अजमेर जेल की हालत के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां की दिवारें ऐसी हालत में है कि कभी भी वह गिर सकती है, उनमें सफेदी होती नहीं, छते ऐसी हैं कि अभी गिर जाय अभी गिरजाय।

जिस प्रकार से पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। एक किलो लकड़ी दी जाती है जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है वही अभी तक कायम है उसमें सुधार होना चाहिये।

अब मैं न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि पथ परिवहन निगम का मामला था जिस पर इन्जेक्शन ऑर्डर निकलने वाला था लेकिन आज तक उसकी पैरवी नहीं की गई। पथ परिवहन निगम के खिलाफ ३०० रुपया माहवार देने का आदेश हुआ है। कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। हमारे जनरल मैनेजर ने जिसने कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट किया है वहां जनता को आप क्या दोष देंगे।

(श्री भगवानदास शास्त्री) :

इसके अलावा आप छोटे लड़कों को जो सीधे कॉलेज से आते हैं, उनको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आप बना देते हैं, उनमें गंभीरता नहीं है। वकीलों को अण्ठ-सण्ट कह देते हैं आप अमेरिका में देखिये जो सीनेट का मेम्बर होता है उसको सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। उसके बाद उसको सीनेट में लिया जाता है। इसी तरह से मुन्सिफ मजिस्ट्रेट आपको ऐसे व्यक्तियों को लेना चाहिये जिनको कम से कम पांच साल का वकीलों के पास काम करने क अनुभव हो, जो न्याय प्रशासन को समझ सकें लोगों के दुख दर्द को समझ सकें। उन्हीं की नियुक्ति की जानी चाहिये आज हम देखते है कि भगवान की नाम से शपथ लेकर भी लोग झूठ बोलते हैं। वकील लोग उलट-पुलट सीखा कर झूठ बुलवाते हैं, आज जिस प्रकार के लोगों के हाथ में न्याय का प्रशासन है उसके कारण न्याय की जो महत्ता है वह समाप्त होती जा रही है। आज मजिस्ट्रेटों को नम्र और सत्य के ऊपर चलना चाहिये। न्यायपालिका में विशुद्ध वातावरण हो, विधि मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि हमें उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस में श्रद्धा है। और बिलकुल निष्पक्ष व्यक्ति जिनको लोग आज से नहीं वर्षों से जानते हैं ऐसे व्यक्ति की सेवाएं लेकर आप न्यायालयों को सुधार सकते हैं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद।

श्री अमीलाल यादव : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री अमीलाल यादव !

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, यह आपकी बड़ी कृपा हुई कि दूसरे का नाम बोलकर भी मेरा नाम आ गया। इसके किये तो मैं आपका आभारी हूं। न्याय, कारागार और शिक्षा पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं।

सभापति महोदय अभी हमारा देश इतना ज्यादा शिक्षित नहीं हुआ है जितने दूसरे देश हैं। इतना होते हुए भी आज हम देखते हैं कि पढ़े-लिखे लड़कों में हमारे यहां बड़ी मायूसी और निराशा है। वास्तव में शिक्षा का जो उद्देश्य है मानसिक शान्ति, उच्च विचार, मानसिक विकास और शुद्ध आचरण और अनुशासन इसमें हम पिछड़ रहे हैं। आज तो हमारा उद्देश्य यही रह गया है कि पढ़ लिखकर नौकरी की जाय।

शिक्षा तो जैसी है उसमें परिवर्तन जरूर करिये पर उसको बढ़ाते जाइये। पिछड़े इलाकों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोली जानी चाहिये। बेकारी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्कूलों को खोलना बन्द कर दिया जाय या कॉलेज कम खोले जावें या हायर सैकन्डरी स्कूलें प्रमोट नहीं की जाय या मिडिल स्कूलें न खोली जावें। पर साथ ही यह भी मूल्यांकन होना चाहिये कि जिलेवार आंकड़े हों कि कितने लड़के अमुक स्कूल में किस साइड के कॉमर्स के, आर्ट्स के या साइन्स के हैं तो उनमें से कितने सर्विस में लिये जा सकेंगे और कितने इण्डस्ट्री में या अन्य जगह लगाये जा सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था और स्टेटिस्टिक्स आपको रखने चाहिये और

Page No 187

(श्री अमीलाल यादव) :
इसी के अनुसार आप योजना बनाये ताकि जैसे ही लड़का स्कूल से पढ़कर निकले उसे काम पर लगा दिया जा सके और पढ़ने में लड़का आश्वस्त होकर अपना दिमाग लगाये ।

आज तो बेरोजगारी की समस्या हमारे लिये एक केंसर की बीमारी हो गई है। दिन ब दिन बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि टेक्निकल और कुछ दिनों में डाक्टर लोगों की भी यही हालत हो जावेगी। इसलिये निवेदन है कि बाकायदा आप एक इस तरह की योजना और स्टेटिस्टिक्स तैयार करावें और स्कूल, कॉलेज से निकलते ही उनको भिन्न-भिन्न कामों पर लगा दें । इससे विद्यार्थी अपनी रोजगारी के बारे में निश्चिन्त हो कर पढ़ाई की तरफ पूरा मन लगाकर चल सकेंगे ।

अब थोड़ा प्रशासन के बारे में निवेदन करूंगा। प्रशासन में डेपूटेशन का रोग बहुत बढ़ गया है। किसी को कहीं रखना होगा तो और जगह कितनी ही तकलीफ हो, चाहे कितने ही कम टीचर हों, बच्चों की पढ़ाई का कितना ही नुकसान होता हो उसको उठाकर दूसरी जगह पर डेपूटेशन पर रख देते हैं। काम वहां करेगा और तनख्वाह दूसरी जगह से उठावेगा। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं बहरोड़ गर्ल्स सेकण्डरी स्कूल की दो, तीन लेडी टीचर को दूसरी जगह पर डेपूटेशन पर लगा दिया। वे काम वहां करती है और तनख्वाह बहरोड से उठा रही हैं। इस तरह का डेपूटेशन का सिस्टम बन्द कर देना चाहिये । आप ट्रान्सफर कर दीजिये। पर यह नहीं कि तनख्वाह तो किसी और जगह से लें और काम कहीं और जगह करें। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, दूसरे काम करने वाले टीचर्स में असन्तोष फैलता है। वे भी ठीक तरह से काम नहीं करते और बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ाते।

इससे Efficiency of working among teachers जो है वह इफैक्टेड होती है। वास्तव में जो लोग अच्छे जैक के हैं वे कुछ न करें तो भी उनको तरक्की मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है और जो सही काम करते हैं, अच्छी एफीसियेन्सी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं उनको इसका श्रेय नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता इससे उनमें असन्तोष फैलता है।

प्रोमोशन और ग्रेडेशन जो होता है वह भी पक्षपात से खाली नहीं है। सेकण्ड ग्रेड और सीनियर टीचर्स की ग्रेड बढ़ाते हैं तो समय-समय पर क्राईटेरिया मुकर्रर कर लेते हैं, पर एक पर्टीकूलर ईयर में क्राईटेरिया मुकर्रर किया कि इस तरह Seniority date of appointment से मिलेगी। अगले साल इसमें सहूलियत नहीं देखी तो क्राईटेरिया बदल दिया कि डेट ऑफ ग्रेजूएशन से प्रोमोशन मिलेगा या टेक्निकल 'बी' ग्रेड से ले लिया। आखिर इन सबका एक क्राईटेरिया बनना चाहिये। लेकिन हर टीचर के दिमाग में यह आता है कि किसी तरह लड़कों को कन्ट्रोल करें। दिलचस्पी वह पढ़ाने में नहीं लेता। इस कारण कि अमुक टीचर जो मेरे से जूनियर हैं सीनियर बन गया है तो मैं ही क्यों इतना काम करूं। इस तरह की भावना टीचर्स में है तो यह भावना दूर होनी चाहिये। सबको समान अवसर

Page No 188

(श्री अमीलाल यादव)
मिलने का भरोसा हो जावेगा तो बच्चों को पढ़ाने में वे दिलचस्पी लेने लगेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यह सही है कि जब से ये शिक्षा मन्त्री बने हैं मेरिट के अनुसार प्रोमोशन देने में सख्ती से काम लिया है। इससे जनता को और टीचर्स को भी थोड़ा सन्तोष मिला है। डिस्ट्रिक्टवाईज समन्वय भी हुआ है। यह अच्छा है। वास्तव में तो हैड मास्टर पर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जावे। जो मास्टर स्कूलों में बच्चों के अन्दर या टीचर्स के अन्दर डिसिप्लिन को तोड़ेंगे उसके लिये हैडमास्टर लायबल होगा, यह कर दें आप। इससे कुछ तो अनुशासनहीनता पर अंकुश लगेगा।

उनका ट्रान्सफर करने का तरीका सही तरीका नहीं हो सकता। बल्कि Head of the Department इन्सपेक्टर और हैड-मास्टरों पर यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिये ताकि टीचर्स में और बच्चों में अनुशासन कायम रह सके। जैसे स्ट्राइक है या दंगा होना है तो इसमें हर टीचर एक राय होकर बच्चों पर कन्ट्रोल करते हों तो मेरी मान्यता है कि बच्चों में बहुत ज्यादा अनुशासन आ सकता है। इसके बिना अनुशासन की कमी दिन-प्रतिदिन बच्चों में बढ़ती जा रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अनुशासन तो विलायतों में है।

श्री अमीलाल यादव : मैं उदाहरण दूं। मेरे इलाके में नोरंग खुडिया में स्कूल है। वहां ए. सी. रजिस्टर होता है। पार्टीबाजी ऐसी होती है लड़कों में क्या, टीचरों में क्या कि बड़ा भारी दंगा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिये जैसा मैंने निवेदन किया कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट पर, हैड मास्टर पर, या इन्सपेक्टर पर जिम्मेदारी डाली जाय तो ये काफी हद तक रुक जावेंगे।

एक यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि १८ हायर सैकण्डरी स्कूलें हैं तो उस पर कॉलेज खोलने का एक क्राईटेरिया फिक्स होना चाहिये। बहरोड़ में १८ हायर सैकण्डरी स्कूलें हैं। जिले में सबसे अधिक बालक इस तहसील की स्कूलों में पढ़ते हैं। राजस्थान भर में अधिक संख्या बच्चों की अलवर में है और अलवर में भी सबसे अधिक संख्या बहरोड़ में है। हर स्कूल में एक हजार से कम नहीं होंगे। कहीं-कहीं तो डेढ़ और दो-दो हजार भी हैं। कोटपूतली और राजगढ़ से भी ज्यादा वहां कॉलेज की आवश्यकता है। बिल्डिंग यहां पर तैयार है, लड़के तैयार हैं। तो इन स्थितियों में वहां कॉलेज का होना न्यायसंगत है। मिलीटरी एरिया भी है, वीरता का वे परिचय देते हैं, देश की रक्षा करते हैं।

मैं थोड़ा सा कारागार पर भी निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री अमीलाल यादव : कारागार के बारे थोड़ा निवेदन कर दूं कि खाना-पीना बहुत ही खराब वहां मिलता है। मन्त्री महोदय इस ओर गौर करेंगे और बजट में अधिक रकम इसके लिये रखेंगे।

श्री सभाप श्री मनोहरसिंह मेहताति ।:

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम लेने का तरीका तो बता रखा है जिस प्रकार लिया जाता है सो।

श्री सभापति : वे इस समय अपनी सीट पर नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : माननीय सभापतिजी, आजादी के बाद जैसे हमारे सारे मूल्य ही बदल गये हों ऐसा लगता है। पहले हम कहते थे कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र चला गया तो सब कुछ गया। पर आज क्या है? चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और धन गया तो सब कुछ चला गया। शिक्षा में भी यही हालत है। बचपन में हम पढ़ते थे तो क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है।

गुरु ने गणता देवता
पगां देवता धोक।
आज शाल में छोकरा
गुरु ने देवे ठोक॥

मास्टर को पीट दें आज और आप नहीं सम्भालेंगे तो वह स्थिति आने वाली है जो यादवों की गति हुई थी और तिनकों के मूसल बने और उन यादवों के सिर पर पड़े। इसी तरह से ये बच्चे कॉलेज, स्कूलों से निकल कर हमारे सिर पर पड़ने वाले हैं। यह आपको हमको सोचना होगा। अगर समय रहते नहीं पहिचाना तो स्थिति अत्यन्त भयंकर होने वाली है।

तो, सभापतिजी, आपके मार्फत शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि कॉलेज खोलने की चिन्ता मत करिये। जो पहले खुले हुए हैं उनमें किस तरह से स्थिति सुधरे इस पर ध्यान दीजिये। आप मत भरती करिये थर्ड क्लास या मामूली सैकण्ड क्लास वालों को भी। गुड सैकण्ड क्लास वालों को या फर्स्ट क्लास वालों को ही भरती करिये। पर शिक्षा में परिवर्तन करिये।

पहले मैं प्रारम्भिक शिक्षा की बात कहता हूं। पंचायत समितियों का कन्ट्रोल इन पर से हटा दीजिये। अब आप किन्हीं कारणों से पंचायत समिति बन्द नहीं करते हैं तो मत करिये। समय आवेगा तब ठीक हो जावेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : समय बढ़ाया जावे।

श्री सभापति : कितना समय बढ़ाया जावे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : घन्टे भर से कम में तो कैसे काम चलेगा।

श्री सभापति : बार-बार बढ़ाने के बजाय एक बार तय कर लें तो ज्यादा सुविधा रहेगी। इसलिये सरकार का क्या कहना है?

श्री बरकतुल्ला खां : डेढ़ दो घन्टे तो हमें लगेंगे ही। फिर आपका जैसा हुक्म हो।

श्री दिग्विजयसिंह : जब तक ये मांगें पारित न हो जायं......

श्री सभापति : सदन की अनुमति हो तो जब तक ये मांगे परी न हो जायं तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाता है।

(७ म० प०)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं यह निवेदन कर रहा था, पंचायत समिति का

Page No 190

(श्री मनोहर सिंह मेहता) :

बन्द करें या नहीं करें, लेकिन प्राइमरी स्कूल आप इनसे हटा लीजिये। मैं जानता हूं ऐसे मास्टर हैं जो ८-८, १०-१०, १२-१२ माइल पर जाते है। बेचारे १२ बजे पहुँचते हैं और फिर एक-दो बीड़ी-बीड़ी पीते हैं। बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है,

राज और मानो मतो, एक मान लो बात।
शिक्षा सूंपो गांवरो, शिक्षाविदरे हाथ।।

आप शिक्षाविद् के हाथों शिक्षा सौंपिये और बुनियादी तालीम के साथ शुरू कीजिये। अगर श्रम, बुद्धि और भक्ति इन तीनों का समन्वय नहीं बैठा तो जो आज कॉलिज की हालत हो रही है वही होगी। आपकी और हमारी क्या हालत होगी बुढ़ापे में ?

ई शिक्षा सूं एक दिन, देख लेवजो आप।
पलसी आश्रय गेह में, बूढ़ा माई अर बाप।।

आपको और हमको उनके प्रश्रय में पलना पड़ेगा, इसलिये, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह मत कहें कि एक करोड़ से हमने ३८ करोड़ पहुँचा दिया है। क्या नैतिकता बढ़ी है ? क्या सचाई बढ़ी है ? क्या ईमानदारी बढ़ी है ? अगर ये चीजें नहीं बढ़ीं तो कुछ नहीं बढ़ा। इसलिये ३८ करोड़ का बजट होने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूं, साम्प्रदायिक स्कूलों को बढ़ावा न दीजिये।

और तीसरी बात जो अर्ज करनी है वह थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूं जो कारागार है वह सुधार गृह हैं। कृपया कारागार और शिक्षा में इतना चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिये जो देश के चरित्र का निर्माण कर सके। शिक्षा विभाग में और कारागार विभाग में कभी ऐसे आदमी को न आने दीजिये जो शराब पीने वाला हो। शराब से शिक्षा का सर्वनाश कर देंगे। आप हम जो शिक्षा का काम कर रहे हैं वह दारू के पैसे से काम कर रहे है।

जो दारूड़ी बेचकर, धन खींचो दिन रात
करे बावली राज तो, बुरी न मानो बात।

अगर राज कोई बावली बात करता है तो बुरा न मानें। दारू के पैसे से शिक्षा चल रही है। मैं जवान शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कृपा कर ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे राजस्थान में सबका हित हो। शिक्षा में परिवर्तन कीजिये। यह मैंने संक्षेप में अपने विचार रखे है।

कृपा कर मैंने जो कुछ अर्ज किया है उस पर ध्यान दीजिये और आज इन सभापति के सभापतित्व में मुझे बोलने का मौका मिला है इसके लिये मुझे अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना चाहिये कि काबिल सभापति बनाया है।

श्री जगन्नाथ : सभापति महोदय ....

श्री सभापति : आपका नाम सूची में नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बिना नाम भी बोल सकते हैं।

श्री जगन्नाथ : नाम सूची में नहीं है तो कटौती-प्रस्ताव तो मैंने रखा है।

श्री सभापति : श्री जगन्नाथ।

श्री जगन्नाथ : सभापतिजी....

श्री विजयसिंह: वाह, वाह जगन्नाथजी।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : मैंने कटौति प्रस्ताव शिक्षा विभाग और न्याय बाबत दिया था और कारागार का काम बहुत भारी काम है।

Page No 191

(श्री जगन्नाथ)

सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा। राजस्थान राज्य होने से शिक्षा की प्रगति देखी और मैं, गांव-गांव में देखा शिक्षा सब में पहुँच चुकी है। उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन शिक्षा प्रधानों में कन्ट्रोल ठीक नहीं किया। क्योंकि हमारे राजस्थान राज्य में ही क्या तमाम दुनियां में यह बात फैल गई कि मां की गोद खाली हो गई। उसका इकलौता पुत्र था। सभापतिजी, शिक्षा के विवरण के अन्दर शिक्षा प्रधानों ने स्टुडेन्ट्स को कन्ट्रोल में नहीं रखा। उन शिक्षा प्रधानों के उपर एक्शन लिया जाय और उन शिक्षा प्रधानों को नौकरी से निवृत्त कर दिया जाय।

(हियर, हियर की आवाज)

श्री विजयसिंह : बाबा की जय हो।

श्री जगन्नाथ : अब मैं शिक्षा के बारे में मेरे क्षेत्र की जो मांग है आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करूंगा। शिक्षा की प्रगति में सब जिलों का नाम आया है लेकिन टूंक जिले का कोई नामोनिशान ही नहीं है ....

श्री विजयसिंह : टूंक ?

श्री जगन्नाथ : टौंक में। सभापतिजी टौंक जिले के अन्दर देवली तहसील में एक महानुभाव ने स्कूल बनाया–एक लाख रुपये की बिल्डिंग बनाकर स्कूल बनाया। वह टूंक का रहने वाला है और छात्रावास भी बनाया जा रहा है। अब इस साल में वह स्कूल डिग्री कॉलेज बन जाय तो शिक्षा मंत्री जी बड़ी कृपा होगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बेकारी बढ़ेगी बाबा।

श्री जगन्नाथ : बेकारी तो मिट सकती है। जो काश्त करते हैं। मैं उदाहरण पेश करूं सन् १९३२ के अन्दर मैं लाहौर में था। हम सिपाही लोगों ने। अंग्रेज में प्रार्थना की कि मेरा बच्चा दसवीं पास हो गया इसको नौकरी देनी चाहिये। उस वक्त अंग्रेज ने कहा दसवीं क्लास तक तो बच्चा अपने घर के कामकाज लायक भी नहीं होता हैं इसलिये जब तक पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर लें तब तक उसे पढ़ाओ। घर का कामकाज तो वह फिर भी नहीं करेगा यह मेरा मानना है।

सभापति जी टौंक जिले में लड़कियों का सैकेन्डरी स्कूल है वह हायर सैकेन्डरी स्कूल हो जाय तो वे दूसरे लड़कों के स्कूल में पढ़ने नहीं जायं तो उनका चरित्र ठीक रहेगा।

श्री विजयसिंह : वेरी गुड।

श्री जगन्नाथ : और लड़कियों के लिए छात्रावास भी होना चाहिए। निवाई के अन्दर लड़कियों की हायर सेकेन्डरी स्कूल खोली जाये....

श्री दिग्विजयसिंह : और हमारे यहां नहीं कहा।

श्री जगन्नाथ पटेल : आपके यहां तो क्यों नहीं ?

श्री दिग्विजयसिंह : जगन्नाथजी मैं आप के ऊपर ही निर्भर करता हूं।

श्री जगन्नाथ : अच्छा तो अलीगढ़ में भी लड़कियों की स्कूल खोली जाये।

(श्री जगन्नाथ):

हमारे वहां तहसील में ३ पंचायतें नजदीक नजदीक हैं और आपस में उनका कम्पीटीशन चलता है कि उनकी बिल्डिंग एक दूसरे से अच्छी हो जाये तो वहां सैकेण्डरी स्कूल हो जाये। यह तीनों ही मिडिल स्कूलें कुबाल, मनेता और खरेड़ा में हैं। तीनों ही बिल्डिंग तैयार हैं। उनको सैकेन्डरी स्कूल बना दिया जाये।

अब एक न्याय की बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, न्याय मंत्राजी से अर्ज करूंगा क्योंकि आप जानते हैं सन् ६० में विकास पंचायतों की न्याय की शाखा खोली गयी और उनमें फौजदारी और दीवानी दावे चले अभी केसेज मुन्सिफ मजिस्ट्रट के पास जाते हैं और न्याय मंहगा पड़ता है क्योंकि किसान को वहां पर वकील करना पड़ता है। अगर आप न्याय को सुभीता से देना चाहते हैं तो अपील पहले पंचायत समितियों में जायें। जैसे तहसील पंचायतें थीं उस माफिक दे दिया जाये तो किसानों का ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो और वह अपील वहीं खतम हो जाये, यही मेरा सुझाव है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदय, शिक्षा का वातावरण जिस प्रकार का विद्यालयों में होता है उस वातावरण व उन शिक्षाकों का जिस प्रकार का तरीका पढ़ाने का होता है उसी प्रकार का छात्र उत्पन्न होता है। मैं आप को एक पौराणिक कथा के आधार पर इसी सम्बन्ध में एक विशेष बात बताना चाहता हूं एक समय की बात है कि एक राजा के दो लड़के थे और उन्हीं दोनों लड़कों को पुराने जमाने की शिक्षा के अनुसार एक संत महात्मा के सुपुर्द कर दिया था। जब वह लड़के १२ साल के हो गए तो वह संत महात्मा उन लड़कों को लेकर राजा के सम्मुख आये। तो जो शिक्षा उन्होंने उनको दी उसको प्रमाणित करने के लिए उन बच्चों को वहां कहा गया। एक बच्चा हद से ज्यादा निपुण निकला क्योंकि उसको इस प्रकार को ही शिक्षा दी गयी थी और एक बच्चा केवल एक ही शब्द बोलता था और उसके अलावा कुछ नहीं बोलना जानता था और वह शब्द ही केवल यही बोलता था, उसको कुछ भी पूछें जैसे बच्चा तुम्हारा नाम तो वह कहता था 'चूं' इसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानता था। कहने का मतलब यह है कि एक लड़के को पूर्ण रूप से शिक्षा दी गयी और एक बच्चे को गुफा के अन्दर बन्द करके रखा गया और गुफा का दरवाजा केवल चूं बोला करता था तो जो उसकी शिक्षा को ग्रहण करने का तरीका था तो उसको केवल वही करना पड़ा। इसलिए, सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज की जो शिक्षा-प्रणाली भारतवर्ष में चल रही है वह खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली के अन्दर डिफेक्ट है और जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है वह प्रणाली भी ठीक नहीं है क्योंकि आज के शिक्षक राजनीतिज्ञों पर निर्भर करते हैं और वह उनके पीछे-पीछे फिरते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी ट्रान्सफर्स, प्रोमोशन्स और पोस्टिंग के मामले हैं किसी भी विधायक या मंत्री के मार्फत नहीं होने चाहिए और अगर कोई करे तो उनको भ्रष्टाचार में लेना चाहिए उससे यह होगा कि जो शिक्षक आयेंगे वह अच्छे आयेंगे और उसके लिए कोई बोर्ड की नियुक्ति होनी चाहिए उसके मार्फत शिक्षकों का चयन होना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं कि मैं

(श्री विजयसिंह)

पंचायत समिति मकराना में कुछ समय तक उप-प्रधान और प्रधान का काम करता था। उस समय हम लोग वहां पर मास्टरों के लिए इन्टरव्यू लेते थे। उसमें कुछ सरपंच भी बैठते थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्र इन्टरव्यू में आते थे वे कोई १०वीं, कोई इन्टर और कोई बी० ए० पास आते थे और इन्टरव्यू लेने वाले कई सरपंच ऐसे थे जो दूसरी क्लास भी पास नहीं थे। तो जो दूसरी क्लास भी पास नहीं है वह १२वीं क्लास वाले का इन्टरव्यू क्या ले सकता है। यह रीति-नीति दुर्भाग्यपूर्ण है और जो शिक्षक आते हैं वे केवल येनकेनप्रकारेण किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रभाव से आते हैं। उसको वजह से वह स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ा पाते। सभापति महोदय, खास तौर से स्कूलों के अन्दर मास्टर पूरे समय तक नहीं रहते और शिक्षा नहीं देते और गांवों में खास तौर से लड़कों से मास्टर लोग किसी को दूध लाने के लिए भेज देते हैं तो किसी को चाय बनाने के लिए कहता है। और मकराना के अन्दर शिक्षक पत्थर का व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से जो शिक्षक हैं उनको स्कूल के अन्दर बराबर टाइम पर रहना चाहिए और बच्चों के आगे सिगरेट आदि नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा छात्रों की प्रवृति बनती जा रही है कि दसवीं पास कर लेंगे और नौकरी में लग जायेंगे। यह प्रवृति गलत है और हमारे छात्र पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार माननीय सदस्य श्री जगन्नाथजी ने कहा था वह बात मैं पूरी सही मानता हूं कि शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारे देश के अन्दर अधिक शिक्षक होने की वजह से एक बात और होगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं वे बहुत कम आयेंगे। और पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे तो कांग्रेस को बहुत कम वोट मिलेंगे....

श्री मूलचन्द डागा : ज्यादा मिलेंगे। गांवों में शिक्षा बढ़ गयी है और कांग्रेस को भी वोट बढ़ गये हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : इसका अन्दाजा शहरों से है।

श्री विजयसिंह : सभापति महोदय, मकराना को स्कूल मारवाड़ के बहुत पुराने स्कूलों में से है। परन्तु वहां पर केवल आज एक हाई स्कूल है जब कि वहां की आबादी २५ हजार की है। स्थान स्थान पर जहां दस, पन्द्रह हजार की आबादी है वहां हायर सैकेन्डरी स्कूल बन गई और आप छः-सात हजार की आबादी पर भी हायर सैकेन्डरी बना चुके हैं लेकिन २५ हजार की आबादी है और जहां कॉलेज होने चाहिए, वहां हायर सैकेन्डरी स्कूल भी नहीं है। इस प्रकार से मैं शिक्षा मंत्रीजी के ऊपर आरोप लगाता हूं कि वे भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते हैं वह उनको नहीं अपनानी चाहिए और मकराना में कालेज होना चाहिए और अगर कालेज नहीं तो हायर सैकेन्डरी तो जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कर देनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर लड़कियों की स्कूल भी है जो कि केवल ७वीं क्लास तक ही है उसको भी कम से कम हाई स्कूल तक कर देनी चाहिये।

अब मैं आपको न्याय प्रशासन के बारे में एक-दो शब्द कहना चाहूंगा। न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में खास तौर से जब

(श्री विजयसिंह)

से हमारा हिन्दुस्तान आजाद हुआ है हमारे मजिस्ट्रेट जयपुर के टेलीफोन पर निर्भर करते हैं।

जयपुर से टेलीफोन आ जाता है और किसी के लिए क्या कहा जाता है उसे क्या होता है कि जो न्याय मिलना चाहिए व्यक्ति को वह नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि अन्यायों की संख्या बढ़ती जाती है, और न्याय प्राप्त करने के लिए गरीबों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और न्यायालयों के प्रांगणों में उसको चपरासी से लेकर क्लर्क और यहां तक कि मजिस्ट्रेट तक को पैसा देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और वकील भी उनको यही कहते हैं कि जैसे-तैसे काम कराना है।

श्री मूलचन्द डागा : वकील ऐसा नहीं करते हैं।

श्री विजयसिंह : इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। माननीय डागाजी पाली में वकील हैं और कई लोगों को मालूम है कि वे कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं....

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय भी वकील हैं।

श्री विजयसिंह : इसलिए माननीय मूलचन्दजी को पाली के अलावा और स्थान का भी काम मिल जाता है। वह इस वजह से नहीं कि मूलचन्दजी डागा साहब कोई बहुत बड़े वकील हों....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : डागा साहब तो पापड़ और रबड़ी पर वकालत कर देते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आपकी पार्टी का समय ३३ मिनिट हो चुका है और दो मिनिट और रह जाते हैं तो कोई सबस्टेन्शियल कान्ट्रीब्यूशन उसमें करें तो ज्यादा अच्छा होगा इस विषय में क्योंकि हम ओवरटाइम बैठ रहे हैं तो किसी को समय नहीं है कि फालतू में बैठें। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सबस्टेन्शियल जो कुछ भी कहना हो वह कहें।

श्री विजयसिंह : हमको हमारे माननीय गुरु सतीशचन्द्रजी ने जो कुछ सिखाया है वैसा ही करते जा रहे हैं।

श्री सभापति : वह सीखा होता माननीय सदस्य ने जो सिखाया है तो यह आब्जेक्शन करने की चेयर को आवश्यकता नहीं पड़ती।

एक माननीय सदस्य : वकीलों के बारे में चर्चा मत करिये।

श्री विजयसिंह : मैं यह निवेदन करने वाला हूं कि परबतसर में एस० डी० ओ० साहब कम से कम ५ साल से वहां पर हैं उसका क्या कारण है। पांच साल से आज तक एक भी केस का उन्होंने फैसला नहीं किया है। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो जयपुर से टेलीफोन की बात है उस हिसाब से वहां पर काम किया जाता है। इस प्रकार एक मजिस्ट्रेट कम से कम ३ साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादातर मजिस्ट्रेट्स जो हैं वे यह समझते

(श्री विजयसिंह)

है कि हमारी पदोन्नति होगी इसलिये वे मिनिस्टरों की खुशामद करने की बात करते हैं और मिनिस्टर जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हमारे एरिया में वोरावड़ ग्राम का सरपंच किसी मिनिस्टर महोदय का कृपापात्र है और उनका कुछ नहीं होने की वजह से उनके ऊपर ५०-६० केसेज उसी अदालत में चल रहे हैं, परन्तु उनका कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मजिस्ट्रेट काबिल नहीं है और वहां पर क्या होता है कि मुकदमे चढ़ते जायेंगे, इसलिये मजिस्ट्रेट्स के काम की जांच होना चाहिये कि उन्होंने कितने साल में क्या काम किया किस प्रकार के फैसले किये और फैसलों का निर्णय किस प्रकार का रहा। इस बारे में एक कमेटी होनी चाहिये जो कि उनकी जांच करती रहे ताकि एक प्रकार का अंकुश मजिस्ट्रेटों पर रहे।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय...

श्री बिरदाराम : सभापति महोदय....

श्री सभापति : ठहरिये कुछ कहना चाहते हैं। माननीय श्री बिरदारामजी!

श्री महेन्द्रकुमार : सभापति महोदय....

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री देवीलाल! (अनुपस्थित)

श्री कल्याणमल! (अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रकुमार! आप बोलना चाहते हैं तो जो कुछ भी कहना हो वह सूक्ष्म में कह दें। उससे ज्यादा लाभ होगा।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा डूंगरपुर जिले में पाड़वा और राजपुरा में जो मिडिल स्कूल हैं उनको सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तन करने के बारे में प्रस्ताव है। सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में पहले ही शिक्षा की कमी है, क्योंकि डूंगरपुर जिला आदिवासी क्षेत्र है और राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया हुआ है वहां पर शिक्षा की बड़ी कमी है तो मैं यह चाहूंगा कि इन दोनों मिडिल स्कूलों को सेकन्डरी स्कूलें बनायी जायें और उसके साथ-साथ वहां पर कई मिडिल स्कूल भी खोलने की आवश्यकता है। आदिवासी लोग गरीब होने के कारण वे कहीं दूर पर जो सेकन्डरी स्कूल है या कहीं पर कॉलेज है वहां पर उनके बच्चे पहुंच नहीं सकते। इसलिए शिक्षा के कमी के कारण वहां पर सेकन्डरी स्कूल होने की बड़ी जरूरत है। हर साल यह देखा गया है कि पाड़वा और राजपुरा के आसपास के मिडिल स्कूलों के लड़कों को सेकन्डरी स्कूलों में जगह नहीं मिलने के कारण से वे बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। आसपुर पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है और वहां पर तहसील भी है तो उस नाते भी वहां पर सेकन्डरी स्कूल होना बड़ा जरूरी है; और पाड़वा के आसपास कई आदिवासी लोग रहते हैं, और आसपास कई बड़े-बड़े गांव हैं। इसलिए वहां पर सेकन्डरी स्कूल होना बड़ा जरूरी है।

और इसके साथ-साथ वहां पर पादरा, खेड़ा, कछवांस, गोला खण्ड, पादेड़ी बड़ी ये भी

(श्री महेन्द्रकुमार)

बहुत बड़े-बड़े एरिया हैं जिनमें मिडिल स्कूल नहीं होने की वजह से प्राइमरी स्कूलों से जो लड़के निकलते हैं उनको मिडिल स्कूलों में जगह नहीं मिलती है इस कारण से वे लड़के वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिये उन जगहों में भी मिडिल स्कूल खोलना बड़ा जरूरी है। आदिवासी लोग बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं इसलिये उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर मिडिल स्कूल खोले जायें और इन दो में सेकन्डरी स्कूल खोले जायें।

श्री बिरदाराम (जालौर–मु०) : सभापतिजी, शिक्षा रा बारा में हमारा जिला जलोर पिछड़ा जिला है। वहां पर बागरा ग्राम में हायर सेकन्डरी स्कूल होना चाहिये। वहां पर मकान भी तैयार पड़ा हुआ है, तो उस गांव में, सभापतिजी, आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय से कहूं कि बागरा ग्राम में हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने की जरूरत है। और हमारा ग्राम माण्डवा पंचायत समिति मायला में है वहां पर हायर सेकन्डरी स्कूल का मकान भी है तो वहां पर मिडिल स्कूल चलता है तो आपसे यह निवेदन करूं कि वहां पर आपस में पार्टी-बाजी का झगड़ा है और मुझे भी परेशान होना पड़ता है तो आपसे यही निवेदन है कि ग्राम माण्डला में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल तो चलें ही एक मिडिल और एक हाई स्कूल हो जाय तो वहां कि स्थिति सुलझ जाय। वह एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो उस इलाके में कुछ पढ़ाई-लिखाई होगी तो कुछ तरक्की आयगी।

आपसे एक यह निवेदन है कि ग्राम गालोरी में हायर सेकन्डरी स्कूल का मकान बना हुआ है वह गिर गया काफी साल से और वहां पर लड़का रे पढ़ावारे वास्ते बड़ी मुश्किल है, तो सरकार ने यह निवेदन है, सभापति महोदय, कि वह मकान बन जाय और वहां पर कालिज में एक भीनमाल में और एक जालोर में इस तरह से दो कॉलेज हैं, तो इसमें दोनों ही जगहों में एक जगह तो आर्ट ही चला है और जालोर में आर्ट और कामर्स चलता है, तो मैं निवेदन करूं कि एक जगह तो कामर्स और आर्ट्स हो जाय और एक जगह साइन्स हो जाय तो हमारा सुलझाड़ा हो जायगा। साइन्स की पढ़ाई नहीं है तो लड़का लोग बाहर जाना है तो लड़का को मुश्किल है और हमारा कॉलेज भी नहीं चलता है। तो आपने यह निवेदन करूं कि वहां हर सुलझाड़ा हो जाय। साइन्स जालोर में रहने की जरूरत है। भीनमाल ग्राम में जो मकान है वह हायर सेकन्डरी के लायक बन गया है। वह वहां के सेठ लोगों ने सारा बनाया है। उन्होंने कालेज भी बनाया है। सब कुछ भीनमाल के सेठों ने बनाया है लेकिन सरकार की तरफ से एक पैसे की भी सहायता नहीं दी गई है। मेरा निवेदन है कि कॉलेज के लिये अब भी पांच-दस हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भीनमाल में कामर्स हो जाय या साइन्स हो जाय, या फिर जालोर में साइन्स हो जाय या कॉमर्स हो जाय। इस प्रश्न का निपटारा हो जाय तो वहां के छात्रों के लिये सहूलियत हो जायगो।

शिक्षा के बारे में मैं यह भी निवेदन करूं कि लड़कियों का स्कूल अलग होना चाहिए क्योंकि हम भी देखते-सुनते हैं, लड़के-लड़कियां के एक जगह पढ़ने से काफी खराबी आती है और घोटाला हो जाता है। जब शिक्षा से समाज में सुधार आता है तो चाहे मेरो

(श्री बिरखाराम)

या उसकी पार्टी की बात हो उसमें भी सुधार आयेगा। जब समाज में सुधार आता है तो इस सरकार में जो बैठे हैं, मंत्री हैं वे भी उसी समाज से आये हुए हैं, उनमें भी सुधार आयेगा। इसलिए समाज में बुरी बातें मिटनी चाहिएं। आज समाज में कैसी-कैसी बुरी बातें हैं, उसके कारण ही मेरी पार्टी के उधर बैठ जाते हैं और उधर की पार्टी के इधर आ जाते हैं। इसलिए समाज में सुधार होना चाहिए। समाज में सुधार ऐसे ढंग से होना चाहिए जिससे सबका सुधार हो। आज क्या है। आज सौ आदमियों को देखें तो कितने आदमी उनमें सच्चे निकलते हैं। सौ में से पांच आदमी भी सच्चे नहीं निकल सकते हैं। समाज में जैसा परिवर्तन होगा, समाज को जिधर ले जायेंगे वैसे ही सब लोग बनेंगे। आज कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते हैं। कांग्रेस क्या करती है। उसने तो नियम बना दिये, सिद्धान्त बना दिये, वे नियम और सिद्धान्त अच्छे हैं। दूसरी पार्टी के भी नियम और सिद्धान्त अच्छे हैं। किसी भी पार्टी के नियम और सिद्धान्त खराब नहीं हैं। लेकिन लोग उन सिद्धान्तों पर नहीं चलते हैं। सिद्धान्तों पर चलने से आदमी में सुधार हो सकता है। मैं निवेदन करूं कि समाज में वातावरण ऐसा होना चाहिये जिससे आदमी में सुधार हो। आज कॉलेजों में जगह-जगह हड़ताल होती है। कॉलेजों में जो हड़ताल होती है उसमें दस, पन्द्रह बीस लड़के ही सकते हैं जो हड़ताल करने वाले होते हैं। बाकी के लड़के हड़ताल करने वाले नहीं होते हैं। वे परीक्षा में बैठना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं वे उनको परीक्षा में नहीं बैठने देते हैं और जबर्दस्ती हो-हुल्लड़ करके कॉलिज को बन्द करवा देते हैं और फिर दूसरे लड़कों को निकालते हैं। पहले एक क्लास में जाकर पढ़ाई बन्द करा दी, फिर दूसरी क्लास में जाते हैं। मास्टर ने एक दफा कह दिया, धमका दिया लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी क्लास बन्द करा देते हैं। फिर तीसरी क्लास बन्द करा देते हैं। इसके बाद में बाहर में निकल जाते हैं और दुकानें बन्द करा देते हैं। यह सब लड़कों की बात नहीं है। सब लड़के तो परीक्षा में बैठना चाहते हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जो गुण्डागर्दी करते हैं, ये लड़के बदमाशी करते हैं। ऐसे लड़कों के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। सभापति महोदय, ऐसे लड़कों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाय नहीं तो उनके कारण से कॉलेजों में खराबी पैदा होती है और दूसरे लड़कों की पढ़ाई खराब होती है। जो लड़के ऐसा समझते हैं कि वे इम्तिहान पास नहीं कर सकते हैं; वे दूसरों की पढ़ाई भी खराब करते हैं। ऐसे लड़कों को कालेज से निकाल दिया जाय और दूसरे लड़कों को सुधारा जाय। ये लोग जबर्दस्ती कालेजों में हड़ताल करवाते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि समाज के वातावरण, कुछ समाज के ढांचे को, कुछ पढ़ाई को सुधारा जाय। ऐसा नहीं होगा तो देश में मुसीबत पैदा हो जायगी, जिससे सबको मुसीबत होगी, एक को नहीं। रोज-रोज आन्दोलन करा दिये जाते हैं, आन्दोलन में लड़के फंस जाते हैं। वे आन्दोलन कैसे होते हैं? आन्दोलन बड़ी-बड़ी पार्टी करा सकती है, बड़ी पार्टी के द्वारा ही आन्दोलन कराया जा सकता है। गरीब लोग आन्दोलन नहीं कर सकते हैं। गरीब आदमी आन्दोलन कभी नहीं कर सकता है। तो समाज में

Page No 198

(श्री खिरंदाराम)

कुछ सुधार आना चाहिए। आज समाज में सुधार नहीं आने से स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाया जाता है। आज एक आदमी को सौ रुपये देकर हजार रुपये का फायदा उठाया जाता है। इसलिए मेरा शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि पढ़ाई में कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ मास्टरों के अन्दर सुधार लानी चाहिए। आज लड़के नहीं पढ़ते हैं तो भी मास्टर चुप रहते हैं, वे लड़कों के सामने नहीं बोलते हैं। उनमें भी कुछ सुधार होना चाहिए और अच्छा वातावरण बनाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। यह कह कर मैं बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा-सु.): सभापति महोदय, मेरा भी शिक्षा के बारे में कटौती का प्रस्ताव है उस पर मैं पांच मिनट बोलूंगा। माननीय सभापति जी, बीकानेर जिले के बारे में, वहां जो शिक्षा के सम्बन्ध में दिक्कतें हैं, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार के कानों तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पिछली साल, सभापतिजी, राज्य सरकार ने एक ऐसा आदेश दिया कुछ नई स्कूलें खोलने का कि पंचायत समितियों के द्वारा ही मिडिल स्कूल चलाये जा सकते हैं। आप जानते हैं, माननीय सभापति जी, हमारा इलाका बीकानेर और बाड़मेर व जैसलमेर सीमा से लगने वाला इलाका है, उसमें लगातार सदैव से ही अकाल पड़ता है इसलिए वहां की पंचायत समितियों की आर्थिक हालत कमजोर है। ऐसी सूरत में पंचायत समितियों के द्वारा मिडिल स्कूल चलाये जायं यह मुश्किल है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी तहसील में कुछ गांव हैं, राणूनी नाम का गांव है जिसमें लोगों ने चन्दे के द्वारा एक लाख की बिल्डिंग तैयार करके सरकार के सुपुर्द कर दी। सरकार ने आदेश दिया है मिडिल स्कूल खोलने का, मगर जहां तक खर्च का सवाल है उसके लिए आदेश दे दिया है कि खर्च पंचायत समिति भोगेगी। पंचायत समिति की आर्थिक हालत पहले ही खराब है। भामनसर गांव है उसमें हायर सैकण्डरी के लिए बिल्डिंग तैयार कर दी लेकिन शिक्षा के मामले में राज्य सरकार की नीति रही है वह सोचनीय है, वह विचार करने के लायक है। जब गांव के साधारण किसान चन्दा करके महनत से बिल्डिंग बना कर, एक लाख की बिल्डिंग बना कर देने के लिए तैयार हैं उसके बाद भी सरकार मिडिल स्कूल खोलने में असफल रही है। मैं इस सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि यह सरकार हमारे इलाके में स्कूल खोलने में पक्षपात करती है। मैं शिक्षा के सम्बन्ध में अधिक बोल, सभापति महोदय, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सरकार के पास भी हमारे बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि लूणकरणसर तहसील में ८५ गांव हैं, जहां एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। आप देखिये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष के बाद भी ८५ गांवों में स्कूल का नाम नहीं जानता है, पट्टी-कलम का नाम कोई नहीं जानता है। यह आजादी के बीस साल के बाद भी दशा है। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

क्योंकि अनपढ़ लोग ही आपके बहकावे में आ सकते हैं, आपके भुलावे में आ सकते हैं। पढ़े-लिखे नौजवान लोग आपके बहकावे में नहीं आ सकते हैं। आज पढ़े-लिखे लाखों लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनको नौकरी देने के लिए सरकार के पास जगह नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरकार की नीति है कि समाज को अनपढ़ रखो। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर स्कूल खोले जाने चाहिए। मैं बस इतना ही टाइम लेना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय!

श्री सभापति : संक्षेप में बोलें। पांच मिनिट!

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मैंने शिक्षा के बारे में कटौती का प्रस्ताव दिया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज प्राइमरी शिक्षा का पंचायत समितियों के द्वारा प्रबन्ध होता है वह काफी दोषपूर्ण है। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि आज की इस दशा को सुधारने के लिये प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायत समितियों से तुरन्त हटा देना चाहिये....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह गलत बात है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्योंकि आगे की शिक्षा प्राइमरी शिक्षा पर ही आधारित है। जब शुरू से ही शिक्षा सही ढंग से नहीं दी जायगी तो छात्र आगे जाकर क्या उन्नति कर सकता है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि यह सही नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज अध्यापक आपको गांवों में मिलेंगे नहीं। गांवों में आज बराये नाम स्कूल चलते हैं....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपके इलाके में हो सकता है क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अधिकतर ऐसे हैं। हो सकता है कि एक इलाके में ऐसे नहीं हों, लेकिन अधिकतर ऐसे ही स्कूल पड़े हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा पंचायत समितियों से हटाई जाय....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री मोहनलाल मोदी : तभी देश की उन्नति हो सकती है....

शिक्षा पद्धति में सुधार होना आवश्यक है, इस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया है इसलिये मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल सुधार करना आवश्यक है।

अब मैं सीकर जिले की कुछ समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सीकर जिले को एडेड स्कूल्स को ६० परसेंट अनुदान मिलता है जब कि राज्य सरकार और जगह की एडेड स्कूलों को ६० प्रतिशत तक अनुदान देती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सीकर जिले की एडेड स्कूलों को भी ६० प्रतिशत तक अनुदान दिया जाय। वहां सात-सात साल से सैकेन्डरी स्कूल्स चल रहे हैं

(श्री मोहनलाल मोदी)

उनको सेकेन्डरी स्कूल्स में लेकर अनुदान दिया जाना चाहिये। उनको मिडिल स्कूल का अनुदान मिल रहा है।

सीकर जिले में ५ कॉलेज हैं पर एक में भी पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज नहीं चल रही हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष कम से कम एक कॉलेज में तो पोस्ट-ग्रेज्युएट क्लासेज प्रारम्भ करनी चाहियें। इसके अलावा सीकर जिले में कई जगह स्कूलों में बिल्डिंग्स की कमी है, कई जगह बिल्डिंग्स की हालत खराब है, कई जगह बिल्डिंग्स में कमरों की कमी है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान देकर इन कमियों को दूर करने की व्यवस्था करें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर में हिन्दी विद्याभवन नामक हायर सैकेन्डरी स्कूल चलता है, वह किसी ट्रस्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता, जनता के चन्दे से चलाया जाता है। हर साल इसके लिये चन्दा इकट्ठा किया जाता है और इससे वहां लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिये निवेदन करूंगा कि सरकार उसे टेक-ओवर कर ले ताकि वहां के लोगों को और विद्यार्थियों को सुविधा मिले।

रामगढ़ में रुइया कॉलेज है उसको तो राजस्थान सरकार ने सम्हाल लिया है इसके लिये धन्यवाद। इसके साथ ही साथ रुइया सैकेन्डरी स्कूल चलता है, उसको भी सरकार अपने हाथ में ले ले। क्योंकि इसको चलाने वाले खानदान के लोगों की सबकी डैथ हो चुकी है, केवल एक लड़की ही है। कई लाख की बिल्डिंग्स हैं और इसका मैनेजमेंट ५ साल का खर्चा देने के लिये तैयार है। इसलिये निवेदन है कि राज्य सरकार उसको अपने हाथ मे ले ले।

मावड़ा खुर्द में एक मिडिल स्कूल है उसमें विद्यार्थियों का संख्या ७०० है। ५ वर्ष पूर्व उसे सैकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के राज्य सरकार ने आदेश दिये थे पर वह अभी तक सैकेन्डरी स्कूल नहीं हो सका है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष उसे सैकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया जाय। इसके पास नीम के थाना में एक सैकेन्डरी स्कूल है, वहां एक हजार से ऊपर लड़कों की संख्या है, वहां दो शिफ्टों में शिक्षा देनी पड़ती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सैकेन्डरी स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में इस साल क्रमोन्नत कर दिया जाय।

नीम का थाना सब-डिविजन में लड़कियों का एक भी सैकेन्डरी स्कूल नहीं है इसलिये इस वर्ष लड़कियों के लिये निश्चित रूप से सैकेन्डरी स्कूल चालू करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। क्योंकि हमारा सिद्धान्त भी है और शिक्षा मंत्रीजी इस ओर विशेष ध्यान देते हैं कि स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार अधिक होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस साल नीम के थाना में लड़कियों के लिये सैकेन्डरी स्कूल चालू करें।

न्याय मन्त्रीजी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को सस्ता न्याय मिलना चाहिये। लेकिन आज इस मामले में जनता बहुत दुःखी है। जोधपुर हाई कोर्ट में इधर की जनता जाती है तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। खास तौर से अलवर के इलाके के लोग, भरतपुर के और

Page No 201

श्री मोहनलाल मोदी

हरियाणा के बोर्डर से लगने वाले क्षेत्र के लोग न्याय प्राप्त करने के लिये जोधपुर जाते हैं तो उनको बड़ी मुसीबतों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच अवश्य होनी चाहिये, यह परम आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जायगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सीकर और झुंझुनूं का एक ही सेशन कोर्ट झुंझुनूं में है। दो-दो चार-चार दिन के लिये हर सब-डिविजन हैडक्वार्टर पर यह सेशन कोर्ट काम करे तो इससे गरीबों को सस्ता न्याय मिलेगा और राहत मिलेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे और इस प्रकार की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री दिग्विजयसिंह ! आप ५ मिनिट बोलेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक शिक्षा प्रणाली में चेंज नहीं लायेंगे, पैटर्न ग्राफ सिस्टम रीओरियेन्ट नहीं करेंगे, यह बेकारी की समस्या दिन दिन बढ़ती जायेगी। यह मैं नहीं कह सकता कि यह आप कब तक कर पायेंगे। यदि आप इण्डस्ट्रियल और टैक्निकल पैटर्न पर एज्यूकेशन पॉलिसी को चेंज करें तो काफी हद तक हमारे यहां की बेरोजगारी की समस्या का हल कर सकेंगे। जैसा कि यू. के. और अमेरिका में है। वहां हर बच्चे को सर्टेन स्टेन्डर्ड तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद यह जानने के लिये कि उसका डाईवर्शन किस तरफ है उसका एक टेस्ट लिया जाता है। अगर उसका डाईवर्शन टैक्निकल साइड की तरफ है तो उसको टैक्निकल एज्यूकेशन दी जाती है और अगर उसका डाईवर्शन साइन्टिफिक टैस्ट की तरफ है तो उसको साइन्टिफिक एज्यूकेशन लाइन पर जाने की छूट देते हैं। फिर वह स्वतः डेवेलप होता है और उसे नौकरी की तलाश में नहीं फिरना पड़ता है, वह टैक्निकल एक्सपर्ट होकर काम करने लग जाता है। जब कि हमारे यहां १०वीं पास करते ही बाबूगिरी की तलाश में फिरने लग जाता है तो जब तक सारे पैटर्न को रीओरियेन्ट नहीं करेंगे तब तक न हम उन्नति ही कर सकेंगे और न यह बेरोजगारी की समस्या ही हल की जा सकेगी। यह राजस्थान के लेवल की बात नहीं है। यह नेशनल लेवल की बात है। राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी राजस्थान में इसको क्या रूप दे पायेंगे यह मैं नहीं कह सकता। आज राष्ट्रदूत में मैंने पढ़ा, माननीय वन मंत्रीजी ने अजमेर में कहा कि यदि राजस्थान में शिक्षा का पैटर्न चेंज नहीं होगा तो बेरोजगारी और असंतोष जो आज छात्रों में फैल रहे हैं, वे दूर नहीं होंगे। इसलिये इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें कि शिक्षा के पैटर्न को चेंज किया जाय। इसके लिये एक्सपर्ट्स को, एज्यूकेशन एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठा दीजिये और जो भी पैटर्न वह सजेस्ट करे उसको आप एक्सपेरिमेन्टल

Page No 202

(श्री दिग्विजय सिंह)

बेसिस पर लागू करके देखिये कि वह सक्सेसफुल होता है या नहीं।

आपने कॉलेजेज, मिडिल स्कूल्स और स्कूल्स खोली हैं, उनसे यह साफ दिखाई देता है कि इसमें बहुत बड़ा रीजनल इम्बेलेंस है। मेरे क्षेत्र में एक भी हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं है जबकि पास के इलाकों में दो-दो मील पर एक-एक हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स हैं। तो इस रीजनल इम्बेलेंस को आपको दूर करना होगा। जहां आवश्यकता है वहीं स्कूल खोलिये। यह नहीं कि मेरे कहने से एक जगह स्कूल खोल दी, फिर मेरे से अधिक प्रभावशाली दूसरे व्यक्ति ने कह दिया तो वहां खोल दो। यह उचित नहीं है। मालपुरा में आज से ४ वर्ष पहले छः सात प्राइमरी स्कूल्स खोल दिये पर वहां लड़के नहीं आये तो उनको कन्वर्ट करना पड़ा। तो जो इस प्रकार का रीजनल इम्बेलेंस राजस्थान में है उसको दूर करना चाहिये। और शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं आनी चाहिये। बिल्कुल निष्पक्ष, विदाउट एनी रिजर्वेशन, और क्षेत्रीय भावना से परे होकर स्कूलें खोलनी चाहियें....

एक माननीय सदस्य : फिर वोट कौन देगा इनको ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह अलग बात है। वोट और शिक्षा दोनों को साथ जोड़ दिया जाय तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और घातक होगा। शिक्षा के मामले में हमें एक दफा वोट को भूलना होगा।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। आप अधिकतर कॉलेजेज जो खोल रहे हैं वे शहरों में खोल रहे हैं। शहरों में खोलने से आज छात्रों के कितने आन्दोलन उठते जा रहे हैं। अगर आप कॉलेजेज को शहरों की बजाय गांवों में खोलें तो आन्दोलनों की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी। हम लोगों को भी वहां गांवों में पहुँचने में देर लगेगी और उनको यहां लाने में भी देर लगेगी। आज पिलानी का उदाहरण सामने है वहां कुल एक दफा स्ट्राइक हुई है। जब कि शहरों में आये दिन हड़तालें होती रहती हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया है तो मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूं कि मेरे यहां बहुत पुराना सेकेन्डरी स्कूल चल रहा है, बहुत वर्षों से। मुझे आशा है कि शिक्षा मंत्रीजी उसे हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की कृपा करेंगे।

इसके साथ ही साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में अवश्य होनी चाहिये। २६ डिस्ट्रिक्ट्स में से आधी डिस्ट्रिक्ट्स इस डिविजन की हैं, बराबर फिफ्टी-फिफ्टी है तो यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच होना आवश्यक और न्यायोचित है। मथुरादासजी अगर न्याय मंत्री होते तो वे इसे प्रेस्टिज इश्यू बना कर यहां हाई कोर्ट की बेंच नहीं रखते।

माननीय बरकतुल्ला खां जो समाजवाद के हामी हैं, अंतरात्मा के आदमी हैं, उनकी अंतरात्मा कहां मर गई है कि वह यहां हाई कोर्ट बेंच स्थापित नहीं कर रहे हैं। यह माथुर साहब की परवाह न करके सदन में

श्री दिग्विजयसिंह:
एकदम घोषणा करें कि जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट का बैंच स्थापित होगा।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : दोनों तरफ महाराज खड़े हैं। ८ बजे राज्य सरकार की तरफ से उत्तर प्रारंभ होगा। डेढ़ घंटे का समय कांग्रेस पार्टी ले चुकी है, निर्धारित समय दो घंटे हैं उत्तर सहित। सरकार की तरफ से उत्तर स्पेसिफिक व टु दी पाइंट जितना जल्दी हो सके जल्दी दें। इसलिए १० मिनट का समय है जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें बोलें। पृथ्वीराज पटेल।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं एक बात का आश्वासन चाहूंगा कि आपने रूलिंग दी थी कि जिन सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं और वे यदि नहीं बोलते हैं तो राज्य सरकार द्वारा कटौती प्रस्तावों का उत्तर भेजा जायगा, उस बारे में आपको क्या कहना है?

श्री सभापति : राज्य सरकार की तरफ से उत्तर भेजा जायगा, पहले व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री पृथ्वीराज पटेल (वामनवास-सु) : सवाई माधोपुर एक उपजाऊ क्षेत्र है लेकिन उसमें सिर्फ एक कॉलेज है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक कॉलेज गंगापुर में खोला जाय। दूसरी बात मेरे क्षेत्र में एक हायर सैकेंडरी स्कूल है बामनवास में उसमें विज्ञान की कक्षा खोली जाय और वहां थोड़ी दूर तहसील क्षेत्र में एक हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला जाय क्योंकि ८-८, ९-९ मील दूर के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि किसानों के पास इतना धन नहीं है कि कर्जा लेकर पढ़ सकें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दूसरी कसम भी किया, औलाद भी नहीं हुई।

श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़ सु०) : सभापतिजी, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से कुछ अर्ज करूंगा। हमारी सरकार ने शिक्षा का विस्तार किया है किन्तु कई शिक्षण संस्थाओं की आर्थिक स्थिति संकट में है। मेरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दो संस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा अनुदान से चलती हैं और एक संस्था शिक्षा प्रेमी श्री चिरंजीलाल मिश्र के अथक परिश्रम से करीब ३-१/२ लाख रुपए लगा कर एक भवन का निर्माण कराया, वह तैयार है। इतने दिनों तक स्कूल श्रीमान् मिश्र के चंदे से चलता रहा अब उनका स्वर्गवास होने से संस्था संकट में पड़ गई है और अध्यापिकाओं को तनख्वाह का चुकारा भी नहीं हो रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूं कि संस्था का आर्थिक संकट जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करें।

दूसरी बात उच्च प्राथमिक शाला, नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ द्वारा चलाई जाती है। उस स्कूल में हमेशा से तनख्वाह के बारे में झगड़ा होता है। कई बार हड़तालें हुई हैं, अनशन के नोटिसेज दिए हैं, वह स्कूल सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए।

तीसरी बात रघुनाथ हायर सेकेण्डरी स्कूल की मांग सन् १९५२ से है कि विज्ञान की कक्षा खोली गई थी। इसमें ५ वर्ष तक अनुदान देने की शर्त थी, वह १९६९ में समाप्त हो गई। उसका भी अनुदान मन्जूर करना चाहिए इस साल से और शिक्षा मंत्री का आश्वासन भी है।

श्री शम्भूराम पटेल (लालसोट-सु.) : सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाय मैं केवल अनुसूचित जाति की बात नहीं कहता वह तो कैसे भी कर सकते हैं लेकिन कई कौमें हैं जिनको पढ़ाई हो सकती है। सरकार को वोट को नहीं देखना चाहिए। जहां जरूरत हो तो छोटे गांव में भी स्कूल खोला जाय। इस समय १०–२० बच्चे पढ़ते हैं कम से कम ३ हजार रुपये का खर्चा आ जाता है। उनको स्कूल बहुत दूर पड़ता है, स्कूल पास में होना चाहिये, यह तो मेरा सुझाव है, वाकई सरकार सोचे।

श्री सभापति (श्री गोकलचंद के खड़े होने पर) : आपका नाम तो नहीं है सूची में।

श्री गोकुलचन्द : ५८ में है मेरा शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव तो कई माननीय सदस्यों के हैं लेकिन आपके दल की तरफ से जो नाम आए हैं, आपको मुख्य सचेतक महोदय ने जो सूची भेजी है उसमें आपका नाम नहीं है, संशोधित सूची में भी आपका नाम नहीं है। मैंने राज्य सरकार के उत्तर देने के लिए ५ बजे का समय निर्धारित किया है इसलिए उत्तर प्रारंभ हो जाय। आप तो पुराने मेम्बर हैं...

श्री गोकुलचंद : आप समय दें।

श्री सभापति : लेकिन समय का अभाव है।

श्री गोकुलचंद : दो मिनिट।

श्री सभापति : इतने पुराने सदस्य को सिर्फ दो मिनट देना इन्सल्ट है। शिक्षा मंत्री!

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापतिजी, शिक्षा की मांगों के संबंध में आज माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों के जरिए यहां पर विचार प्रकट किए और जो बहुमूल्य सुझाव दिये उनके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। जो सुझाव माननीय सदस्यों की तरफ से आए उनमें एक तरफ तो अपने क्षेत्र के अभाव अभियोगों की बात थी दूसरी तरफ शिक्षा की पद्धति के बारे में जो कुछ भी अनुभव करते थे, उसका जिक्र था। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में २०-२२ वर्षों में शिक्षा में जो कुछ प्रगति हुई है, वह आप लोगों के सामने है, वह आंकड़े देकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उस संबंध में रिपोर्ट्स आपके सामने हैं और सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में २२ वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है। इस संबंध में केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि २२ वर्षों में शिक्षा में कुछ प्राथमिकताओं का निर्धारण जो आवश्यक था, शायद उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया है और अब समय आ गया है कि हमें सबसे पहला काम यदि शिक्षा के क्षेत्र में करना है तो प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। आपने शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में देखा होगा कि राजस्थान में करीब १६,००० प्राथमिक शालायें हैं और हर डेढ़ मील के डिस्टेन्स पर स्थित है। आज किसी भी विद्यार्थी के लिये पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुविधा उपलब्ध है। जहां तक मिडिल स्कूल का सवाल है राजस्थान में दो हजार मिडिल हैं। स्कूल्स सभापति महोदय, मेरा विश्वास है कि यदि राजस्थान में सही माने में शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं तो देहात में आठवीं

श्री शिवचरण माथुर

कक्षा तक की शिक्षा का विस्तार बहुत ही आवश्यक है और प्रदेश की शिक्षा का बोकिस्ट लिंक मैं इसको मानता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की कि प्राइमरी स्कूल अलग-अलग जगह पर होने चाहियें। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि प्राइमरी स्कूल और शिक्षा के ढांचे को उठाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि इस क्षेत्र में शायद अधिक स्कूल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान कैनाल, जहां नयी बस्तियां बसा रहे हैं, इसलिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में २५० प्राइमरी स्कूलों का प्रावधान किया है, १५० राजस्थान कैनाल एरिया में और १०० प्राइमरी स्कूल ऐसी जगह के लिये जहां स्टूडेन्ट्स की पोपूलेशन काफी होती है; खास तौर से अरबन एरियाज में बड़े-बड़े स्कूल हैं और भवन की व्यवस्था न हो सकने के कारण बाईफ़ेरकेशन करना पड़ता है।

जहां तक देहाती क्षेत्र में शिक्षा का सवाल है, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्कूल खोल रखे हैं लेकिन दस, पन्द्रह या २० लड़के ही जहां पढ़ने वाले हैं। पंचायत समिति के प्रधानों, विकास अधिकारियों और माननीय सदस्यों को थोड़ा अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे प्राथमिक शिक्षा की कमी को दूर किया जा सकता है। प्रथमिक शिक्षा में जो आज वस्तुस्थिति है वह एक चिन्ता का कारण है। पहली कक्षा में आया हुआ बच्चा दूसरी और तीसरी कक्षा में छोड़ कर चला जाता है और इस प्रकार वेस्टेज ६५ प्रतिशत हो रहा है। सबसे पहली चिन्ता तो यह रही कि प्रौढ़ों को शिक्षित बनाने की बात तो दूर रही, नयी पीढ़ी जो निरक्षर हो रही है उसको बचाया जाय। इस मौलिक बात को ध्यान में रखना चाहिये। इसलिये मैं पंचायत समिति के प्रधानों, विकास अधिकारियों और दूसरे लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में थोड़ा एडजस्टमेंन्ट कर लें तो जो शिक्षा राज्य सरकार दे रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। १९ हजार प्राथमिक स्कूल खोल देने के बावजूद भी तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक ५७.३ परसेन्ट ही ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा मौलिक सवाल है वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो स्थिति हो रही है उसको किस प्रकार बचायें। हमारी पंचायत समितियों की ओर से प्राथमिक स्कूलों को बढ़ाने की बात आती है तो जहां लड़कों की कमी है इस प्रकार का एडजस्टमेन्ट कर दिया जाय जिससे अधिक सुविधा मिल सके और इसी को ध्यान में रख कर निर्णय किया है कि बड़े २ स्कूल हैं शहरों में वहां पहले पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा को ग्रे श्रावर स्कूलों के आधार पर चलाने की सोची है। शहरों में यह देखा गया है कि राजकीय शालाओं में भी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले में साधन नहीं बढ़ा रहे हैं। भवन की समस्या को कहीं मीट नहीं कर पा रहे हैं। जयपुर शहर में ही देख लीजिये। कई प्राइमरी शालायें चलती हैं। मंदिरों और परिक्रमाओं में चल रही हैं। लड़के अन्धाधुन्ध बढ़ रहे हैं उसके लिये क्या उपाय है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी भी है।

श्री शिवचरण माथुर : सरकारी भी हैं। यह तय किया गया है कि बहुत विद्यार्थी है तो तीन-तीन घंटे के स्कूल चलाये जायं जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चे आयें। कोमन सेन्स से भी यदि माना जाय कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के लिये एक शिक्षक यदि तीन घंटे की पढ़ायी करा दे तो इससे अधिक अच्छा क्या हो सकता है।

मैं आप से यह निवेदन कर रहा हूं कि प्राथमिक शालाओं के लिये जो हमारे पास साधन, सामग्री और सुविधा उपलब्ध है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो। और जैसा मैंने आपको कहा उस परसेन्टेज को हम आगे बढ़ा सकते हैं।

(८.०५ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरी उच्च शालाओं की बात आती है। सबसे वीकेस्ट लिंक राजस्थान की शिक्षा में यदि कोई है तो यह है। दो हजार और कुछ उच्च प्राथमिक शालायें राजस्थान में चल रही हैं। गांवों में आठवीं कक्षा का प्रबन्ध करने के लिये कुछ परसेन्टेज बढ़ाना पड़ेगा और चौथी पंचवर्षीय योजना में ६ प्राइमरी स्कूल के पीछे एक उच्च प्राथमिक शाला दे दें इसकी चिन्ता होनी चाहिये। हमने अपने प्लान में ५०० मिडिल स्कूलों का प्रावधान किया है। मेरा विश्वास है कि चौथी योजना में जो प्रावधान रखा है उसको किसी हद तक पूरा कर सकेंगे।

सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को बढ़ाने वाली बात बहुत से माननीय सदस्यों ने कही। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा सवाल आया था कि जो भी स्कूल खोलें हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जांय। इससे थोड़ा सा इम्बैलेन्स भी क्रीयेट हुआ। जो हाई स्कूल खुले हुए थे वे हाई स्कूल रह रह गये और नये खुले वे हायर सेकेन्डरी खोले गये। उस इम्बैलेन्स को मिटाने की दृष्टि से आने वाले सत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में १०० सेकेन्डरी स्कूलों को हायर सेकेन्डरी में परिणित किया जावेगा। उसका निश्चित आधार बनाना होगा। जब तक आधार की बात आती है तो राजनीति का सवाल नहीं होता है। क्राइटेरिया निश्चित करके हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित करना चाहते हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो आजादी से पहले हाई स्कूल थे और आज भी हैं। विचार यह है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर पर हायर सेकेन्डरी स्कूल हो। तहसील हैडक्वार्टर पर हायर सेकेन्डरी न हो उस हालत में जहां हजार से ऊपर लड़के पढ़ते हों तो उस हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी बनाने की बात हो सकती है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान में बड़े स्कूलों को लें तो जो चार-पांच आधार मैंने निवेदन किये हैं उसको लेते हैं तो हायर सेकेन्डरी की कमी पूरी हो जावेगी। यह तो मैंने सेकेन्डरी एज्यूकेशन संबन्ध में कहा।

जहां तक हायर एज्यूकेशन का सवाल है इसके बारे में भी फैसला सम्भल कर करना चाहिये। उच्च शिक्षा सिलेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव हो। करीब-करीब सभी सदस्यों ने उच्च शिक्षा के बारे में यह मत रखा है कि यह शिक्षा सिलेक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव होनी चाहिये। एकाध माननीय

(श्री शिवचरण माथुर)

सदस्य ने हायर एज्यूकेशन सबको मिले इस बात की पैरवी की है। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को बहुत वजन देता हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारे देश में शिक्षा के बारे में कम से कम उच्च शिक्षा के बारे में एक विचार बनता जा रहा है कि उच्च शिक्षा किनको दी जाय ? आज यह भावना बनती जा रही है हमारे यहां जहां ९० कॉलेज हैं फिर भी हर बार कॉलिजेज की मांग आती है। भाषण देते वक्त तो यह कह देते हैं कि हायर एज्यूकेशन को कम करना चाहिये लेकिन मांग हर सदस्य करता है कि हमारे यहां डिग्री कॉलेज होना चाहिये, पोस्ट डिग्री कॉलेज होनी चाहिये। जब एक तरफ उच्च शिक्षा को रेस्ट्रिक्टिव बनाने की मांग करते हैं और दूसरी तरफ अपने-अपने यहां कॉलेज खोलने की मांग करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में हमें गम्भीर होकर विचार करना चाहिये। हम सारे राजस्थान का शिक्षा बजट पास करते हैं वहां हमें इन मसलों पर गम्भीरता से सोचना चाहिये।

आज हमारे यहां तीन युनिवर्सिटीज है रामचन्द्रजी आर्य मांग करते हैं उनके गंगानगर में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हो। ऐसी हालत में यह भी मांग की गई कि देवली और बहरोड में कॉलेज होने चाहियें। मेरा यह निवेदन है कि हमें हायर एज्यूकेशन के बारे में सम्भल कर और सोच कर कदम बढ़ाना होगा। अब हम एडमिशन्स में मार्क्स की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं जैसे साइन्स में जिनको ४५ परसेन्ट से कम अंक होंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा तो आन्दोलन होते हैं। हमारे साथी लोग आते हैं और इस बारे में जोर देते हैं कि सबको एडमिशन मिलना चाहिये। ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह मुख्य प्रश्न है कि हायर एज्यूकेशन को कहां तक बढ़ायें। मिसाल की तौर पर निवेदन करना चाहता हूं एक कॉलेज पर कितना खर्चा होता है और उससे एक विद्यार्थी पर कितना खर्च आता है। राजस्थान में जितने युनिवर्सिटी एज्यूकेशन पर आज हम खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से प्रत्येक विद्यार्थी पर १४४१) रुपया खर्च आता है। एफीलियेटेड कॉलिज में ८८८) रुपया फी विद्यार्थी खर्च आता है। इस हिसाब से अधिक हायर एज्यूकेशन बढ़ायेंगे तो उतना ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा का बजट डेढ़ करोड़ से बढ़ता-बढ़ता आज ३८ करोड़ तक हो गया है। इतना ही और अधिक खर्चा भी हम इसमें कर देते हैं ७६ करोड़ तो भी हमें कमी महसूस होगा। जब कि भवन के लिये हम एक पैसा देते नहीं हैं। ३८ करोड़ रुपये को देखें तो इसमें ९० फी सदी तो स्टॉफ और वेतन में चला जाता है बाकी सब चीजें दस परसेन्ट में आ जाती हैं। सारा सामान इसमें आ जाता है। अगर हम बिल्डिंग अपनी तरफ से देने की बात करें सदन इस बात को सोच सकता है कि हमें कितनी धन की आवश्यकता होगी। वैसे ही राजस्थान में हर पांच साल में तीन साल अकाल के रहते हैं। ऐसी हालत में हमें जब शिक्षा का बजट बढ़ाना है तो हम इसमें सामान को भी इन्वोल्व करें। आप मद्रास में जाकर देखें वहां के शिक्षा के बजट में कम्युनिटी का इन्वोल्वमेन्ट होते हैं। राजस्थान प्रान्त में राजस्थान की जनता ने शिक्षा के क्षेत्र में बिल्डिंग बनाकर दी है वह बहुत बड़ी मदद है। यह मदद नहीं होती तो आज इतना भी शिक्षा का विस्तार सम्भव नहीं होता।

एक मा० सदस्य : गांव वालों ने दी है शहर वालों ने नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी बात नहीं है शहर वालों ने भी दी है। साधनों की स्थिति को देखते हुए हमें यह विचार करना पड़ेगा हम क्या करना चाहते हैं? मैं कभी-कभी यह सोचा करता हूं कि शिक्षा का जो हम प्रसार इतना करते जा रहे हैं आखिर इससे आगे जाकर क्या होने वाला है। मैं समझता हूं आप लोगों की दिलचस्पी रही आज जितने भी माननीय सदस्य बोले काफी अच्छे सुझाव उनकी तरफ से आये। इसी प्रकार की सहानुभूति और मार्गदर्शन रहा तो हम शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति कर पायेंगे। मैं इस बारे में भी सोचता हूं जिस प्रकार से केन्द्र में शिक्षा के बारे में सलाह देने के लिये पार्लियामेन्ट में कन्सलटेटिव कमेटी होती है उसी प्रकार की कमेटी का हम यहां भी गठन करें। आप लोग यदि इसी प्रकार सहयोग देते रहे और इसको समझते रहे तो इसमें बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है।

युनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई। राज्य सरकार ने जिस प्रकार का रुख युनिवर्सिटी के बारे में अपना रखा है उसके बारे में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। यह आप भी जानते हैं कि युनिवर्सिटी ओटोनोमस बोडी है। वहां जो कुछ कार्यवाहियां होती हैं हम यह कह कर उन बातों को टाल देते हैं कि युनिवर्सिटीज ओटोनोमस बोडी है हम उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजस्थान ऐसा प्रान्त है जिसने हमेशा इस बात में विश्वास किया है कि युनिवर्सिटी की ओटोनोमी को सुरक्षित रखे। हमने इसको सैकरेड समझ कर इसके अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। कुछ दिनों से युनिवर्सिटीज में कुछ दिक्कतें सामने आयीं, कुछ पैसों के बारे में और दूसरी व्यवस्था के सम्बन्ध में। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भी यह विचार बनता जा रहा है कि हम युनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर किस प्रकार की तब्दीलियां करें। इसके लिये हमने एक कमेटी का निर्माण किया है। डॉ० मोहनसिंह मेहता के सभापतित्व में उसमें शिक्षाविदों के अलावा कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : विधान सभा का कौन प्रतिनिधि है?

श्री भैरोंसिंह : यह तो सब प्रॉफिसर्स की कमेटी है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा निवेदन है कि उसमें सदन का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : यूनिवर्सिटीज के बारे में एक कमेटी बना दी गई है उसके ओटोनोमस होने के कारण हम उसमें कम हस्तक्षेप कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहते। इस बारे में सोचा जा सकता है गवर्नमेन्ट जो खर्च करती है उसके लिये अकाउन्टेबल उनको ठहरायें। उसके लिये कमेटी बना दी है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों से भी चर्चा कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं यूनिवर्सिटी की ओटोनोमी के पोइन्टों पर यह कमेटी विचार करेगी?

श्री शिवचरण माथुर : सारे स्ट्रक्चर के बारे में।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बता दूं यह कमेटी सिर्फ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के विश्वविद्यालयों के लिये एक कानून किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसी तक इसको सीमित रखा गया है इसी पर वह रिपोर्ट देगी।

श्री शिवचरण माथुर : स्ट्रक्चर में क्या चेन्जेज किये जायें उसके बारे में कमेटी की रिपोर्ट आयगी उस पर सरकार विचार करके निर्णय कर सकती है। आज हम इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं कि जो कुछ रुपया उनको देते हैं उसका सही उपयोग होता है या नहीं इसके बारे में जानकारी ले लें। जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं आप क्या ऐसी युनिवर्सिटीज को ग्रान्ट देना चाहते हैं जो हमारे शिक्षा मन्त्रीजी को सुनना नहीं चाहता। आप गये थे आप वहां बिना बोले ही आ गये।

श्री शिवनाथसिंह : इस हाउस के मेम्बर्स की कमेटी बना दी जाय उसमें कुछ अध्यापकों को भी ले लीजिये। वे आपको रिपोर्ट दें। उस कमेटी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको हम उचित समझें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर विचार करके युनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया जा सकता है इस पर विचार किया जायगा। आज युनिवर्सिटी के बारे में, जो कुछ भी वह खर्चा करती है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं इसके बारे में हम सतर्क हैं। युनिवर्सिटी की मैंटीनेंस ग्रांट को हम मीट आउट करते हैं। इसके बारे में हम युनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर से बात कर रहे हैं कि उनका काम करने का तरीका क्या है? हमारे जो कॉलेज हैं, उनमें कितना काम होता है और उसका क्या परिणाम होता है, यह हम देखते हैं। इसी तरह से हम युनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं कि उसका भी अच्छा परिणाम आये। युनिवर्सिटी में आज जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। हमें बड़ी सतर्कता से चलना पड़ेगा। हम अगर युनिवर्सिटी की ओटोनोमी के इन्क्रोज करने की कोशिश करेंगे तो यह ठीक निर्णय नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस सम्बन्ध में एक कमेटी के गठन की बात कही है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस कमेटी को आप ब्राड बेस्ड बनावें। उसमें ऐसे कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हैं जो युनिवर्सिटी लेवल के हों, जिनका बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा हो। इसमें एक तरह से सरकारी अधिकारी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको ब्राड बेस्ड बनावें तो इस कमेटी का कुछ परपज सर्व हो सकेगा वरना एक ब्युरोक्रेटिक रिपोर्ट आपके पास आ जायेगी और उसका कोई परिणाम नहीं आयेगा।

श्री शिवचरण माथुर : यह कमेटी काफी काम कर चुकी है और यह ज्यादा अच्छा होगा कि इसकी रिपोर्ट आने के बाद अलग-अलग तौर पर उस पर विचार करें। कोई न कोई निर्णय पर पहुंचे उसके पहले अलग-अलग शिक्षा शास्त्रियों के साथ उस पर विचार किया जा

(श्री शिवचरण माथुर)
सकता है। यह मैंने युनिवर्सिटी के बारे में निवेदन किया।

इसके अलावा यहां पर चर्चा की गई एडेड स्कूलों के सम्बन्ध में। यह कहा गया कि वहां पर कई तरह की अनियमितताएं होती हैं। टीचर्स को दिया कुछ जाता है और लिखाया कुछ जाता है। सरकार के जो नियम हैं उनका पालन नहीं होता है। जहां तक एडेड स्कूल का सवाल है हमें यह बात समझनी होगी कि राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जहां पर ९५% एज्यूकेशन में गवर्नमेन्ट सेक्टर है और ५% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जब कोई नई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के खोलने का सवाल आता है, तो यह देखा जाना चाहिये कि गवर्नमेन्ट इंस्टीट्यूशन में जो शिक्षा दी जा रही है, उसके अलावा कोई नई प्रणाली की शिक्षा दी जा रही है ? दरअसल होना यह चाहिये कि खास तौर के नये प्रयोग शिक्षा में वे करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये। श्री भगवानदासजी शास्त्री ने यह कहा कि गवर्नमेन्ट की ओर से एडेड स्कूलों को ज्यादा मदद मिलनी चाहिये क्योंकि उनके अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिल पाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडेड स्कूलों को सरकार की ओर से मदद देने के आधार दो हैं। एक आधार पर सरकार ऐसे स्कूलों को ६० प्रतिशत की सहायता देती है। अगर ऐसी संस्थाएं नये तरीके अपनाती हैं तो इसका लाभ होगा। दूसरा तरीका है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कि वे पैसा समाज से लावें। दानदाताओं से पैसा लाकर एक अच्छी चीज बनावें, परन्तु यह उद्देश्य पूरा नहीं होता। आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो दिक्कतें हैं, उनको समझते हुए भी हम सहायता नहीं कर सकते क्योंकि पैसे का अभाव है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी पैसे का अभाव है और उनकी इस दिक्कत को समझते हुए हमने यह निर्णय किया है कि १६७०-७१ के वर्ष में जो निजी संस्थाएं हैं उनकी ग्राण्ट-इन-एड का तरीका करण्ट इयर के बेसिस पर रखेंगे और इस निर्णय का इफैक्ट यह होगा कि करीब २० लाख रुपया शिक्षण संस्थाओं को अधिक मिलेगा में ग्रान्ट-इन-एड के रूप में हम यह अनुभव करते हैं कि इस निर्णय से इन शिक्षण संस्थाओं की आम तौर से जो दिक्कत है वह दूर हो जायेगी। हमने यह निर्णय किया है कि चालू वर्ष में जो कुछ खर्चा होता है उसके बेसिस पर ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है, और इस फैसले के कारण जहां तक उनकी आर्थिक समस्याओं का प्रश्न है वो हल हो जायेंगी। जहां तक अनियमितताओं का सवाल है हमारे नियमों में साफ जिक्र है, जहां तक पे-स्केल का सवाल है, राजकीय स्कूलों में जो पे दी जाती है वही वहां के शिक्षकों को दी जायेगी।। कोई निजी संस्था इससे नीचा पेमेन्ट करती है तो निश्चित रूप से उसकी ग्रान्ट-इन-एड रोक दी जाती है। जब तक कोई शिकायत न हो हम यही मानकर चलते हैं कि निजी संस्थाएं पूरा वेतन देती हैं। शिकायत होने पर कार्यवाही की जाती है....

श्री भैरोंसिंह : यह कानून उदयपुर की संस्थाओं पर लागू नहीं होता।

श्री शिवचरण माथुर : जहां हमारे नालेज में कोई बात आती है हम कार्यवाही करते हैं....

श्री भैरोंसिह : दुर्गाशंकर दुर्गावत का मामला है। क्या उस इंस्टीट्यूशन को आप ग्रान्ट-इन-एड देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री भैरोंसिह ; जिस व्यक्ति के ऊपर ४२० का मुकदमा चल रहा है, उसकी पैरवी करने के लिये सरकारी पैसे से, ग्रान्ट-इन-एड के पैसे में से सरकारी रकम खर्च की जा रही है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लोक सभा की पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की इस के बारे में रिपोर्ट है और उसके आधार पर ४२० का मुकदमा चल रहा है। क्या सरकार को इसका पता है ?

श्री शिवचरण माथुर : बहुत दिनों से सरकार अपने तौर पर ६०% पेमेन्ट कर रही है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा अपने तौर पर कर रही है?

श्री भैरोंसिह : ग्रान्ट-इन-एड इसलिये देते हैं कि इससे अध्यापकों को वेतन चुकाया जाय, स्कूलों में सुधार किया जाय या इस बात के लिये देते हैं कि यह पैसा श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत के मुकदमे को पैरवी करने के लिये खर्च किया जाये ?

श्री शिवचरण माथुर : इसके आप मुझे फैक्ट्स दें। अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस बात की जानकारी नहीं है। यह तो आपको जानकारी है कि श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत पर ४२० का मुकदमा चल रहा है।

श्री भैरोंसिह : और इसकी पैरवी करने के लिये जो खर्चा हो रहा है वह सरकार को ग्रान्ट-इन-एड में से किया जा रहा है। यह मामला इस सदन में उठाया गया है और फिर भी आप यह कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर आपको जानकारी करने का क्या तरीका है ?

श्री विजयसिंह : फिर तो उपाध्यक्ष महोदय, मांगें पास कर ली जायें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एडेड स्कूलों के सम्बन्ध में इसने जो फैसला किया है उससे इन संस्थाओं को काफी राहत मिलेगी। जहां अनियमितताएं होती हैं वहां पर हम कार्यवाही करते है, उसकी ग्रान्ट-इन-एड रोकते हैं। जहां तक विक्टेमाइजेशन का सवाल है, शिक्षा विभाग में किसी भी टीचर का हमने एक्सप्लाटेशन नहीं होने दिया है और हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। आज जहां अच्छी शिक्षण संस्थाओं को मदद देनी चाहिये वे आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में नये नये प्रयोग करें, यह बात हमारे दिमाग में साफ है। इनके अलावा बहुत-सी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो खराब चल रही हैं, तो उनको इस क्षेत्र से हटना होगा। इनके कारण पैसे की कमी के कारण अच्छी संस्थाएं सफर करें यह नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम दरअसल यह चाहते हैं कि जो संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है उनको हम एनकरेज करें और जो खराब काम कर रही हैं उनको हम डिस-

(श्री शिवचरण माथुर)

करेज करें। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एनकरेज और डिसकरेज करने के लिये आपके पास ग्रान्ट-इन-एड ही है....

श्री शिवचरण माथुर : आई एम कमिंग टू देट।

मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि हमारे ग्रान्ट इन एड के रूल्स में भी आज की हालत में परिवर्तन आवश्यक है। तो यह करके इसको सुविधाजनक करने की चेष्टा करेंगे तो मेरा विश्वास है कि खराब संस्थाओं को वाइन्ड अप करने की बात भी पूरी हो जावेगी।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार के बारे में अब मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। शिक्षा का फैलाव तो है पर उसका क्वालिटेटिव होना भी जरूरी है। इसके सम्बन्ध में भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। नये प्रयोग कुछ हमने किये हैं। सबसे पहला प्रयोग यह किया है शाला संगम के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। साधनों का व्यापक रूप से अभाव है। लेबोरेटरीज का अभाव है। टीचर्स का भी अभाव है, कमी है। हमने इस योजना को चलाया है। आठ-दस स्कूलें मिलकर समूह परिवार के रूप में काम करती हैं।

राजस्थान में आज करीब १०० स्कूलों में कम्पलेक्स योजना चल रही है। हमें मालूम है जितने कम्पलेक्स हैं वह अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं स्कूलों के इक्विपमेन्ट की भी कमी इससे दूर की गई है गुणात्मक सुधार भी इससे हुआ है।

हमने कालेज स्तर पर महाविद्यालय संगम का काम भी किया है कि अपने इक्विपमेन्ट का प्रयोग आसपास के कालेज स्कूलों को भी दें। यह ६९-७० के वर्ष से शुरू किया। इसका परिणाम भी अच्छा आया है। इस योजना के जरिये साधनों के अभाव की पूर्ति करते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में हम सफल होंगे।

शिक्षा के पैटर्न में एक बात महसूस की जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की। शिक्षा में कुछ ऐसी खामी है कि जिससे शिक्षित लोग नौकरी की तरफ भागते हैं। इसका दोष भी बतलाया। शिक्षा में कोई दोष इससे सम्बन्ध हो यह मेरी मान्यता नहीं है। शिक्षा में क्या दोष है अगर है तो वह साफ मालूम हो जावेगा। ज्ञान देने के लिये शिक्षा दी जाती है। पर समाज का जो मूल्यांकन करने की स्थिति है उनमें जो दोष हैं उसके कारण आज हर पढ़ा लिखा आदमी सोचता है कि पढ़ लिखकर अगर नौकर बन गया तो समाज में इज्जत होने वाली है। आज समाज में हाथ से काम करने वाले आदमी की इज्जत नहीं बढ़ेगी जब तक समाज उसको उस रूप में नहीं लेगा समाज के इस दृष्टिकोण का खराबी के लिये शिक्षा को दोष देना उचित नहीं होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा में आप क्या मौलिक परिवर्तन लाना चाहते हैं। समाज के मौलिक मूल्यों में परिवर्तन नहीं आवेगा तब तक शिक्षा में किसी प्रकार के परिवर्तन से भी लाभ नहीं होने वाला है।

टैक्निकल एज्यूकेशन की बात छोड़िये।

Page No 213

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय आदर्श उपस्थित करेंगे क्या इसके लिये । अगर राजस्थान के सारे शिक्षा मन्त्री यह भी कर दें कि वे अपने पुत्रों को पढ़ा लिखाकर किसी को भी नौकरी नहीं करावेंगे और हाथ से काम करावेंगे तो दुनिया के सामने आदर्श उपस्थित होगा । यह कन्वेंशन शुरू कराईये अपितमन्त्रीकेबिनेट से ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्षजी, हम यही तो कहते हैं कि समाज में मूल्य परिवर्तन लाने के लिये शिक्षा माध्यम बने । यही तो हम चाहते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : मौलिक मूल्यों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । पाली टैक्निक और टैक्निकल कालेजों का उदाहरण दूं । हाथ से काम करने वाली बातों में तो बेरोजगारी का सवाल नहीं रहा । शिक्षा के साथ में श्रम भी हम जोड़ रहे हैं इसका परीक्षण चल रहा है । आशा के अनुकूल उनका परिणाम भी आ रहा है । हम कोशिश करते हैं कि हर स्कूल में पढ़ने के साथ साथ कोई न कोई श्रम का काम भी शुरू किया जाय ताकि विद्यार्थी कुछ काम भी करने वाला बने । इससे एक तो विद्यार्थी काम करने की आदत में आता है और दूसरे उनको कुछ पैसा भी मिल जाता है तो उनको इन्सेन्टिव भी रहता है । श्रम और निष्ठा का वातावरण भी बनता है । यदि यह बात सारे राजस्थान की शिक्षा के पेटर्न में और देश के पेटर्न में चल निकले तो विश्वास से मैं कह सकता हूं कि हायर सैकण्डरी स्कूल पास करने के बाद विद्यार्थियों की जिस काम में दिलचस्पी होगी वह उसमें चला जावेगा और बेरोजगारी का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन कर रहा हूं आपका जहाँ तक सवाल है आप एक्स्ट्रीम पर हो सकते हैं । समाजवाद की बहुत बात की जाती है । पर हम समाजवाद का केवल नाम नहीं लेना चाहते हैं । हम तो यह मानते हैं कि समान व्यवस्था हर स्तर पर होनी चाहिये । ऐसी परिस्थिति में एक तरफ तो प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी दुर्दशा का हाल आप हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों को जिस लग्जरी से, शान से चलाया जा रहा है उनके बारे में आपको क्या कहना है । इसको आप कौनसा समाजवाद मानते हैं । केवल नारेबाजी से समाजवाद नहीं आ सकता । नारेबाजी से तो धोखा दिया जा सकता है । पर वह भी अधिक देर तक नहीं, जनता आपके इस नारेबाजी की पोल को भी समझ जावेगी ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं उसी पर आ रहा हूं । तो हमने चेष्टा यह की है । यह हमारा छोटा सा प्रयास है । हमने यह स्कूलों में कार्य निगम की योजना शुरू की है । जहां वेनिंग का, साबुन बनाने का, फाइलें बनाने का, चाकस्टिक बनाने का ऐसे ऐसे कई काम सिखाने लगे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आप एक काम और कर दीजियेगा । मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर अपने अपने लड़कों को साईकिल पर या रिक्शा तांगा में या पैदल स्कूल भेजे, सरकारी गाड़ियां इस काम में कतई नहीं लें । यह आदत आप उनके बच्चों की अभी से डालिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सरकारी मोटरों में इनके बच्चे जावें और सरकारी मोटरें इस काम में वे लें यह बहुत शर्म की बात है ।

Page No 214

श्री रामनारायण चौधरी : आप माफ करेंगे मैं अगर यह कहूं कि ये मिनिस्टरों के लड़के सरकारी गाड़ियों में बैठकर स्कूलों में जाते हैं तो दूसरे लड़कों में इससे इतनी भयंकर जलन हो रही है कि लड़कों का दिल विद्रोह कर रहा है। अगर समय रहते आप लोग इसको नहीं महसूस करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कल क्या होगा। वे लड़के अपने आप आपको पाबन्द करा देंगे। आप उनको उस हालत में फिर जबर्दस्ती सरकारी गाड़ियों में स्कूलों में भेजना भी चाहोगे तो नहीं भेज सकोगे। ऐसा हो जावेगा। अराजकता और असन्तोष को आप उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात तो मैं अपने पर लागू कर सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप अपने पर लागू कर लेंगे तो दूसरों को कह सकेंगे यह बिलकुल शर्म की बात है। राज के पैसे का भयंकर दुरुपयोग है। पर आप अपने तक ही सीमित नहीं रहिये। आप दूसरे को भी मजबूर करिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सबको ही क्यों लपेट रहे हैं। मेरा तो एक भी लड़का नहीं है ऐसा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये हैं कारनामे इनके, जो समाजवाद का ढोल पीटे जा रहे हैं बाहर तो और अन्दर से पूंजीवादी बने रहना पसन्द करते हैं अपने लड़कों को सरकारी गाड़ियों में स्कूल भेजने की बात भी बन्द नही कर सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : माथुर साहब आप घोषणा करिये कि अब तक आप मंत्री हैं आप अपनी कार से या किसी भी कार से अपने लड़कों को कॉलेज या स्कूल में नहीं भेजेंगे। साइकिल या रिक्शा या पैदल भेजेंगे।

श्री रामसिंह कुड़ी : राजा साहबों और नवाब साहबों से भी कहलाइयेगा।

श्री शिवचरण माथुर : तो शिक्षण के क्षेत्र में यह प्रयोग कर रहा हूं जो सफल हो रहा है. मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप इस प्रयोग को स्कूलों में आकर होता हुआ देखें। यदि यह प्रयोग पूरी तरफ से सफल हो गया तो मेरा विश्वास यह है कि यह शिक्षण के सारे स्ट्रक्चर को ही बदल देगा। आगे जाकर विद्यार्थियों में यह भावना आ जावेगी कि श्रम करना है और जैसा माननीय सदस्य श्री जगन्नाथजी ने बहुत बड़ी बात कही कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात आ जानी चाहिये कि कोई भी श्रम का काम भी मिल जावे तो उसे भी करने की चेष्टा खुशी खुशी करें तो इससे शिक्षा के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आ जावेगा।

पर आज यह माना गया है कि जो शिक्षा ली जावे उच्च या नीची उसके बाद केवल नौकरी करना ही हमारा काम रह जाता है। तो जब तक यह बात समाज में से नहीं निकलेगी तब तक शिक्षा के बारे में धारणा यही बनी रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : कितना काम किया आपने ? आपका मानना है कि इसका कारण यह है कि समाज के अन्दर खराबियां पैदा हो गई हैं कि जिसके कारण विद्यार्थी नौकरी की तलाश करता है। तो समाज की यह खराबी दूर करने के लिये और

Page No 215

(श्री भैरोंसिंह)
विद्यार्थियों को दूसरी अपोर्चुनिटीज दिलाने के लिये आपने अब तक क्या किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : दूसरे के कामों को सुपरवाइज करते हैं वे बड़े आदमी माने जाते हैं यह आज समाज को मान्यता बनी हुई है।

श्री भैरोंसिंह : इसको बदलने के लिए श्री आपने क्या किया है, आपकी सरकार ने क्या किया है ? इस परम्परा को बदलने के लिये आपने अब तक क्या किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह धारणा नहीं बनेगी तब तक यह स्थिति बनी रहेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जायगी कैसे, शिक्षा विभाग के जरिये ही तो जा सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आपने इस प्रकार का पत्र लिखा है कि अपने लड़के, लड़कियों को और रिश्तेदारों को अधिक से अधिक प्रवेश मिलता है। इस प्रकार का पत्र लिखा था क्या ?

एक माननीय सदस्य : क्या बात करते हो ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मजबूर करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके तो कोई लड़का, लड़की ही नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरी एक भतीजी है। वह रिवशे में जाती है उसको चेक कर लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा उत्साह दें तो यह प्रयास काफी प्रगति कर सकता है। इसमें काफी गुंजाइश है। योजना बना रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : प्रयास अपने पर ही करते हैं या सारे केबिनेट के लोग सहयोग दे रहे हैं। इसका प्रचार कौन करेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो स्कूलों व कॉलेजों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। कुछ न कुछ विद्यार्थी हाथ से काम करें वह मैं निवेदन कर रहा था।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पंचायत राज से यह शिक्षा हटा ली जाय तो शुरू से चलें ? इसके लिये कह रहा था आपने उस पर प्रकाश नहीं डाला।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर) : पंचायत राज से शिक्षा हटाने का क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हां, उनका राज्य छिन जाता है—जिला प्रमुख महोदय, हैं न। मास्टरों का ट्रान्सफर तो है ही।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय कृष्णकुमारजी गोयल ने कहा कि सरकार पब्लिक स्कूलों के बारे में क्या सोचती है ? मैं बता दूं हम अपनी ओर से उनको ग्रान्ट नहीं देते हैं। समाज में पैसे वाले और गरीब दोनों ही हैं। अगर पैसे वालों के लोग ज्यादा पैसे

(श्री शिवचरण माथुर)

देकर पढ़ते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है उनके लिये एम० जी० डी० स्कूल, सेन्ट जेवियर आदि स्कूलों की व्यवस्था है। वे संस्थायें पैसे वालों के बल पर चलती हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सेन्ट जेवियर और सोफिया क्या बुरी हैं ? ज्यादा चलनी चाहियें।

श्री शिवचरण माथुर : आप कह सकते हैं बाकी के समाज में जब तक गरीब और अमीर का भेद रहता है यह तो चलता रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या रैकरिंग और नॉन-रैकरिंग ग्रान्ट नहीं दी जा रही है ?

श्री शिवचरण माथुर : पिछले समय में दिया हो तो मुझे मालूम नहीं। अभी कोई नहीं दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ६ लाख दिया गया है, मुझे पूछ लीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात यहां पर कही गई कि इलेक्शन के दिनों में खास तौर से स्कूल खोलते हैं। मैं माननीय सदस्य को....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह सही है स्कूल आप इलेक्शन के दिनों में ही खोला करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खोलते कहां हैं, केवल घोषणा करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं चुनावों के दूसरे साल भी हमने ६२ सैकेन्डरी स्कूल खोले हैं, चार हायर सैकेन्डरी स्कूल खोले हैं और १६४ मिडिल स्कूल खोले हैं। १९६७-१९७० में बजाय इसके की हम और स्कूल खोलें हमने यह किया है जहां फिजिक्स और केमेस्ट्री है वहां साइन्स को पूरा किया जाय और जैसे वहां बायलोजी खोल दिया, कहीं पर जहां बोटेनी नहीं थी वहां बोटेनी की क्लासेज खोल दीं। हमने अभी १३ स्कूलों में बायलोजी खोली है। जो दूसरा वर्ष है और जैसे मैंने निवेदन किया और वित्त मंत्रीजी ने निवेदन किया जो हाई स्कूल में इम्बेलेन्स हो गई है उनको बेलेन्स में लाने का है।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन के पहले १९६६ और १९६१ देख लें और दोनों के फीगर बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : दो साल का जिक्र कर रहा हूं जहां तक प्रावधान है हो सकता है। हमने प्राथमिकता को देख लिया है। इस साल हमने निर्णय लिया मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खोलने के बजाय हाई स्कूलों में जो इम्बेलेन्स हो गये हैं उसको मिटाने का प्रयास किया है। तीनों ग्रुप्स में खोलने की बात है इसमें २५—२६ लाख रुपया खर्च होगा। तीनों ग्रुप्स में सैकेन्डरी स्कूल में ६० हजार का खर्च होगा, हायर सैकेन्डरी में सवा लाख डेढ़ लाख का आता है। इतने अधिक खर्चे का हम प्रावधान करते हैं तो यह बात नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पर हम स्कूल खोलने की बात करते हैं। कोई इलेक्शन आया और हमने स्कूल खोल दिये यह बात नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बयाना में ?

श्री शिवचरण माथुर : फिजिक्स और

(श्री शिवचरण माथुर)

केमेस्ट्री जहां है, वहां बोटेनी, ज्यूलोजी खोलने का निर्णय लिया है। नीचे के स्कूलों में ज्योग्राफी है और ऊपर नहीं है तो उसको देने की बात है। पोस्ट-ग्रेजूएट कॉलेज खोलने के बजाय उसको सम्पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। उसमें भी काफी पैसा खर्च करने की बात आती है। आप चाहते हैं मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में व पोस्ट-ग्रेजूएट कॉलेजों में नये सब्जेक्ट खोल दिये जायें यह एक साल में सम्भव नहीं है। हो सकता है यह प्रयास पांच साल में पूरा हो जाय लेकिन अब हम प्रायोरटी रख कर आगे बढ़ेंगे। जो निर्णय किया गया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। भरतपुर जिले को ले लीजिये; बहुत कम सदस्य आते हैं हमारे वहां से, वहां भी हमने स्कूल और कॉलेज खोले हैं। यह बात नहीं है। जैसलमेर से हम चुनकर नहीं आये लेकिन हमने वहां भी कॉलेजेज खोलने की सोची है।

श्री भैरोंसिंह : जिला हैडक्वार्टर है। जिले का केवल एक ही हैडक्वार्टर है एक भी कॉलेज नहीं है इसलिये यह बात है कि जैसलमेर में भी खोलना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे दिमाग में यह बात नहीं है कि राजनीति के आधार पर और चुनावों के टाइम पर स्कूल, कॉलेज खोलें। मैं समझता हूं इससे आपका भ्रम दूर हो जायगा। इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा हमारे यहां मिडिल स्कूल खोलने चाहियें, हाई स्कूल खोलने चाहियें। मैं अभी अलग-अलग स्कूलों के बारे मे कहने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन एक बात कह सकता हूं कुछ न कुछ आधार बनने पर ही हम स्कूल खोलते हैं, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपको प्लान से स्पष्ट मालूम हो जायगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जहां शिक्षा का साधारण फैलाव होता है उसके अलावा कुछ ऐसी योजना ली है जिसमें कुछ स्कूलों के लिये भवन निर्माण का कार्य, इक्विपमेंट के लिये पूरा प्रावधान आदि इस कमी को दूर करने के लिये हमने इस बात को तय किया।

प्राथमिक शिक्षा में २४ लाख रुपया हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा है। इसमें जो कुछ बिल्डिंग है, इक्विपमेंट्स हैं उसमें मदद करेंगे। और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में १० लाख का प्रावधान किया है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा में आपने देखा होगा कि सुविधाओं के लिए १० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। शिक्षण संस्थाओं के अनुदान के लिए २५ लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है और यह इस बात के प्रयत्न हैं कि जो चाहे इक्विपमेंट्स के लिए हो चाहे भवनों के लिए हो बहुत बड़े पैमाने पर खर्च नहीं कर पायेंगे लेकिन यह प्रयत्न जरूर करने की कोशिश की है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके जो बुरी हालत स्कूलों की है उनमें कुछ सुधार ला सकें। और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस पैसे को इस आधार पर खर्च करना चाहते हैं कि पब्लिक को-ऑपरेशन भी हम लें ताकि जितना पैसा सरकार ने रखा है कम से कम उतना ही पैसा समाज से मिल जाये तो जितना फायदा हम आज चाहते हैं उससे ज्यादा मिल सकता है। इसके अलावा जहां तक बिल्डिंग का सवाल है हमने निश्चय किया है कि आज बहुत सा पैसा स्कूल और कॉलेजों में बोयज फण्ड के नाम से लाखों रुपया पड़ा है और वह उपयोग में नहीं आता था तो उसको इसमें उपयोग में ले आयें....

श्री भगवानदास शास्त्री : बहुत से खा गये।

श्री शिवचरण माथुर : गवर्नमेंट स्कूल में तो खाने का सवाल ही नहीं है। हमने फैसला किया है कि १९६९-७० तक के जितने भी बोयज फन्ड में एकुमुलेशन है और विद्यार्थी परिषद् के लोग यह प्रस्ताव पास करके भेजें कि उन रुपयों को स्कूल की बिल्डिंग में खर्च कर दिया जाये तो उसके लिए सरकार इजाजत देगी....

श्री भैरोंसिंह : यह तो कोई भी हैड-मास्टर लड़कों को बुलाकर विद्यार्थी यूनियन से भी लिखवा लेगा। कम से कम यह पाप तो आपके हाथ से नहीं होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो रुपया अनयूटीलाइज्ड पड़ा हुआ है। कई कई जगह पर तो पचास हजार रुपया पड़ा है...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पड़ा है तो आप प्ले-ग्राउन्ड बनाओ या कुछ और बनाओ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार सेठ लोगों से सम्पर्क रखे तो अभी भी बहुत दानी हैं और स्कूल बिल्डिंग के लिये काफी पैसा मिल सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बोयज फण्ड का रुपया बिल्डिंग में लगाते हैं तो वह तो लगाना ही चाहिये नहीं तो फिजूल इधर-उधर हो जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माउन्ट आबू की ब्लाइन्ड स्कूल है उसके लिए आपने क्या किया? गुजरात सरकार उसको सहायता देती है। राजस्थान के अन्दर माउन्ट आबू है उसके लिये राज्य सरकार ध्यान नहीं देती। वहां तकनीकी शिक्षा दी जाती है, उनको नौकरी किस प्रकार से देंगे?

श्री शिवचरण माथुर : एक-एक स्कूल के लिये कहना तो मुश्किल होगा लेकिन अच्छे स्कूलों को मदद देने वाली बात के लिए मैंने निवेदन किया और अच्छे स्कूलों को मदद देंगे, यह मैंने पहले निवेदन किया है।

अंत में शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि जो राज्य सरकार का और शिक्षकों का सम्बन्ध है उसके लिए हमने कोशिश की है कि हमारे और उनके मधुर सम्बन्ध रहें और अधिक से अधिक हम चेष्टा करेंगे कि हम टीचर्स को भी उनके मामलों में इनवाल्व करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में परिवर्तन करने की बात आये हर क्षेत्र में टीचर को इनवाल्व करना चाहिये। आज शिक्षक और सरकार के सम्बन्ध मधुर हैं। कोई भी बात होती है तो हम आपस में बात करके कर लेते हैं और कोशिश यही होती है कि उसका समाधान आपस में निकल जाये। इसको न केवल राजस्थान के बल्कि दूसरी जगह के लोग भी स्वीकार करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो भी आपने बहुत सी बातें कहीं और जैसी कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यहां व्यवस्था दी है अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय मंत्री जी एक बात क्लियर कर दें कि जो गूंगे और बहरे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री भगवानदास शास्त्री : एडेड स्कूल के जो शिक्षक हैं अजमेर के उनका हाउस

(श्री भगवानदास शास्त्री)
रेन्ट रोक रखा है उसके बारे में क्या कहना है ?

श्री शिवचरण माथुर : अजमेर में हाउस रेन्ट मिलता था और दूसरी जगह नहीं मिलता था इसलिए एक जगह इम्बेलेन्स था। तो उसकी एक प्रकार से सारे राजस्थान में ही सुविधा नहीं थी इसलिए अजमेर में भी देना असुविधा थी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: कई ब्लाइण्ड बी. ए. और एम. ए. पास हो चुके हैं उनको कहां एडजेस्ट कर रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों का सवाल है यदि आप लोग चाहें और कटौती प्रस्तावों का उत्तर मांगें तो मैं उनको भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि इन मांगों को आप स्वीकार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और वह यह है कि राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है अलग-अलग उसके संशोधन के लिए एक कमेटी बनाई। कानून में संशोधन करने का अधिकार संविधान के अन्तर्गत विधान सभा को है और जब विधान सभा को यह संशोधन करने का अधिकार है तो या तो विधान सभा में इस प्रकार का राज्य सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करती, सिलेक्ट कमेटी को प्रश्न जाता और यह अधिकार डेलीकेट किये अलग कमेटी को और उस कमेटी को डेलिकेट किया कि राज्य सरकार को सुझाव भी दें मानो तो उसमें विधान सभा का किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं रखा, न तो सरकारी पक्ष का और न विरोधी पक्ष का। हमने रैग्यू लाज बनाये और उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए हमने इस हाउस का रिप्रेजेन्टेशन रखा था लेकिन आज राजस्थान के विश्वविद्यालय में जिसके ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, उसमें क्या संशोधन हो उसका सुझाव देने के लिए राज्य सरकार के समक्ष मैं समझता हूं उस समिति में इस सदन का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखा यह हाईली ओब्जेक्शनेबल बात है और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इसके अन्दर हमारा तो प्रतिनिधित्व कुछ होना बहुत आवश्यक है।

कुछ माननीय सदस्य : कुछ नहीं पूरा होना चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : मैं एक जानकारी और चाहूंगा कि अभी एडेड स्कूलों के लिए आपने कहा। सबसे अधिक अध्यापकों का शोषण इन एडेड स्कूलों में यह होता है कि शिक्षकों को निकाला जाता है। क्या आप यह मानते हैं कि जो सर्विस के निकालने के रूल्स सरकारी स्कूलों के हैं, वही वहां पर लागू होने चाहिएं ? स्कूल वाले डायरेक्टर को अपनी शिकायत भेज दें और अध्यापक को रखा जाये या नहीं रखा जाये उसके लिए निर्णय फिर इन्सपेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर करे। अभी क्या होता है कि मैनेजमेन्ट निकालता है और उसको अपील होती है। मैं कहता हूं कि निकालने का अधिकार जैसा सरकारी अध्यापकों के लिए है वही इन एडेड स्कूल के अध्यापकों के लिए होना चाहिये। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के लिए आप भी दुःखी हैं और सभी इससे दुःखी हैं और जब सब तरफ से मांग आ रही है तो

(श्री शिवनाथसिंह)

इसमें सुधार लाने के लिये आप एक कमेटी की स्थापना क्यों नहीं कर देते ? इसमें आपको क्या एतराज है ? इसके लिए आप सदन की कोई कमेटी बैठाइये और जो उस कमेटी की राय आएगी वह बहुत कीमती होगी।

श्री भैरोंसिह : आपने अपने भाषण में एक बात भूल से रखी है या जानबूझ कर छोड़ी गयी है। राजस्थान सरकार ने इस बार छात्रवृत्ति बन्द की और कोई श्रेणी के छात्रों को नहीं मिलेगी और राजस्थान सरकार को घाटा हो रहा है उसके लिए यह कारण बताया। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति जो पहले मिल रही थी उसमें आपने कितनी कमी की और आगे किस प्रकार की कमी बनी रहेगी या छात्रवृत्ति देने के बारे में आपने कोई नयी नीति निर्धारित की है ?

(१ म. प.)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री रामनारायण चौधरी : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न मेरा है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राज्य में जो आज जाति के आधार पर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं या बोर्डिंग हाउस चल रहे हैं, जो कि जातीयता के आधार पर चल रहे हैं। ऐसे जो शिक्षा के प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स है जिनको सरकार अनुदान देती है, ऐसे बोर्डिंग हाउस चल रहे हैं जिनको अनुदान देती है, तो क्या राज्य सरकार यह निर्णय लेगी कि यह अनुदान इन्हें बन्द कर दिया जाय ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री शीशराम पूनिया : जाति के आधार पर युनिवर्सिटी भी है तो छोटी सी चीज को क्या बन्द करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : यहां पर यह चर्चा उठाई गई है शिक्षा मन्त्रीजी ने अपने जवाब में और यह वाक्य कह कर अपना भाषण समाप्त किया है कि वह इस बात पर बड़ा वजन देते हैं कि कॉलेज एज्यूकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में सामान्य क्राइटेरिया एडाप्ट किया जाय। इस बात पर वे वजन देते हैं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह भी एक विशेष वर्ग की इच्छा है कि उनमें ८५ प्रतिशत लोगों को शिक्षा प्राप्त करने से महरूम रखा जाय। इस प्रकार के नाटक, इरादे या मन्सूबे किसी के भी हों अब यह ८५ प्रतिशत आबादी उसको बरदाश्त नहीं करेगी और यह नहीं होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए वे करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री बिरदाराम : उपाध्यक्षजी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लड़कों को सहायता का पैसा मिलता है। वे फर्स्ट डिविजन में पास होते हैं तो उन्हें फर्स्ट डिविजन में पास होने का इनाम नहीं मिलता है। उनसे कहा जाता है कि या तो सहायता का पैसा ले लो या इनाम ले लो। वे लड़के फर्स्ट डिविजन में आते हैं तो उनको फर्स्ट

(श्री बिरदाराम)

डिविजन का इनाम मिलना चाहिये वह तो उनको मिले। अगर फर्स्ट डिविजन का इनाम नहीं मिले तो शेड्यूल्ड कास्ट के हैड से जो उसको सहायता मिलती है वह तो मिले। अगर फर्स्ट डिविजन का इनाम नहीं मिले तो उन लड़कों की पढ़ने में रुचि कैसे रहेगी ? फर्स्ट डिविजन का इनाम जो दूसरी कास्ट का हो उसको भी मिलता है तो शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के को जो सहायता देते हैं वह सहायता तो मिलनी ही चाहिये उसके साथ में उसको इनाम भी मिलना चाहिये। वह सहायता समाज कल्याण विभाग देता है। यह जो उन लड़कों के साथ व्यवस्था है वो यह लड़कों के साथ में सरासर अन्याय है। शिक्षा मन्त्रीजी इसका जवाब दें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछूंगा पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में कि पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में एनाउन्स किया गया है कि राजस्थान के अन्दर वे शिक्षा देते हैं तो वहां से शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति गवर्नमेन्ट सर्विस में जाते हैं तो आप उनको क्यों एड देते हो...

श्री शिवचरण माथुर : किन को ?

श्री दिग्विजयसिंह : पब्लिक स्कूल को मध्य प्रदेश में सहायता मिलती है तो यहां पर यह डिफरेन्स क्यों है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम तो पब्लिक स्कूल बन्द करना चाहते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके एडेड स्कूलों में भ्रष्टाचार होता है और वहां पर एक पैसे का गबन भी नहीं मिलेगा।

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य जो पब्लिक स्कूल को बन्द करने की बात करते हैं वे एक दिन भी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : वहां पर आज तक किसी प्रकार के आन्दोलन नहीं हुए हैं और किस तरह का अनुशासन पब्लिक स्कूल में मिलता है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके लड़के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हैं। यह वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की बात है और आन्दोलन होगा उनके खिलाफ।

श्री विजयसिंह : पब्लिक स्कूल के मायने में आपको ए. बी. सी. का भी पता नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य पब्लिक स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं तो वे अब भी ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि विद्यार्थी-विद्यार्थी में भेद हो। एक लड़का तो कार पर चढ़ कर स्कूल जाय और दूसरा लड़का पैदल जाय तो यहां भी वही हालत होने वाली है जो बंगाल की हुई है जहां कि आज भी फायरिंग हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह हालत राजस्थान में लाना चाहते हैं। इसलिए पब्लिक स्कूल्स को निर्णय लेकर बन्द कर देना चाहिये।

श्री दिग्विजयसिंह : वहां पर सरकार का उत्तरदायित्व जो था वह उसको सम्हाल नहीं सकी। पब्लिक स्कूल में पढ़ने से कुछ नहीं होता है।

श्री विजयसिंह : बंगाल में इसलिए हुआ है कि वहां पब्लिक स्कूल से सीखे हुए नहीं थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मन्त्रीजी से एक प्रश्न

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो विद्यार्थी विशेष ट्रेनिंग के लिये या उच्च शिक्षा के लिये कोई दो साल के लिए; कोई पांच साल के लिए बाहर गये हैं वे अयोग्य घोषित होने के कारण बीच में आ गये तो वे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बीच में आ गये और उनका सिलेक्शन किसने किया ?

श्री जगन्नाथ पटेल : उपाध्यक्षजी, मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कन्ट्रोल के विषय में छात्रों का कसूर नहीं है। जहां पर विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां पर उनके गुरु जैसा करते हैं वे करते हैं। तो जितना कसूर है वह शिक्षा देने वालों का है इसलिये जो युनिवर्सिटी के प्रधान हैं उनको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्षजी, मेरा यह निवेदन है कि जब आपने यह फरमाया कि ६४ परसेन्ट प्राथमिक स्कूलों में होता है उसको बचाने के लिये क्या सोच रहे हैं। आपने बताया कि पंचायत समितियों में स्कूल अच्छे चल रहे हैं या आप शिक्षा विभाग में उनको ले लेंगे तो अच्छे चलेंगे तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, यहां पर यह बात कही गई है कि जो कमेटी बनी है उसमें पहले विधान सभा का कोई भी मेम्बर नहीं रखा गया है। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मि. बरकतुल्ला सुनते हैं। Listen him what is he saying.

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नवाब साहब !

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम सुनना चाहते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप बहुत शोर-गुल मचा रहे हैं और हमें कहना चाहते हैं ...

श्री भैरोंसिंह : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप में गर्मी क्यों आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो रही है। जब तक विधेयक नहीं आये तब तक मेम्बर बनाने का सवाल नहीं आता है। मैंने निवेदन किया है कि इस कमेटी ने काफी काम कर लिया है। यह एक तरह से फाइनल स्टेज पर है। वह अपनी रिपोर्ट देने की स्थिति में है।

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य के बोलने पर) आर्डर प्लीज !

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर चर्चा करके विधेयक पास होगा तो उसमें आपको अवसर मिलेगा और जो कुछ सुझाव आप देना चाहें दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह बिल्कुल ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : दूसरी बात माननीय शिवनाथसिंह जी ने एडेड स्कूलों के स्टाफ के सम्बन्ध में उनकी सर्विस के

(श्री शिवचरण माथुर)

कन्टीनुएशन के बारे में कोई गारन्टी नहीं हैं। ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स में इस तरह का प्रावधान है कि अगर कोई गलत तरीके से स्टाफ के बारे में किसी को निकाला जाय तो वह अपील डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन को कर सकता है और डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन के बाद में सैकण्ड अपील गवर्नमेंट में लाई जा सकती है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि आज तक इस तरह के केसेज हुये हैं तो शिक्षकों को विक्टेमाइज नहीं होने दिया है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। अगर कोई ऐसी बात सामने आती है तो महरबानी करके मुझे बताइये मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Grant in-aid rules are not statutory rules. They have got no binding force. किसी ने चैलेन्ज कर दिया तो ये रूल्स धरे रह जायेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : कौन कर देगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ग्रान्ट-इन-एड में जो प्रोवीजन रखा है तो किसी कानून के तहत नहीं रखा है और उनका कोई कानून नहीं बना हुआ है जिसके अन्तर्गत आपको यह अधिकार दिया गया हो। ग्रान्ट-इन-एड देने का आपका अधिकार है। आपने फर्स्ट अपील में ऑर्डर दे दिया, सेकण्ड अपील में ऑर्डर दे दिया तो आपके ये ऑर्डर धरे रह जायेंगे अगर चैलेन्ज कर दिया किसी मैनेजमेन्ट ने कोर्ट में जाकर तो।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो कर सकते हैं उसकी ग्रान्ट-इन-एड रोक सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आपके हाथ में है।

श्री शिवनाथसिंह : इसमें ऐसा रख दें। Subject to the approval of the competent authority यह रख दें। अभी तो आप यहां पर सशक्त-व्यक्ति हो इसलिए आपने अध्यापकों की सुन ली। दूसरा आपकी जगह आ सकता है वह नहीं सुनेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : आपने मेरी बात सुनी होती तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने निवेदन किया कि इसमें काफी सोच कर ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स हैं। उनमें ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं और परिवर्तन हम करेंगे।

श्री देवीदत्त गाडिया : छात्रवृत्ति के बारे में ?

श्री शिवचरण माथुर : भैरोंसिंहजी ने छात्रवृत्ति के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें चेंज हमने ऐसा किया है कि पहले नीड-कम-मैरिट बनाया था, अब उसमें परिवर्तन करके आमदनी का आधार बनाया है और गरीब को पहले देने की बात की है। इसमें बयांलीस सौ रुपये की आमदनी का आधार बना कर चलना चाहते हैं और जो विद्यार्थी आ जाते हैं उनको आमदनी के आधार पर देने की बात करना चाहते हैं। पहले यह था कि किसी विद्यार्थी का फर्स्ट क्लास आ गया तो भले ही उसको अधिक पैसा मिलता हो, उसके

(श्री शिवचरण माथुर),

मां-बाप की आमदनी अधिक हो तो भी उसको छात्रवृत्ति मिल जाया करती थी। अब उसको कम करके बयांलीस सौ रुपये का आधार बना कर चलना चाहते हैं। यह जो आधार बनाया है, मैं समझता हूं, यह अच्छी बात है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : स्कॉलरशिप के बारे में, जो विद्यार्थी विदेश जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय मेहताजी ने कहा वेस्टेज के बारे में। वेस्टेज के लिए हमने उपाय किया है कि पंचायत समिति में स्कूलों में री-एडजस्टमेंट किया जाय और शहरों में शिफ्ट आवर्स स्कूल चलाये जायं जिससे उसी कैपेसिटी में ज्यादा से ज्यादा लड़के स्कूल में आयें। ऐसा करके इस समस्या को सोल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड क्लास के लिए शिफ्ट आवर स्कूल चलना चाहते हैं और पंचायत समिति में री-एडजस्टमेंट करके इस समस्या को सोल्व करना चाहते हैं।

जहां तक पंचायत समिति से शिक्षा को लेने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की प्रकृति कुछ ऐसी हो गई है कि हम बुराई को हाई लाइट करके देखते हैं। थोड़ी सी भी कहीं बुराई है तो उसको हाई लाइट करते हैं। कहीं पर किसी प्रधान ने किसी अध्यापक के साथ में ज्यादती की है, कहीं पर किसी सरपंच ने किसी अध्यापक के साथ ज्यादती की है तो सारी शिक्षा प्रणाली पर, सारी शिक्षा की पद्धति पर लांछन लगाया जाता है। यह बात सही नहीं है। लेकिन यह बात एक तथ्य है कि पंचायत के हाथ में शिक्षा देने के बाद में पब्लिक को-ऑपरेशन का जितना मोबिलाइजेशन हुआ है उतना स्टेट सेक्टर के हाथ में जब था तब नहीं हुआ था। गांव-गांव में लोगों ने अपना पैसा देकर स्कूल बिल्डिंग्स बनाई हैं जब कि पंचायत राज के पहले गांवों में स्कूल बिल्डिंग्स बनते हुए हम लोगों ने नहीं देखी थीं। तो यह जो अचीवमेंट किया है यह अचीवमेंट बहुत बड़ा है। मैं यह मानता हूं कि कुछ खराबी इसमें हो सकती है, उन खराबियों को मिटाने की बात हो सकती है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की थी और उस घोषणा के अनुरूप एक भंडारी कमेटी का निर्माण भी हुआ था। उस भण्डारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है और इस बात का प्रयास किया है कि क्वालिटी एक्सपेंशन होना चाहिए। अब क्वालिटी में कैसे सुधार आना चाहिए और सुधार लाने के लिए क्या किया जाय, यह गवर्नमेंट के सोचने और करने वाली बात होगी। मेरा इसलिए यह विचार नहीं है कि पंचायत राज से शिक्षा को वापस ले लें। इससे और अधिक खराबी आ सकती है। मैं इसलिए नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जहां बुराई है उस बुराई के बारे में कहें जरूर लेकिन इतना हाई लाइट उसको न करें कि जिससे थोड़ी बुराई भी शिक्षा के विकास में बाधक बन जाय। तो इस सम्बन्ध में जो कठिनाई है, वह मैंने आपको बताई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, हिअर-हिअर !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, उस

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमारे बहुत से प्रश्न रह गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया है।

कई माननीय सदस्य : बैठिये-बैठिये।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस प्रकार का वातावरण है, आज के इस वातावरण से ऐसा हो सकता है कि विद्यार्थियों के परीक्षा में बैठने में बाधा पड़ेगी....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आॅर्डर प्लीज ! आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार का राजस्थान विश्वविद्यालय में वातावरण आज है, उससे हमें आशंका है कि परीक्षा में विद्यार्थियों के बैठने में बाधा पड़ेगी। आज भी, हंगर स्ट्राइक चल रही है, उस हंगर स्ट्राइक के मेरिट के प्रश्न को छोड़ कर क्या शिक्षा मन्त्रीजी यह आश्वासन दे सकते हैं कि विद्यार्थियों के परीक्षा में बैठने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी, परीक्षा के दिनों में किसी प्रकार की स्ट्राइक नहीं होगी ?

श्री विजयसिंह : उसमें शिक्षा-मन्त्रीजी क्या कर सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिक्षा मन्त्रीजी क्या आश्वासन देंगे। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थिति से यदि आप चिन्तित होते तो इस समस्या को इस सदन....

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस विश्वविद्यालय का प्रधान है उसको परीक्षा के दिनों में विश्वविद्यालय में नहीं रखना चाहिये। उसको वहां से हटा देना चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है वह मैंने शिक्षा मन्त्रीजी से पूछा है। माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो वह बाद में कह दें। मैं आपसे जवाब भी नहीं चाह रहा हूं और आप जवाब देंगे भी तो आपके जवाब से कुछ समस्या का हल नहीं होगा।

श्री विजयसिंह : कैसे नहीं होगा ?

श्री शिवनाथसिंह : शिक्षा मन्त्रीजी जवाब दे दें उसके बाद में आप कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने प्रश्न पूछा है शिक्षा मन्त्रीजी से, वह प्रश्न यह है कि जातीय आधार पर प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेन्ट असिस्टेंस, नब्बे पर्सेन्ट एड दे रही है। और उसी प्रकार से जातीय आधार पर बोर्डिंग हाउस चल रहे हैं और उनको भी गवर्नमेन्ट मदद दे रही है, मैं समझता हूं कि यह सेकुलर पॉलिसी के अगेन्स्ट है। क्या गवर्नमेन्ट सेकुलर पॉलिसी के अनुसार इन्हें अनुदान देना बन्द करेगी या नहीं ?

Page No 226

श्री शिवचरण माथुर : सुनिये । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह पर एपरेंटली दिखता यह है कि यह जैन स्कूल है, यह माहेश्वरी स्कूल है, यह सनातन धर्म स्कूल है । ये स्कूल हैं इनके अन्दर मूल आधार यह हुआ करता है कि जो उसकी मैनेजमेन्ट कमेटी है उनसे एक पर्टीक्यूलर कम्युनिटी से पैसा लेकर स्कूल बना दिया है या उसको अधिक इन्विस्टड कर दिया है । लेकिन जो ग्रान्ट-इन-एड के रूल्स हैं उनमें साफ प्रावधान है कि मैनेजमेन्ट कमेटी में पर्टीक्यूलर कम्युनिटी के सदस्यों की संख्या इससे ज्यादा नहीं हो सकती है । इस प्रकार कम्युनिटी का स्वरूप उसके स्ट्रक्चर में नहीं है, नाम से भले ही मालूम हो कि यह जैन स्कूल है, यह माहेश्वरी स्कूल है । लेकिन सारे स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें यह देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उसके आधार पर पब्लिक का कोआँपरेशन मिल जाता है और कम्युनिटी के आधार पर स्कूल के लिये बिल्डिंग मिल जाती है । तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है । किसी स्कूल में कम्युनिटी स्ट्रक्चर नहीं आये, इस बात की हम सावधानी रखते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री शिवनाथसिंह : शिक्षा मन्त्रीजी मेरे प्रश्न का जवाब दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें । चर्चा समाप्त हुई ।

श्री शिवनाथसिंह : चर्चा समाप्त नहीं हुई है क्योंकि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

श्री शिवचरण माथुर : आप इजाजत दें तो आपके सवाल का जवाब दे दूं ।

श्री विजयसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्ट्राइक नहीं हो तो स्ट्राइक बन्द करना मन्त्रीजी के हाथ में है नहीं ।

श्री शिवनाथसिंह : मैं यह कहता हूं कि जो लड़के परीक्षा देना चाहते हैं जो परीक्षा देने वाले छात्र होंगे उनके सामने कोई बाधा नहीं होगी । इस बात का आश्वासन शिक्षा मन्त्रीजी नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या स्थिति हो । आज की स्थिति है, उसमें कहीं पर परीक्षा में बाधा आये, ऐसी परिस्थिति नहीं है । मैंने यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी से भी पूछा तो मुझे बताया गया है कि कहीं परीक्षा में बाधा आये, ऐसी बात नहीं है । आगे स्थिति क्या हो, इस बारे में क्या कह सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : होम मिनिस्टर से पूछें ।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । विधि मन्त्रीजी !

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खाने के समय के बाद भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं । इसलिये मुझे डर लग रहा है कि मैं माननीय सदस्यों और खाने के बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूं.....

श्री भैरोंसिंह : ऐसी विधि बतायें जिससे जल्दी से जल्दी चले जायं।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके अन्दर मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं।

न्याय के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है उससे यह स्पष्ट है कि सब माननीय सदस्यों के दिमाग पर इस बात का वजन है कि न्याय सस्ता मिलना चाहिये और न्याय जल्दी मिलना चाहिये। इसमें न कोई पार्टी का सवाल है और न पक्ष का, लेकिन न्याय सस्ता और जल्दी दिलाने के अन्दर दो तीन चीजें आती हैं, जो न्याय को महंगा करती हैं, उसमें दो कम्पोनेन्ट हैं—एक तो कोर्ट फीस है और दूसरी वकील की फीस है। उससे बढ़ कर कई दफा यह होता है कि आफिसरों की वजह से यह चीज सामने आती है। तो इसके लिए सब लोगों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसके अन्दर मैं माननीय नाहर साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक नई चीज सामने रखी है कि जो हमारा प्रॉपर्टी का कन्सेप्ट है उसकी वजह से हम नीचे के लेवल पर बड़ी कीमत के मुकदमे नहीं ले जाना चाहते हैं। इसके अन्दर इसलिए कुछ दिक्कतें हो रही हैं। मैं नाहर साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरे तरीके से, जो उन्होंने सुझाव दिया है, उसको समझूंगा समझ कर हाईकोर्ट से डिस्कस करूंगा और रास्ता निकल सकता है तो निकालूंगा।

यहां पर बात करते हुए यह भी कहा गया कि कोर्ट के अन्दर कई मिनिस्टर इन्टरफियरेन्स कर सकते हैं....

श्री विजयसिंह : कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विश्वास दिलाता हूं न मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और न मुन्सिफ मिनिस्टर के नीचे है, न मिनिस्टर उनका ट्रान्सफर कर सकता है, न मिनिस्टर पोस्टिंग कर सकता है, न किसी तरीके से मिनिस्टर का उन पर अधिकार है, जब से मैं लॉ मिनिस्टर बना हूं...

श्री विजयसिंह : होडवाना में हो रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं विश्वास दिला सकता हूं कि पोस्टिंग, ट्रान्सफर और प्रोमोशन—सारे के सारे का अधिकार हाई कोर्ट के अन्दर है...

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यकीन दिलाता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यकीन दिलाते हैं लेकिन जो आर० ए० एस० व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका हाई कोर्ट करता है ...

श्री बरकतुल्ला खां : आप सुनिये मैं जवाब दे देता हूं।

वह जब तक जुडिसियरी में रहेंगे तब तक जुडिसियरी के द्वारा उनके प्रोमोशन आदि होंगे, लेकिन जब वह जुडिसियरी के बाहर आयें तो यहीं पर कार्यवाही होगी। जब तक उन्होंने वहां काम किया है, एज जुडिशियल ऑफिसर तब तक उनकी सी० आर० हाई कोर्ट ही लिखेगा। इसलिए यह समझना कि उनका हाई कोर्ट के बाहर जुरिस्डिक्शन है—वह ऐसी बात नहीं है। मैं एक और चीज बताता हूं

(श्री बरकतुल्ला खां)

हाई कोर्ट भी अपनी जगह पर जागरूक है और गवर्नमेन्ट हाई कोर्ट के साथ में कोआॅपरेट कर रही है। अभी हाई कोर्ट ने जो प्री-मेच्योर रिटायरमेंट के लिए कहा था उसको गवर्नमेन्ट ने मंजूर किया है। और हाई कोर्ट को हमने सुझाव दिया है और जानना चाहते हैं कि जहां-जहां आप इन्क्वायरी कर रहे हैं, जहां-जहां जिस स्टाफ के लिए, कि ये लोग करप्ट प्रेक्टिस कर रहे हैं, करप्ट कहलाते हैं, आप खुद इन्क्वायरी करके सेटिसफाइड हो जायं और जिन लोगों को रिटायर करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट आपका साथ देगी।

इसलिए करप्शन को मिटाने की तरफ हाई कोर्ट ने कदम उठाये हैं और गवर्नमेंट उसके साथ को-आॅपरेट कर रही है।

श्री भैरोंसिह : पहली बार।

श्री बरकतुल्ला खां : जब-जब कदम उठाये हैं तब-तब को-आॅपरेट किया है। जुडिशियरी में लीस्ट इन्टरफियर करना चाहिये, यह गवर्नमेंट मानती है....

एक माननीय सदस्य : करना ही नहीं चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : जो कान्स्टीट्यूशनल जिम्मेदारियां हम पर हैं, किसी स्टेज पर बात करते हैं, समझदारी के तरीके से बात करते हैं, लेकिन इन्टरफियरेंस करने का तो सवाल ही नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : किन-किन का प्रि- रिटायरमेंट किया है ?

श्री भैरोंसिह : इसका क्रेडिट राजस्थान सरकार को नहीं लेना चाहिये। जगतनारायणजी को इसका क्रेडिट देना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : सदन इसके लिये तो जरूर जनरस होगा कि अगर राजस्थान गवर्नमेंट चाहती तो डिले कर सकती थी, डिनोवो देखेंगे, ऐसा कह सकती थी। पर राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था हाई कोर्ट को कि जहां-जहां आप करप्शन को मिटायेंगे, इसके लिये स्टेप उठायेंगे हम उसमें आपका साथ देंगे।

श्री भैरोंसिह : पहले नहीं कहा था क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : जिस रास्ते पर आप मुझको ले जाना चाहते हैं, उस रास्ते पर मैं जाने को तैयार नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट की बात आपकी समझ में आ गई पर दामोदरजी को बेरी कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करने की समझ में क्यों नहीं आती ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक अपोइन्टमेंट का सवाल है, ७० जगहों की कमी थी, उसमें से ३० जगहों की पूर्ति करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दिया है, ५ जगहों के लिये और लिखा है वे भी पूरी हो जायेंगी। ३० पोस्ट्स का प्रश्न था उसमें पहले रिट पिटीशन में चले गये इसलिये रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। जैसे ही यह रिक्रूटमेंट हो जायगा इन जगहों की पूर्ति कर दी जायेगी। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है कि कितनी जरूरत है उससे ज्यादा का सिलेक्शन किया जाय क्योंकि ५८ की बजाय ५५ की एज हो गई है, लोग रिटायर हो रहे हैं, हमको जरूरत पड़ेगी।

श्री भैरोंसिह : ५८ की बजाय ५५ कहां हो गई है ?

Page No 229

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान में हो गई।

श्री भैरोंसिंह : सब गये ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक पी० पीज० की सेलेरी का ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट में....

श्री भैरोंसिंह : आप रेगुलर अपाइन्टमेंट क्यों नहीं करते हैं, इमर्जेन्सी रिक्रूमेंट की गवर्नमेंट क्यों जिद्द कर रही है ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट की कोई जिद्द नहीं है। हाई कोर्ट की अन्डरस्टेन्डिंग है....

श्री भैरोंसिंह : कौनसी इमर्जेन्सी आ गई ? रेगुलर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर लेते ?

श्री बरकतुल्ला खां : रेगुलर रिक्रूटमेंट में दिन लगेंगे। इसमें यह जो कोर्ट में चले गये इसलिये डिले हो गई। पब्लिक सर्विस कमीशन से करेंगे तो तीन महीने का नोटिस होगा, टेस्ट होंगे, इन्टरव्यूज होंगे। इसमें एक चीज और बताऊं, इमर्जेन्सी का रिक्रूटमेंट है इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजेज बैठते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बैठते हैं, उसमें गवर्नमेंट के इन्टरफियरेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अभी-अभी आपने रिक्रूटमेंट किया है, एग्जामिनेशन्स हुए हैं, उनकी सीट्स बढ़ा दीजिये। आपके पास लिस्ट है। जितने आपको लेने हैं, जो सीनियर्स हैं, उनको ले लीजिये। इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट की क्या आवश्यकता है ? इस तरह बैक डोर एन्ट्रीज को गवर्नमेंट ने क्यों चला रखा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंट ने बैक डोर का कोई तरीका नहीं चलाया है, हाई कोर्ट अपने लायर्स को जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें से वह रिक्रूटमेंट करने के लिये कहता है।

श्री भैरोंसिंह ; इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट के रूल्स एक साल पहले निकालने का गवर्नमेंट ने कहा था, वह रूल्स निकले नहीं। आप जितना समय लेते हैं उतने समय में तो रेगुलर रिक्रूटमेंट हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गये साल इम्तिहान लिये, उनकी लिस्टें आपके पास आ गई, उनका आपने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया, लिस्ट को रोक क्यों लिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट के जज बैठ कर, लायर्स को ठीक समझ कर अपने तरीके से निर्णय करते हैं, इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट करते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब कहने का यह है कि लायर्स में से ही इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट होगा। दूसरे किसी को नहीं लेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सतीशजी यहां बैठ कर काम करते हैं वे क्या जानें कि ये क्या हैं। हमारे मूलचन्दजी डागा हैं, उनका नम्बर आ जाय तो लग जाय बेचारों के भाग्य के ठोकर।

श्री बरकतुल्ला खां : पी० पीज० के बारे में प्रश्न उठा था उसमें....

श्री भैरोंसिंह : जहां तक पी० पीज० की पे वगैरह का सवाल था, रिटेनर का सवाल था। राजस्थान बनने के बाद पहली मर्तबा रिटेनर्स की फीस बढ़ाई गई है। पहले जिनको ४५० मिलते थे उनके ७०० किये। जिनको ४०० मिलते थे उनके ६५० किये, जिनको ३५० मिलते थे उनके ५५० किये और जिनको ३०० मिलते थे उनके ५०० किये हैं।

क्योंकि यह सवाल बार-बार आता था कि पी० पीज० और असिस्टेंट पी० पीज० को कम पे देते हैं।

राजस्थान बनने के बाद सब की सैलेरीज, सब की फीस बढ़ी हैं तो पी० पीज० की क्यों नहीं बढ़ायें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गवर्नमेंट एडवोकेट को १७०० रू० तनख्वाह देते हैं पर वे दिल्ली जाते हैं तो ३३० रुपया रोज भत्ता लेते हैं और ३५०० का बिल बनाते हैं। कामता कतूरियाजी के केस में....

He did not speak even for five minutes and he charged Rs. 330/- per day. Have you ever examined such cases ?

आपके गवर्नमेंट एडवोकेट दिल्ली जा कर चार दिन की फीस एक तारीख बदलाने के लिये कैसे ले लेते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह जो गवर्नमेंट एडवोकेट दिल्ली जाते हैं तो उनकी केवल यही ड्यूटी नहीं होती कि, कोर्ट में जायं हियरिंग को अटेन्ड करें, बल्कि उनकी दूसरी भी वेरियस ड्यूटीज होती हैं दूसरे लायर्स से केस के बारे में डिस्कशन करते हैं, बड़े लायर्स की राय लेते हैं। इस तरह की वेरियस टाइप ऑफ ड्यूटीज उनकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुप्रीम कोर्ट में जहां तक राजस्थान सरकार के केसेज की पैरवी करने का प्रश्न है, राजस्थान सरकार के २॥ करोड़ रुपयों के टेक्सेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार दे दिया था, और उसका गवर्नमेंट को पता तक नहीं चला। जब मैंने हाउस में इस सूचना को रखा तो फिर आपने रिव्यू पेश किया। यह हालत है आपकी पैरवी की, हजारों रुपया आप उस पर खर्च करते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके अन्दर उसके बाद यह सुधार किया गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ व्यक्तियों को ओब्लाइज करते हो। नाथद्वारा केस में श्री सरजूप्रसाद का ही देखो। जो आप लोगों के पिटीशन्स की कार्यवाही कर रहे हैं, सुखाड़ियाजी उनको ओब्लाइज करने के लिए दूसरे तरह के केसेज दे रहे हैं। यह राजस्थान के साथ बड़ा भारी पाप कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है....

श्री रामनारायण चौधरी : यह अनुचित वर्णन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच करवायें, मैं सही कहता हूं। एक तारीख के चार हजार रुपये। ५ दिन का

Page No 231

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिल ३३०) रोज के हिसाब से सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए। उन लोगों को रिटेन किया जाता है जो सरकार की ओर से किसके लिए किसी इलेक्शन पिटीशन में पैरवी कर रहे हैं या मदद कर रहे है, यह राजस्थान के साथ धोखा है, फोर्जरी है, फ्रॉड है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं पी० पी० की बात कर रहा था लेकिन बीच में एडवोकेट जनरल आ गया, तो एडवोकेट जनरल के लिए यह जरूरी नहीं कि हर केस में वह एपीयर हो लेकिन जो सीनियर वकील हैं जैसे दफ्तरी साहब, उनसे डिस्कस करना, केस एक्स्प्लेन करना, डे-टू-डे फालो करना That is also part of his duty.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अकाल राहत कार्यों में भी देखते हो कि कितनी परात मिट्टी को डाली तब प्राइस देते हो। कोई एसेसमेन्ट का काम नहीं हुआ।

श्री राम नारायण चौधरी : जो डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं- You have got so may Advocates what they are doing ?

श्री बरकतुल्ला खां : एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के अन्दर व सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एपीयर होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : हाजिरी लगाते हैं, एपीयर नहीं होते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक केस भी सदन में बताएं जिसमें एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से बहस की हो....

श्री भैरोंसिंह : और जीतकर आए हों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बतायें फलां केस में एडवोकेट जनरल राजस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया? Can you site even one case. You have spent thousands of Rupees.

श्री भैरोंसिंह : लैक्स ऑफ रुपीज।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस प्रश्न का जवाब दीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां : यह कहना कि जिन केसेज में एडवोकेट जनरल एपीयर होता है, उनमें राज्य सरकार जीतती नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप एक केस भी बतायें, साइट वन केस।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एडवोकेट जनरल लॉ केसेज के अन्दर एपीयर होते हैं। कुछ केसेज में जो जिनमें हम सीनियर एडवोकेट एम्प्लाई करते हैं तो सीनियर एडवोकेट के साथ एपीयर होते हैं और इसके साथ-साथ ऐसी बात नहीं है। इस समय मुझे याद नहीं आप चाहेंगे, मैं टालना नहीं चाहता, जिन केसेज में एडवोकेट जनरल के आरग्यूमेंट्स हुए हैं, यह कहना कि वह हारे हैं सही नहीं है। १०० प्रतिशत केसेज कोई वकील नहीं जीतता। कई केसेज ऐसे बताऊंगा जिनमें एडवोकेट जनरल एपीयर हुए हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन्डीपेंडेंटली खुद ने बहस की, सीनियर के साथ नहीं;

Page No 232

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जैसे मेरा जूनियर किताबें लेकर उठता बैठता है वैसे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बड़े वकील अमूमन केसेज हारते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालूम नहीं हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के एडवोकेट जनरल हैं, पंजाब का एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट का जज बना है और कई एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के जज बन गए हैं लेकिन हमारे एडवोकेट जनरल का हाई कोर्ट जज के लिए नम्बर नहीं आता।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उम्र निकल चुकी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १२ साल से वह हैं। क्या उम्र है उनकी ?

श्री बरकतुल्ला खां : ५५ साल से ऊपर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १२ साल हो गए उनको एडवोकेट जनरल बने हुए। उनके जूनियर्स कानसिंह, चन्द्रभान भार्गव, छंगानी सब बन गए, इनको चांस नहीं दिया।

श्री बरकतुल्ला खां : एडवोकेट जनरल इन्टरेस्टेड नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बच्चा पैदा नहीं हो, तो कहो कि मैं फैमीली प्लानिंग कर रहा हूं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं भैरोंसिंहजी को फालो कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान बनने के बाद पी० पीज० को जो रिटेनर फी है उसके अन्दर इस तरह से रफली २०० रु० पर मन्थ वृद्धि हुई है।

यहां यह भी सुझाव आया कि वकीलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। यह सवाल ऐसा है कि जो राजस्थान आइसोलेशन में सोच नहीं सकता। पूरे ऑल इण्डिया पैटर्न के बाद ही कुछ हो सकता है। राजस्थान अकेला नहीं सोच सकता।

श्री शिवनाथसिंह : जिस माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, वह नहीं जानते हैं कि एडवोकेट्स क्या होते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : कैसे नहीं जानता हूं ? मेरे पास सुझाव हैं....

(शोर-गुल)

मेरा सुझाव है यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो भारत में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां: इसलिये मैं समझता हूं, वह सुझाव....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पी० पीज० के बारे में आप कह रहे हैं २५० रु० तनख्वाह बढ़ा दी। २५० रु० तनख्वाह कहीं नहीं बढ़ी। लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा पी० पी० की नियुक्ति हुई एक आदमी की, जिसको दो साल का भी वकालत नहीं, ४ केसेज सेशन्स के कन्डक्ट नहीं किये लेकिन उसको पी० पी० बना दिया। पिटीशन के सिलसिले में मालूम पड़ा कि एक आदमी के पास कुछ कागजात हैं जो सुखाड़िया के लिए काम आ सकते हैं, उस आदमी को खरीदने के लिये आपने किया....

(शोर-गुल)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपने सिर्फ इसलिये उनको पी० पी० बनाया कि कुछ कागजात सेक्रेटरियेट की फाइल्स के उनके पास थे, सरकार ने उनको पी० पी० नियुक्त किया।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस चार्ज को डिनाई करता हूं जो पी० पीज० नियुक्त किये जाते हैं वे जिला जज व जिला मजिस्ट्रेट दोनों की सिफारिश पर उनके नाम आते हैं तब सिलेक्ट किये जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बिल्कुल नाटक होता है, हमें पता है कि किस तरह से रिकमंडेशन आती है, सारा घोटाला है। राजनैतिक दृष्टि से तमाम नियुक्तियां की जाती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिला जज की रिकमन्डेशन लाओ। वह प्राइवेट कन्सर्न में काम करता है माइनिंग में २००-२५० की स्केल में....

श्री बरकतुल्ला खां : मैं डिनाई करता हूं इस चार्ज को। मैं फाइल दिखा सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९६६ की फाइल कल ही सदन में लायें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं दिखाऊंगा। जिला जज व जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश हुई है उस फाइल पर, मैं दिखा सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : गिरधारीलालजी का एपाइंटमेंट कर दो।

श्री बरकतुल्ला खां : जिन लोगों के बारे में..

श्री उपाध्यक्ष : (श्री प्रेमसिंह सिंघवी के बोलने पर) आर्डर प्लीज ! जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को संबोधित करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि....

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जायं, उत्तर देने दिया जाय। आर्डर प्लीज !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि विधि-मन्त्री ने पिछले सेशन में इस बात के लिए कहा था कि अगर हाई कोर्ट ने इस बात के लिए सजेस्ट किया होगा कि कोर्ट छबड़ा में रहेगी तो सरकार रखने को तैयार है, फिर भी राजनैतिक आधार पर क्योंकि रामचरण दलवदलू उप-मन्त्री वहां बैठे हैं उनकी वजह से, राजनैतिक भ्रष्टाचार के कारण ...

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : स्पष्टीकरण करायें।

श्री बरकतुल्ला खां : अटरू में कोर्ट लगाई हाई कोर्ट की कन्सेंट से।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हाई कोर्ट ने छबड़ा के लिए सजेस्ट किया है, यह राजनैतिक भ्रष्टाचार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मंत्री महोदय, यह बता दीजिये। डिसीजन पोलिटिकल आधार पर लिया था या किस आधार पर ? मैं यह जानना चाहता हूं कि अटरू में जब से कोर्ट को शिफ्ट किया है कितनी सीटिंग्स की हैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

और कितने केस दायर किये हैं ? छबड़ा में तो सब कुछ है जब कि अटरू में कुछ भी नहीं है। सारी कोर्ट एडवोकेट, डीवाई.एस.पी. हैडक्वार्टर आदि सब छबड़ा में हैं। वहां पर कुछ नहीं। मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह समझ रहे हैं कि अटरू को अपना राजनैतिक क्षेत्र मान कर चलते हैं। लेकिन उनको यह खयाल होना चाहिये कि अटरू में प्रधान हमारा है। वहां के माननीय सदस्य यदि दलबदलू होकर डिप्टी मिनिस्टर हो जायं उससे कोई उस क्षेत्र के लिए फर्क नही पड़ने वाला है। अटरू कोर्ट को लेजा कर आपने अनजस्टिस किया है और केस वर्क का डिस्पोजल नहीं हो रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि हाई कोर्ट की कन्सेन्ट से अटरू में कोर्ट ले जायी गयी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अब क्या गवर्नमेंट का विचार है ? छबड़ा में करेंगे वापस या नहीं या अटरू में रहेगी ? कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को सामने रख दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने पी. एस. आई. और ए. पी. एस. आई. का जिस तरह से किया है, पुलिस के पी. एस. आई. होते हैं। यू. पी. में जिस प्रकार प्रोसीक्यूशन ब्रान्च को अलग कर दिया है पुलिस से वैसी व्यवस्था राजस्थान में भी करेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : इसके लिये एक कमेटी बनी थी उसकी अब तक रिपोर्ट नहीं आयी है। जहां तक प्रिन्सीपल का सवाल है मैं इसको मानता हूं। डाइरेक्टर अलग होना चाहिये रिपोर्ट नहीं आयी। पी. पी. एस. आई. और ए. पी. एस. आई. लॉ डिपार्टमेंट से डाइरेक्ट सम्बन्ध रखते हैं। पी. एस. आई. पुलिस से सम्बन्ध रखते हैं मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एस. डी. एम. एक जगह रहेगा, सब-डिविजन एक जगह रहे तो यहां कोर्ट क्यों नहीं रखते हैं। न तो अटरू में जेल है और न कुछ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ गये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : या तो बारां में रख दें या छबड़ा में रख दें।

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे आदेश हुए तो जरूर मानेंगे। यह एश्योरेन्स मैं देता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिस जिले के अफसर के खिलाफ कोई केस हो, उस रीजन का हाई कोर्ट में केस जाय तो गवर्नमेंट की ओर से उस रीजन के गवर्नमेंट एडवोकेट की ओर से पैरवी की जाती है जो कि नहीं की जानी चाहिये। उस क्षेत्र का अधिकारी जिसको ४० हजार का जुर्माना किया गया और कुछ वर्षों की सजा दी गयी, पैरवी करने वाला भी उसी रीजन का और फैसला करने वाला भी उसी क्षेत्र का और परिणाम यह हुआ कि उसको एक्विट कर दिया। ४० का हजार जुर्माना और ३ साल की सजा उस इन्जीनियर को हुई थी।

एक माननीय सदस्य : कौन है वह ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोशी, माइनिंग इन्जीनियर।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दूंगा कि जिस केस में जो गवर्नमेंट एडवोकेट उसी रीजन के हैं तो दूसरा लायर उसकी पैरवी करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस केस की फाइल भी मंगा कर देखेंगे और जजमेन्ट को भी देखेंगे और उसमें दम होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जावेंगे। उसको ४० हजार का जुर्माना और तीन साल की सजा दी थी। वह एक्विट हो गया।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट के जज को डिस्कस नहीं करना चाहिये। मैं इस फाइल को देखूंगा यह प्रिंसीपल की बात है कि जो अफसर जिस रीजन का हो करप्शन की बात हो रही है उस केस में तो वह उसको न सुने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सबस्टेन्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं।

ज्यूडिशियरी, नॉन ज्यूडिशियरी की इन्कम २८६ लाख है और खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन पर है वह १२० लाख का है। १५३ लाख रुपये की शुद्ध सेविंग है। You are saving out of it. १ करोड़ २० लाख का खर्चा करते हैं और इतनी सेविंग करते हैं। आप इस रकम को सुधार वगैरा पर क्यों नहीं खर्च करना चाहते हैं जब कि हालत आपसे छिपी हुई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह नया प्रश्न रखा गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय को जेल में भेज दिया जाय। Head of the Law Department.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैंने प्रश्न उठाया था ज्यूडिशियरी का और एक्जीक्यूटिव का। उसके बारे में आपके विचार क्या हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक छुट्टियों का सम्बन्ध है, हाई कोर्ट के नोटिस में लाऊंगा। दो तीन को छोड़ कर हाई कोर्ट और दूसरों की छुट्टियां बराबर हो गयीं। हाई कोर्ट के नोटिस में लाऊंगा और कन्सीडरेशन करेंगे।

श्री विजयसिंह : हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में हो उसके लिये क्या हुआ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्जीक्यूटिव की सेविंग्स के लिये इम्पोर्टेन्ट सजेशन देता हूं। गवर्नमेन्ट सबसे ज्यादा लिटिगेन्ट है। लॉ डिपार्टमेन्ट में एक अफसर को नियुक्त कर दे चाहें आप उसको तीन हजार रुपया दे दें। सैंकड़ों की तादाद में नोटिस आते हैं सूट फाइल हो जाते हैं और कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लाखों रुपये के लिटिगेशन इसलिये होते हैं कि आपने सैल नहीं बनाया अलग से इसके लिये, नोटिस के कोई जवाब दिये नहीं जाते समय पर और आपको पता ही नहीं रहता कि नोटिस आये हैं। यदि इस ओर ध्यान दें तो दस लाख रुपये सालाना की सेविंग हो सकती है।

श्री बरकतुल्ला खां : डिपार्टमेन्ट कन्सर्न को नोटिसेज दिये जाते हैं। एग्जामिनेशन में समय लग जाता है। डाइरेक्टली लॉ डिपार्टमेन्ट को नहीं देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कानूनी अमेन्डमेन्ट ले आइये। You say the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Head of the Department or the Law Department.

श्री बरकतुल्ला खां : आखिरी प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं वह है हाई कोर्ट की बैंच का।

एक माननीय सदस्य : आप जोधपुर के हैं इसलिये।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं राजस्थान का हूं। भारत का हूं मैं अकेला ही नहीं हूं और भी बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह जवाब देकर क्या वोटर्स को आकर्षित कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट की बैंच शिफ्ट करने के सम्बन्ध में जो पूर्व विचार थे और पहले प्रकट किये थे वे आज भी हैं और उनमें कोई तब्दिली नहीं आयी है इसलिये जोधपुर से ले जाने का सवाल नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : पुराने विचार गवर्नमेन्ट के क्या थे ?

श्री सतीशचन्द्र अगवाल : उसकी जरूरत नहीं है। १२ साल में घूरे की हालत बदलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठें। छोटे दायरे में न सोचें। १७० करोड़ रुपया अकाल क्षेत्र के लिये लगाया। अकाल के लिये राजस्थान की जनता चन्दा देगी और हर तरह से सेवा करेगी लेकिन पूर्वी राजस्थान की जनता को हाई कोर्ट की बैंच दो। यह जो वाजिब मांग है उसको क्षेत्रीयता की दृष्टि से मत सोचो।

(९.५० म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री बरकतुल्ला खां : रिजनेलिज्म पर न तो गये हैं और न ही इसको तय किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिलकुल गये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : इसी सदन में बहस हुई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि कोर्डियल वातावरण बनाइये, शान्ति का वातावरण बनाइये।

श्री बरकतुल्ला खां : तो इस बारे में मुझे अधिक निवेदन नहीं करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं निवेदन करूं कि इस कन्ट्रोवर्सी में जाने की जरूरत नहीं है। लाजिक रीजनिंग इसके पीछे यह है कि हमारी पश्चिमी राजस्थान में रहने वालों के प्रति हमदर्दी है पर साथ ही हम भी निवेदन करते हैं कि पूर्वी राजस्थान के दर्द को आप भी समझने की कोशिश करिये। केवल राजनैतिक आधार पर सोचने की बात मत करिये। पानी की समस्याओं का हल आप कराइये। युनिवर्सिटी की समस्या को हल कराइये। पर हाई कोर्ट के मसले को राजनीति के साथ जोड़कर मत चलिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री बरकतुल्ला खां : इस चीज को साफ कर देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का सवाल बैंच का सवाल आन मेरिट से कर

(श्री बरकतुल्ला खां)

लिया गया है। यह निर्णय रीजनल बेसिस पर नहीं लिया गया था कभी भी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरिट क्या है ?

श्री बरकतुल्ला खां : यू० पी० की आबादी आठ करोड़ है जब कि राजस्थान की दो करोड़ तो इस मामले में यू० पी० से राजस्थान का कम्पेरीजन मत करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने क्या मेरिट रखे हैं ? जोधपुर बीच में पड़ता है या वहां पर लिटिगेशन ज्यादा होते हैं ? क्या फिगर हैं इसके आपके पास ? सभापति महोदय, राजस्थान सरकार जो सबसे बड़ी लिटिगेन्ट है उसे छोटी-छोटी बातों के लिये यहां के अफसरों को जोधपुर जाना पड़ता है और उनके टी० ए०, डी० ए० का सारा बोझा व्यर्थ में सरकार भुगत रही है। साथ ही पूर्वी राजस्थान के सारे लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है। लाखों का खर्चा उनको करना पड़ता है। कितना नुकसान इसकी वजह से सरकार का हो रहा है और कितना जनता का हो रहा है। पूर्वी राजस्थान की जनता का। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरिट है जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। यह तो सरासर अन्याय है।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय सभापति महोदय, ला-कमीशन की रिपोर्ट को माना गया। इस कमीशन ने सारे मुद्दों की विस्तार से छानबीन की है, स्टडी की है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : लॉ-कमीशन की रिपोर्ट तो जन्मी ही नहीं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने नहीं मानी। इससे ज्यादा फिर कोई बेजा बात नहीं हो सकती कि राजस्थान सरकार उसकी दुहाई दे। आप और कोई बात कहिये। पर लॉ-कमीशन की रिपोर्ट को मत कहिये। उसे तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। फ्लेटरी करने के आधार पर यह कदम उठा लिया गया। जयपुर में हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनवा दी गई। आप लॉ-कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं।

श्री शिवनाथसिंह : लॉ-कमीशन की रिपोर्ट मानी गई थी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आर्डर।

श्री बिरदाराम : हाई कोर्ट में बड़े आदमी हो जाया करते हैं। जनता का इससे लेना-देना नहीं।

फिर एक बार एक मामला ते हो गया तो फिर बार-बार बहस क्यों चलती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको क्या दर्द है। आवाज उठाते हैं वाजिब मांगों के लिये जिनको दर्द होता है।

रीजनेलिज्म से ऊपर उठकर सोचें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप राजस्थान हाई कोर्ट के जितने सदस्य हैं उनसे पूछिये। दौरा किया है सारे राजस्थान का। उन्होंने स्थिति को समझा है। अपना रोष व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जयपुर में आये तो उनके सामने जब सारे तथ्य रखे गये तो वे कन्विंस हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: तो हमारी उस भावना को समझें।

श्री मूलचन्द डागा : ये तो बेकार की बात करते हैं। एक बार तय हो गया यह मामला।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अन्याय है यह इसको दूर करना होगा। हिदायतुल्ला खां चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सुनकर कहा है कि हमारे सामने यह विचार आया तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करने वाले हैं। आज हाई कोर्ट के जज यही महसूस करते हैं। पूर्वी राजस्थान की जनता यह महसूस करती है। सभापतिजी, आप खुद सोचिये इस पर।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पूर्वी राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले धोलपुर के रहने वालों को पूछिये। उनको क्या हालत होती है वहां से जोधपुर जाने-आने में। छोटे से मामले में आने-जाने में २००) रुपया खर्च होता है। छोटा आदमी इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। चोरी में किसी पर पांच रुपया जुर्माना हो जावे मुंसिफ अदालत से पांच रुपया जुर्माना, हो जावे तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिये हाई कोर्ट में रिट करे तो खर्चे की वजह से जा नहीं सकता। तो यह उसके प्रति अन्याय होता है। आप न्याय नहीं दे सकते उसे। आप इस तरह से अन्याय देते हैं।

इसको आप रीजनेलिज्म का सवाल बनाते हैं। यह अन्याय है तो कम से कम इस अन्याय के लिये इसके प्रतिकार के लिये न्याय उसे मिले इसके लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : और बोलिये आप और जोर से।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापतिजी, विधान सभा की तरफ से विधान सभा में एक तरफ कुछ भयंकर लोग बैठे हैं। जिनका काम ही यह है कि किसी भी बात में बीच-बीच में जोर-जोर से बोलना बाजे में बड़ा बाजा होता है।

(६.५५ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : काफी पैरवी हो गई। अब समाप्त करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, बाजा होता है। एक बाजा होता है अंग्रेजी बाजा कहते हैं उसे। उसके सामने एक बहुत बड़ा बाजा होता है। भोंपू होता है वह बीच-बीच में भों-भों इस तरह की आवाज लगा दिया करता है। बीच-बीच में भों-भों-भों-भों जिस तरह से वह बाजा करता रहता है उस तरह से आज गिरधारीलालजी करते हैं। बीच-बीच में भों-भों कर देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कौनसा भोंपू बोल रहा है। इसका कोई असर नहीं हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को न्याय की दृष्टि से देखा जाय।

(क्रमशः, : शार-गुप्त, : व्यवधान-)

श्री उपाध्यक्ष : काफी पैरवी हो चुकी। आर्डर प्लीज़।

(शोर-गुल, अश्रव्य)

अब आप आसन ग्रहण करिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह भोंपू है जो बज रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप फिर बोल रहे हैं भोंपू की तरह। खुद बोल रहे हैं भोंपू की तरह तो।

श्री उपाध्यक्ष : काफी पैरवी हो गई है। मैं समझता हूं। इसको अब यहीं समाप्त कर दिया जावे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, अब भोंपू नहीं बजना चाहिये।

श्री शिवमार्यसिंह : इस दलील के आधार पर किसी हिस्से को महरूम रखा जावे यह मेरे खयाल से वाजिब नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलो बोलो और बोलो पूर्वी राजस्थान वालो। हिम्मत करो।

(शोर-गुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री सुखाडिया की साजिश से यह सब आप लोग कर रहे हैं।

चीख कर बोलो। खड़े होकर बोलो!

(लगातार शोर-गुल, अश्रव्य, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शीशराम : इसके लिये विचार होना जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह न्याय की आवाज है।

श्री जगन्नाथ पटेल : हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में रहनी चाहिये।

श्री मजलिस खां : मैं भी इसे ठीक समझता हूं।

श्री गोकुलचन्द जाटव : हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में रखने से सहूलियत रहेगी।

श्री पृथ्वीराज पटेल : जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच आनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : इस सदन में गहरे वाद-विवाद के बाद यह तय हुआ था कि राजधानी जयपुर रहे और न्याय के लिये एक जगह ही हाई कोर्ट होना चाहिये और यह जोधपुर रहे।

(शोर-गुल : अश्रव्य, व्यवधान)

श्री मजलिस खां : हाई कोर्ट की बैंच यहां आनी चाहिये।

(३.० म. प.)

हमारी मांग है जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच आये....

(अश्रव्य, शोर-गुल)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : माननीय उपाध्यक्षजी, यह प्रश्न दरअसल बहुत गंभीर है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं, ऑर्डर प्लीज !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मेरी सुन लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जब यह बात कही, सरकार का जो फैसला था वह आज भी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार के निर्णय बदलते रहते हैं। क्या इसमें अनुचित बात है ? गरीब जनता को लाभ मिल जाय और जयपुर में एक हाई कोर्ट की बेंच हो जाय तो क्या नुकसान है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष जी, यहां बृजसुन्दर जी बैठे हैं। केबीनेट रेन्क के मिनिस्टर हैं। बड़े प्रमुख एडवोकेट भी रहे हैं। ये तमाम तस्वीर उनके सामने है। वे ही अपने विचारों से सदन को अवगत करा दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : एक निवेदन मैं कर दूं। यह भोंपू बन्द करवा दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर २६ जिले हैं राजस्थान के। राजस्थान में सबसे पहले हाई कोर्ट कहां थी। बीकानेर में थी। आज बीकानेर के लोग थोड़े हैं इसलिये यह जन बल पर जो जयपुर वाले हैं कहते हैं, जयपुर लाओ, जोधपुर वाले हैं वे कहते हैं जोधपुर लाओ, जैसलमेर वाले कहते है जैसलमेर लाओ। जयपुर ने नारा लगा दिया, क्षेत्रीय भावना फैलादी....

(शोर-गुल, अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

आप (श्री डागा जी) इतने जोर से बोले हैं। मैं भी अपनी बात रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कुछ लोग सेक्रेटेरियट प्रेक्टिस करते हैं, कुछ दलाली करते हैं, कुछ ब्लेक मेलिंग करते हैं। हमें ब्लेक मेलिंग करने वाले नहीं चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : ये सब ब्लेक मेलिंग करने वाले ही हैं जो कहते हैं जयपुर में हाईकोर्ट बेंच आये। मैं कहता हूं जयपुर में हाईकोर्ट बेंच न आये।

एक माननीय सदस्य : अजमेर में ले आये उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजमेर में लावो कहीं तो लावो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :
श्री मूलचन्द डागा } साथ-साथ बोलते रहे

(अश्रव्य)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बोलता हूं तो सब बोलने लग जाते हैं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह बात नहीं, बात कुछ और ही है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में सबसे पहले हाईकोर्ट बीकानेर में थी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं न्यायपालिका जितनी सस्ती हो उतनी होनी चाहिये । भरतपुर स्टेट में भी न्यायपालिका बहुत सस्ती थी ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी लालजी बोल रहे हैं ।

(पुनः अश्रव्य)

श्री अमोलाल यादव : समाजवाद लाना है तो हाईकोर्ट की बैंच जयपुर लाई जाय ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भाई अमी लालजी मैं निवेदन करदूं । बीकानेर में हाईकोर्ट थी और हाईकोर्ट का मसला बिलकुल न्याय पर है । हाई कोर्ट प्रशासन पर नहीं चलता है, न्याय पर चलता है, हाईकोर्ट वहां रहे तो क्या बुरी बात है। लोगों को सस्ता न्याय मिलना चाहिये, झालावाड़, गंगानगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर के लोगों को सस्ता न्याय मिलता है तो क्या बुरा है ? आपकी हाईकोर्ट वहां रहने दी जाय और एक बैंच यहां ला दी जाय तो कोई बुरा नहीं है ।

(हियर हियर की आवाज, शोरगुल, अश्रव्य)

...मैं फालतू बात नहीं करता हूं । इसमें कोई बुरी बात नही है ।

श्री मूलचन्द डागा } आपस में लड़े
श्री बिरदारम } होकर जोर-जोर से बोलते रहे

(अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्यों के बीच-बीच में बोलने पर व्यवधान)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि झगड़ा वर्षों से है अलवर, भरतपुर, कोटा, के लोग जोधपुर तक जाते हैं । इधर की आबादी ज्यादा है । कहीं आबादी कम होती है, कहीं ज्यादा होती है । जोधपुर हाईकोर्ट रहना चाहिये....

(पुनः माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

अरे मेरी बात तो सुनलो भाई...अगर एक बैंच यहां रहती है तो बुरा नहीं है । दूसरी बैंच बीकानेर में रहे । चूरू, बीकानेर, गंगानगर के केसेज जोधपुर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-छोटे लोगों के लड़ाई होती है और वे ही मुकदमाबाजी करते हैं। बड़ों के केस नहीं जाते हैं इसलिये न्याय सस्ता, सुलभ होने से एक बैंच यहां आये और एक बैंच बीकानेर में रहे । जोधपुर में गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं होती है, दूसरे बेचारों के पैसे भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं....

(व्यवधान, अश्रव्य)

सुन तो लो भाई । मेरा निवेदन यह है कि चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों और चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों, गंभीरता-पूर्वक विचार नहीं किया गया है। यह तो क्षेत्रीय भावना जैसी हो गई है। जयपुर वाले ही कहे दूसरे नहीं बोले इसका मुझे दुःख है । इधर से अमो लाल जी बोलेंगे उधर से वो बोलेंगे यह कोई बात हुई ?

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री जयनारायण सालोदिया } साथ साथ बोलते रहे
श्री बरकतुल्ला खां

(अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माफी चाहता हूं....पानी दो....पानी

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय स्थान ग्रहण करें। माननीय सतीशचन्द्र जी स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(माननीय सदस्यों के बराबर बोलते रहने पर, अश्रव्य)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। पहले मुझे कहने दीजिये। अब इस विषय पर काफी बहस हो गई है। मैं समझता हूं कि रात काफी हो गई है इसलिये अब मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने की इजाजत दी जाय उसके बाद मांग पर मतदान होगा।

आप इतने में ही छोड़ दें और मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : एक बात कह दूं कि हाईकोर्ट के बेंच के मामले में हमारी तरफ से कोई भी राय हो पर श्री बृजसुन्दरजी हमको रिप्रेजेन्ट करते हैं और वह अपने मुख से इस मसले पर एक बात कह दें, बस।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : श्री बृजसुन्दरजी को मैंने भी निवेदन किया था और सभी लोग कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य इस विषय पर काफी चर्चा हो गयी मैं समझता हूं कि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है।

(व्यवधान)

अगर यही हालत रही तो सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री मुकुटबिहारी लाल व कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर) कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। (श्री बरकतुल्ला खां के खड़े होने पर) मंत्री महोदय, स्थान ग्रहण करें। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को उत्तर देने दिया जाये। इस संबन्ध में काफी पैरवी हो चुकी है।

श्री बरकतुल्ला खां : उपाध्यक्ष महोदय

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मंत्री प्रवर केवल जेल पर आ रहे हैं मैं समझता हूं कि पहले इस पर उन्हें कुछ कहना चाहिए वह पहले हाईकोर्ट के मसले का फैसला करें या तो यह फैसला होगा जेलों के भीतर या सदन के भीतर कुर्सियों पर बैठकर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। (श्री मुकुटबिहारीलाल के बोलते रहने पर) आर्डर प्लीज आपने इस प्रश्न को अब तो इतनी ताकीद में लिया। आपने इस प्रश्न को अपनी बहस में उस समय उठाया था क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उठाया था और प्रमुख तरीके से उठाया था।

Page No 243

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने नहीं उठाया था।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रमुख तरीके पर उठाया था। मैंने उठाया था। प्रोसीडिंग्स में देख लें। पहले पहल शिवनाथ सिंहजी ने उठाया था और फिर भी उठाया था।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जेलों में तो पहले भी ट्राई कर लिया और जयपुर में आन्दोलन हुआ था। यह बात तो आपस में बैठकर तय करने की है। यह क्योंकि 'तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा- इस तरह से सदन में बैठकर बातें होती हैं। सदन में पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह तू भी खड़ा हो और तू भी खड़ा हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय ने सदस्यों के ऊपर आरोप लगाया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस स्थिति में सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती और मुझे आधे घन्टे के लिए स्थगित करना पड़ेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयलः (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे विवश होकर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

श्री शिवनाथसिंह : एक मिनट के लिए पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप क्यों बात बढा रहे हैं।

श्री शिवनाथसिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा-मैं इसको सही नहीं मानता।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपकी (श्री बरकतुल्ला खां) भावना ठीक थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य)

अब मुझे विवश होकर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। आर्डर, आर्डर कृपया स्थान ग्रहण करें। (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) माननीय गाड़िया जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा-यह बात बिलकुल गलत है।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने कहा है यह। क्यों झूठ बोलते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे विवश होकर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

(श्री रोशनलाल शर्मा के बोलने पर) माननीय रोशनलाल जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर हम यह बात कहते हैं कि भाई मजलिस जी आप अपनी बात को कहें, भाई गोकुलप्रसाद जी शर्मा आप अपनी बात को कहिये, भाई शीशराम जी ओला आप अपनी बात को कहिये, अपनी मन की आवाज को कहो, तो उसमें क्या गलत कहा ? मैंने तो प्रार्थना की थी कि आप अपनी आत्मा की आवाज को कहो, आप अपनी न्याय की बात को कहो। अब गिरधारीलालजी जो सरकारी बैठे हैं वह आंखें दिखा रहे थे, मंत्रीजी घूर-घूर कर कह रहे थे कि बैठ जाओ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोकुलचन्द जाटव : हम अपने मन से विचार व्यक्त कर रहे थे, किसी के कहने से नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही १५ मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १०.१९ बजे रात्रि में १५ मिनिट के लिये स्थगित हुई)

(विधान सभा की कार्यवाही पुनः रात्रि में १० बज कर पैंतीस मिनिट पर प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You are still here, Sir ?

श्री अध्यक्ष : जैंटलमैन, मैं आपके निमंत्रण पर पुनः अपने आवास गृह से यहां लौटा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवास गृह से या शयन गृह से ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह शुभ संकेत है कि उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में उच्चतर निर्णय प्रजातंत्र के इस उच्चतम सदन के उच्चतम अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगा।

श्री अध्यक्ष : यह शुभ संकेत इस बात का है, This last servant of this House places his services to this House even at such late hours.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Last servant is here ...

श्री अध्यक्ष : अब आप आ जायं न यहां, मुझे फुर्सत मिल जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am quite comfortable here instead of that Chair.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की बैंच के सवाल को लेकर जो सदन में वातावरण बना और जो बहस हुई, और इस सदन के दोनों पक्षों की तरफ से जो मुद्दे उठाये गये मैं उन्हें सदन के नेता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखूंगा और उन्हें सारी बातें बता दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : क्या है अब ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस पर डिबेट काफ़ी हो चुकी है इसलिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम ८० के अन्तर्गत मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है Question may be put to vote.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। आप एक मिनिट और ले लीजिये। लिये मैं एक बात निवेदन करूं। माननीय सदस्य ....

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, तब तो और भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायं। आप स्थान ग्रहण करें। क्लोजर मोशन के बाद में प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भैरोंसिंह : क्लोजर मोशन के बाद में भी विचार कर सकते हैं। यह क्लोजर मोशन मूव किया है यह लॉ-डिपार्टमेन्ट की डिमाण्ड के ऊपर रखा है।

श्री अध्यक्ष : टोटल पर। Closure motion is a closure motion for all debates.

श्री भैरोंसिंह : टोटल पर कैसे हो सकता है ? क्लोजर टोटल पर नहीं आया है। कारागृह के ऊपर उतर नहीं आया है ...

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात को। यद्यपि देखिये, क्लोजर मोशन मूव हुआ है, मगर सदन की अनुमति नहीं है ...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह विषय खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष : और इस पर चर्चा करनी है तो मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि वह वापिस लौटा लेवें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापिस लौटा लें और हाउस की सेंस ली जाकर फिर रख दें।

श्री अध्यक्ष : इतना नहीं।

प्रश्न यह है कि क्लोजर मोशन को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसका क्या रहा, कारागृह का ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, कारागृह-कारागृह में चला गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का सवाल है, आप कोई भी ऑर्डर दे दीजिये, हम सिर झुका कर उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन आप व्यवस्था इस प्रश्न पर दीजिये कि जिस मुद्दे पर बहस चल रही हो उस पर क्लोजर मोशन आया करता है। यह परम्परा रही है। मैं गलती नहीं करता हूं, आप अभी आये हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जिस मुद्दे पर बहस चल रही थी वह न्याय प्रशासन के बारे में चल रही थी,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल) इसलिये यह क्लोजर मोशन है, यह न्याय प्रशासन के बारे में माना जायगा, न कि आगे की डिमाण्ड के लिए भी। आगे की डिमाण्ड के लिए अगर आप चाहें तो आप मुख बन्द एप्लाई कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। देखिये, इतनी बारीकी से उसका विश्लेषण माननीय सदस्य न करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, हो गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप अपना फैसला मत दें। हम मान लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम मान लेते हैं। आप अपना फैसला मत दें।

श्री अध्यक्ष : काफी रात हो गई है, बारह बजने वाले ..

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तारीख से तारीख मिल जाती तो सुन्दर रहता।

मांग संख्या १५

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,५७,३६,००० रुपया तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ११

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२—कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६५,१४,००० रुपया तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०२,२३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अब सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि में १०.४२ बजे दिनांक १८-३-७० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट—१

(तारांकित प्रश्न संख्या १३८ की सूची)

१.	भीलवाड़ा—बिजोलिया	दिनांक २५-१-५२ को
२.	भीलवाड़ा—बदनोर	दिनांक १५-५-५२ को
३.	भीलवाड़ा—मांडलगढ़	दिनांक १८-१-५२ को
४.	भीलवाड़ा—बैगूं (इस मार्ग को भैंसरोड़गढ़ तक बढ़ा दिया गया है)	दिनांक ३०-५-५२ को
५.	भीलवाड़ा—बैगूं (इसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। अतः स्वतः रद्द हो गया)	दिनांक १२-१०-५४ को
६.	भीलवाड़ा—अजमेर	दिनांक २९-५-६० को
७.	भीलवाड़ा—बिजोलिया	दिनांक २४-३-६७ को

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न संख्या १४२ की सूची)

साईनाथ विद्या मन्दिर, ग्राम बडायली, जिला नागौर को प्रति वर्ष
दिये गये अनुदान का विवरण

१९६५-६६	४,२१४)	आवर्तक अनुदान।
१९६६-६७	८,२८७)	आवर्तक अनुदान।
	१,२२८)	आवर्तक अनुदान (मंहगाई भत्ते पर)
१९६७-६८	१०,१०२)	आवर्तक अनुदान
	१३५)	आवर्तक अनुदान (मंहगाई भत्ता पर)
१९६८-६९	१३,३९५)	आवर्तक अनुदान
	१३८)	पेन्डिग ग्रान्ट का निर्णय
	१,७९८)	पेन्डिग ग्रान्ट का निर्णय

साईनाथ विद्या मन्दिर, बड़ायली, जिला नागौर
के आय-व्यय का ब्यौरा

वर्ष	आय	संस्था द्वारा प्रस्तुत व्यय	विभाग द्वारा अनुमोदित व्यय
१९६५-६६	२,१३५	८,९७४	८,९२२
१९६६-६७	४,९७५.७२	१७,३१०.२८	१३,८१०.७०
१९६७ ६८	८,७५१.३४	२५,२२७.७८	२५,००८.६१
१९६८-६९	उपलब्ध नहीं है।		
१९६९-७०	६,३३०.७७	१०,२३७.०१	२८,०४९.२९

परिशिष्ट—३

(तारांकित प्रश्न संख्या १४७ की सूची)

ठेकेदारों के फाइनल बिलों की सूची जो सिंचाई विभाग में गत ५ वर्षों से पेन्डिग पड़े हैं।

क्रम संख्या	नाम कार्य	नाम ठेकेदार	पेन्डिग रहने का कारण
१	२	३	४
		चित्तौड़गढ़ डिविजन	
१.	गम्भीरी बांध भाग १ व ३	श्री वी० एम० सचदेवा	इन दोनों केसों में ठेकेदार ने कोर्ट में दावा किया था जिनकी अपील हाई कोर्ट में चल रही है और उसका अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।
		जयपुर डिविजन	
२.	रॉक कटिंग, कालो सिल वेस्ट वियर	श्री नाथूलाल लछमनदास	ठेकेदार द्वारा फाइनल मेजरमेन्ट्स को नहीं मानने के कारण पेन्डिंग है।
३.	रेस्टोरेशन ऑफ कालो सिल वेस्ट वियर, रॉक कटिंग एण्ड अर्थ वर्क, ओवर बर्डन रिमूवल	श्री चन्द्रभान किशनचन्द	यह मामला अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई, वृत्त जयपुर द्वारा मुख्य अभियन्ता को माह, जनवरी, १९७० में भेजा गया है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
४.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ फोर माइनर्स ऑफ कालो सिल बन्द नहर	श्री किरोड़ीलाल कमलसिंह	फाइनल बिल में ऋण (माइनस) बैलेन्स हो जाने के कारण बाकी धनराशि को जमा कराये जाने के लिए पत्र-व्यवहार चल रहा है।
५.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ खिरखिरो बन्ध	,,	,,	,,

१	२	३	४
६.	मरमदा बन्ध के सल्यूस की मेन्टीनेंस और मरम्मत	श्री किशनराम	इस कार्य की नाप मेजरमेन्ट बुक नं० १० में की गई थी जो श्री फूलचन्द ठेकेदार द्वारा बनाई गई। नीहर बन्ध की रेस्ट चौकी के केस में कोर्ट में जमा है, जिसके कारण इस फाइनल बिल को अभी तक तय नहीं किया जा सका है।
		बून्दी डिविजन	
७.	एक्सकेवेशन ग्राफ किशनपुरा ब्रांच ग्रॉफ ग्रालनियां कैनाल चैन २१० से २३५, २५५ से २७०, २९३ से ३३५ ग्रौर २८०.५ से ३१३ तक	श्री सत्यव्रत	बिल जुर्माना वसूल करने बावत निर्णय हेतु पत्र व्यवहार में है।
८.	एक्सटेन्शन ग्रॉफ विंग्स ग्रॉफ एक्वेडक्ट चैन ३७,१२७ एकड़ ३० ग्रॉफ भीमलत मैन कैनाल	श्री शंकरलाल	बिल माइनर इरिगेशन सब डिविजन में पेंडिंग पड़ा हुग्रा है क्योंकि ठेकेदार से बकाया की जो वसूली करनी है वह इस बिल की रकम से ग्रधिक है ग्रौर इसलिए इस पर पत्र-व्यवहार चल रहा है।
९.	रैंजिग फालड़ी टेक चैन ० से १२० तक	श्री मानकचन्द	ठेकेदार ने बिल स्वीकार नहीं किया है।
		कांकरोली डिविजन	
१०.	खारी फीडर चैन ३०० से ३१७ तक	मैसर्स करनावट कन्सट्रक्शन कम्पनी, राजनगर	ठेकेदार ने दावा किया किया है ग्रौर वह केस न्यायालय के विचाराधीन है।
		बाईं नहर एण्ड चम्बल परियोजना कोटा	
११.	बून्दी ब्रांच कैनाल चैन नं० ८०३ से ८३३	श्री पुखराज कोठारी	इस बिल में कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्न निहित है कि जिन पर उच्च ग्रधिकारियों का निर्णय ग्रभी तक बाकी है।

परिशिष्ट—४

(तारांकित प्रश्न सं० १५१ की सूची)

पत्ता तेंदू तथा गोंद के ठेकों से हुई आय वन डिवीजनवार विवरण

डिवीजन	१९६८–६९ पत्ता तेंदू	१९६८–६९ गोंद	१९६९–७० पत्ता तेंदू	१९६९–७० गोंद	अधिक अथवा कम पत्ता तेंदू	अधिक अथवा कम गोंद
जयपुर	२०	५७०	८२	६८६	+६२	+११६
जोधपुर	५१२११	२७९०३	१८३२११	३३३५५	+१३२०००	+५४५२
अजमेर	३२५	१४९५१	१५१	१४९६१	−१७४	+१०
भरतपुर	१९७८०	३२५५	१२०००	५०७०	−७७८०	+१८१५
कोटा	८३१७	१६१५६	८०००	६६६७५	−३१७	+४७५१९
बारां	६७८०३	५१२७८	६४७५३	१०३३५२	−३०५०	+५२०७४
बूंदी	४०७९	२०९८६	४०३५	२०६११	−४४	−३७५
झालावाड़	३८७९०	४३३५	३९७१४	७५९००	+९२४	+७१५६५
टौंक	६६२२	१२५	६२७२	४७४५	−३५०	−४६२०
उदयपुर	१५७२६२	१३६११७	२७०९८७	२५३१५९	+११३७२५	+११६२४२
चित्तौड़गढ़	१०२१७८	१०२४५६	१००९८९	१२३५७८	−११८९	+३५१७२
बांसवाड़ा	५७३६२	९८८५	२१९११०	१३६१३	+१६१७४८	+३७२८
सिरोही	६५८६३	१२८४१	१०६९०३	४३६८२	+४१०४०	+३०७४१
योग	५३३५१३	४०१६०८	७५२००७	७७४२२७		

परिशिष्ट-५

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

रामदेवरा में चारे की कठिनाई

१५२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जैसलमेर की पंचायत समिति, पोकरण की पंचायत रामदेवरा में गत आठ साल से अकाल के कारण चारे की बड़ी परेशानी है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि पशु मालिकों को चारे व तूड़े (खाखला) के लिये ८ मील पोकरण जाना पड़ता है जिससे जितने का चारा खरीदा जाता है उतना ही किराया व काम का हर्जा हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामदेवरा में चारे व तूड़े का डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। रामदेवरा में सरकार द्वारा चारा व तूड़े का डिपो काफी समय से खुला हुआ है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

मशीनों का उपयोग

१५३. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई मानसिंह हास्पिटल तथा मेडिकल कालेज, जयपुर में किस-किस मूल्य की कौन-कौन सी मशीन कब-कब से उपयोग में नहीं लाई गई और क्यों ?

(२) कौन-कौन सी मशीन उपयोग में आने के कारण कब-कब से खराब पड़ी है ? इन मशीनों का उपयोग किन-किन डॉक्टरों द्वारा कितने-कितने समय के लिये किया गया तथा इन डॉक्टर्स को इन मशीनों के सम्बन्ध में कहां कहां कब-कब प्रशिक्षण दिया गया ?

(३) उपरोक्त मशीनों का क्रय किस-किस वर्ष में किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में ऑडिट आब्जेक्शन भी हुआ था ? यदि हां, तो किन मशीनों के सम्बन्ध में क्या-क्या आपत्ति उठाई गई थी और उसका किस प्रकार निराकरण किया गया ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले में राहत-कार्य

१५४. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले की किस-किस तहसील में किस-किस गांव में राहत कार्य चालू किये गये और किस-किस राहत कार्य में कितने-कितने मजदूर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि राहत कार्य पर काम करने वाले मजदूरों को दो माह तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(३) क्या यह सही है कि तहसील डूंगरगढ़ के काफी फेमिन कैम्पों पर मजदूरों को दिया गया अनाज व अन्य सामग्री में जहरीले पदार्थ होने के कारण सैंकड़ों व्यक्तियों को बेहोशी व दस्तो उल्टी की बीमारी हो गई? क्या यह भी सही है कि इन जहरीले पदार्थों से काफी मजदूरों की मृत्यु भी हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी नहीं। फेमिन कैम्पों पर राशन सरकारी दुकानों से ऐसा कोई अनाज व अन्य सामग्री नहीं दी गई, जिसमें जहरीले पदार्थ होने से बेहोशी व उल्टी की शिकायत हुई हो। अतः मृत्यु होने व इसकी जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले में चल रहे अकाल राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों की सूची
(दिनांक २८-२-१९७०)

क्रमांक	तहसील का नाम	सड़क का नाम	शिविर	श्रमिकों की सं०
१	२	३	४	५
१.	डूंगरगढ़	डूंगरगढ़, बिदासर सड़क	सालासर,	३९४०
			बाडेला	६१६०
२.	,,	पूनरासर बाडसर सड़क	बीजासर	२४६३
३.	,,	लिखमीसर काहर सड़क	लिखमीसर	५०४

१	२	३	४	५
४.	डूंगरगढ़	बिग्गा रेल्वे स्टेशन से नेशनल हाईवे तक सड़क निर्माण	बिग्गा	३०८७
५.	सरदारशहर	मानीपुरा-सोमासर सड़क	मालकसर	१६२२
			कींकासर	१६६८
			सोवरा	६२३
६.	,,	हरियासर से नीहर	बोधेरा	१५३१
७.	,,	सरदारशहर-चूरू	पूलासर	२०२
८.	रतनगढ़	मोमासर-राजलदेसर सड़क	लाखासर	७४२३
९.	,,	रणधीसर खान में रोड़ी तुड़वाना	रणधीसर	४०
			योग:—	२७२९३

हॉस्पिटल विजिटिंग कमेटी का गठन

१५५. श्री प्रेमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पहले हॉस्पिटल विजिटिंग कमेटी का गठन हुआ था ? यदि हां, तो राज्य के कौन से अस्पतालों में इस समिति ने कार्य किया एवं कौन-कौन से अस्पतालों में कार्य कर रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि चिकित्सा मंत्री ने राजस्थान मेडिकल ऐसोसिएशन के सम्मेलन, जोधपुर में एवं सितम्बर, १९६९ में निरीक्षण करते वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल में घोषणा की थी कि एक नई समिति का गठन किया जावेगा जिसके जरिये चिकित्सा सम्बन्धी आर्थिक सहायता जनता से प्राप्त हो सके ?

(३) क्या राज्य सरकार ने इस समिति को गठित कर दिया ? अगर समिति का गठन कर दिया तो कौन-कौन से सदस्य हैं तथा इस समिति का कार्यक्षेत्र क्या है ? यदि इस का गठन नहीं किया तो इसके क्या कारण हैं ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु राज्य के अस्पतालों में न तो समितियों ने कोई कार्य किया और न ही वर्तमान में कार्य कर रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। राज्य सरकार ने परिपत्र क्रमांक एफ ११ (१) एम. पी. एच./ ५४/ग्रुप-२ दिनांक ३०-१-७० द्वारा समिति के गठन के संबंध में आदेश प्रसारित किए हैं जिसकी कार्यवाही चल रही है।

पंचायत समिति मनोहरथाना द्वारा भवन निर्माण कार्य

१५६. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मनोहरथाना पंचायत समिति में अधिकारियों एवं ऑफिस कार्यालय भवन के लिये कभी धनराशि की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो उसके तहत कितने हजार रुपयों का कार्य किया गया था ?

(२) क्या उक्त कार्य (भवन निर्माण) सम्पूर्ण हो गया है अथवा अधूरा पड़ा है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त अधूरा पड़ा भवन दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है और उसका सामान खिड़कियों, तार, ईंटें एवं पत्थर लोग शनैः शनैः उठाकर ले जा रहे हैं ?

(४) सरकार और अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करके उक्त अधूरे कार्य को पूरा क्यों नहीं कराना चाहती ?

(५) क्या आम तौर पर अन्य पंचायत समितियों को इसी प्रयोजनार्थ ८०-९० हजार की राशि स्वीकृत की हुई थी ?

उत्तर

(१) जी हां। कुल २५,९०७.५४ का कार्य हुआ।

(२) भवन निर्माण कार्य अधूरा है।

(३) कार्य अधूरा होने के कारण उसके दिनों-दिन खराब होने व उसमें लगे सामान इत्यादि के लोगों द्वारा उठाकर ले जाने की सम्भावना रहती है।

(४) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Page No 256

(पंचायत मंत्री)

(५) पैटर्न के अनुसार विकास अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी आवास भवनों के लिये ८०,०००) रु० की धनराशि दी जाती है।

सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

१५७. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरपंच माईजा, पंचायत समिति केशोराय पाटन, जिला बून्दी के खिलाफ राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा १७ (४) के तहत कार्यवाही चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) सरपंच श्री कल्याण के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन कब पेश किया गया और उसमें उक्त सरपंच के विरुद्ध कितने आरोप लगाये गये, जांच कब शुरू की गई और परिणाम क्या निकला ?

(३) सरपंच के विरूद्ध इतने गम्भीर आरोप होते हुए भी उसे यथासमय धारा १७ (४) (ए) के तहत क्यों नहीं निलम्बित किया गया ? अगर नहीं, तो फिर ऐसी कार्यवाही करने से क्या लाभ है ?

(४) सरपंच श्री कल्याण अपने पद पर कब से कार्य कर रहे हैं ? इस पंचायत का क्या कभी ऑडिट किया गया ? यदि हां, तो कब-कब और उसका क्या परिणाम रहा ?

(५) क्या सरकार उक्त सरपंच पर पुलिस केस चलाना चाहती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(६) क्या इसी धारा के तहत श्री जसवीरसिंह, सरपंच गुढ़ा नाथावतान तहसील बून्दी को निलम्बित कर दिया गया ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक २५-७-६४ से।

(२) विस्तृत जांच दिनांक २८-९-६४ को प्रारंभ की गई व जांच प्रतिवेदन दि० ९-१०-६७ को प्राप्त हुआ। उनके विरुद्ध ८ आरोप लगाये गये थे। मामला सरकार के विचाराधीन है।

(३) जी नहीं। मामले में आगामी सुनवाई का दिनांक १-५-७० का निश्चित है। सरपंच को सुन कर निर्णय लिया जायेगा। निलंबित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Page No 257

(पंचायत मंत्री)

४. पंचायत की स्थापना से कार्य कर रहे हैं। पंचायत का ऑडिट निम्न वर्षों का किया गया:—

वर्ष	ऑडिट का दिनांक	कार्यवाही का विवरण
१९६०–६१	७-१२-६१	पंचायत समिति से पंचायत की अनुपालन रिपोर्ट पर टिप्पणी प्राप्त होने पर जिलाधीश, राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् १९५३ की धारा ६७ के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।
१९६१–६२	२०-१०-६२	
१९६२–६३	९/२-५-६३	
१९६३–६४		
१९६४–६५	१२/१३-७-६६	
१९६५–६६		
१९६६–६७	२६-४-६७	

(५) विभागीय जांच पर अन्तिम निर्णय के समय विचार किया जायेगा।

(६) जी हां। आरोपों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन की कार्यवाही की जाती है।

नोखा मण्डी में शराब का ठेका

१५८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील नोखा के कस्बा नोखा मण्डी में शराब का ठेका किस व्यक्ति के नाम से है और यह ठेका किस तारीख को कितनी अवधि के लिए दिया गया व इस ठेकेदार की सीमा का क्षेत्रफल क्या है?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार में कर भी बकाया है? यदि हां, तो कुल कितना कर बकाया है?

(३) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदार जीपों में बोतलें भर भर कर खुले आम गांवों में नाजायज ढंग से व धार्मिक स्थान पर शराब बेचते हैं? यदि हां तो क्या सरकार इस तरह की बिक्री करने वालों पर पाबन्दी लगायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) कस्बा नोखा की देशी मदिरा की दुकान (उप-दुकान, डीगसर सहित) का ठेका श्री गन्नीखां वल्द हुसैनखां एवं अलादीनखां वल्द बहादुरखां को माह मार्च, १९६९

(आबकारी मंत्री)

में दिनांक १-४-६९ से ३१-३-७० तक की अवधि के लिये दिया गया है। कस्बा नोखा के लिये नोखा में एक दुकान है तथा इसकी एक उप-दुकान ढींगसर में स्थित है। यही उस ठेकेदार का क्षेत्र है।

(२) वर्ष १९६८—६९ तक इन ठेकेदारों में इस दुकान को कोई बकाया राशि नहीं है।

(३) राजस्थान आबकारी अधिनियम व नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थान पर ही शराब बेची जा सकती है। स्वीकृत स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर शराब का बेचना कानूनी अपराध है और पकड़े जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है।

न्याय पंचायतों के सदस्यों का रिटायरमेन्ट

१५९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला नागौर के मौजूदा न्याय पंचायतों के सदस्यों का रिटायरमेन्ट (सेवा-निवृत) समय पर नहीं हुआ है? यदि हां, तो ये कब होने चाहिए थे और कब-कब हुए हैं? न्याय पंचायतवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस समय कुछ ऐसे सदस्य भी लगातार कार्य कर रहे हैं जो नियमानुसार सेवा निवृत हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कब-कब से? न्याय पंचायतवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सदस्यों द्वारा सेवा-निवृत्त हो जाने के बाद भी अनधिकृत रूप से अपने पद पर बने रहने के सम्बंध में कोई शिकायतें सरकार को मिली थीं? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(४) क्या उक्त सदस्यों में कुछ सदस्य न्याय पंचायतों के अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने नियमानुसार सेवा निवृत्त होने के बाद भी अपना चार्ज किसी दूसरे सदस्यों को नहीं दिया? यदि हां, तो वे कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) इस प्रकार अनधिकृत रूप से न्याय पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा कार्य चलाते रहने के सम्बन्ध में उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक करने का सरकार विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट—६

(अतारांकित प्रश्न संख्या १८६ की सूची)

विभिन्न रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न रियासतों से प्राप्त नकद धनराशि तथा देनदारी की तालिका।

रियासत का नाम	नकद धनराशि			देनदारी		
	रु०	आ०	पै०	रु०	आ०	पै०
१. लावा		—			—	
२. सांभर सामलात	४,३९,६४४	२	६	७५,९४९	३	९
३. नीमराना		—			—	
४. सिरोही	२९,७३९	४	११	११,३६,१६२	१	८
५. जैसलमेर	४,८४,५२३	६	११½	५७,३९९	४	४
६. भूतपूर्व राजस्थान	१,३४,७३,२१६	६	९	७,०५,८०,६९३	१५	३
७. जोधपुर	८०,०६,३८०	३	५	४,५०,४८,२५१	९	३½
८. मत्स्य	१५,१७,२३५	१२	३	१,४१,८१,३९८	४	५
९. बीकानेर	३२,९८,४१३	७	४	१,२७,९२,९५०	७	८
१०. जयपुर	१७,३२,२२१	१०	०	४,०२,१८,५९२	०	३
योग....	२,८९,८१,३७४	६	१½	१८,४०,९१,३९६	१४	६½

परिशिष्ट—७

(अतारांकित प्रश्न संख्या १९२ की सूची)

पंचायत समिति, बीकानेर के सदस्यों की तथा उनके बैठकों में उपस्थिति के विवरण की सूचीः—

क्र० सं०	नाम सदस्य	कुल बैठकों की संख्या	उपस्थिति की संख्या
१	२	३	४
१.	सुश्री चन्द्रकला प्रधान	४७	२४
२.	श्री विक्रमसिंह, सरपंच, दन्तौर	४७	३४
३.	,, उत्तमसिंह, उप-सरपंच, अमरपुरा	४७	३७
४.	,, जगजीतसिंह, सरपंच, पूगल	४७	३४
५.	,, याखां ,, सतासर	४७	३२
६.	,, पृथ्वीसिंह ,, करणीसर	४७	४१
७.	,, गोपालराम ,, जयमलसर	४७	२५
८.	,, अर्जुनसिंह, नालमड़ी सरपंच	४७	२६
९.	,, गंगाराम, मालासर ,,	४७	३४
१०.	,, रहीमशाह, जामसर ,,	४७	२२
११.	,, किशोरसिंह, कानासर ,,	४७	३०
१२.	,, रावतमल रूणिया, बडावास ,,	४७	३०
१३.	,, आशाराम, शेख ,,	४७	३३
१४.	,, श्रीराम नौरंग देसर ,,	४७	२०
१५.	,, बजरंगलाल, नापासर ,,	४७	२१
१६.	,, तेजपाल, सीयस ,,	४७	२२
१७.	,, लालसिंह, तेजरासर ,,	४७	३६
१८.	,, गोमाराम, मूण्डसर ,,	४७	३१
१९.	,, लिछमणाराम, रामसर ,,	४७	३०
२०.	,, लूणाराम, गुसाईंसर ,,	४७	३२
२१.	,, मूलाराम, गाढवाला ,,	४७	३१
२२.	,, सरदाराराम, केकरदेसर जा. ,,	४७	४३
२३.	,, ईसरसिंह, मम्बासर सरपंच	४७	३६

Page No 261

१	२	३	४
२४.	श्री अर्जुनराम पलाना सरपंच	४७	३६
२५.	,, मेमराज बरसिहसर ,,	४७	३५
२६.	,, रामलाल लाभदेशर ,,	४७	२४
२७.	,, रामचन्द्र शिवबाड़ी ,,	४७	२७
२८.	,, नानूराम करनीसर ,,	४७	३१
२९.	,, मोडाराम सुजानदेसर ,,	४७	३२
३०.	,, जगमालसिंह, उदयरामसर ,,	४७	२९
३१.	,, तिलोकचन्द्र उदासर ,,	४७	२८
३२.	,, रतनलाल रिडमलसर ,,	४७	३५
३३.	,, लादूराम कम्बलू ,,	४७	४३
३४.	,, सियाराम कालासर ,,	४७	३६
३५.	,, धोकलराम सहवृत्त सदस्य	४७	२८
३६.	,, पूर्णाराम सहवृत्त ,,	४७	२४
३७.	श्रीमती कृष्णा गोदारा बरसिहसर	४७	११
३८.	श्री भीमसेन एम० एल० ए०	४७	७
३९.	श्रीमती कान्ता कथूरिया ,,	२२	२

Page No 262

परिशिष्ट—८

(अतारांकित प्रश्न संख्या १९४ की सूची)

पंचायत समिति लाडनू में ऑडिट रिपोर्टों के अनुसार की जाने वाली वसूली की सूची

क्रमांक	नाम	राशि वसूल करनी थी	कितनी वसूल की गई	बकाया की कार्यवाही
१.	श्री फतूखां ठेकेदार	४.०६	—	४.०६ का नोटिस दिया जा चुका है।
२.	,, खेमाराम अ०	४.१७	४.१७	—
३.	,, महावीर प्रसाद पैट्रोल डीलर	०.२०	०.२०	वसूल हो चुकी है।
४.	,, सूरजप्रकाश ए. डी. आई.	१८.८६	१८.८६	,,
५.	,, शुकदेव शर्मा दीपकर, प्रधान	१४.६०	१४.६०	,,
६.	,, प्रह्लादसिंह, ग्रामसेवक	१८.८०	१८.८०	,,
७.	,, गोविन्दलाल माथुर एस. डी. आई.	४३.४५	२३.५१	१९.९४ का नोटिस दिया जा चुका है।
८.	,, धनराज कं० लि०	४.७०	४.७०	वसूल हो चुकी है।
९.	,, तुलसीराम अ०	२.२५	२.२५	,,
१०.	,, रामचन्द्र	८.१०	८.१०	,,
११.	,, केशरसिंह, सरपंच	४.५०	—	४.५० का नोटिस दिया जा चुका है।
१२.	,, करणीसिंह, सरपंच	१०.२४	—	१०.२४ का नोटिस दिया जा चुका है।
१३.	,, ए० पी० भटनागर	२५.४०	२५.४०	वसूल हो चुकी है।
१४.	,, श्यामलाल माथुर	१६.२५	१६.२५	,,
१५.	,, आनन्द प्रकाश भटनागर, विकास अधिकारी	४.६०	४.६०	,,
१६.	,, आनन्द प्रकाश, व० लि०	२२.००	—	वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।
१७.	,, पुरुषोतमनाथ ओवरसियर	१.४०	१.४०	वसूल हो चुकी है।
१८.	,, शुकदेव दीपकर, प्रधान	६.००	६.००	,,
१९.	,, तहसीलदार लाडनू	८०.००	—	वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।

परिशिष्ट—९

(अतारांकित प्रश्न सं० १९८ की सूची)

बीकानेर जिले में सं० २०२५ में करवाये गये सहायता कार्यों के श्रमिकों को वितरण किये गये गुड का विवरण-पत्र

क्रमांक	कैम्प का नाम	अधिकारी का नाम जिसके द्वारा गुड़ वितरण किया गया	गुड़ की मात्रा क्वि. कि० ग्रा०	विवरण
१	२	३	४	
१.	फैमिन कैम्प नं० ८	श्री सहायक अभियन्ता नं० ८	१९-०९-१००	
२.	फैमिन कैम्प नं० ९	श्री सहायक अभियन्ता नं० ९	२१-७७-९००	
३.	कैम्प सतासर	श्री धनराय गिरदावर	१५-०२-९००	
४.	फैमिन कैम्प नं० ९	श्री सत्यनारायण जे० इएन नं० ९	१०-२०-०००	
५.	फैमिन कैम्प धोधा	श्री देवीसिंह पटवारी	१५-८७-२००	
६.	फैमिन जेयमलसर-मानीपुरा	श्री नथूसिंह पटवारी	९-१२-०००	
७.	फैमिन कैम्प नं० ९	श्री सहायक अभियन्ता नं० ९	१७-०२-९००	
८.	फैमिन खारडा तलाई कैम्प	श्री भू-संरक्षण अधिकारी, बीकानेर	२-०१-३००	
९.	कैम्प गाड़वाल	सहायक अभियन्ता नं० ९	६-८०-१००	
१०.	फैमिन कैम्प पूटल	भंवरलाल सोनी पटवारी	१४-४१-०००	
११.	फैमिन कैम्प उदासर	श्री आसूसिंह पटवारी	१४-१४-६००	
१२.	फैमिन गुंसाईसर	श्री मनोहरलाल पटवारी	१२-२१-१००	
१३.	फैमिन रामसर	श्री बाबूलाल पटवारी	२०-०२-०००	
१४.	फैमिन सींथल बेलासर	श्री रामेश्वरलाल पटवारी	१७-२६-१००	
१५.	फैमिन आमसर	श्री फजलहक पटवारी	१२-४७-७००	
१६.	फैमिन नौरंगदेसर	श्री मनोहरलाल पटवारी	१५-२१-५००	
१७.	फैमिन तेजरासर	श्री रघुनाथ पटवारी	१५-६०-०००	
१८.	फैमिन प..ाना	श्री लक्ष्मीदान पटवारी	१९-७२-३००	
१९.	फैमिन मोसीगढ़	श्री दिलीपसिंह पटवारी	१५-४९-५००	
२०.	फैमिन आरणा	श्री जिला भू-संरक्षण अधिकारी	२-०१-३००	
२१.	कोलायत	श्री जिला भू-संरक्षण अधिकारी	४-६२-०००	
२२.	नान्दड़ा	श्री आसूराम पटवारी	६-९३-५००	
२३.	कोलायत	भू-संरक्षण अधिकारी, बीकानेर	४-६२-१००	
२४.	गुढा	श्री ब्रजरतन पटवारी	३-०७-२००	

१	२	३	४
२५.	गजनेर	श्री मैकीराम पटवारी	९-७१-६००
२६.	वरसलपुरा	श्री उदाराम पटवारी	६-००-०००
२७.	गंगापुरा	श्री गोविन्दसिंह पटवारी	५-९३-७००
२८.	मेलू	श्री कानाराम पटवारी	६-००-०००
२९.	खेवड़ा	श्री गुरुदीपसिंह पटवारी	१०-००-०००
३०.	नाडियामा	श्री हरिसिंह पटवारी	१०-००-०००
३१.	बोकमपुरा	श्री भागीरथ पटवारी	२४-७१-०००
३२.	इदा	श्री बख्तावरसिंह पटवारी	२०-००-०००
३३.	वज्जू	श्री मांगीलाल पटवारी	१४-००-०००
३४.	बियातरा	श्री बूटासिंह पटवारी	१०-००-०००
३५.	नमरासर	श्री गुरुदीपसिंह	१३-००-०००
३६.	नोखड़ा	श्री मोहनदास	१०-००-०००
३७.	झझू	श्री सत्यनारायण	२०-००-०००
३८.	सियाणा	श्री जैठमल	२०-००-०००
३९.	मोटोलाई	श्री ठाकरराम पटवारी	३-४८-६००
४०.	मलकीसर	श्री ख्यालीराम कनिष्ट लिपिक	२-२१-२००
४१.	ढाणी पाण्डूसर	श्री सांवतराम कनिष्ठलिपिक	२-२५-५००
४२.	जैतपुर	श्री बलराम पटवारी	१-७६-०००
४३.	महाजन	श्री हरजीराम पटवारी	२-२०-७००
४४.	कालू	श्री देवीराम एल० डी० सी०	४-४३-७००
४५.	लूनकरनसर	श्री एम० एल० गर्ग	१-८०-८००
४६.	लूनकरनसर	ए० ई० एन० कैम्प, लूनकरनसर	०-८७-५००
४७.	लूनकरनसर	श्री एम० एल० गर्ग	०-८६-०००
४८.	महाजन	श्री पी० एल० शर्मा महाजन	२-२०-०००
४९.	इंसेरा	श्री चिमनलाल ओवरसियर	१९-६८-६००
५०.	शेखसर	श्री ख्यालीराम एल० डी० सी०	४०-३९-१००
५१.	कुम्भाना	श्री पूर्णाराम पटवारी	९-६७-३००
५२.	बसरासर	पटवारी	३ ९०-०००
५३.	भाकड़ा	,,	३-८९-०००
५४.	पांचू	,,	३-८०-०००
५५.	उदासर	,,	१-८२-०००
५६.	नाथूसर	,,	१-८९-०००
५७.	रोड़ा	,,	१-९७-०००

१	२	३	४
५८.	सारूंडा	पटवारी	३-६४-०००
५९.	साधूना	”	१-८०-०००
६०.	भामटासर	”	९-६०-०००
६१.	बैरासर	”	९-६८-०००
६२.	कूदमू	”	१२-५०-०००
६३.	मांमलू	”	९-२५-०००
६४.	देसलसर	”	३-९५-५००
६५.	नोखा गांव	”	२-८८-०००
६६.	धरनोक	”	३-८५-०००
६७.	रायसर	”	२-९४-०००
६८.	कजकू	”	४-००-०००
६९.	मांदला	”	३-००-०००
७०.	सितमु	”	२-९२-०००
७१.	चरकड़ा	”	२-९४-०००
७२.	हिमटसर	”	६-४४-०००
७३.	गजमुतदेसर	”	३-९०-०००
७४.	मैनसर	”	२-९४-०००
७५.	सावासर	”	२-९४-०००
७६.	कुचोर भागुणी	”	०-९०-०००
७७.	कुचोर भागुणी	”	२-९२-०००
७८.	उडसर	”	२-९३-०००
७९.	मोरमाना	”	२-९२-०००
८०.	कादनू	”	२-९३-०००

परिशिष्ट—१०

(अतारांकित. प्रश्न संख्या २०१ की सूची)

सूची (क)

वर्ष १९६८-६६ व अप्रैल, १९६९ से सितम्बर, १९६९ तक हुये वास्तविक व्यय की मदवार सूची

खर्च का मद	वर्ष ६८-६६ (लाखों में)	अप्रैल, ६६ से सितम्बर, ६६ तक (लाखों में)
१. वेतन व स्थापना	१७-६८	३६-२१
२. सहायता कार्य—		
(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से	७२१-४७	२८७८-८५
(ख) सिंचाई विभाग के अभिकरण से	१०२-०६	५३२-४०
(ग) राजस्व विभाग के अभिकरण से	४१-४२	१७०-३०
(घ) कृषि विभाग के अभिकरण से भू-संरक्षण कार्य	१६-२२	१४०-७७
(ङ) वन विभाग के अभिकरण से	१४-०६	४८-१४
३. असहाय सहायता	२०-०१	२८-०५
४. पेय जल व्यवस्था	१३७-३६	१२६-७०
५. पशु संरक्षण एवं चारा प्रबन्ध	६५-४६	८५-००
६. खाद्यान्न परिवहन पर अनुदान	३-६६	३-३८
७. तकावी ऋण	११८-८३	८७-८४
	१३०८-५३	४१४०-६४

सूची (ख)

सम्वत् २०२५ में जिलेवार प्रभावित ग्राम, प्रभावित जनसंख्या एवं प्रभावित पशु-संख्या की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या	प्रभावित पशु संख्या
१.	अजमेर	८९९	८६८५५०	१०९७८४६
२.	अलवर	१६६	१०८३५८	१०५२९२
३.	बांसवाड़ा	१४६१	४६६४३९	७७९३६९
४.	बाड़मेर	८५२	६८९७९४	६६४८७९
५.	भरतपुर	२०१	९६३१०	—
६.	भीलवाड़ा	१३२८	७४०२७६	१११३७६६
७.	बीकानेर	६८०	४४५०००	१३४४५७०
८.	बूंदी	३८७	१३६७४६	११५२०३१
९.	चित्तौड़गढ़	१६०८	५८२२१०	१०५२५००
१०.	चूरू	८३४	५८८३६	८९२६२०
११.	डूंगरपुर	७९०	३७२८६४	७८२०१५
१२.	गंगानगर	६०९	२६२४५१	५७९२१८
१३.	जयपुर	२६०७	१२५५३००	—
१४.	जैसलमेर	५१२	५५१५७१	११९९०२४
१५.	जालौर	६०७	५५१५७१	१३९५९९१
१६.	झालावाड़	३१४	९७१७०	१५५९९०
१७.	झुंझुनू	६९८	७०७२८२	३२२१५९
१८.	जोधपुर	७२६	६६०५०४	१७५४८९६
१९.	कोटा	४४५	१७३०००	१५५८९४
२०.	नागौर	९७०	१२५०७७	१०४२२७
२१.	पाली	८५३	८०५६८२	७२५७९१
२२.	सवाई माधोपुर	४८३	२८०५१२	४००३५८
२३.	सीकर	६९४	५९५३६८	४०४६४०
२४.	सिरोही	४५५	३५३४००	७५९९६६
२५.	टोंक	१०३७	४१८६५१	९९५५७४
२६.	उदयपुर	२५७८	९९८०४०	१६७१४८५

सूची—ग

सम्वत् २०२६ में प्रभावित ग्रामों की जिलेवार सूची

क्र० सं०	नाम जिला	प्रभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
१.	बाड़मेर	८५२
२.	जैसलमेर	५१२
३.	बीकानेर	५९८
४.	नागौर	७११
५.	पाली	८१८
६.	जालौर	६०८
७.	चूरू	३४७
८.	गंगानगर	३२८
९.	अजमेर	७५०
१०.	झुंझुनू	१९३
११.	सिरोही	४०६
१२.	जोधपुर	७२१
१३.	डूंगरपुर	७७३
१४.	भीलवाड़ा	४४४
१५.	उदयपुर	१७६५
१६.	बांसवाड़ा	२२४

परिशिष्ट—११

(अतारांकित प्रश्न संख्या २०५ की सूची)

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, नागौर

मिडिल स्कूल के उन प्रधानाध्यापकों की सूची जिन्हें १-७-६३ से अस्थाई रूप से इस कार्यालय द्वारा द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नत किया गया

क्र० सं०	नाम तथा स्कूल का नाम	योग्यता
१.	श्री जोगीलाल, उ० प्रा० वि०, रानीगांव	बी० ए०, बी० एस. टी. सी.
२.	श्री पूरणमल, उ० प्रा० वि०, कुकनवाली	बी० ए०, बी० एस. टी. सी.
३.	श्री पृथ्वीराम, उ० प्रा० वि०, तोसीणा	एम० ए०
४.	श्री गोपीकिशन, उ० प्रा० वि०, पादू कलां	बी० ए०, बी० एस. टी. सी.
५.	श्री परमसुख, उ० प्रा० वि, डांगावास	बी० ए०, बी० एस. टी. सी.
६.	श्री भंवरलाल, उ० प्रा० वि०, खुनखुना	एम० ए०, एवं बी० काम.
७.	श्री रोशनलाल, उ० प्रा० वि०, रियां	बी० ए०, बी० एस. टी. सी.
८.	श्री पुष्पराज, उ० प्रा० वि०, निम्बीजोधां	एम० ए०
९.	श्री शंकरलाल, उ० प्रा० वि०, हरनावां	एम० ए०
१०.	श्री लक्ष्मीनारायण, उ० प्रा० वि०, बागोट	एम० ए०, बी० एस. टी. सी.
११.	श्री मदनलाल, उ० प्रा० वि०, रताऊ	बी० ए०
१२.	श्री सूरजकरण, उ० प्रा० वि, रिड	बी० ए०
१३.	श्री शिवदानराम, उ० प्रा० वि०, रोल	बी० ए०
१४.	श्री ईश्वरदान, उ० प्रा० वि०, सांजू	बी० ए०

OFFICE OF THE DY. DIRECTOR OF EDUCATION, J. B. RANGE, JODHPUR

No. EDB/JU/AE/2057/63-64/2 *Dated 29-6-63.*

To

The Inspector of Schools,
J. B. Range.

Sub:—Continuation of Graduate Teachers.

Order for re-appointment/promotion of all such Graduate Teachers who have been working in the following capacities in grade II may be issued at your end against the available vacancies for 6 months or till Senior/Selected candidates are available, whichever is earlier:—

1. All these in-service teachers who were running in Trained Inter Grade and were promoted to graduate grade in 1961 or subsequently in order of seniority.
2. Teachers who have been working for last two years in Grade II for 9 months in each session, strictly accordingly to seniority.
3. All Science and Maths. Graduates.
4. All trained Graduates.

The above orders will take effect from 1-7-63 and may finally be got confirmed from this office.

SD/-Dy. Director of
Education Jodhpur.

——

परिशिष्ट–१२

(अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Medical & Pub. Health Department

No. F. 1 (35) MPH/66 *Dated the 11th Jan, 1968.*

Seth Gajraj Gangwal,
68, Nalini Street Roa,
Calcutta-7

Sub:—Management of Sukhdeo Hospital for women and Children, Ladnu.

Dear Sir,

It has been brought to the notice of the Health Minister, Rajasthan that there is no lady doctor in the Sukhdeo Hospital for Women and Children, Ladnu. He has, therefore, suggested that the Hospital Authorities should make arrangement to appoint a doctor as early as possible. I am, therefore, directed to request you kindly to look into the matter personally and implement the above suggestion in accordance with condition No. 3 of the aggreement under intimation to the Government.

Yours faithfully,
Sd-
Dy. Secy. to Govt.

———

परिशिष्ट–१३

(अतारांकित प्रश्न संख्या २११ की सूची)

घास एकत्रीकरण की सूची— अक्टूबर, ६९ से जनवरी, ७० तक

क्षेत्र	एकत्रित घास की मात्रा क्विन्टल में	व्यय रुपयों में
उदयपुर	७,०२१	३३,०१२
सिरोही	८,३५०	कटाई आधे बांटे पर हुई है।
बांसवाड़ा	६,१०७	६६,४७०
जयपुर	२,५१०	१०,६४६
जोधपुर	१,६५८	१०,००४
भरतपुर	४,८००	३५,०००
हनुमानगढ़	३,४२०	१३,१७४
चित्तौड़गढ़	३२,०२३	१,७६,४७६
बारां	६,८८६	४६,२०४
कोटा	१२,८१२	८३,२०६
झालावाड़	८,०८२	४४,३०२
प्रोजेक्ट कोटा	३,६६५	२६,०००
योग....	१०३,३६७	५,८०,४९७

परिशिष्ट–१४

(अतारांकित प्रश्न संख्या २०३ की सूची)

सत्र १९६९-७० में चालू शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र

(क) राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय—

१. विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, गोवर्धन विलास, उदयपुर।
२. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), बून्दी।
३. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), उदयपुर।
४. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), बीकानेर।
५. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), जोधपुर।
६. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), जयपुर।
७. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय (महिला), अलवर।

(ख) राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र—

१. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, मसूदा, (अजमेर)।
२. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, गोनेर, जयपुर।
३. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, टौंक।
४. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, आबू पर्वत (सिरोही)।
५. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, करौली।
६. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर।
७. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, नान्तामहल, कोटा।
८. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, फलोदी (जोधपुर)।
९. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द (उदयपुर)।
१०. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर।
११. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, शाहपुरा (भीलवाड़ा)।
१२. राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केन्द्र, विद्याशाला, जोधपुर।

(ग) मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय—

१. बिहाणी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, श्री गंगानगर।
२. बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, डीग (भरतपुर)।
३. सरस्वती बालिका शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, (महिला), अजमेर।
४. महिला शिक्षा-सदन शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय हटुण्डी, अजमेर।

राजस्थान सरकार
(शिक्षा विभाग)

क्रमांक ईडी./बी./ईस्टे./बी./ई. ११३२६/६६/४६   दिनांक २/१-१-१६६६

समस्त विकास अधिकारी,
पंचायत समितियां ।

विषयः—तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति ।

जैसा कि आपको विदित है तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति प्रशिक्षित हो। इस विषय में विकास विभाग के परामर्श से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अध्यापकों के पद पर नई नियुक्तियां, चाहे वे कितनी भी छोटी अवधि के लिये क्यों न हों केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही की जानी चाहियें। राज्य सरकार का यह निर्णय सचिव, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् चयन आयोग, जयपुर द्वारा आपको प्रेषित किया जा चुका है। अप्रशिक्षित अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति उस स्थिति में ही हो सकती है जब कि चेष्टा के बावजूद भी प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध न हों। खेद का विषय है कि स्पष्ट आदेशों के बावजूद भी अनेक विकास अधिकारी अप्रशिक्षित व्यक्तियों को अध्यापकों के पदों पर नियुक्त कर रहे हैं।

सभी विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे उपरोक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची रखें तथा विकास अधिकारी द्वारा ऐसी सूची मांगने पर नाम प्रेषित कर दें। अतः यदि काम दिलाऊ कार्यालयों से प्रशिक्षित व्यक्तियों के नाम प्राप्त न हो सकें तो यह आवश्यक है कि अपने संबंधित विद्यालय निरीक्षकों से सम्बन्ध स्थापित किया जाय तथा उपलब्ध प्रशिक्षित अध्यापकों के नाम प्राप्त किये जायें। यदि विद्यालय निरीक्षक भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यक संख्या में उपलब्ध न करा सकें, केवल तब ही अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति अध्यापकों के पदों पर की जाय और वह भी इस स्पष्टीकरण के साथ कि जैसे ही प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त होंगे इन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी जायगी। यदि इस समय के लिये किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति की गई हो तो यह आवश्यक है कि उसकी सूचना सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक को दी जाय तथा जैसे ही उनके द्वारा भेजे हुए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जायं अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय।

विभाग को विवश होकर यह निर्णय लेना पड़ा कि यदि राज्य सरकार के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो उस पंचायत समिति को इस विभाग द्वारा दिया जाने वाला अनुदान रोक दिया जायगा और इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी का होगा।

ह० (अनिल बोर्दिया),
अतिरिक्त संचालक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

शुद्धि–पत्र

(मंगलवार, दिनांक १७ मार्च, १९७०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६	अन्तिम मे १	सचाई	सिचाई
१३	१२	चार्टड	चार्टर्ड
१३	अन्तिम से ११	में	मैं
१७	१	बल गाड़ा का	बैल गाड़ी की
१८	अन्तिम से ६	अभिकारी	अधिकारी
२३	,, ८	मौजूदवगी	मौजूदगी
२५	,, ७	फसला	फैसला
३२	,, ६	क	कब
३४	४	विव द	विवाद
३४	अन्तिम से ३	ज ती	जाती
३५	६	—	श्री
४२	अन्तिम से १०	कटग्रस्त	संकटग्रस्त
५३	,, १३	—	१४५.
५८	३	ले वा	लेखा
५९	शीर्ष	—	श्री
६७	१	प म	आम
७७	अन्तिम से १६	द्वा ा	द्वारा
८०	,, २	लाडन	लाडनू
८३	अन्तिम से ११	श्र ंखला	शृंखला
८९	शीर्षक	श्री यातायात मंत्री	(यातायात मंत्री)
९२	२	रोकढ	रोकड
१०२	अन्तिम से १०	आ ने	आपने
११०	१३	के खिलाफ कानून	को गैर कानूनी

१	२	३	४
११५	१	य	थीं
११८	६	ग्रो	और
११६	अन्तिम से १४	मन	मना
१२३	६	वहीं	यहीं
१३६	१५	जततन्त्र	जनतन्त्र
१४४	१८	जनतंत्र	जनतन्त्र
१६२	अन्तिम से ५	का	की
१७३	,, १५	व्यस्था	व्यवस्था
१८३	,, १४	परेश नी	परेशानी
१८३	,, ६	तैसरी	तीसरी
१८४	,, २२	पुन र्थापन	पुनर्संस्थापन
१८५	,, १८	विभ गीय	विभागीय
१८५	,, १३	कराय	कराया
१८६	,, १५	स्तर	स्तर के
१८७	८	मुदे	मुद्दे
१८७	१३	च हता	चाहता
१८८	६	८८	८८ गांव
१६०	अन्तिम से १३	इस्थियशन	इन्सटियेशन
१६०	,, ६	वचन	वज़न
१६०	,, ३	ट्रिव्यूटरी	ट्रिव्यूटरी
१६३	१७	कान्टेन्ट	कन्टेक्स्ट
१६४	१२	स्थिति है .	स्थिति नहीं है
१६४	अन्तिम से १४	लड़दा	लद्दा
१६६	२	चचां	चर्चा
२००	१	म ननीय	माननीय
२००	१५	रोजगरि	रोजगार
२०१	१६	उस ी	उसकी
२०१	अन्तिम से ८	सकत	सकती
२०१	,, ५	क्य कि	क्योंकि

१	२	३	४
२०२	,, ११	एसा	ऐसी
२०३	अन्तिम ५	श्री उपाध्यक्ष	, उपाध्यक्ष
२०६	,, १६	स्व कृति	स्वीकृति
२०७	,, १२	ना	मना
२०८	,, ६	स्तरा	स्तरों
२०९	,, १	लण्ड	लैण्ड
२१०	२	फागर	फीगर
२१३	१६	दिया जाये	दी जाय
२१६	११	मं त्रमंडल	मंत्रिमंडल
२१९	९	—	श्री
२२५	अन्तिम से १	पृथक्र	पृथक्
२२७	,, ६	स्ल	स्कूल
२२९	[illegible]	श्री	(श्री
२३४	११	१०)	१००)
२३६	१७	पर	पर चर्चा
२४८	५	प्रादि	प्रादि न
२५१	७	क	कम
२६५	२	उद सीनता	उदासीनता
३४३	८	माध्यय	माध्यम
३५५	शीर्ष	श्री यशवन्तसिंह नाहर	(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
४१८	अन्तिम से १	ोर	श्रोर
४२७	,, १	प्रब	जब
४२९	३	माथूर	माथुर
४३२	२	की	कि
४३३	अन्तिम से ३	मे	में
४३३	,, २	सकत	सकता
४३८	,, ११	कुमारा	कुमारी
४३९	अन्तिम से ९	वृ द्वचन्द	वृद्धिचन्द

१	२	३	४
४४७	अन्तिम से १८	समस्था	समस्या
४४८	१५	कमेटो	कमेटी
४५०	३	उा ध्यक्ष	उपाध्यक्ष
४५०	अन्तिम से ६	जातय	जातीय
४६२	६	रिप्रेजंट	रिप्रेजेंट
४६६	४	श्री उपाध्यक्ष	—
४६७	अन्तिम से २	पी०	—
४७४	,, १४	अ वाल	अग्रवाल
४८५	५	प्रासीडिंग्स	प्रोसीडिंग्स
४९५	अन्तिम से ६	अधीक्षण	अधीक्षक
११३ से १४४	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर— १७ मार्च, १९७०—	शासकीय वक्तव्य— १७ मार्च, १९७०—
		अध्यक्षीय व्यवस्था	शासकीय वक्तव्य
४०१	शीर्ष	श्री मोहनलाल मोदी	(श्री मोहनलाल मोदी)
४०५	,,	श्री दिग्विजयसिंह	(श्री शिवचरण माथुर)
४०९	,,	श्री शिवचरण माथुर	(श्री शिवचरण माथुर)